चतुर्दश माला, खंड 32, अंक 2

मंगलवार, 26 फरवरी, 2008
7 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc. No. 74
Dated 16 Jan 2009

सत्यमेव जयते

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

आर. के. चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 26 फरवरी, 2008/07 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
स्वीडन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	2-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 134 और 136 से 176	26-373
सभा पटल पर रखे गए पत्र	373-376
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	376-377
संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष के विनिश्चय	377-378
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
26वां प्रतिवेदन	378
मंत्री द्वारा वक्तव्य	378-379
सूचना और प्रसारण संबंधी समिति के बयालीसवें, तैंतालीसवें और सैतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	
अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ने के बारे में दिनांक 14.8.2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	379
चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	380
रेल बजट (2008-2009)	382-431
नियम 377 के अधीन मामले	432-442
(एक) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मुर्गीपालन उद्योग के लिए राहत उपाय घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. के. खारवेनथन	432-433
(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ढांसा से जेतालसर तक मीटरगेज रेलवे लाइन का ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वी. के ठुम्मर	433-434
(तीन) राजस्थान के अलवर में बहरोड़ में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	434

(चार) गुजरात में आकाशवाणी के हिम्मतनगर रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री 434

(पांच) भारतीय तंबाकू की खरीद पर रूस द्वारा लगाई गई रोक को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 434-435

(छह) यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के जालौन और कानपुर देहात जिलों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 435

(सात) राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसलें पाला पड़ने और शीतलहर के कारण प्रभावित हुई हैं, को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 435-436

(आठ) अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते असम के आरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू 436-437

(नौ) स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमाधारी इंजीनियरों की संवर्ग समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जुएल ओराम 437

(दस) नई अफीम नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी 437-438

(ग्यारह) मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए मछुआरा ऋण राहत आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 438

(बारह) तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन 438-439

(तेरह) उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 439

(चौदह) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह 439

(पन्द्रह) बिहार को केन्द्रीय पूल से विद्युत का पर्याप्त हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 440

(सोलह) कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी करने के मानकों को शिथिल किए जाने और तमिलनाडु के तिरूपत्तुर में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 440-441

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर–खीरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन सड़कों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी 441

(अठारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ई एस आई अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक ..... 441&442

(उन्नीस) तमिलनाडु में विरुधुनगर–मनमदुरै रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 442

नागालैंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में संविधिक संकल्प

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ..... 443&446

श्री किरेन रिजीजू 443-445

डा. टोकचोम मैन्या 445

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 449

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 450-454

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 455-456

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 455-458

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2008/7 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है मराठी के संबंध में। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरंभ में मुझे एक घोषणा करनी है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

स्वीडन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए रिक्सडग (स्वीडन की पार्लियामेंट) के स्पीकर महामहिम श्री पेर वेस्टरबेग और स्वीडन के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल रविवार, 24 फरवरी, 2008 को भारत पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हमारी उनसे बहुत सार्थक वार्ता हुई। हम उनके मैत्री भाव की प्रशंसा करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अपने सभी मित्र देशों के साथ अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाना हमारा परम कर्तव्य है, यही सद्भावना हमारे स्वीडन के सम्मानीय अतिथियों ने भी व्यक्त की है। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से स्वीडन साम्राज्य के महामहिम सम्राट, स्वीडन की संसद, सरकार और मैत्री प्रिय लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन नए सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने शपथ लेनी हैं अथवा प्रतिज्ञान करना है।

श्रीमती मीना सिंह (विक्रमगंज)

श्री अरुण यादव (खरगौन)

श्री नीरज शेखर (बलिया, उत्तर प्रदेश)

मुझे खुशी है कि अब कुछ और युवा सदस्य आए हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : कृपया माननीय अध्यक्ष को बोलने दें*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी हमने विशेष प्रकोष्ठ में बैठे माननीय सदस्यों का स्वागत किया है। और क्या अब हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री चन्द्रपाल सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

निर्यातकों द्वारा मांगी गई सहायता

***1. प्रो. एम. रामदास :**

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में निर्यातकों द्वारा सरकार से सहायता

मांगी गई है जिससे वे अपने निर्यात के बीजक अमरीकी डॉलर के बजाय केवल भारतीय रुपये में ही बना सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कुछेक निर्यातकों ने विभिन्न मंचों पर निर्यातकों को भारतीय रुपए में बीजक बनाने की अनमुति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए में बीजक बनाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए निर्यातकों से कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपयों में निर्यात संविदाओं का बीजक बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (1 सितम्बर, 2004 से 31 मार्च, 2009 तक) के पैरा 2.40 के अनुसार "सभी निर्यात संविदाएं एवं बीजक या तो एक मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपयों में व्यक्त किए जाएंगे लेकिन निर्यात आय मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त की जाएगी। तथापि, विशिष्ट निर्यातों के विरुद्ध होने वाली निर्यात आय को रुपयों में भी प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि यह ऐसीयू के सदस्य अथवा नेपाल या भूटान से इतर किसी देश में स्थित अनिवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के माध्यम से हो।"

[हिन्दी]

उग्रवादी गतिविधियां

*2. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक हुई नक्सली, आतंकवादी और उग्रवादी घटनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन घटनाओं में कितने पुलिसकर्मी तथा नागरिक मारे गए;

(ग) इन घटनाओं में सुरक्षा बलों और अन्य नागरिकों से लूटे गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन घटनाओं में मारे गये अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों तथा अन्य नागरिकों के आश्रितों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना पर आधारित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्र सरकार आतंकवादी/नक्सली घटनाओं में मारे गए अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को 7.50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान तथा उदारीकृत पेंशन एवार्ड और अन्य पेंशनरी लाभ प्रदान करती है।

राज्स सरकारें, इस संबंध में राज्य–विशिष्ट नीतियों के अनुरूप आतंकवादी/नक्सली घटनाओं में मारे गए पुलिस कार्मिकों/सिविलियनों के आश्रितों को अनुग्रह राशि तथा अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर आई) की स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार मारे गए प्रत्येक पुलिस के लिए 3.00 लाख रुपए की राशि तथा मारे गए प्रत्येक सिविलियन के लिए 1.00 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति के जरिए राज्य सरकारों द्वारा की गई अनुग्रह राशि के भुगतान में भी योगदान करती है।

(ङ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण आतंकवादियों/नक्सलवादियों/अतिवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए कार्रवाई करना मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के जरिए इनके प्रयासों और संसाधनों में मदद करती है। जिनमें शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती, इंडिया रिजर्व बटालियन मंजूर करना, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता, आसूचना का आदान–प्रदान, अंतर राज्य समन्वय लाना आदि।

इसके अतिरिक्त सीमा पार से प्रयोजित आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों की जांच करने और रोकथाम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं : सीमा पर व्यापक गश्त और सतर्कता, सीमा बाड़ और फ्लड, तटीय सुरक्षा हेतु व्यवस्था तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों के जरिए कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई करना।

विवरण

नक्सली घटनाएं
(20.02.2008 की स्थिति के अनुसार)

	2005				2006				2007				2008			
	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलयन	लूटे गए हथियार	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलयन	लूटे गए हथियार	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलयन	लूटे गए हथियार	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलयन	लूटे गए हथियार
आन्ध्र प्रदेश	535	22	186	11	183	10	37	3	138	2	43	–	17	–	9	–
बिहार	186	24	72	82	107	5	40	13	135	322	45	44	17	4	3	4
झारखंड	312	27	92	188	310	43	81	15	482	8	149	30	68	4	12	–
छत्तीसगढ़	385	47	121	24	715	84	304	95	582	198	171	147	77	14	11.	11
मध्य प्रदेश	20	1	2		6	–	1	–	9	–	2	–	3	–	–	–
महाराष्ट्र	94	24	29	12	98	3	39	–	94	3	22	1	7	1	–	–
उड़ीसा	42	1	13	11	44	4	5	31	67	2	15	1	18	17	3	1091
उत्तर प्रदेश	10	–	1	–	11	–	5	–	9	–	3	–	1	–	0	–
पश्चिम बंगाल	14	1	6	–	23	8	9	17	32	–	6	7	5	–	3	–
कर्नाटक	8	6	2	10	10	–	–	3	7	1	4	2	–	–	–	–
अन्य	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
कुल	1608	153	524	338	1509	157	521	177	1565	236	460	232	214	40	41	1106
जम्मू और कश्मीर (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)																
जम्मू और कश्मीर	1990	189	557	–	1667	151	389	–	1092	110	158	–	53	3	5	–
पूर्वोत्तर क्षेत्र (15.2.2008 की स्थिति के अनुसार)																
असम	398	7	173	–	413	32	164	7	474	27	287	16	57	7	17	4
मेघालय	37	–	1	–	38	–	6	–	28	1	9	1	1	–	–	–
त्रिपुरा	115	11	28	4	87	14	14	6	94	6	14	4	17	–	1	–
अरुणाचल प्रदेश	32	1	3	–	16	–	–	–	35	5	12	6	2	–	–	–
नागालैंड	192	1	28	–	309	2	29	–	272	1	44	2	32	–	8	1
मिजोरम	4	–	2	–	5	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
मणिपुर	554	50	158	25	498	28	96	2	584	39	130	20	51	1	14	–

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा

***3. श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को पी.एच.डी. तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव से देश के उन छात्रों को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) "दलितों के मामलों से संबंधित मंत्रियों की समिति" के "शिक्षा और कौशल विकास" से संबंधित उप–समूह ने अन्य बातों के साथ–साथ यह यह सिफारिश की है कि सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से पी.एच.डी. तक किसी भी स्तर पर कोई भी शुल्क नहीं लेना चाहिए।

(ग) उप–समूह की सिफारिश से दलितों को शिक्षा की सुलभता को बढ़ानें में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

[हिन्दी]

चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार

***4. श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के हाल के चीन दौरे के दौरान चीन के साथ किए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यापार समझौतों के परिणास्वरूप भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या भारतीय निर्यातकों को चीन द्वारा व्यापार रियायतें देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रधान मंत्री की चीन की हाल में की गई यात्रा के दौरान, चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा संगरोध संबंधी सामान्य प्रशासन तथा भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच तम्बाकू पत्तियों के भारत से चीन को निर्यात करने के लिए पादप स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं के बारे में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रोटोकाल से भारत और चीन के बीच तम्बाकू व्यापार की बहाली में सुविधा मिलेगी।

(ख) यद्यपि इस करार का द्विपक्षीय व्यापार पर प्रभाव सीमित हो सकता है, तथापि भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार के वर्ष 2010 तक 60 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंच जाने की आशा है।

(ग) और (घ) हाल में भारतीय निर्यातकों को व्यापार रियायतें देने संबंधी किसी द्विपक्षीय व्यापार करार पर चीन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि एशिया प्रशांत व्यापार करार (बैंकाक करार के रूप में जुलाई, 1975 में हस्ताक्षरित और दिनांक 02.11.2005 को संशोधित एपीटीए) के अनुसार चीन ने खाद्य मदों, रासायनिक उत्पादों, औषधियों, वस्त्र उत्पादों और मशीनरी उत्पादों सहित 1697 मदों पर भारत को टैरिफ अधिमान का प्रस्ताव किया था। प्रत्युत्तर में भारत ने मुख्यतः रसायन, कागज, इस्पात, रबड़, विद्युत मशीनरी, रेलवे उत्पाद और खिलौना सहित 570 मदों पर टैरिफ रियायतों का प्रस्ताव किया था।

रायल्टी दरों के निर्धारण में विलम्ब

***5. श्री महावीर भगोरा :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों के निर्धारण में विलम्ब और जिंक तथा डॉलर के मूल्यों में गिरावट के कारण राजस्थान तथा अन्य राज्यों में खनिज उद्योग को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योग के उक्त घाटे की प्रतिपूर्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रॉयल्टी की दरों का निर्धारण कब तक किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधान के अनुसार जस्ता और अन्य प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी राज्य सरकारों द्वारा 14 अक्तूबर, 2004 की संशोधित दरों के अनुसार वसूल की जा रही है। चूंकि जस्ता की रॉयल्टी मूल्यानुसार लगाई जाती है जो जस्ते के मूल्य में घट–बढ़ को स्वतः ही हिसाब में ले लेती हैं; रॉयल्टी से उदभूत राज्य सरकार के राजस्व के हित और उद्योग पर रायल्टी का भार उपयुक्त रूप से संरक्षित है।

(ङ) एमएमडीआर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी की दरों में बढ़ोत्तरी तीन साल में एक ही बार की जा सकती है। रॉयल्टी की दरों में संशोधन सुझाने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने

सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर रॉयल्टी दरों और डैड रेन्ट के संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

प्री-स्कूल में प्रवेश

*6. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्री–स्कूल कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई दिशा–निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में प्रमुख निजी स्कूलों को उच्चतम न्यायालय के 14 दिसम्बर, 2007 के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया है तथा ये विद्यालय बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और प्रवेश फार्मों की बिक्री अत्यधिक मूल्य पर कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्कूलों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते पा गए स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्री–स्कूल कक्षाओं में भर्ती के संबंध में एस.एल.पी. सं. 12744 और 12862/2007 में दिनांक 14/12/07 के अपने अंतरिम आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:–

(i) स्कूलों द्वारा अभिभावकों के साथ बातचीत की जा सकती है।

(ii) स्कूल या तो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित भर्ती योजना को अपना सकते हैं अथवा विभाग को सूचित करने के पश्चात् अपनी योजना बना सकते हैं।

(iii) भर्ती के मानदंड शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाएंगे।

प्री–स्कूलों के लिए दिशानिर्देशों के तैयार होने तक प्री–स्कूल कक्षाओं पर भी उपुर्यक्त बातें लागू होंगी।

(ग) और (घ) एक स्कूल द्वारा बच्चों का साक्षात्कार लिए जाने के बारे में केवल एक शिकायत शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई थी, परंतु जांच करने पर पाया गया कि शिकायत में कोई सार नहीं है। प्रवेश संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में अनुवीक्षण प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आपराधिक न्याय प्रणाली का अध्ययन

*7. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में कितना सुधार देखा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोग/समितियां गठित की गई थीं। अभी हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए प्रो. माधव मेनन की अध्यक्षता में दिनांक 3.5.2006 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में सुझाई गई प्रमुख सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, शामिल पीड़ितों को अधिकारिता प्रदान करने के उद्देश्य से अपराधों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित सुझाव, न्याय त्वरित एवं प्रभावकारी सुपुर्दगी, उद्देश्यपूर्ण दंड के लिए दंड मार्गदर्शी निर्देश, कमजोर तबकों के हितों की रक्षा करना, आपराधिक न्यायप्रणाली सुधार में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग और पीड़ितों की क्षतिपूर्ति आदि।

इस पर विचार करते हुए कि आपराधिक न्याय प्रणाली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है और इन सिफारिशों का व्यापक प्रभाव हो सकता है, इस रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों को उनके सुझाव/विचार जानने के लिए भेज दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिट्टे की गतिविधियां

*8. **श्री निखिल कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के दक्षिणी भागों में लिट्टे की गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) संघ सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) को विधि–विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, यथासंशोधित, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। लिट्टे और उनसे संबंधित तत्वों द्वारा उग्रवादियों की सभावित घुसपैठ एवं नियम विरुद्ध व्यापार को रोकने के लिए भारतीय नौसेना, तटरक्षक और तमिलनाडु के तटरक्षक समूह द्वारा तटीय गश्त एवं सुरक्षा की एक त्रिस्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार ने सन्निकट तटीय ज की गश्त एवं निगरानी के लिए अवस्थापना को सुदृढ़ करने हेतु देश के दक्षिणी हिस्से सहित, तटीय क्षेत्रों के लिए एक तटीय सुरक्षा योजना मंजूर की है। मुख्य भूमि में लिट्टे की संभावित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सतत चौकस बरती जा रही है। और इन मामलों में तथा तस्करी को, विविध विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, यथासंशोधित, 2004 के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है। इन प्रयासों से विस्फोटकों एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के प्रयासों को निरर्थक करने एवं लिट्टे काडरों एवं उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी करने में भी सहायता मिली है।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों को सहायता

*9. **श्री एस. के. खारवेनथन :**
श्री के. सी. पल्लानी शामी :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय दल ने हाल ही में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अभी तक कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए और सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत कार्य करने के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं भारत सरकार संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक आपदा आने पर राज्यों को वित्तीय सहायता आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के जरिए प्रदान की जाती है जिसके लिए विभिन्न राज्यों को आबंटन उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। भीषण प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में सी आर एफ को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, यथावश्यक रूप से सम्पूरित किया जाता है।

बारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश (2 ज्ञापन), अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल कर्नाटक (3 ज्ञापन), उड़ीसा (2 ज्ञापन), मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी ने इस वर्ष के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए एन सी सी एफ से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। ज्ञापन प्राप्त होने पर तत्काल अन्तर मंत्रालयी दल गठित किए गए जिन्होंने क्षति एवं निधियों की जरूरत का स्थल पर ही जाकर आकलन करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरि को छोड़कर, उपर्युक्त राज्यों का दौरा किया। पुडुचेरि से ज्ञापन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और एक दल गठित किया गया है जो शीघ्र ही इस सं. रा. क्षेत्र को जाएगा। क्षति एवं निधियों की जरूरत का स्थल पर जाकर आकलन करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 10–12 जनवरी, 2008 को तमिलनाडु का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी छानबीन कर ली गई है। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो अभी प्राप्त होने हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर राज्य सरकार के अनुरोध को एक अंतर मंत्रालयी दल और उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ एवं एन सी सी एफ से निधियां मंजूर करने के लिए रखा जाएगा। तथापि तमिलनाडु के सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से की वर्ष 2007–08 के लिए 172.88 करोड़ रुपये की सारी राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राकृतिक आपदा आने पर राज्य को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उनके पास निधियों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि बनाई गई है जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। वर्ष 2007–08 के लिए यह आबंटन 4258.85 करोड़ रुपये का है जिसमें से 75% अर्थात 3194.14 करोड़ रुपये का हिस्सा भारत सरकार का एवं 25% अर्थात

1064.71 करोड़ रुपये का हिस्सा राज्य सरकारों का है। वर्ष के दौरान सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 2486.31 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी गई है। भारत सरकार के हिस्से की शेष राशि संबंधित राजयों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान एन सी सी एफ से भी 283. 97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें केरल राज्य को वर्ष 2007 में बाढ़ के लिए 50.00 करोड़ रुपये की "खाते में" आधार पर जारी की गई राशि भी शामिल है।

उच्चस्तरीय समिति ने राज्यों के 7 ज्ञापनों पर विचार किया और एन सी सी एफ से निम्नलिखित सहायता मंजूर की (सी आर एफ खाते में बकाया 75% के समायोजन के अध्यधीन):–

आंध्र प्रदेश (पहला ज्ञापन)।

* 136.053 करोड़+हवाई बिलों का भुगतान + वास्तविक आधार पर उड़ान ईंधन

कर्नाटक (पहला ज्ञापन)

* 117.45 करोड़ रुपये+3.318 करोड़ रुपए संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के विशेष संघटक से। कर्नाटक (दूसरा ज्ञापन)

* 121.80 करोड़ रुपये + 1.33 करोड़ रुपये ए आर डब्ल्यू एस पी के विशेष संघटक से।

उड़ीसा (पहला ज्ञापन)

* 59.33 करोड़ रुपये + 0.719 करोड़ रुपये ए आर डब्ल्यू एस पी के विशेष संघटक से + वास्तविक आधार पर हवाई बिलों का भुगतान

उड़ीसा (दूसरा ज्ञापन)

* 139.69 करोड़ रुपये + 2.376 करोड़ रुपये ए आर डब्ल्यू एस पी के विशेष संघटक से।

हिमाचल प्रदेश

* 59.89 करोड़ रुपये + 2.376 करोड़ रुपये ए आर डब्ल्यू एस पी से विशेष संघटक के रूप में।

केरल

* 134.396 करोड़ रुपये + 1.32 करोड़ रुपए ए आर डब्ल्यू एस पी से विशेष संघटक के रूप में + सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के विशेष संघटक से 35,300 मी. टन खाद्यान्नों की रिलीज।

5. शेष ज्ञापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के विभिन्न चरणों में है। सम्भवतः यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

6. सी आर एफ एवं एन सी सी एफ योजना में तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संयोजकता दिलाने/बहाल करने की दृष्टि से क्षतिग्रस्त अवस्थापना की मरम्मत हेतु सहायता देने का प्रावधान है। क्षतिग्रस्त अवस्थापना की बहाली, तैयारी और प्रशासन उपायों पर व्यय का प्रावधान राज्य योजना में किया जाना अपेक्षित होता है। इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने योजना प्रस्तावों को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करें। अब तक, 2007 के दौरान बाढ़ से प्रभावित किसी राज्य ने उपर्युक्त उद्देश्य के लिए योजना प्रस्ताव नहीं भेजा है।

गणित विषय का ज्ञान

*10. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल ही में कराए गए अध्ययन से पता चला है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा पांच में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत से भी अधिक छात्र गणित के आसान प्रश्नों को भी हल नहीं कर पाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 33 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें 6828 स्कूल तथा 84332 छात्र शामिल हैं, में कक्षा–V स्तर पर अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण में गणित परीक्षा में विभिन्न विषयों के 40 प्रश्न शामिल थे जिनमें से 16 प्रश्न सामान्य गणित के थे। 58% बच्चों ने इन प्रश्नों का सही जवाब दिया।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए गए। इनमें शिष्य–शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए 8.32 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, प्रतिवर्ष 20 दिन की अवधि के लिए अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लगभग 6.5 करोड़ बच्चों तथा बालिकाओं को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण, 6395 ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा 68352 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च

प्राथमिक स्कूलों को नियमित शैक्षिक सहायता तथा छात्रों का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

सब्जियों और फलों का निर्यात

*11. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों को सब्जियों और फलों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) इनके निर्यात से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात में और वृद्धि की गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ताजे भारतीय फलों एवं सब्जियों के प्रमुख बाजार हैं–संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, नीदरलैंड, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नेपाल।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है:–

(मूल्य : करोड़ रु. में)

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (अप्रैल–अक्तू.)
मूल्य	1363.71	1658.71	2411.65	1447.38*

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस *अप्रैल–अक्तूबर, 2007 के लिए अनंतिम

(ग) जी हां।

(घ) फलों और सब्जियों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर और तिरूअनंतपुरम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्रों की स्थापना, सामान्य पैक हाउसों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना।

(ii) जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनका उन्नयन तथा अवशिष्ट निगरानी योजनाओं का कार्यान्वयन, पैकेजिंग विकास और फलों तथा सब्जियों के निर्यात हेतु फसल पूर्व एवं फसलोत्तर मैनुअलों को तैयार करना।

(iii) फलों एवं सब्जियों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, संवर्धनात्मक अभियानों, क्रेता–विक्रेता बैठकों और प्रमाणन निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता तथा परिवहन सहायता हेतु इसकी स्कीमों के अंतर्गत इसके पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग

*12. **डा. रतन सिंह अजनाला :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों को द्विभाजन करने/उनके पुनर्गठन के लिए राज्य सरकारों से बहुत सी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का राज्यों के द्विभाजन/उनके पुनर्गठन की जांच करने के लिए दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस आयोग को सौंपे जाने वाले विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) ऐसे किसी समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिसमें यह निर्णय लिया जा सके और ले लिया जाएगा।

आई. आई. टी. तथा आई. आई. एम. की स्थापना

*13. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री अनन्त नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) तथा भारतीय प्रबंध संस्थान (आई. आई. एम.) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.आई.टी. तथा आई. आई. एम. की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों से राज्य–वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(घ) राज्य–वार इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुछ स्थानों को चिन्हित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन संस्थानों के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क), (ख) और (ङ) से (छ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश प्रत्येक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का सिद्धांत निर्णय लिया गया है जबकि 7 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से एक शिलांग (मेघालय) में स्थापित किया गया है। शेष नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नए भारतीय प्रबंधन संस्थान किन राज्यों/शहरों में स्थापित किए जाएंगे इस संबंध में निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

आशा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग इस वर्ष से आरंभ हो जाएगा। अतः इस स्थिति में यह विनिर्दिष्ट समय सीमा बताना संभव नहीं है कि शेष संस्थाएं कब तक संचालित हो जायेंगी।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। शेष 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थान के संबंध में निर्णय लेते समय इन अनुरोधों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

उन राज्य सरकारों की सूची जिनसे 11वीं योजना के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ हैं

आई.आई.टी. के लिए	आई.आई.एम. के लिए
1	2
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
तमिलनाडु	तमिलनाडु
झारखण्ड	झारखण्ड
गोवा	गोवा
मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
उड़ीसा	असम
गुजरात	पंजाब
केरल	
छत्तीसगढ़	
त्रिपुरा	
मिजोरम	

[अनुवाद]

कम किए गए आयात शुल्क का स्वदेशी उत्पादकों पर प्रभाव

*14. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन :**

श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान और श्रीलंका के उत्पादों पर कम किए गए/हटाए गए आयात शुल्क का देश में विशेषकर केरल की नकदी फसलों के स्वदेशी उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सार्क के अल्प विकसित देशों से इतर देशों के रूप में श्रेणीबद्ध भारत, पाकिस्तान और श्री लंका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार के हस्ताक्षकर्ता देश हैं, जो 1 फरवरी, 2006 से लागू हुआ था। साफ्टा का चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) 1 जुलाई, 2006 से लागू हुआ था। साफ्टा टीएलपी प्रत्येक सदस्य देश द्वारा रखी जाने वाली संवेदनशील सूची की मदों पर लागू नहीं होता है। अल्प विकसित देशों से इतर देशों के लिए भारत की संवेदनशील सूची में 865 मदें हैं और इन मदों में नकदी फसलें भी शामिल हैं। अतः साफ्टा करार में घरेलू उत्पादकों के हितों का विधिवत ध्यान रखा जाता है।

भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 30 मार्च, 2000 से लागू हुआ है। आईएसएफटीए के तहत भारत ने उन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए 429 मदों की नकारात्मक सूची रखी है जिसमें नारियल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, आईएसएफटीए

के अंतर्गत श्रीलंका से होने वाले आयातों का घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने समय–समय पर उपयुक्त उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

I) सुपारी के आयात की अनुमति केवल मंगलौर पत्तन के जरिए प्रदान की जा रही है।

II) आईएसएफटीए के तहत श्रीलंका से चाय का आयात 15 मिलियन कि.ग्रा. प्रति वर्ष तक सीमित है और उसका उपयोग नगण्य रहा है।

III) श्रीलंका में निर्जलित नारियल का आयात 30% शुल्क पर 500 मिलियन मी. टन प्रति वर्ष तक सीमित है।

Iv) भारत ने काली मिर्च के आयात को 2500 मी. टन प्रति वर्ष का टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) लागू कर उसे सीमित कर दिया है।

पाकिस्तान और श्रीलंका, दोनों के लिए उपलब्ध व्यापार आंकड़ों के अनुसार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।

[हिन्दी]

नई औषधियों के लिए अनुसंधान

*15. **श्री गणेश सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में नई औषधियों के विकास के लिए किये जा रहे अनुसंधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसंधान कार्य की गति संतोषजनक है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) सी एस आई आर ने अपनी अनेक प्रयोगशालाओं के माध्यम से नई औषधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन प्रयोगशालाओं में से केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) का मुख्य फोकस नई औषधियों पर अनुसंधान करना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (आईआईसीबी), भारतीय समवेत औषध संस्थान संस्थान–जम्मू (आईआईआईएम–जम्मू) भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमटी), कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी), जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) आदि जैसे सीएसआईआर के अनेक अन्य संस्थान इस अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करते हैं व इसे और अधिक बेहतर बनाते हैं। ये प्रयोगशालाएं कृत्रिम एवं प्राकृतिक संसाधनों से नई औषधियों की खोज और विकास का कार्य भी करती हैं। मलेरिया, टयूबरक्यूलोसिस, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग, तंत्रिकीय विकास, गैस्ट्रिक अल्सर, कैंसर, जनन स्वास्थ्य, अस्थिसुषिरता आदि जैसे रोग अनुसंधान हेतु प्राथमिकता वाले रोग हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन प्रयोगशालाओं द्वारा आरंभ कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं: परजीवी रोगों और रोगाणु संक्रमण हेतु नई औषध विकास कार्यक्रम (सीडीआरआई), नवीन लक्ष्य आधारित कैंसररोधी चिकित्सा शास्त्र का विकास (आईआईआईएम–जे), मधुमेह–नई औषध खोज अनुसंधान एवं विकास, आण्विक क्रियाविधियां और आनुवांशिक घटक (सीडीआरआई), एलर्जी ब्रोंकिअल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरि रोग के विरुद्ध मैदानिकी और लक्ष्य आधारित आण्विक औषधालयों का विकास (आईआईसीबी), नए जैव सक्रिय अणुओं (प्राकृतिक और अर्ध संश्लिष्ट) और परंपरागत विरचनों आदि की खोज और पूर्व चिकित्सीय अध्ययन।

(ख) जी, हां। इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की गति संतोषजनक है।

(ग) और (घ) सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं हेतु गत तीन वर्षों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग वर्ष 2004–05 के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 के लिए 90 करोड़ रुपये और वर्ष 2006–07 के लिए 75 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

छियासीवां संविधान संशोधन

*16. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के अधिकार के संबंध में छियासीवां संविधान संशोधन अभी तक लागू नहीं किया गया है जबकि इसे पांच वर्ष पूर्व अधिनियमित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 13 दिसंबर 2002 को अधिसूचित संवैधानिक (86वां) संशोधन अधिनियम, 2002 के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21–ए जोड़ा गया है जिसमें प्रावधान है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।" 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की धारा (2) में प्रावधान है कि "यह उस तारीख से लागू होगा, जो केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।" अनुच्छेद 21–ए के तहत परिकल्पित अनुवर्ती विधान के अधिनियमित न होने के कारण यह अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

मात्स्यिकी राजसहायता के बारे में विश्व व्यापार संगठन के नियम

*17. **श्री एन. एन. कृष्णदास :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन में मात्स्यिकी राजसहायता से संबंधित प्रस्तावित नियमों में कोई संशोधन करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व व्यापार संगठन द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित नियमों के विरुद्ध भारत द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां क्या थीं; और

(घ) इस पर विश्व व्यापार संगठन की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत मात्स्यिकी सब्सिडी संबंधी नियमावली पर डब्ल्यूटीओ में वार्ताएं चल रही हैं। इन वार्ताओं के एक भाग के रूप में 30 नवम्बर, 2007 को नियमों संबंधी वार्ताकारी समूह (एनजीआर) के अध्यक्ष ने मात्स्यिकी सब्सिडी समेत नियमों के पाठ का मसौदा प्रस्तुत किया है। भारत ने मात्स्यिकी सब्सिडी संबंधी नियमावली सहित नियमों के पाठ के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अभिमानी व्यवहार (एसएण्डडी) प्रदान करने के लिए संलग्न शर्तों और पाठ में मात्स्यिकी के प्रबंधन के अधीन निर्धारित विभिन्न अपेक्षाओं के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। भारत ने एनजीआर के अध्यक्ष से विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा जताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मात्स्यिकी सब्सिडी समेत नियमों संबंधी एक संशोधित पाठ जारी करने के लिए कहा है।

(ख) से (घ) एक विकासशील देश के रूप में, भारत हमारी लघु और दस्तकारिक मात्स्यिकी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक कारगर विशेष एवं अभिमानी (एसएण्डडी) व्यवहार की मांग करता रहा है। मात्स्यिकी सब्सिडी संबंधी अध्यक्ष के पाठ का मसौदा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों (एएससीएम) संबंधी करार के प्रस्तावित अनुबंध VIII में दिया गया है। इस पाठ में पाठ के मसौदे के अनुच्छेद III में विकासशील सदस्य देशों के विशेष एवं अभिमानी व्यवहार हेतु उपबंध निहित हैं। भारत के अनुच्छेद III.2 (क) में निहित विभिन्न उपबंधों का विरोध किया है जिनमें तटवर्ती आधार पर किए गए अवतल समुद्री मत्स्यन के लिए प्रदत्त सब्सिडी को अनेक शर्तों के अधीन रखा गया है, अर्थात (क) इन्हें अयांत्रिक जाल से ग्रहण किया गया हो, (ख) मत्स्यन परिवार के सदस्यों अथवा एसोसिएशनों द्वारा किया गया हो (ग) पकड़ी गई मछलियों का उपभोग मुख्यतः मछुआरों और उनके परिवारों द्वारा किया गया हो (घ) यह कार्यकलाप कम लाभ वाले व्यापार से अधिक न हो (ङ) किए गए कार्यकलापों में कोई प्रमुख नियोक्ता–कर्मचारी संबंध न हो। भारत ने विशेष एवं अभिमानी व्यवहार से जुड़ी इन शर्तों का इस आधार पर विरोध किया है कि लघु और दस्तकारिक मात्स्यिकी हमारे लिए व्यापारिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह आजीविका और निर्वाह का मुद्दा है। भूभागीय जल के भीतर मत्स्यन हेतु दस्तकारिक मात्स्यिकी के लिए भी एसएण्डडी लाभ प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद III.2 (क) के अंतर्गत मात्स्यिकी प्रबंधन की शर्त का भी विरोध किया गया है।

जहां तक पाठ के मसौदे के अनुच्छेल III.2 (ख) का संबंध है, विभिन्न राज्यों में स्थित ईईजेड में मत्स्यन कार्यकलापों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत ने पाठ के अनुच्छेद I.1 (क) और I.1 (ग) में शामिल मात्स्यिकी सब्सिडियों के लिए एस एण्ड डी के लाभ प्राप्त करने हेतु नाव की लंबाई अधिकतम 10 मीटर होने की शर्त का विरोध किया है, जो मुख्यतः मत्स्यन पोतों या सेवा संबंधी पोतों के अर्जन निर्माण, मरम्मत, नवीकरण, पुनरूद्धार आदि और जो मत्स्यन या सेवा संबंधी पोतों की प्रचालन लागतों, जिनमें लाइसेंस शुल्क, ईंधन, बर्फ, चारा, कार्मिक, सामाजिक प्रभार आदि और पहुंच, प्रहस्तन या पत्तन में या पत्तन के पास प्रसंस्करण कार्यकलाप शामिल हैं, से संबंधित है। भारत ने नाव की लंबाई को कम से कम 20 मीटर करने का सुझाव दिया है, ताकि ईईजेड में मात्स्यिकी में लगी भारतीय नावें अनुच्छेद I.1 (क) और I. 1(ग) के अंतर्गत सब्सिडियां प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद III.2 (ख) में एस एण्ड डी के अंतर्गत निषेध से छूट और अनुच्छेद II के अंतर्गत सामान्य छूटें भी पाठ के अनुच्छेद V के मात्स्यिकी प्रबंधन उपबंधों के अधीन है। इन अपेक्षाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं– स्टाक आकलन के परिणामों सहित मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली की प्रकृति एवं प्रचालन से संबंधित सूचना खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के संगत निकाय को अधिसूचित की जाएगी, जहां सब्सिडी दिए जाने से पहले उसकी परिपूर्ण समीक्षा की जाएगी। प्रबंधन प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए जो व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, पाठ में यह अपेक्षा की गई है कि यह वांछनीय है कि मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणालियां पहुंच के सीमित विशेषाधिकार पर आधारित होनी चाहिए; जो काफी आदेशात्मक है। भारत और अनेक विकासशील देश उत्तरदायी मात्स्यिकी हेतु एफएओ की आचार संहिता (सीसीआरएफ) के हस्ताक्षरकर्ता हैं। यद्यपि मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना संबंधी शर्तें स्वयं ही काफी अधिक है तथापि इन्हें एफओ को अधिसूचित करना स्वीकार्य नहीं है। भारत ने सब्सिडी दिए जाने से पहले परिपूर्ण समीक्षा करने की अपेक्षा का कड़ा विरोध किया है। अतः भारत ने एस एण्ड डी लाभों और सामान्य छूटों से संबंधित मात्स्यिकी प्रबंधन की इन शर्तों को अत्यधिक आदेशात्मक, भारी–भरकम और हस्तक्षेपणकारी मानते हुए, इनका विरोध किया है।

एफ एम चैनलों पर समाचार

*18. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से एफ एम चैनलों पर समाचार और समसामयिक घटनाओं का प्रसारण करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एफ एम रेडियो प्रसारण के विस्तार के चरण III से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 22.02.2008 को सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। प्राधिकरण ने विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करते समय यह अनुशंसा भी की थी कि एफ एम रेडियो प्रसारकों को आकाशावाणी, दूरदर्शन, प्राधिकृत टेलिवीजन समाचार चैनलों, यूनीवार्ता, भारतीय प्रेस ट्रस्ट और किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार संबंधी विषय–वस्तु लेकर और उसमें बिना कोई ज्यादा फेर बदल के उसको प्रसारित करने की अनुमति दी जा सकती है।

सरकार द्वारा ट्राई की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

औद्योगिक पार्कों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*19. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के औद्योगिक पार्कों के शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे औद्योगिक पार्कों में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार औद्योगिक पार्क क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005 की प्रेस नोट संख्या 2 की सोपाधिकताओं को आकृष्ट किये बिना स्थापित किये जाने वाले तथा स्थापित औद्योगिक पार्कों दोनों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित अहर्ता शर्तें अनुमोदित की हैं:–

(i) एक 'औद्योगिक पार्क' अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए आबंटित क्षेत्र अथवा सामान्य सुविधाओं सहित निर्मित स्थान अथवा औद्योगिक प्रयोग के प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थान होगा;

(ii) विनिर्माण, विद्युतीकरण, गैस तथा जल आपूर्ति, डाक तथा दूर–संचार, सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्शदायी सेवा व आपूर्ति, डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस कार्यकलाप तथा इलेक्ट्रोनिक मात्रा का वितरण, अन्य कम्प्यूटर संबंधी कार्यकलाप, प्राकृतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक विकास, बिजनेस तथा प्रबंधन परामर्शदायी कार्यकलाप और वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी कार्यकलाप 'औद्योगिक पार्क' के रूप में नामोदिष्ट क्षेत्र में अनुमत औद्योगिक कार्यकलाप होंगे।

(iii) इसके अलावा औद्योगिक पार्क की निम्नलिखित विशेषताएं हैं;

(क) इसमें कम से कम 10 इकाईयां होंगी और किसी भी एकल इकाई के पास आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र नहीं होगा।

(ख) औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आबंटित किये जाने वाले क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटन योग्य क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धिदर

*20. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक दर में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही और वर्ष 2008–09 के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन उद्योगों की पहचान की है जिनमें गत तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि दर में या तो वृद्धि हो रही है अथवा उसमें गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वर्ष 2004–05 से अप्रैल–दिसंबर, 2007–08 अद्यतन के बीच बड़े औद्योगिक समूहों की विकास दरें इस प्रकार रहीं:

क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (अप्रैल–दिसम्बर)
उद्योग (सम्पूर्ण)	8.4	8.2	11.6	9.0
खनन	4.4	1.0	5.4	4.9
बिजली	5.2	5.2	7.2	6.6
विनिर्माणकारी	9.2	9.1	12.5	9.6

2. चालू वित्तीय वर्ष के पिछले नौ महीनों हेतु उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर आशा की जा रही है कि पिछले वर्ष दर्ज किए गए विकास की तुलना में पूरे 2007–08 के दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक विकास दर कुछ कम रहेगी।

3. नीचे दी गई तालिका में खनन और उत्खनन, बिजली तथा विनिर्माणकारी क्षेत्र और अपेक्षाकृत अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माणकारी उद्योग के कुछ बड़े उप–वर्गों द्वारा अप्रैल–दिसम्बर, 2007–08 के दौरान दर्ज की गई विकास दर की तुलना पिछले तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) के दौरान रिकार्ड की गई औसत वार्षिक दरों से की गई है।

विकास दर%

क्षेत्र/उद्योग	औसत 2004–05 से 2006–07	2007–08 (अप्रैल–दिसम्बर)
1	2	3
खनन और उत्खनन	3.6	4.9
बिजली	5.9	6.6
विनिर्माणकारी क्षेत्र/उद्योग जिनमें शामिल हैं	10.3	9.6
मूल रसायन और रासायनिक उत्पाद	10.8	10.6
मशीनरी और उपकरण	15.3	11.9
खाद्य उत्पाद	3.4	5.9
मूल धातुएं और अलौंय उद्योग	14.7	14.2
रबड़, प्लास्टिक पैट्रोलियम और कोयला उत्पाद	6.5	10.1
सूती कपड़ा	10.3	4.6
गैर धातु खनिज	8.4	7.0
परिवहन उपकरण और उसके भाग	10.6	3.0
धातु उत्पाद और उसके भाग	5.3	(–) 7.0
कागज और कागज उत्पाद	6.1	1.9
अन्य विनिर्माण	17.2	20.6
कपड़ा उत्पाद	15.7	3.9

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यान्वयन

1. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत राज्य–वार बिहार तथा अन्य राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उक्त आवंटित राशि का उपयोग करते हुए किए गए कार्यों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार सहित देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोहन्नद अली अशरफ फातमी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान अब तक राष्ट्रीय साक्षरता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार और अन्य राज्यों को जारी निधियों की राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विवरण निम्नवत् है।

* राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के टीएलसी, पीएलपी और सीईपी जैसे साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत देश के 597 जिले, जिनमें बिहार के 38 जिले शामिल हैं, कवर किए गए हैं।

* बिहार के 2 राज्य संसाधन केन्द्रों सहित 26 राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरता और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी और अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान कर रहे हैं।

* नव साक्षरों और अन्य लाभार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए देश में बिहार के 7 जन शिक्षण संस्थानों सहित 221 जन शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08 (19.2.2008 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2485.82	1927.06	1295.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.44	5.00	19.54
3.	असम	103.73	103.39	111.23
4.	बिहार	1048.37	264.92	593.71
5.	छत्तीसगढ़	387.33	578.14	109.19
6.	गोवा	26.80	0.00	24.48
7.	गुजरात	1121.58	24.04	378.81
8.	हरियाणा	461.88	45.00	230.99
9.	हिमाचल प्रदेश	70.02	19.03	29.91
10.	जम्मू और कश्मीर	70.02	19.03	29.91
11.	झारखंड	1189.97	102.79	595.21
12.	कर्नाटक	2071.06	831.67	1920.84
13.	केरल	498.70	184.14	601.56
14.	मध्य प्रदेश	635.50	2428.11	674.42
15.	महाराष्ट्र	3314.32	651.68	790.55
16.	मणिपुर	157.80	14.44	122.77
17.	मेघालय	33.35	41.70	38.31
18.	मिजोरम	18.73	0.00	22.65
19.	नागालैंड	24.97	0.00	24.13
20.	उड़ीसा	669.47	17.74	397.38
21.	पंजाब	470.26	42.06	102.21
22.	राजस्थान	972.20	1307.13	2701.89
23.	सिक्किम	36.60	12.00	0
24.	तमिलनाडु	1268.76	1108.19	922.28
25.	त्रिपुरा	31.14	88.47	28.5
26.	उत्तर प्रदेश	3206.66	2184.11	2820.9
27.	उत्तरांचल	891.64	497.10	418.29
28.	पश्चिम बंगाल	2017.65	1968.53	1470.94
29.	चंडीगढ़	28.61	118.80	29.97
30.	दिल्ली	133.87	16.35	77.55
31.	पांडिचेरी	0.00	38.70	38.7
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	17.01	0.00	0.00
	कुल	23633.20	14721.24	16731.49

[अनुवाद]

कॉफी उद्योग

2. श्री इकबाल अहमद सरदगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं योजना के लिए कॉफी उद्योग हेतु कितना आवंटन किया गया है;

(ख) 10वीं योजना के दौरान कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या 11वीं योजना के दौरान अपारंपरिक क्षेत्रों में भी कॉफी की खेती के विस्तार पर जोर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के आदिवासी किसान जो प्रतिवर्ष "आर्गेनिक कॉफी" का उत्पादन कर रहे हैं; इससे लाभान्वित होंगे;

(ङ) यदि हां, तो दोनों राज्यों के कॉफी उत्पादकों को सरकार क्या आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(च) कॉफी बोर्ड ने दिसम्बर, 2007 में नई किस्म की कॉफी की शुरूआत की है; और

(छ) यदि हां, तो किस सीमा तक आगामी तीन वर्षों में कॉफी का उत्पादन बढ़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) 11वीं योजना अवधि के लिए कॉफी बोर्ड के जरिए कॉफी उद्योग के लिए अस्थायी आबंटन 600 करोड़ रु. का है।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान कॉफी बोर्ड ने 212 करोड़ रु. की राशि व्यय की थी।

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक में केवल कुछ ही उत्पादक जैविक कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि, वे जनजातीय किसान नहीं है। आंध्र प्रदेश में अधिकांश लघु जोतों में जनजातीय किसानों द्वारा खेती की जाती है। इस समय आंध्र प्रदेश में प्रमाणित जैविक कॉफी की मात्रा लगभग 50 मी. टन है।

(ङ) 10वीं योजना के दौरान प्रमाणन लागत पर सब्सिडी प्रदान गयी थी। इसी कार्यक्रम को 11वीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है।

(च) कॉफी बोर्ड ने दिसम्बर, 2007 में कॉफी पौध की एक नई अरेबिका किस्म अर्थात् चंद्रगिरि की शुरुआत की है।

(छ) 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2011-12 के लिए बोर्ड का कॉफी उत्पादन का लक्ष्य 33,5000 मी. टन का है। इस लक्ष्य को बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों अर्थात् उत्पादकता में वृद्धि, पुनर्रोपण, जल संवर्धन और गुणवत्ता उन्नयन के जरिए प्राप्त किया जाना है। अगले तीन वर्षों में उत्पादन में हुई वृद्धि का कारण नई किस्म को नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी फलावधि 4 वर्ष होती है।

तटवर्ती क्षेत्रों में अपराध

3. **श्री जुएल ओराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्यों में समुद्र में लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में तटवर्ती क्षेत्रों में अपराध दर में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारें इन क्षेत्रों में धनराशि, बल तथा अत्याधुनिक हथियारों की कमी के चलते अपराध दर रोकने में विफल रही है; और

(च) यदि हां, तो उड़ीसा सहित तटवर्ती राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

टैराकोटा उत्पाद

4. **श्री हितेन बर्मन :** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम के टैराकोटा उत्पादों की यूरोपीय बाजार में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों के लघु क्षेत्र को सहायता प्रदान के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां, टैराकोटा उत्पादों की यूरोपीय बाजार में बहुत मांग होने की सूचना है।

(ख) इन राज्यों से टैराकोटा उत्पादों की यूरोपीय बाजार में मांग की मात्रा का ब्यौरा एकत्रित नहीं किया गया है। तथापि कारीगर लोग एवं गैर सरकारी संगठन अब निर्यातकों के माध्यम से टैराकोटा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

(ग) प्रति वर्ष इन राज्यों में टैराकोटा कारीगरों के लिए अलग अलग तरह के क्लस्टर्स में विभिन्न तरह के क्रिया कलाप जैस डिजाइन डेवलपमैंट प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट्स आदि आयोजित किये जा रहे हैं। इसके साथ, व्यावसायिक संगठन जैसे केन्द्रीय कॉंच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान एवं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान देश में एवं देश के बाहर स्थित आधुनिक ग्राहकों की उत्पादों के विनिर्माण में जरूरतों के अनुसार कुम्हारों की सहायता हेतु डिजाइन विकास कार्यक्रमों के आयोजनों में रत है। टैराकोटा कारीगरों को विपणन सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिवर्ष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कारीगरों को उनके उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य से बाहर के अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लघु उद्योग की विकास दर

5. **श्री रनेन बर्मन :** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ क्षेत्र-वार देश में लघु उद्योग की विकास दर क्या रही;

(ख) क्या बड़े तथा मध्यम उद्यमों की तरह लघु उद्योग को उचित सहायता तथा महत्व नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) नौकरी के इच्छुकों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) आधार वर्ष 2001–02 से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसई) क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक के आधार पर 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान देश में एमएसई के उत्पादन की वृद्धि दर क्रमशः 10.9%, 12.3% और 12.6% है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूचना केन्द्रित तौर पर अनुसूचित नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) एमएसएमई का संवर्धन और विकास मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार की जिम्मेदारी है। इस संबंध में उनके प्रयासों को अनुपूरित करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार एमएसई के संवर्धन और विकास के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट की उपलब्धता को सुगम बनाना, (ii) (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन, (ख) विपणन, (ग) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास, (घ) क्लस्टरों का व्यापक आवश्यकता आधारित विकास, के लिए सहायता और, (iii) उद्यमिता विकास शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार बेरोजगार युवाओं के बीच स्व–रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन करती है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा

6. **श्री सुव्रत बोस** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ प्रस्ताव/राज्य में शुरू किए जाने वाली कुछ परियोजनाएं भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समय–समय पर पश्चिम बंगाल सहित देश भर में, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन का नियमित रूप से अनुवीक्षण और समीक्षा की जाती है। बैंकों और अन्य अभिकरणों को कवर करते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर भी सरकारी समीक्षा संचालित की जाती है। जैसा कि अन्य राज्यों के मामले में है पश्चिम बंगाल में भी केवीआईसी के जोनल सदस्य की अध्यक्षता में जोनल समिति की तिमाही बैठक का आयोजन और उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

(ग) सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में) को पश्चिम बंगाल सरकार से केवीआई क्षेत्र में किसी भी योजना के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

तम्बाकू का निर्यात

7. **श्री उदय सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तंबाकू निर्यात में भारत की कितनी हिस्सेदारी है;

(ख) क्या भारतीय तम्बाकू को ब्राजील की तम्बाकू की तुलना में निम्न मूल्य मिलता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट बाजार में तम्बाकू की अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करने में भारत सफल नहीं हो सका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के अविनिर्मित तंबाकू निर्यात का हिस्सा लगभग 7% है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले चार वर्षों में ब्राजील में तंबाकू उपजकर्ता तथा भारत में एफसीवी तंबाकू के उपजकर्ताओं द्वारा प्रति कि. ग्रा. अम. डालर में प्राप्त औसत कीमत निम्नानुसार है:

वर्ष	ब्राजील	भारत
2004	1.43	0.84
2005	1.76	0.92
2006	1.90	1.03
2007	2.00	1.30

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत में सिगरेट तंबाकू के कुल उत्पादन का 60% से अधिक निर्यात किया जाता है।

(च) तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:–

(क) सरकार अनेक विस्तारण तथा विकासात्मक कार्यक्रमों जैसे मॉडल परियोजना क्षेत्र, समेकित कीट प्रबंधन आदि के कार्यान्वयन द्वारा बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने तथा भारत में उपजाए गए तंबाकू की गुणवत्ता तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी तंबाकू उत्पादन को पुनरभिमुख करने के प्रयास कर रही है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(ग) विभिन्न देशों में व्यापारियों और निर्यातकों के शिष्टमंडलों को भेजना।

(घ) महत्वपूर्ण बाजारों से व्यापार शिष्टमंडलों को आमंत्रित करना।

(ङ) भारतीय तंबाकू के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक विज्ञापन अभियान चलाना।

[हिन्दी]

एफ एम रेडियो स्टेशन के लिए प्रस्ताव

8. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक देश में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार एफ एम रेडिया स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में राज्य–वार तथा स्थान–वार आज तक इन स्टेशनों को स्थापित करने में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से समय–समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और आकाशवाणी की एफ एम सेवा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाते समय इन पर विचार किया जाता है।

(ख) ऐसे प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने आकाशवाणी द्वारा विभिन्न स्थानों पर एफ एम स्टेशनों की स्थापना/उन्नयन को अनुमोदित कर दिया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन अवस्थितियों का ब्यौरा जहां एफ एम स्टेशन अनुमोदित किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य	अवस्थितियों का ब्यौरा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर, महबूबनगर, श्रीकाकुलम, सूर्यपेट
2.	अरूणाचल प्रदेश	अनीनी, बोमडिला, चांगलांग, दिफोरिजो, खोंसा
3.	असम	गोलपाड़ा, करीमगंज, लुमडिंग, सिलचर
4.	गुजरात	जूनागढ़
5.	हरियाणा	रोहतक
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
7.	झारखंड	धनबाद
8.	कर्नाटक	बेल्लारी, गुलबर्गा
9.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद, ओरस, शोलापुर
11.	मणिपुर	तमेंगलांग, उखरूल
12.	मेघालय	दावकी
13.	मिज़ोरम	चम्फई, कोलासिब, तुइपांग
14.	नागालैंड	कोहिमा, फेक, वोखा, जून्हेबोटो
15.	उड़ीसा	रायरंगपुर
16.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
17.	पंजाब	अमृतसर, फाजिल्का
18.	राजस्थान	बीकानेर, चौटनहिल, उदयपुर
19.	सिक्किम	गंगटोक
20.	तमिलनाडु	मदुरैई, तिरूनेल्वेली
21.	त्रिपुरा	लौंगथराई, नूतन बाजार, उदयपुर

1	2	3
22.	उत्तर प्रदेश	बांदा, गोरखपुर, कानपुर, लखीमपुर खेड़ी, लखनऊ, मौनाथभंजन, रायबरेली, वाराणसी
23.	उत्तराखण्ड	बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, हलद्वानी, गरीसन, न्यू टिहरी
24.	पश्चिम बंगाल	बलूरघाट, वर्धमान, दार्जिलिंग, कुचबिहार

[अनुवाद]

टी वी चैनलों द्वारा प्रसारण कोड की उपेक्षा

9. **श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीविजन चैनलों द्वारा सामान्य प्रसारण कोड की उपेक्षा के मामले समय–समय पर प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टेलीविजन चैनलों के लिए स्पष्ट तथा उचित दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि संस्कृति, सभ्यता तथा परंपरा को विकृत करने के मामलों को इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के उल्लघनों को समय–समय पर सरकार के ध्यानार्थ लाया गया है और संबंधित टी वी चैनलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

(ख) और (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों और फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने विषय–वस्तु संहिता का मसौदा तैयार कर लिया है जोकि, अन्य के साथ–साथ मुद्दों से संबंधित है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

जापानी ढंग से लघु उद्योग स्थापित करना

10. **श्री नरहरि महतो : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जापानी ढंग से लघु/कुटीर उद्योग स्थापित करने के बारे में एक व्यापक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे देश में कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) समय के साथ जापान जैसे अन्य देशों की भांति भारत ने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (पूर्व में लघु उद्योग) के संवर्धन की अपनी विशिष्ट नीति विकसित की है। भारतीय नीति के विकास को www.dcmsme.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में, सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन (एमएसई) हेतु एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कानून, क्रेडिट, वित्त, कलस्टर, प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन, विपणन, उद्यमिता एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा डाटा बेस के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से संवर्धनात्मक सहयोग संबंधी उपाय शामिल हैं। भारतीय वातावरण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु अपेक्षाओं के मद्देनजर पैकेज तैयार किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु उपरोक्त पैकेज का कार्यान्वयन संसद के दोनों सदनों में इसकी घोषणा के बाद पहले से ही शुरू किया जा चुका है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

11. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को व्यावसायिक शिक्षा कार्यान्वित करने के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी सफलता प्राप्त की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर काफी विलंब से विचार किया गया तथा कई प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 231 स्कूलों/जूनियर कालेजों में 924 व्यावसायोन्मुख अनुभाग संचालित करने हेतु स्कीम के प्रारंभ से उड़ीसा राज्य की सरकार को 2388.86 लाख रु. की कुल राशि प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य की सरकार को कोई राशि नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) प्राप्त प्रस्तावों के लिए कोई निधियां नहीं दी गई हैं क्योंकि स्कीम संशोधनाधीन है।

[अनुवाद]

मदरसों को आबंटन

12. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने मदरसे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार इनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य तथा संघ राज्य–क्षेत्र वार प्रत्येक मदरसे द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) वे कौन–कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान आबंटन स्वीकार करने से मना किया तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फतमी) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मदरसों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है जो क्रमशः अलग–अलग मदरसों को निधियां जारी करते हैं तथा उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं।

(घ) निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य	2004–05	मदरसों की संख्या	2005–06	मदरसों की संख्या	2006–07	मदरसों की संख्या	2007–08	मदरसों की संख्या
	राशि		राशि		राशि		21.2.2008 तक	
आंध्र प्रदेश	–	–	35.20	60	48.60	135	48.60	135
बिहार	–	–	79.92	111	–	–	79.92 (2 वर्ष)	111
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	12.60	20		
उड़ीसा	–	–	168.96	116	189.84	145	104.40	145
मध्य प्रदेश	421.56	446	384.00	446	287.69	457		
महाराष्ट्र	–	–	3.16	4	–	–		
केरल	–	–	59.04	84	338.91	429		
त्रिपुरा	45.72	127	45.72	127	45.72	127		
उत्तर प्रदेश	–	–	235.25	683	2481.96	3380	1510.54	2381
तमिलनाडु	0.72	1	–	–	–	–		
चण्डीगढ़	0.72	1	–	–	0.72	2		
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	242.92	208		
कर्नाटक	–	–	–	–	77.41	72		
उत्तराखण्ड	–	–	–	–	109.03	143		
कुल	468.72	575	1011.25	1631	3835.40	5118	1743.46	2772

अवैध प्रजनन

13. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से अवैध आप्रजकों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई ताजा पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशियों का पता लगाने और वापिस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है। देश में अवैध रूप से ठहरे हुए प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजे जाने का अनुरोध इसी संबंध में सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को समय-समय प्रशासनिक अनुदेश जारी करके किया जाता है।

सशस्त्र सीमा बल को धनराशि का आबंटन

14. श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर रह रहे लोगों हेतु विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए 60 लाख रुपए आबंटि किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सोची गई कल्याणकारी तथा विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान सशस्त्र सीमा बल को भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर सीमावर्ती आबाद के कल्याण और विकास के लिए चलाए जा रहे सिविल एक्शन प्रोग्राम के लिए 156 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल चिकित्सा शिविरों का आयोजन, छात्रों को लेखन-सामग्री, खेल और फर्नीचर सामग्री उपलब्ध कराने, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सौर-प्रकाश स्थापना, भ्रमण/अध्ययन दौरे आयोजित करने जैसी गतिविधियां चला रहा है।

[हिन्दी]

मदरसों में शिक्षण पाठ्यक्रम

15. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदरसों में शिक्षण पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा की जा रही है तथा पाठ्यक्रम में अन्य विषयों को शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो शामिल किए जा रहे नए विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं। क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्कीम के तहत वे मदरसे जो स्वैच्छिक रूप से आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने को इच्छुक होते हैं, संबंधित राज्य शिक्षा बोर्डों की पाठ्यचर्या अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आधुनिक विषयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं।

[अनुवाद]

आई. आई. टी. को धनराशि

16. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आई.आई.टी. ने सरकार से और धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आई. आई. टी. में संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आई.आई.टी. को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्ष 2009-10 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 2005-06 में शुरू की गई ब्लॉक अनुदान योजना के तहत योजनेतर/आवर्ती व्यय के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने सूचित किया है कि 2005-06 में निर्धारित ब्लाक अनुदान अब लागतों के बढ़ने, वेतन और पेंशन लाभों तथा नामांकन में वृद्धि, इत्यादि की वजह से उपयुक्त नहीं है।

(ग) ब्लाक अनुदान में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

संस्थाओं के विकास हेतु शैक्षिक योजना

17. श्री गिरिधर गमांग : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा सहित विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक की संस्थाओं के विकास हेतु कौन सी नई शैक्षिक योजना बनायी गयी है;

(ख) श्रेणी–वार और राज्य–वार ऐसे शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा इन संस्थाओं के विकास के लिए क्या नीति अपनायी गयी है; और

(ग) जनजातीय उप–योजना संकल्पना के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए क्या प्राथमिकताएं दी गयी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना दस्तावेज में निम्नलिखित नई संस्थाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है–

* 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय –16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, और 14 विश्वस्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय;
* उन जिलों में जहां सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से नीचे है, 370 नए डिग्री कॉलेज स्थापित करना;
* 6000 कॉलेजों तथा 150 विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाना जो इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना जिसका मुख्य परिसर अमरकंटक, मध्य प्रदेश में स्थित है।

[अनुवाद]

वाहनों की चोरी

18. श्री सुभाष महरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाहनों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक देश में दिल्ली और राजस्थान सहित चुराए गए वाहनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 के दौरान मोटर वाहन चोरी के क्रमशः 80750, 84150 और 89880 मामले दर्ज किए गए जो इस अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति के द्योतक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 के दौरान मोटर वाहन चोरी के मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न–I में दिया गया है। वर्ष 2007 के लिए मोटर वाहन चोरी के मामलों की संख्या के बारे में एन सी आर बी के अनंतिम आंकड़े संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) पुलिस और लोक व्यवस्था, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच करने तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के जरिए अपराधियों पर अभियोन चलाने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है।

विवरण-I

वर्ष 2004–2006 के दौरान वाहन चोरी के दर्ज मामले

क्र. सं.	राज्य	2004				2005				2006			
		मोटर/ साइकिल स्कूटर	कार/ टैक्सी जीप	अन्य मोटर वाहन	कुल	मोटर/ साइकिल स्कूटर	कार/ टैक्सी जीप	अन्य मोटर वाहन	कुल	मोटर/ साइकिल स्कूटर	कार/ टैक्सी जीप	अन्य मोटर वाहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3875	410	460	4727	4659	347	459	5465	4514	407	479	5400
2.	अरुणाचल प्रदेश	75	0	0	75	117	2	0	119	74	0	0	74
3.	असम	347	228	122	697	336	120	61	517	674	409	322	1405
4.	बिहार	1829	185	69	2083	1983	83	68	2134	1700	49	274	2023
5.	छत्तीसगढ़	1131	56	129	1316	1426	83	110	1619	1470	57	138	1665
6.	गोवा	112	9	4	125	157	30	6	193	169	43	15	237
7.	गुजरात	6075	590	271	6936	6197	629	270	7096	6409	467	307	7183
8.	हरियाणा	2420	929	386	3735	3690	1142	444	5276	4641	1438	509	6588
9.	हिमाचल प्रदेश	75	107	29	211	64	67	33	164	74	99	43	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	313	179	81	573	291	164	49	504	285	64	205	554
11.	झारखंड	597	104	17	718	476	251	46	773	1041	56	41	1138
12.	कर्नाटक	4350	829	430	5609	5073	606	297	5976	4802	503	296	5601
13.	केरल	1233	437	47	1717	1203	482	261	1946	1200	519	300	2019
14.	मध्य प्रदेश	5481	484	205	6170	5741	554	256	6551	6771	384	496	7651
15.	महाराष्ट्र	8743	2136	420	11299	9516	2128	536	12180	10065	2232	438	12735
16.	मणिपुर	106	2	1	109	90	2	0	92	102	6	7	115
17.	मेघालय	38	91	11	140	23	90	6	129	56	66	13	135
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	30	24	6	60
19.	नागालैंड	23	30	1	54	170	71	7	248	50	43	62	155
20.	उड़ीसा	1285	21	72	1378	1518	51	50	1619	1410	96	65	1571
21.	पंजाब	591	404	136	1131	692	356	133	1181	835	511	183	1531
22.	राजस्थान	5434	859	102	6395	5425	809	195	6429	5716	1035	226	6977
23.	सिक्किम	0	3	3	6	1	4	0	5	1	5	2	8
24.	तमिलनाडु	3645	128	232	4005	3108	93	382	3583	2765	130	93	2988
25.	त्रिपुरा	28	4	4	36	52	1	2	55	15	12	1	28
26.	उत्तर प्रदेश	6449	1793	210	8452	5895	1477	247	7619	6571	1458	320	9349
27.	उत्तरांचल	387	74	10	471	339	102	80	521	374	101	24	4399
28.	पश्चिम बंगाल	2093	250	325	2668	2166	176	93	2435	2303	298	113	2714
	कुल राज्य	56717	10342	3777	70836	60408	9920	4091	47719	64117	10512	4980	79609
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	0	1	9	5	0	1	6	5	0	1	6
30.	चंड़ीगढ़	364	289	21	674	368	201	10	579	361	158	10	529
31.	दादरा और नगर हवेली	15	5	4	24	14	3	5	22	12	3	0	15
32.	दमन और दीव	10	2	0	12	18	4	5	27	19	14	0	33
33.	दिल्ली संघ शासित	4342	3850	681	8873	4574	3515	773	8862	4627	4066	673	9366
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
35.	पांडिचेरी	313	4	5	322	224	9	2	235	304	5	11	322
	कुल संघ शासित क्षेत्र	5052	4150	712	9914	5203	3732	796	9731	5330	4246	695	10271
	कुल अखिल भारत	61769	14492	4489	80750	65611	13652	4887	84150	69447	14758	5675	89880

विवरण-II

वर्ष 2007 के दौरान वाहन चोरी के दर्ज मामले
(उपलब्ध महीनों तक के अनंतिम आंकड़े)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित	मोटर वाहन चोरी के मामलों की संख्या	निम्नलिखित माह तक के आंकड़े
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6379	दिसम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	उपलब्ध नहीं
3.	असम	346	सितम्बर
4.	बिहार	1840	दिसम्बर
5.	छत्तीसगढ़	1742	दिसम्बर
6.	गोवा	207	दिसम्बर
7.	गुजरात	7671	दिसम्बर
8.	हरियाणा	5745	नवम्बर
9.	हिमाचल प्रदेश	225	नवम्बर
10.	जम्मू और कश्मीर	423	नवम्बर
11.	झारखंड	1526	दिसम्बर
12.	कर्नाटक	5351	दिसम्बर
13.	केरल	2128	दिसम्बर
14.	मध्य प्रदेश	7604	नवम्बर
15.	महाराष्ट्र	13573	दिसम्बर
16.	मणिपुर	127	नवम्बर
17.	मेघालय	90	दिसम्बर
18.	मिजोरम	39	दिसम्बर
19.	नागालैंड	117	सितम्बर
20.	उड़ीसा	0	उपलब्ध नहीं
21.	पंजाब	1696	नवम्बर
22.	राजस्थान	7754	नवम्बर
23.	सिक्किम	13	दिसम्बर
24.	तमिलनाडु	2801	दिसम्बर
25.	त्रिपुरा	50	दिसम्बर
26.	उत्तर प्रदेश	6823	अक्तूबर
27.	उत्तरांचल	584	दिसम्बर
28.	पश्चिम बंगाल	3902	नवम्बर
	कुल राज्य	78786	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	दिसम्बर
30.	चंडीगढ़	853	दिसम्बर
31.	दादरा और नगर हवेली	14	अक्तूबर
32.	दमण और दीव	22	दिसम्बर
33.	दिल्ली संघ शासित	7755	नवम्बर
34.	लक्षद्वीप	1	दिसम्बर
35.	पांडिचेरी	498	दिसम्बर
	कुल संघ शासित क्षेत्र	9150	
	कुल अखिल भारत	87936	

[अनुवाद]

पर्यटक स्थलों पर घूमने जाने पर लगे प्रतिबंध में छूट देना

19. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक मंत्रालय को किसी अधिकारिक अनुमति के बिना पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित कुछ मनोरम स्थलों पर घूमने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने तथा उसमें छूट देने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन स्थानों पर घूमने के लिए गृह मंत्रालय को विगत में भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद देश में पर्यटक को कितना बढ़ावा मिलेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (च) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटक के परिप्रेक्ष्य कुछ

स्थानों का भ्रमण करने पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (पीएसी/आरएपी) दायरे की व्यापक समीक्षा की गई है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कुछ आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पर्यटन एवं सुरक्षा परिदृश्य से विधिवत जांच की जा रही है/की जाएगी और इस मामले पर शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय ले लिया जाएगा।

गुजरात राज्य जैव-प्रौद्योगिकी मिशन की परियोजनाएं

20. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य जैव–प्रौद्योगिकी मिशन (जीएसबीटीएम) द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को भेजी गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में केन्द्र सरकार के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) गुजरात राज्य जैव–प्रौद्योगिकी मिशन (जीएसबीटीएम) से कुल 17 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से 2 परियोजनाओं को विभाग द्वारा मंजूरी दी गई, 11 परियोजनाओं को योग्यता के आधार पर/देर से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया और 4 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान जीएसबीटीएम से प्राप्त परियोजना की सूची

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	कारण
1	2	3	4
1	नैनो जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र, केनिन न्यूट्रीशनल टैक्नोलॉजीस इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया	प्रस्ताव प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई
2.	पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र एस पी यूनीवर्सिटी, वल्लभ विद्या नगर द्वारा प्रस्तुत	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी निधियन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।
3.	राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसर्ज कैडिला फार्मास्युटिकल्स लि. द्वारा प्रस्तुत	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया	प्रस्ताव प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई
4.	समुद्री जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र, सीएससएसीआरआई, भावनगर द्वारा प्रस्तुत	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी निधियन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।
5.	गुजरात में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पार्क में समुद्री जैवप्रौद्योगिकीय इन्क्यूबेटर की स्थापना	विचाराधीन	–
6.	आण्विक जीवविज्ञान तथा जैवसूचनाविज्ञान में बहु–सांस्थानिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीएसबीटीएम द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी निधियन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया
7.	जैव प्रौद्योगिकी में आई पी आर मुद्दे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा समिति द्वारा डीबीटी निधियन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

1	2	3	4
8.	नैदानिक परीक्षणों में डिप्लोमा, एल एम कालेज आफ फार्मेसी द्वारा प्रस्तुत	अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा समिति द्वारा डीवीटी निधियन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।
9.	स्कूली बच्चों के लिए जैवसंसाधनों पर अवकाशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अनुमोदित 5.07 लाख रुपए (चार सप्ताह)	इस कार्यक्रम को वर्ष 2005 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था
10.	स्कूली बच्चों के लिए जैवसंसाधनों पर अवकाशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम,	अनुमोदित 5.86 लाख रुपए (चार सप्ताह)	इस कार्यक्रम को वर्ष 2006 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था
11.	नैदानिक परीक्षणों में डिप्लोमा, बी	अस्वीकृत	बाहरी पियर समीक्षा

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान हेतु विदेशी सहायता

21. श्री पुष्प जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान हेतु विदेशों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों से कुल कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है;

(ख) विभिन्न राज्यों को ये अनुदान राशियां किस प्रकार वितरित की गयी हैं;

(ग) इन अनुदानों में से राजस्थान को कुल कितना हिस्सा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस मद में और धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) यूनाइटेड किंगडम का अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान इन एजेंसियों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई कुल प्रतिपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	प्रतिपूर्त राशि (करोड़ रु. में)
2004–05	1047.67
2005–06	2341.98
2006–07	1091.91

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारत सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर केंद्रीय निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत राजस्थान को जारी कुल केंद्रीय निधियों की राशि 1596.73 करोड़ रु. है। इस अवधि के दौरान व्यय (जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य हिस्सा शामिल है) की राशि 2271.54 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग

22. श्री पी. एम. आरून रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य परियोजनाओं/योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों द्वारा आबंटित धनराशियों में से कुल कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ग) इन राज्य सरकारों के पास कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) इन धनराशियों के शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय और उच्च शिक्षा क्षेत्र दोनों में उपयोग के पश्चात् क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान और केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चुनिंदा शैक्षिक आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004–05 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नामांकन क्रमशः 130.8, 51.2 और 37.1 था।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां		
	2004–05	2005–06	2006–07
तमिलनाडु			
सर्व शिक्षा अभियान	26517.00	35329.53	36840.95
मध्याह्न भोजन	11244.51	13646.96	14484.04
अध्यापक शिक्षा	2046.01	शून्य	2815.91

(रु. लाख में)

राज्य/योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां		
	2004–05	2005–06	2006–07
उत्तर प्रदेश			
सर्व शिक्षा अभियान	87761.00	182799.00	206654.62
मध्याह्न भोजन	41188.28	51277.82	82664.11
अध्यापक शिक्षा	2453.87	4971.48	4092.60

एक्सपोर्टर्स ग्रिवांस रिड्रेसल सेल

23. श्री रविचन्द्रन सिप्पीअरई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निर्यातकों की खास शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु निगरानी के लिए एक एक्सपोर्ट ग्रिवांस रिड्रेसल सेल (ईआरसी) है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ई आर सी द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) व्यापार एवं उद्योग जगत की शिकायतों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए एक सरकारी संकल्प द्वारा जी आर सी (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ) के रूप में किए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

सरकार यथार्थपूर्ण मामलों में विलंब को माफ करने, निर्यातकों द्वारा किए गए उल्लंघनों को नियमित करने के लिए दिनांक 27.10.2004 को स्थापित जीआरसी के जरिए समस्त बकाया समस्याओं और पिछली नीति से संबंधित अवधियों से जुड़े विवाद का समाधान करने, अधिक हकदारियों से जुड़े विवादों का समाधान करने, प्राधिकारों के उपयोग हेतु समय विस्तार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के अपर सचिव हैं जिनकी सहायता समिति के सदस्यों के रुप में दो संयुक्त सचिवों द्वारा की जाती है जिनमें से एक वाणिज्य विभाग के और दूसरे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के हैं।

(ग) वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान हमें क्रमशः 383,211 और 85 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनका शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा निपटान कर दिया गया है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान

24. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान "नेशनल मिशन फॉर बैम्बू एप्लीकेशन" के साथ मिलकर एक विशेष उद्यम योजना लाना चाहता है जिसमें रोजगार सृजन हेतु इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ विपणन की भी परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों को कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों को दी जाने वाली संभावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महादीर प्रसाद) : (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–विकास संस्थान (एमएसएमई–डीआई), कटक ने अन्य बातों के साथ–साथ बांस अनुप्रयोगों में उद्यमिता को सुगम बनाने के लिए नेशनल मिशन फॉर बैम्बू एप्लीकेशन (एन एम बी ए) के सहयोग से फरवरी, 2007 में उद्यमिता मिलन का आयोजन किया है। तथापि वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय के पास एनएमबीए के साथ कोई विशेष उद्यमिता योजना लाने का प्रस्ताव नहीं है।

इलायची का उत्पादन

25. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इलायची का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का इलायची सुविधा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र स्थापित करने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है तथा उक्त केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का देश में "स्पाइस पार्क्स" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (अनुमानित) के दौरान इलायची (छोटी) का उत्पादन क्रमशः 12540 मी. टन, 11235 मी. टन और 9470 मी. टन रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) एक मसाला पार्क पहले से ही निर्माणाधीन है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसी 6 अन्य सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की योजना है।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

26. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस के श्रेणी–वार कितने अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से शामिल पाए गए और शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में शामिल है, निलम्बन, गिरफ्तारी, बर्खास्तगी, विभागीय जांच शुरू करना आदि।

(ग) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं :– गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकैटस में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच करना; संदिग्ध चरित्र के कार्मिकों पर नजर रखना; अपराधिक मनोवृत्ति वाले कार्मिकों का गैर संवेदनशील पदों पर स्थानांतरण करना; अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; पुलिस संयुक्त आयुक्त और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों द्वारा सीधे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अपराधिक शिकायतों को निपटाना; पुलिस कार्मिकों पर नजदीकी नजर रखने के लिए जिलों/एककों में लोक शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना करना; संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की संदिग्धों गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; जिलों के पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर अनुरक्षित रखना; तथा ई–मेल के जरिए भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए आम जनता को सुविधा उपलब्ध करवाना।

विवरण

रैंक	पुलिस कार्मिकों की संख्या		
	2005	2006	2007
पुलिस उपायुक्त	1	–	–
सहायक पुलिस आयुक्त	1	1	1
निरीक्षक	2	2	1
उप–निरीक्षक	11	6	10
सहायक उप–निरीक्षक	4	9	9
हैड कांस्टेबल	3	7	9
कांस्टेबल	10	8	19
कुल	32	33	49

[हिन्दी]

संदान पर कर

27. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री काशीराम राणा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालेज प्रवेश हेतु संदान लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस पर कोई कर लगाने में विफल रही है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा संदान पर कर लगाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) इन प्रावधानों को लागू करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस संबंध में कुछ रिपोर्ट ध्यान में आई हैं।

(ख) से (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत यदि संस्था को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह कतिपय शर्तों को पूरा करता है तो स्वैच्छिक अंशदानों के रूप में आय सहित किसी शैक्षिक या मेडिकल संस्था की आय को कर से छूट दी जाती है। तथापि, शैक्षिक या मेडिकल संस्था द्वारा प्राप्त किसी भी गुप्त दान पर उक्त अधिनियम की धारा 115 बीबीसी के अंतर्गत 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

28. श्री वी. के. दुग्गर :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के कार्यकरण के बारे में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और एन आई ओ एस ने कितनी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के कार्यकरण के बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है:–

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जिन पर रा. मु. वि. शि. सं. ने कार्रवाई नहीं की	उत्तर के लिये लंबित शिकायतों की संख्या
2005	1	शून्य	शून्य
2006	3	शून्य	1
2007	3	शून्य	1

सरकार द्वारा शिकायतें प्राप्त होने पर मामले की जांच उपायुक्त स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में की जाती है और संबंधित उत्तर भेज दिये जाते हैं।

नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि

29. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री जुएल ओराम :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
श्री रायापति सांबाशिवा राव :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नक्सलवादी समस्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक नागरिकों/नक्सलियों और पुलिसकर्मियों के मारे जाने/घायल होने/गिरफ्तार होने तथा संपत्ति के नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गिरफ्तार नक्सलियों और मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए कोई क्षतिपूर्ति/पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(घ) क्या देश के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में युवकों ने माओवादियों के लिए धनराशि एकत्र करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा नक्सलवाद की समस्या को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) कानून और व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं/मुद्दों को निपटाने का कार्य मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों का है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006 में 1509 घटनाओं और 678 हताहतों की तुलना में वर्ष 2007 में 1565 घटनाएं और 696 हताहत हुए थे।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिविलियनों और पुलिस कार्मिकों में हताहतों की संख्या और मारे गए नक्सलवादियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

संपत्ति के नुकसान से संबंधित नक्सलवादियों द्वारा सड़क एवं रेल यातायात और कुछ मामलों में विद्युत पारेषण सुविधाओं से संबंधित कुछ सरकारी इमारतों और ढांचों को निशाना बनाते देखा गया है।

कुछ नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की नक्सलवाद के लिए अपनी राज्य विशेष समर्पण और पुनर्वास नीतियां हैं जो कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों को विभिन्न मदों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है जिसमें कट्टर, भूमिगत नक्सलवादी संवर्ग और दलम के सदस्यों जिन्होंने संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित समर्पण और पुनर्वास योजना के अनुसार समर्पण किया है के संबंध में बिना हथियार के समर्पण करने पर 10,000 रुपए तक और नियमित हथियारों के समर्पण के लिए 20,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करना शामिल है।

राज्य सरकार इस संबंध में अपनी संबंधित राज्य विशेष नीतियों और नियमों के अनुरूप नक्सलवादी हिंसा में मारे गए सुरक्षा कार्मिकों और सिविलियनों के परिवारों को अनुग्रह राशि और अन्य मुआवजे प्रदान करती है। अनुग्रह राशि की प्रतिपूर्ति मारे गए प्रत्येक सिविलियनों को 1 लाख और मारे गए प्रत्येक सुरक्षा कार्मिकों को 3 लाख रुपये के नीति नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी योजना के तहत की जाती है।

संबंधित राज्य सरकारें, नक्सली क्रियाकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करती है। केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों और संसाधनों में उनकी सहायता करती है जिसमें संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर करना, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता करना, आसूचना का आदान प्रदान करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों में अंतर–राज्य आदान प्रदान करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों में अंतर–राज्य समन्वय और सहायता प्रदान करना शामिल है।

विवरण

	2005				2006				2007				2008 (20.02.2008 तक)			
	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा कर्मिकों संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए नक्सल–वादियों	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा कर्मिकों संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए नक्सल–वादियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा कर्मिकों संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए नक्सल–वादियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा कर्मिकों संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए नक्सल–वादियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	535	22	186	161	183	10	37	133	138	2	43	45	17	–	9	5
बिहार	186	24	72	11	107	5	40	6	135	22	45	2	17	4	3	1
झारखंड	312	27	92	7	310	43	81	20	482	8	149	13	66	4	12	3
छत्तीसगढ़	365	47	121	32	715	84	304	74	582	196	171	66	77	14	11	2
मध्य प्रदेश	20	1	2	–	6	–	1	–	9	–	2	–	3	–	–	–
महाराष्ट्र	94	24	29	3	98	3	39	19	94	3	22	5	7	1	–	–
उड़ीसा	42	1	13	3	44	4	5	15	67	2	15	7	18	17	3	2
उत्तर प्रदेश	10	–	1	4	11	–	5	4	9	–	3	1	1	–	0	–
पश्चिम बंगाल	14	1	6	–	23	8	9	2	32	–	6	–	5	–	3	–
कर्नाटक	8	6	2	4	10	–	–	1	7	1	4	2	–	–	–	–
केरल	–	–	–	–	2	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
कुल	1608	153	524	225	1509	157	521	274	1565	236	460	141	214	40	41	13

*मारे गए नक्सलवादियों की सं. से संबंधित आंकड़े 31.01.08 तक के हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों के अभ्यावेदन

30. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादक संघ से प्राप्त कई अभ्यावेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार अभ्यावेदनों की क्या स्थिति है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) सरकार को आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उपजकर्ता संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है:–

तम्बाकू उपजकर्ता एसोसिएशन की आधारभूत मांगें एवं उनके संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:–

(1) पोटाश सल्फेट पर सब्सिडी (एसओपी)

यह मामला उर्वरक विभाग को विचारार्थ अग्रेषित कर दिया गया है।

(2) मांग से बेशी उत्पादन उपजकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर है। इसलिए, उत्पादन पर नियंत्रण होना चाहिए

उपजकर्ताओं के लिए लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित किया जा रहा है।

(3) देशी/अनधिकृत तम्बाकू की बिक्री पर अर्थदण्ड में कमी

तम्बाकू बोर्ड बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्तर पर फसल आकार का निर्धारण करता है। इससे तम्बाकू उपजकर्ताओं के लिए लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित होती है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल आकार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अर्थदण्ड आवश्यक है।

(4) ईंधन पर सब्सिडी

उपजकर्ताओं को स्वयं एक यो दो एकड़ भूमि पर सामाजिक वनखण्ड लगाने की सलाह दी जाती है। ताकि उपजकर्ता 6–7 वर्षों के लिए बार्न में तम्बाकू की क्यूरिंग के लिए इस सामाजिक वनखण्ड का ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकें। सरकार द्वारा 2.00 लाख रु. प्रति इकाई की सब्सिडी, जहां मशीनों पर निवेश 10.00 लाख रु. से अधिक हो, प्रदान करके तम्बाकू डंठल सहित कृषि अपशिष्ट से ब्रिकेटिंग इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(5) तम्बाकू उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

तम्बाकू उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। वर्तमान में, इस संबंध में सरकार की नीति में सिगार तथा सिगरेट विनिर्माण/तम्बाकू प्रसंस्करण 100% तक एफडीआई की अनुमति है परन्तु सरकार का पूर्व अनुमोदन (एफआईपीबी) अपेक्षित होता है। तम्बाकू बोर्ड की नीलामियों में भाग लेने वाली सिगरेट की बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी)/अंतर्राष्ट्रीय पत्ती व्यापारियों पर कोई रोक नहीं है।

[हिन्दी]

नमक का उत्पादन

31. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा. चिन्ता मोहन :
डा. के. धनराजू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नमक की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नमक की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का नमक के मूल्य में उतार–चढ़ाव की निगरानी करने और सस्ते नमक का उत्पादन और इसकी बिक्री करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में वहनीय कीमत पर नमक उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं। भारत अपनी जरूरत से अतिरिक्त मात्रा में नमक का उत्पादन करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्र सरकार अथवा वे राज्य सरकारें, जहां नमक का उत्पादन होता है, न तो नमक की कोई खरीद कर रही हैं और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है।

(ङ) से (छ) सरकार अन्य जरूरी वस्तुओं के साथ–साथ खाने के नमक के मूल्यों पर भी नजर रख रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा सस्ते नमक के उत्पादन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। नमक का उत्पादन अधिकांशतः निजी और सहकारी क्षेत्र में किया जाता है। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, आदिवासी जनसंख्या, आदि के लिए खाने योग्य नमक को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली/उचित दर दुकानों पर वितरण करने के लिए शामिल कर लिया है।

खनिज उत्पादक राज्यों को रायल्टी

32. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनिज उत्पादक राज्यों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) आज की तारीख के अनुसार प्रतिटन खनिज पर रायल्टी दर क्या है;

(ग) क्या सरकार संबंधित राज्यों को रायल्टी दर संशोधित करने का अधिकार देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई हेतु बालू से भिन्न) पर रायल्टी की मौजूदा दरें खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के अंतर्गत अधिसूचित गौण खनिजों के लिए रायल्टी की दरें संशोधित करने के लिए पहले से ही अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख खनिजों के महत्व को देखते हुए तथा प्रमुख खनिजों के लिए रायल्टी की दरों में देशभर में एकरूपता बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार प्रमुख खनिजों के लिए दरों को अधिसूचित करती रही है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्र

33. श्री एन. अप्पादुरई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों को देश में अन्य निजी देशी भाषा वाले टी.वी. चैनलों से मुकाबला करने हेतु खुली छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) लोक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन की निजी मनोरंजन चैनल से प्रतिस्पर्धा नहीं है। तथापि, सभी क्षेत्रीय केंद्रों को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्र–विशेष में प्रासंगिकता के आधार पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम एवं प्रशासन संबंधी पर्याप्त स्वतंत्रता पहले से ही प्राप्त है। प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्र–विशेष को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र से नियत बिन्दु चार्ट (कार्यक्रम निर्माण) को आयोजनाबद्ध व कार्यान्वित किया जाता है।

प्रसार भारती, दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय केंद्रों के कार्यक्रमों के निर्माण और उनके प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने का सतत् प्रयास करता है।

चाय बागान प्राधिकरण के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय

34. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में चाय बागान प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने के लिए चाय बागान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल करना सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम असम में चाय बागान प्राधिकरणों के तहत स्कूलों को अन्य बातों के साथ–साथ कक्षा आठवीं तक की बालिकाओं और अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विशेष रूप से बालिकाओं के नामांकन हेतु सामाजिक लामबंदी के जरिये सहायता प्रदान कर रहा है।

प्राथमिक शिक्षा का पुनरुद्धार

35. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का युवकों में सृजनात्मक सोच का प्रसार करने हेतु प्राथमिक शिक्षा का पुनरूद्धार करने के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा का वर्तमान पद्धति स्तरीय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा छात्रों को सृजनात्मक सोच का विकास करने हेतु प्रेरित करने के लिए नयी पद्धति लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् ने बच्चों में सृजनात्मक सोच विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा जिसमें प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है, के पाठ्यक्रम का नवीकरण करने के प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, 2005 के तहत चलाई गई यह प्रक्रिया स्कूल शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन तथा अध्यापन के लिए रचनात्मक प्रतिमान के रूप में महत्वपूर्ण प्रयास है। पाठ्यपुस्तकों के विकास, शिक्षण कक्ष कार्य–सम्पादन तथा प्रशिक्षु मूल्यांकन के क्षेत्र में समुचित संशोधन किए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, 2005 की सिफारिशों तथा विभिन्न विषयों पर फोकस ग्रुप दस्तावेजों के आधार पर नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। तदनन्तर पहली से पांचवीं कक्षा के लिए नई पाठ्य सामग्री विकसित की गई। ये पाठ्यपुस्तकें बाल–अनुकूल हैं तथा रचनात्मक सोच का आधार उपलब्ध कराती हैं। इन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु बाल केन्द्रित है जिससे बच्चों में ज्ञान की खोज तथा निर्माण का आधार बनता है। यह विषयवस्तु बच्चों को रटन्त अध्ययन की अपेक्षा सृजनात्मक अध्ययन की ओर प्रेरित करती है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना–2005 में बाल–शिक्षण की कोटि तथा सीमा, ज्ञान–निर्माण, विभिन्न कार्यकलापों में वर्णित शिक्षण की दिशा में बच्चों के रूझान से संबंधित सार्थक तथा व्यापक प्रक्रिया के रूप में सभी स्तरों पर मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना–2005 में उद्धृत पाठ्यक्रम के नए दृष्टिकोण में बच्चों के निर्धारण/मूल्यांकन से संबंधित उक्त मामलों के संबंध में सृजनात्मक सोच के निहितार्थों को पुष्ट किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए एक सोर्स बुक तैयार की है और देश के 10 चुनिन्दा राज्यों में इस सोर्स बुक की 'परख' की जा रही है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा

38. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. सी. ई. आर. टी. ने स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग के पहलू पर नए सिरे से ध्यान देने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परीक्षा में अंकों के माध्यम से भी स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग का आकलन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान विद्यालयों में एक ग्रेड वाला क्रमिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की पुनरीक्षा करते समय 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया था, जिनमें से एक समूह स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित था। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी मुद्दे पर पुनः ध्यान देने हेतु तत्पश्चात् कोई समिति गठित नहीं की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा–2005 के तहत स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन अंकों के जरिए करने की सिफारिश नहीं की जाती है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय पाठयचर्या ढांचा–2005 यह सिफारिश करता है कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी विषय प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय के रूप में और उच्च माध्यमिक स्तर में एक वैकल्पिक विषय के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

खान संबंधी 'डेट रैट' में संशोधन

37. श्री वसुदेव आचार्य : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान संबंधी 'डेट रैट' में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) डेड रेंट की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कश्मीर समस्या

38. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान हेतु गठित कार्य समूह ने अपने सुझाव/सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सुझावों/सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) कश्मीर से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में सरकार किस हद तक सफल रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) श्रीनगर में 24–25 मई 2006 को जम्मू–कश्मीर पर आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अनुसरण में राज्य सरकार ने जम्मू–कश्मीर पर पांच कार्यसमूहों का गठन किया है। चार कार्य समूहों अर्थात (i) कार्य समूह–। : राज्य में समाज के वर्गों के बीच भरोसा सृजित करने के उपाय (ii) कार्य समूह–II नियंत्रण रेखा के पार संबंध सुदृढ़ करना (iii) कार्य समूह – III आर्थिक विकास और (iv) कार्य समूह IV : सुशासन सुनिश्चित करना, ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है।

कार्य समूह–I मानवाधिकार संरक्षण सुदृढ़ करने, विधवाओं तथा उग्रवाद एवं हिंसा के अन्य पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास उपाय करने, राज्य की समृद्ध एवं विधिक सांस्कृतिक प्राकृतिक दृश्यों की रक्षा करने, राज्य मे सभी अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने और कश्मीरी पण्डितों को अपने घर को वापस लौटाने सुकर बनाने पर सिफारिश की हैं।

कार्य समूह–II ने नियंत्रण रेखा के पार आम जनता के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ करने, नियंत्रण रेखा के पार से व्यापार एवं वाणिज्य सम्वर्धन करने और व्यापार, पर्यटन तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में ऐसे संबंधों एवं विनियमों को व्यापक एवं गहन बनाने के संबंध में सिफारिशें की हैं।

कार्य समूह–III राज्य के संतुलित आर्थिक विकास संबंधी सिफारिशें की हैं।

कार्य समूह–IV ने शासन की प्रणाली एवं प्रक्रियाओं में बेहतर कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता लाने तथा सरकार को आम आदमी के निकट लाने हेतु राज्य सरकार के तंत्र की सिफारिश की है।

दिल्ली में 24 अप्रैल, 2007 को आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चार कार्य समूहों की सिफारिशों का सिद्धांत रूप से समर्थन किया गया।

कार्य समूह–I, II और IV की सिफारिशों की जांच करने और विशिष्ट व्यवहाग्र एवं कार्यन्वयनयोग्य प्रस्ताव बनाने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने कार्य समूह–I और II की सिफारिशों के संदर्भ में अपना कार्य पूरा कर लिया है जबकि कार्य समूह – IV के संदर्भ में राज्य सरकार ने कार्रवाई पहले ही कर दी है। कार्य समूह–III की सिफारिशें योजना आयोग को भेज दी गई हैं जो इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर रहा है।

(घ) जम्मू–कश्मीर राज्य में समग्र स्थिति में अभी हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित हुआ है और उसे और सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि जम्मू–कश्मीर पर गोलमेज सम्मेलन का कार्य इस प्रक्रिया को बढ़ावा देगा।

पाठ्यक्रम की समीक्षा

39. श्री नन्द कुमार साय :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का है, जैसा कि 9 जनवरी, 2008 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संशोधन का उद्देश्य क्या है; और

(घ) देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु यह समीक्षा कब तक पूरी किए जाने तथा नए पाठ्यक्रम के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई है जो एक कार्यढांचा सुझाएगी जो पाठ्यचर्या की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता सुनिश्चित करने तथा संवर्धित करने में सहायता करेगी। संबंधित विषयों में समाज पाठ्यचर्या आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं, अतः उन्हें स्वयं की पाठ्यचर्या तैयार करने की स्वतंत्रता है। विश्वविद्यालयों द्वारा नए पाठ्यक्रम तैयार करना उत्तर शिक्षा प्रणाली की एक नियमित विशेषता है।

विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)

40. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हमारे पारस्परिक निर्यात उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, वस्त्र इत्यादि में निरंतर कम हो रही नौकरियों को रोकने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना उक्त उद्योगों में कार्यरत लोगों को किस हद तक मदद पहुंचा रही है;

(ग) वीकेजीयूवाई के अंतर्गत सूचीकृत उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वीकेजीयूवाई के अंतर्गत और अधिक उत्पादों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) रुपए की मजबूती के प्रतिकूल प्रभाव, जिसमें नौकरियों में कमी आ रही है, की भरपाई करने की दृष्टि से सरकार ने राहत प्रदान की है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वीकेजीयूवाई स्कीम के अंतर्गत उच्च परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से निर्यातकों को निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप प्रदान किया जाता है। इस सीमा तक निर्यातकों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिससे विश्व बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आता है। तथापि, घरेलू उद्योग की कृषि क्षेत्र से खरीद को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वीकेजीयूवाई स्कीम के अंतर्गत लाभ को घटाकर निर्यातों के एफओबी मूल्य पर 3.5% कर दिया गया है, यदि कृषि निविष्टियों (प्रेरकों, उपभोक्ता वस्तुओं तथा पैकिंग सामग्री से भिन्न) के आयात की अनुमति निर्यातित उत्पाद हेतु विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट/माफी स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(ग) वीकेजीयूवाई स्कीम के अंतर्गत कृषि उपज (और उसके मूल्यवर्धित प्रकारों) और ग्रामोद्योग उत्पादों तथा वन आधारित उत्पादों को स्कीम के दायरे में लाया गया है। क्रियाविधि पुस्तिका खण्ड–I के परिशिष्ट 37क में दी गई मद–वार सूची में 700 से अधिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें मोटे तौर पर कुक्कुट, दुग्ध, फल, सब्जी, पुष्प, लघु वनोत्पाद तथा उनके मूल्यवर्धित प्रकारों के साथ–साथ ग्रामोद्योग उत्पादों तथा वन आधारित उत्पादों तथा वन आधारित उत्पादों (लकड़ी के कलात्मक फर्नीचर की मदें) शामिल हैं। परिशिष्ट 23क को डीजीएफटी की वेबसाइट www.dgft.gov.in से आसानी से देखा भी जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार का प्रस्ताव विदेश व्यापार नीति की वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में इस स्कीम में और अधिक उत्पाद शामिल करने का है। जहां तक वित्तीय भुगतान का संबंध है, इन उत्पादों को वित्त मंत्रालय के परामर्श से शामिल किया जाएगा।

विवरण

रुपए की मजबूती के प्रभाव से निर्यातकों को तुरंत राहत प्रदान करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

I. दिनांक 01.04.2007 से शुल्क इकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) की दरों में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए 3% तथा अन्य के लिए 2% की वृद्धि की गई है:

(क) वस्त्र (हथकरघा सहित)

(ख) सिले–सिलाए वस्त्र

(ग) चर्म उत्पाद

(घ) कालीनों सहित हस्तशिल्प

(ङ) इंजीनियरी उत्पाद

(च) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद

(छ) समुद्री उत्पाद

(ज) खेल सामग्री

(झ) खिलौने

II. राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2007 से शुल्क प्रतिअदायगी दरों में वृद्धि की गई है;

III. ईसीजीसी प्रीमियम दरों में 10% की कमी की गई;

IV. दिनांक 31.3.2007 तक अंतिम उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी, माने गए निर्यात पर शुल्क प्रतिअदायगी के लंबित सभी मामलों का निपटान करने के लिए निधियां जारी की गई हैं;

V. आरबीआई ने मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते पर ब्याज की अनुमति देने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं;

VI. वित्त मंत्रालय ने कुछेक सेवाओं के लिए सेवा कर की वापसी की अनुमति देते हुए सेवा कर छूट/वापसी की अधिसूचना जारी की है;

VII. वाणिज्य विभाग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने ब्याज की और अधिक रियायती दर पर निर्यातकों को पोतलदान पूर्व एवं पश्चात ऋण प्रदान करने हेतु प्राधिकृत डीलरों को अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

सीमेंट का आयात

41. श्री संतोष गंगवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सीमेंट के बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर सीमेंट के आयात से संबंधित नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में सीमेंट का आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इससे सीमेंट के बढ़ते मूल्य को किस हद तक रोके जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) सीमेंट के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि यह भारतीय मानक ब्यूरो के मानक निशान के अनुरूप है। सीमेंट के आयात की मात्रा मांग–आपूर्ति में असमानता की सीमा, विदेशी बाजार में सीमेंट की कीमतें और किसी दिए गए समय पर इसके आयात में शामिल संभार तंत्र पर निर्भर करती है। सरकार ने बाजार में सीमेंट की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें सीमेंट पर आयात ड्यूटी को घटाकर 'शून्य करना' समतुल्य ड्यूटी और विशेष अतिरिक्त सीमा–शुल्क को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा, भारत सरकार के एक उद्यम – एमएमटीसी लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य सरकार के उद्यम, टीएएनसीईएम और मैसर्स पुदुचेरी कृषि सेवा उद्योग निगम (पीएएसआईसी) को सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत सीमेंट के आयात के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है ताकि बाजार में आयातित सीमेंट की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता बनाई रखी जा सके। इन उपायों के साथ सीमेंट के औसत मूल्य काफी हद तक स्थिर हो गए हैं जिनमें मार्च, 2007 और जनवरी, 2008 के बीच केवल 2.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

व्यापक तटीय सुरक्षा योजना

42. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय राज्यों हेतु व्यापक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) गुजरात के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(ग) वर्ष 2008–09 के दौरान गुजरात के लिए कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) तटवर्ती क्षेत्रों के समीपस्थ जल क्षेत्रों सहित तटवर्ती क्षेत्रों की गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए आधारभूत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 9 तटवर्ती राज्यों और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार जैसे 4 संघ राजय क्षेत्रों को सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक तटवर्ती सुरक्षा स्कीम वर्ष 2005–06 से पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, 73 तटवर्ती थानों 30 आप्रेशनल बैरकों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन थानों को आधुनिक नेवीगेशनल और मेरीटाइम उपस्करों से युक्त 204 यान उपलब्ध कराए जाएंगे। 149 जीपों और 312 मोटर साइकलों के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। कम्प्यूटरों और उपस्करों आदि के लिए प्रति थाना 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि का भी अनुमोदन किया गया है।

इस स्कीम के लिए अनुमोदित पंचवर्षीय परिव्यय में अनावर्ती व्यय के लिए 400 करोड़ रुपए और ईंधन अनुरक्षण और यान–मरम्मत एवं कार्मिक प्रशिक्षण के आवर्ती व्यय के लिए 151 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के रूप में वर्ष 2005–06 में 1303.57 लाख रुपए, 2006–07 में 988.67 लाख रुपए और 2007–08 में 409.237 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

73 तटवर्ती थानों में से गुजरात (10), आंध्र प्रदेश (6), पश्चिम बंगाल (4), गोवा (3) और केरल (1), महाराष्ट्र (12), कर्नाटक (5), और पुडुचेरी (1) लक्षद्वीप (4) और दमण (1) में कुल 47 थानों को उनके परिसर बनाकर तथा उन्हें प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध करा कर प्रचालनात्मक बना दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए उन्हें वाहनों के लिए सहायता और उपस्करों के लिए एकमुश्त सहायता जारी की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत खरीदी जाने वाली इंटरसेप्टर नावों के मूल्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस संबंध में आशय–पत्र मै. जी. एस एल, गोवा और मै. जी आर एस ई, कोलकाता में जारी कर दिया गया है।

सभी तटवर्ती राज्यों द्वारा कार्यकारी/तकनीकी स्टाफ मंजूर/उपलब्ध करा दिया गया हैं। तटरक्षक द्वारा लगभग एक हजार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) वाहनों की खरीद और तटवर्ती थानों, जांच चौकियों को वाह्य

चौकियों के निर्माण के लिए गुजरात की सरकार को अब तक 816.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2008–09 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को जारी की जाने वाली राशि तटवर्ती सुरक्षा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

मानव दुर्व्यापार

43. श्री रशीद मसूद :
श्री एम. शिवन्ना :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठोर कानूनों के लागू होने के बावजूद कर्नाटक सहित देश में मानव दुर्व्यापार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार राज्यवार दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा दंडित किए गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए और इससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की तीन वर्षों 2004, 2005 और 2006 के दौरान राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृह चलाता है जो दुर्व्यापार पीड़ितों को शरण, भोजन, कपड़े भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदम निम्न हैं:–

(i) महिला और बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर आई 'टी (पी) अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) कार्य कर रही है, जिसमें राज्यों सहित केन्द्रीय संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों आदि का प्रतिनिधित्व है। सी ए सी तिमाही बैठकें आयोजित करती है। अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम को दुर्व्यापार करने वालों के विरुद्ध अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच मानव दुर्व्यापार से संबंधित मामलों को समन्वित करने तथा इस विषय पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने तथा समीक्षा करने के लिए समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए नोडल प्रकोष्ठ स्थापित कर रखा है।

(iii) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग हेतु "जांचकर्ताओं के लिए मानव दुर्व्यापार पुस्तिका" पर एक प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है। अभी तक विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(iv) बी पी आर एंड डी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए क्षेत्रीय दुर्व्यापार विरोधी कार्यशालाएं आयोजित करता है। अभी तक विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(v) महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बच्चों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक पायलट परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों (सी आर) तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004		2005		2006	
		सी आर	पी सी वी	सी आर	पी सी वी	सी आर	पी सी वी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	405	443	681	723	657	704
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	28	9	25	3	29	18

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	24	17	28	6	13	0
5.	छत्तीसगढ़	9	0	6	11	13	3
6.	गोवा	28	48	38	94	26	61
7.	गुजरात	33	0	59	0	78	64
8.	हरियाणा	62	11	85	36	85	78
9.	हिमाचल प्रदेश	4	2	4	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	11	0	3	0	5	0
11.	झारखंड	3	0	13	0	11	3
12.	कर्नाटक	1170	1984	1241	1823	786	1014
13.	केरल	168	72	225	106	189	166
14.	मध्य प्रदेश	23	5	19	7	12	13
15.	महाराष्ट्र	309	36	222	52	378	38
16.	मणिपुर	0	0	1	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	1	0	1	0
18.	मिजोरम	5	1	1	3	0	0
19.	नागालैंड	4	12	4	3	9	11
20.	उड़ीसा	22	17	29	7	44	18
21.	पंजाब	32	26	58	19	67	46
22.	राजस्थान	79	91	115	173	143	237
23.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3022	3194	2777	3586	1732	2385
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	44	88	31	153	70	127
27.	उत्तरांचल	4	0	2	13	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	121	65	74	118	66	79
	कुल (राज्य)	5611	6119	5742	6936	4417	5064
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	9	25	9	0	3	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमण और दीव	1	0	1	0	1	0
33.	दिल्ली	123	181	151	125	112	103
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	4	16	5	14	8	28
	कुल (संघ शासित)	137	222	66	139	124	137
	कुल (अखिल भारत)	5748	6341	5908	7075	4541	5201

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

44. श्री विजय कृष्ण :

श्री अधीर चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर चिन्ता व्यक्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) पिछले वर्षों में उच्चतर शिक्षा में घटते सार्वजनिक निवेश से विश्वविद्यालय प्रणाली पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करते हुए, कुलपतियों के सम्मेलन में भाग लेने वालों का ध्यान उच्चतर शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु उपचारी उपायों की आवश्यकता की ओर दिलाया गया था।

(ग) और (घ) उच्चतर शिक्षा के विस्तार, उन राज्यों, जहां अभी तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, और आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल स्थापित करने के लिए 11वीं योजना में योजनागत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। उच्चतर शिक्षा गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए 11वीं योजना के दौरान वर्तमान संस्थाओं की क्षमता में विस्तार, उच्चतर शिक्षा में राज्य परिव्यय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन, विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यचर्या को लगातार अद्यतन बनाने, सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने, संकाय सुधार कार्यक्रम और अन्य सुधार करने का भी प्रस्ताव है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता

45. श्री पी. सी. थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर केरल ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002–2003 के बाद इससे संबंधित केन्द्रीय सहायता जारी करनें में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल का हिस्सा स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप जारी किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में परिव्यय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) राज्यों को अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना" (एम पी एफ स्कीम) नामक योजनेतर स्कीम लागू कर रही है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों की मांग, सुरक्षा परिदृश्य और इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निधियों के आबंटन को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है।

एम पी एफ योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से 2007–08 के बीच केरल को केन्द्रीय आबंटन और जारी की गई निधियों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:–

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	जारी की गई राशि
2002–03	31.50	25.13
2003–04	22.00	22.00
2004–05	21.70	26.54
2005–06	20.00	18.85
2006–07	23.00	24.53
2007–08	24.00	23.62
कुल	142.2	140.67

राज्य को, वर्ष 2002–03 और 2005–06 के दौरान को छोड़कर पूरा केन्द्रीय आबंटन जारी कर दिया गया है। जिसमें राज्य सरकार ने विगत वर्षों से संबंधित जारी केन्द्रीय निधियों के लिए पूर्ण उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य को कम केन्द्रीय निधियां जारी होने का एक अन्य कारण वित्त मंत्रालय से निधियां कम प्राप्त होना था। वर्ष 2007–08 के लिए शेष केन्द्रीय निधियां इस वित्त वर्ष के दौरान जारी कर दी जाएंगी।

(घ) और (छ) जी हां। इस योजना के अंतर्गत राज्य को केन्द्रीय हिस्सा बढ़ाने के लिए पुलिस महानिदेशक, केरल से अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि इस स्थिति में केरल के परिव्यय में वृद्धि करना इस स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय से आबंटित निधियों के मदेनजर व्यवहार्य नहीं पाया गया।

शिक्षकों की शिक्षणेत्तर गतिविधियां

46. श्री एम. पी. वीरेन्द्रकुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एन.यू.ई.पी.ए.) द्वारा वर्ष 2005–06 हेतु किए गए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की कीमत पर सरकारी कार्यक्रमों को कहीं अधिक समय दे रहे हैं जैसा कि 26 नवम्बर, 2007 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कदम उठाने का है ताकि शिक्षकों पर से शिक्षणेत्तर कार्यों का बोझ कम हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के माध्यम से देश के सभी जिलों से प्रारंभिक स्कूल आंकड़े एकत्र करता है। जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली 2005–06 से पता चलता है कि शैक्षिक वर्ष 2004–05 में प्रारंभिक स्कूल प्रणाली के कुल शिक्षकों में से 15% शिक्षक औसतन 17 दिन शिक्षणेतर कार्यों में लगे हुए थे। राज्यों को निदेश दिए गए हैं कि वे स्कूलों में शिक्षकों की अपेक्षाकृत अधिक उपस्थिति को सुनिश्चित करें।

नमक का निर्यात

47. डा. के. धनराजू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कुल कितनी मात्रा में नमक का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे देशवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां से नमक का निर्यात किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए नमक की मात्रा निम्न प्रकार है:

वर्ष	निर्यातित मात्रा	अर्जित विदेशी मुद्रा/ मान (लाख रुपये में)
2005	3804.10	20576.93
2006	1874.40	11838.98
2007	1913.93	13363.38

देश–वार ब्यौरे संलग्न में दिये गये हैं।

(ग) नमक का निर्यात मुख्यतः गुजरात राज्य से किया जाता है। थोड़ी मात्रा में नमक का निर्यात तमिलनाडु से (समुद्र द्वारा) तथा राजस्थान से रेल द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, आदि को किया जाता है।

विवरण

नमक का निर्यात

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में) 2005	मूल्य (लाख रुपये में) 2005	मात्रा (टन में) 2006	मूल्य (लाख रुपये में) 2006	मात्रा (टन में) 2007	मूल्य (लाख रुपये में) 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	समुद्र द्वारा						
1.	पश्चिमी अफ्रीका	0	0.00	0	0.00	224	2.69

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्पेन	0	0.00	0	0.00	1	0.05
3.	डोमिनीकेन गणतंत्र	0	0.00	0	0.00	25	0.038
4.	जीनीया गणतंत्र	0	0.00	0	0.00	28	0.42
5.	मसकैट	120	0.92	0	0	0	0.00
6.	फ्रांस	0	0.00	23	0.32	23	0.55
7.	तंजानिया	0	0.00	55	0.77	25	0.5
8.	यू.के.	0	0.00	26	0.36	24908	113.67
9.	अंगोला	0	0.00	514	7.06	817	1104
10.	गबोन	0	0.0	140	5.04	0	0.00
11.	केन्या	56	1.12	0	0.00	53950	305.68
12.	साइचेलास	78	3.98	200	2.70	54	0.65
13.	बहरीन	28	0.83	106	3.11	167	4.63
14.	कुवैत	818	23.39	16789	134.49	4947	71.19
15.	आस्ट्रेलिया	353	6.97	433	6.95	320	4.48
16.	बंगलादेश	94665	459.60	211472	1302.20	46937	290.65
17.	दक्षिण अफ्रीका	135	5.22	21.72	69.46	0	0.00
18.	कांगो	53	2.87	27	1.47	99	2.53
19.	चीन	2181607	11288.99	83300	359.59	0	0.00
20.	केन्द्रीय अफ्रीका (मलावी)	624	17.14	587	10.21	182	2.45
21.	पूर्वी तिमोर	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	दक्षिण कोरिया	29331	208.46	21820	97.46	0	0.00
23.	फिजी	28	3.05	28	0.56	0	0.00
24.	ओमान	0	0.00	128	3.44	268	3.70
25.	घाना	0	0.00	112	2.89	0	0.00
26.	हांगकांग	43467	216.83	225	2.35	0	0.00
27.	इंडोनेशिया	41011	193.98	46779	366.42	73660	358.07
28.	जापान	676086	3103.81	868171	4509.50	1209713	7595.88
29.	उत्तर कोरिया	15506	64.33	22090	72.77	0	0.00
30.	लाइबेरिया	2240	70.12	817	24.55	3388	238.63

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लेबनान	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
32.	मलेशिया	36029	450.23	58636	624.24	33921	577.29
33.	मालदीव	245	55.99	3310	86.09	3159	98.52
34.	मॉरीशस	52	1.07	1178	13.00	1275	16.14
35.	मोजाम्बिक	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36.	न्यू गुनिया	2793	59.38	5164	104.08	828	22.79
37.	न्यूजीलैण्ड	37	1.13	94	1.76	105	2.99
38.	फिलीपिंस	1755	24.63	300	3.00	0	0.00
39.	कतर	164669	786.85	441	9.99	59777	491.43
40.	सिंगापुर	1323	18.01	293	7.54	244	4.17
41.	श्रीलंका	6934	107.40	6655	154.52	10711	257.10
42.	सियरालोन	140	3.47	774	22.91	110	1.43
43.	शारजाह	0	0.00	0	0.00	0	0'00
44.	ताइवान	0	0.00	0	0.00	0	0.00
45.	थाइलैण्ड	2900	15.59	1946	19.49	150	2.16
46.	यू.ए.ई.	186318	1432.13	150214	1308.80	11759	254.56
47.	यू.एस.ए.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
48.	वियतनाम	147929	752.05	219860	1273.66	199745	1302.36
49.	सऊदी अरब	82	3.17	5262	93.99	20	0.28
50.	मेडागासकर	0	0.00	74	1.33	0	0.00
51.	रूस	0	0.00	1	0.01	0	0.00
52.	बेनीन गणतंत्र	54	1.81	75	2.85	0	0.00
53.	इक्यूटोरियल गुनीया	0	0.00	112	4.25	0	0.00
54.	टोगो	0	0.00	75	2.85	0	0.00
55.	रिन्सिओन	0	0.00	20	0.72	704	9.05
56.	ब्रुनी दारू सालम	73	3.30	0	0.00	84	5.40
57.	आईवोरी कोस्ट	140	4.10	0	0.00	54	3.78
58.	इथोपिया	24	1.39	0	0.00	0	0
	कुल (समुद्र द्वारा)	3639953	19393.31	1730498	10718.85	1742382	12057.29

1	2	3	4	5	6	7	8
II रेल द्वारा							
1.	भूटान	4904	25.26	2434	9.74	4888	28.62
2.	बंगलादेश	4142	60.76	8409	37.38	4800.0	21.24
3.	नेपाल	155134	1097.60	133138	1073.01	161862.0	1256.23
	कुल (रेल द्वारा)	164180	1183.62	143981	1120.13	171550	1306.09
	कुल योग (I+II)	3804133	20576.93	1874479	11838.98	1913932	13363.38
	हिस्सेवार ब्यौरा						
III पश्चिमी तट							
1.	हापा	0	0.00	0	0.00	2352	69.73
2.	बेडीबुनदार	114136	346.58	9000	155.25	0.	0.00
3.	पोरबन्दर	56283	267.80	12646	108.71	8912	38.39
4.	कांडला	2579234	12962.58	1093493	6062.02	1192499	6624.43
5.	जाकाऊ	388233	1785.46	366150	2248.14	400366	2464.44
6.	मुन्दरा	90659	578.55	27494	261.92	1679	27.49
7.	नावलाखी	264649	1281.66	153700	780.97	83624	1585.83
8.	ओखा	8300	294.65	150	3.75	0	0.00
9.	सीक्का	19300	41.50	0	0.00	0	0.00
10.	पीपाव	37800	865.62	0	0.00	0	0.00
11.	रोजी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV पूर्वी कोस्ट							
1.	चेन्नई	53	2.87	61	3.17	22	1.13
2.	तूतीकोरिन	81306	966.04	67804	1094.92	52928	1245.85
	योग (III+IV)	3639953	19393.31	1730498	10718.85	1742382	12057.29

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

48. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देश में निधियों के अवैध प्रवाह को रोकने हेतु विद्यमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निधियों का अवैध प्रवाह रोकने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को परिवर्तित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में सम्मिलित है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अधिसूचित है। अधिनियम की धारा 13 में अधिनियम अथवा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए निर्णय के बाद दण्ड का प्रावधान होता है।

(ख) और (ग) एफ डी आई नीति की पणधारकों तथा अन्तः मंत्रालयीय विचार–विमर्श के द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय कुक्कुट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

49. श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण कुक्कुट उत्पादों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बर्ड–फ्लू के फैलने के बाद कुछ देशों ने भारत से कुक्कुट उत्पादों का आयात बन्द कर दिया है;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत कुक्कुट उत्पादों का निर्यात करता रहा है;

(च) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुक्कुट उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(छ) घरेलू कुक्कुट उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) भारतीय कुक्कुट उत्पादों हेतु प्रमुख निर्यात गंतव्य ओमान, जर्मनी, डेनमार्क, कुवैत, जापान, युएई आदि हैं। वर्ष 2006–07 के लिए कुक्कुट उत्पादों के निर्यात की कुल राशि 315.90 करोड़ रु. जबकि अप्रैल–अक्तूबर, 2007 में यह राशि 221.94 करोड़ रु. थी।

(छ) सरकार ने कुक्कुटों को मारकर, संक्रमित अंडों को नष्ट कर तथा प्रभावित क्षेत्रों/उत्पादों को विसंक्रमित कर घरेलू कुक्कुट उद्योग को बर्ड–फ्लू के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया है। प्रभावित क्षेत्रों से कुक्कुट उत्पादों का आयात तथा आवागमन भी प्रतिबंधित/नियंत्रित किया गया है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विदेशी सहायता का उपयोग

50. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु चालू वर्ष के दौरान विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उक्त धनराशि को सर्व शिक्षा अभियान पर अथवा किसी अन्य कार्यक्रम पर खर्च किया जा रहा है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और उन पर अभी भी कितनी धनराशि खर्च की जानी शेष है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) वर्ष 2006–07 की अवधि के लिए वचनबद्ध विदेशी निधीयन में से सर्व शिक्षा अभियान के लिए विदेशी निधियीन एजेन्सियों से प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2007–08 में भारत सरकार को 189.88 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। केवल यही शेष राशि देय थी।

खानों का राष्ट्रीयकरण

51. श्री एम. शिवन्ना :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में सभी खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रशासित खनिजों की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का खान मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाइआरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

52. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों तथा कर्नाटक सरकार से संविधान की आठवीं अनुसूची में बाइआरी भाषा को शामिल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस भाषा के विकास हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए कर्नाटक के लोगों से कोई मांग मिली है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) संविधान की आठवीं अनुसूची में इस भाषा को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों के लिए नीति

53. श्री अजीत जोगी :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्रों पर प्रसारित किए जाने वाले चैनलों का चैनल–वस्तु ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ीसा सहित उन राज्यों राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है जहां अभी तक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी कार्यक्रम कवर नहीं किए जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, आज तक देश में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी स्टेशनों के लिए किए गए उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्यों का राज्य–वार तथा स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) रेडियो स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित पैरामीटरों द्वारा अभिशासित होती है:–

(i) संबंधित राज्यों की भाषा में क्षेत्रीय कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु राज्यों की राजधानियों में,

(ii) सांस्कृतिक महत्व के चुनिंदा स्थानों पर और

(iii) विशिष्ट पृथक आबादी समूहों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनिंदा रिले केन्द्रों पर।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण – I और II में दिया गया है।

(घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम दूरदर्शन की फ्री–टु–इयर डायरेक्ट टु होम (डी टी एच) सेवा 'डी डी डायरेक्ट प्लस' के जरिए देशभर में (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रांसमीटरों के जरिए भी कार्यक्रम रिले किए जाते हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा किए गए उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–III और IV में दिया गया है।

(च) निधियों की उपलब्धता एवं परिचालन तथा रखरखाव स्टाफ की संस्वीकृति के अध्यधीन रेडियो स्टेशनों और दूरदर्शन केंद्रों के उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु समय–समय पर स्कीमें तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण-I

आकाशवाणी चैनलों का ब्यौरा

1. राष्ट्रीय चैनल
2. राजधानी और क्षेत्रीय स्टेशनों पर प्राथमिक चैनल
3. स्थानीय रेडियो स्टेशनों पर स्थानीय चैनल
4. विविध भारतीय चैनल
5. सूचना–मनोरंजन चैनल :
   (i) आकाशवाणी–एफ एम गोल्ड
   (ii) आकाशवाणी–एफ एम रेनबो
6. युवा वाणी
7. सामुदायिक रेडियो चैनल
8. बाह्य सेवा चैनल

विवरण-II

दूरदर्शन चैनल

चैनल

अखिल भारतीय चैनल

डीडी–1 (नेशनल)

डीडी न्यूज

डीडी स्पोर्टस

डीडी भारती

डीडी राज्य सभा

डीडी ज्ञानदर्शन

डीडी उर्दू

अंतरराष्ट्रीय चैनल

डीडी इंडिया

क्षेत्रीय चैनल

मलयालम (केरलम)

तमिल (पोदिगै)

उड़िया

बंगाली (बांग्ला)

तेलुगु (सप्तगिरि)

कन्नड़ (चांदना)

मराठी (सह्याद्रि)

गुजराती

कश्मीरी (कशीर)

नार्थ–ईस्ट

पंजाबी

राज्य नेटवर्क

राजस्थान

मध्य प्रदेश

उत्तर प्रदेश

बिहार

हिमाचल प्रदेश

झारखंड

छत्तीसगढ़

हरियाणा

उत्तरांचल

त्रिपुरा

मिजोरम

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक दूरदर्शन द्वारा किए गए उन्नयन तथा आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा

राज्य	लोकेशन	विवरण
1	2	3
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
असम	गुवाहाटी	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
असम	डिब्रूगढ़, सिलचर और गुवाहाटी (पीपीसी)	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
बिहार	पटना	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
बिहार	मुजफ्फरपुर	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
छत्तीसगढ़	रायपुर	अतिरिक्त स्टुडियो
गुजरात	अहमदाबाद	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
गुजरात	राजकोट	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
हिमाचल प्रदेश	शिमला	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
झारखंड	रांची	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण और अतिरिक्त स्टुडियो

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	डिजीटल भू–केन्द्र और स्टुडिया का पूर्ण डिजीटलीकरण
केरल	तिरुवनंतपुरम	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
मध्य प्रदेश	भोपाल	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
मध्य प्रदेश	इंदौर	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
महाराष्ट्र	पुणे	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
मणिपुर	इंफाल	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
मेघालय	शिलांग और तुरा	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
मेघालय	शिलांग	रिकार्डिंग के लिए छोटा स्टुडियो चालू किया गया
मिजोरम	आइजोल	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
नागालैंड	कोहिमा	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
उड़ीसा	भुवनेश्वर	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
उड़ीसा	संबलपुर	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
पंजाब	जालंधर	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण
राजस्थान	जयपुर	स्टुडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण डिजीटल भू–केन्द्र
त्रिपुरा	अगरतला	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
उत्तर प्रदेश	बरेली	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद और मऊ	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	स्टुडियो का आंशिक डिजीटलीकरण

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक आकाशवाणी द्वारा किए गए उन्नयन तथा आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	स्थान	आधुनिकीकरण व क्षमता विस्तार का वितरण
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टूडियो
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
3.	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा	100 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र (100 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
5.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टूडियो (अंतरिम स्थापना)

1	2	3	4
6.	आन्ध्र प्रदेश	मचरेला	3 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टूडियो
7.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियों स्टूडियो
8.	असम	गोहाटी	न्यूज आन फोन सेवा
9.	बिहार	पटना	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
10.	बिहार	औरंगाबाद	100 वाट एफ. एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र)
11.	छत्तीसगढ़	सरायपल्ली	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टीरियो स्टूडियो व स्टाफ क्वार्टर (रिले केन्द्र)
12.	छत्तीसगढ़	रायपुर	कैपटिव अर्थ स्टेशन
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	100 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र (100 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
14.	छत्तीसगढ़	रायपुर	न्यून आन फोन सेवा
15.	दिल्ली	दिल्ली	डीटीएच (डायरेक्ट टू होम सेवा)
16.	दिल्ली	दिल्ली	नव प्रसारण भवन
17.	दिल्ली	दिल्ली	डीटीएच अपलिंकिंग चैनलों का विस्तार 12 से बढ़ाकर 20 तक
18.	दिल्ली	दिल्ली	250 किलो वाट शार्ट वेव प्रेषित्र पर डी आर एम सेवा का प्रारंभ
19.	गुजरात	भुज	20 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र (10 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
20.	गुजरात	अहमदाबाद	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
21.	गुजरात	हिम्मतनगर	1 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र स्टूडियो (रिले केंद्र)
22.	हरियाणा	रोहतक	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
23.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
24.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	100 किलोवाट मी. वेव प्रेषित (100 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
25.	गुजरात	कुपवारा	20 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र (रिले)
26.	जम्मू–कश्मीर	कारगिल	200 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र

1	2	3	4
27.	जम्मू–कश्मीर	द्रास	1 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र व स्टाफ क्वार्टर (रिले केन्द्र)
28.	जम्मू–कश्मीर	त्रिसूरू	1 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र व स्टाफ क्वार्टर (रिले केन्द्र)
29.	जम्मू–कश्मीर	नियोमा	1 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र (रिले केन्द्र)
30.	जम्मू–कश्मीर	दिस्कीट	1 किलोवाट मि. वेव प्रेषित्र (रिले केन्द्र)
31.	जम्मू–कश्मीर	लेह	कैपटिव अर्थ स्टेशन
32.	झारखण्ड	रांची	कैपटिव अर्थ स्टेशन
33.	कर्नाटक	उडपी	20 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र (पुराने प्रेषित्र के स्थान पर)
34.	कर्नाटक	बंगलोर	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
35.	कर्नाटक	गुलबर्गा	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
36.	केरल	त्रिरूअनंतपुरम	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
37.	केरल	मंजेरी	3 किलोवाट एफ एम प्रेषित्र स्टूडियो (रिले केन्द्र)
38.	मध्य प्रदेश	भोपाल	कैपेटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
39.	मध्य प्रदेश	रीवा	20 किलोवाट मी. वेव प्रेषित (पुराने प्रेषित्र के स्थान पर)
40.	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	20 किलोवाट वेव प्रेषित्र (पुराने प्रेषित्र के स्थान पर)
41.	मध्य प्रदेश	मंडला	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र स्टूडियो (रिले केन्द्र)
42.	मध्य प्रदेश	राजगढ़	3 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र स्टूडियो (रिले केन्द्र)
43.	महाराष्ट्र	जलगांव	20 किलोवाट मी. वेव प्रेषित (पुराने प्रेषित्र के स्थान पर)
44.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
45.	महाराष्ट्र	मुम्बई	20 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (पुराने 5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र के स्थान पर (10 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र, अंतरिम स्थापना)
46.	मणिपुर	इम्फाल	10 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
47.	मणिपुर	इम्फाल	न्यूज आज फोन सेवा
48.	मेघालय	शिलांग	100 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र (100 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
49.	मेघालय	शिलांग	10 किलोवाट मी. एफ. एम. प्रेषित्र व स्टीरियों स्टूडियो
50.	मिजोरम	आइजवाल	6 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
51.	नागालैंड	कोहिमा	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
52.	उड़ीसा	कटक	कैपटिव अर्थ स्टेशन का क्षमता विस्तार
53.	उड़ीसा	देवगढ़	100 वाट एफ. एम. प्रेषित्र (रिले केन्द्र)
54.	उड़ीसा	बड़ीपादा	5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (1 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)

1	2	3	4
55.	उड़ीसा	सोरो	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र स्टूडियो (रिले केन्द्र)
56.	राजस्थान	उदयपुर	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
57.	राजस्थान	कोटा	20 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (1 किलोवाट मी. वेव के स्थान पर)
58.	तमिलनाडु	चेन्नई	20 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (10 किलोवाट एफ एम. प्रेषित्र के स्थन पर)
59.	तमिलनाडु	चेन्नई	20 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र के स्थान पर)
60.	तमिलनाडु	धर्मापुरी	10 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र स्टूडियो, 30 मीटर टावर के साथ (रिले केंद्र–अंतरिम स्थापना)
61.	तमिलनाडु	मदुरई	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
62.	तमिलनाडु	यारकुड	100 वाट एफ. एम. प्रेषित्र (रिले केन्द्र)
63.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	10 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र व स्टीरियों स्टूडियो (अंतरिम स्थापना)
64.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
65.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
66.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	न्यूज आन फोन सेवा
67.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	1 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)
68.	पांडिचेरी	पुडुचेरी	5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र
69.	उत्तराखण्ड	अल्मोरा	कैपटिव अर्थ स्टेशन
70.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कैपटिव अर्थ स्टेशन
71.	पश्चिम बंगाल	करसियांग	5 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (अतिरिक्त चैनल)
72.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	100 वाट एफ. एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र)
73.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	20 किलोवाट एफ. एम. प्रेषित्र (5 किलोवाट एफ. के स्थान पर) (10 किलोवाट अंतरिम स्थापना)

[अनुवाद]

तेल, विमानन एवं कमोडिटी बाजारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

54. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल, विमानन तथा कमोडिटी बाजारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान कर विदेशी पूंजी के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न संस्थाओं/विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों की इस आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की जाती है तो इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खाद्यान्नों का भंडारण करने तथा इसकी कमी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) मौजूदा नीति की समीक्षा करने पर सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र तथा वस्तु बाजारों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नीति में परिवर्तनों को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) नीति को तर्कसंगत और उदार बनाने के उद्देश्य से तथा पणधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, एफ.डी.आई. नीति की अंतर मंत्रालयीय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

नागर विमानन, पेट्रोलियम तथा वस्तु बाजारों के लिए एफडीआई नीति में अनुमोदित परिवर्तन

क्षेत्र	वर्तमान नीति	अनुमोदित नीति
1	2	3
नागर विमानन वायु यातायात सेवाएं	विदेशी एयरलाइनों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता न होने की शर्त पर स्वतः मार्ग द्वारा 49 प्रतिशत तक एफडीआई और 100 प्रतिशत तक एन आर आई निवेश की अनुमति दी गई है।	वायु यातायात सेवाएं अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों तथा गैर–अनुसूचित एयलाइनों इत्यादि के रूप में निम्नानुसार विभाजित की गई हैं: (i) एन आर आई 100 प्रतिशत सहित घरेलू एयर–लाइनों में 49 प्रतिशत की अधिकतम इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं तथा विदेशी एयरलाइनों द्वारा सहभागिता नहीं। (ii) गैर अनुसूचित एयरलाइन, चार्टर्ड एयरलाइंस और कार्गो एयरलाइंस (हेलीकॉप्टर सेवाएं/सी प्लेन सेवाएं छोड़कर) के लिए स्वतः मार्ग पर 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना। – गैर अनुसूचित एयरलाइन और चार्टर्ड एयरलाइंस में विदेशी एयरलाइंस द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागिता नहीं। – कार्गो एयरलाइंस में विदेशी एयरलाइंस की भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। – सभी उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों में स्वतः मार्ग पर 100 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति होगी। (iii) क्षेत्रीय विनियमों तथा सुरक्षा मंजूरी की शर्तें पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए स्वतः मार्ग पर 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना। स्वतः मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति होगी। स्वतः मार्ग पर 100 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति होगी।

1	2	3
		(iv) डीजीसीए के अनुमोदन सहित विमानन क्षेत्र में अनुरक्षण एवं मरम्मत संगठनों, उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों तथा हेलीकॉप्टर सेवाओं/सीप्लेन सेवाओं में स्वतः मार्ग द्वारा 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस– पेट्रोलियम उत्पादों का वास्तविक व्यापार एवं विपणन	5 वर्षों के भीतर भारतीय सहभागी/पब्लिक के पास 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश की शर्त पर स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।	पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के लिए 5 वर्षों के भीतर 26 प्रतिशत तक इक्विटी के अनिवार्य विनिवेश की शर्त खत्म।
पेट्रोलियम तेल शोधन	निजी कंपनियों में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। पेट्रोलियम तेल शोधन में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एफआईपीबी की पूर्वानुमति से केवल 26 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति।	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम तेल शोधन में एफआईपीबी की पूर्वानुमति से इक्विटी की अधिकतम सीमा बढ़कर 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत
वस्तु बाजार	वर्तमान नीति विशिष्ट तौर पर न तो वस्तु बाजार में एफडीआई पर प्रतिबंध लगाया गया है और न ही इसे क्षेत्र – विनिर्दिष्ट नीति में शामिल किया गया है। अतः लागू नीति के अनुसार वर्तमान स्थिति यह है कि वस्तु बाजारों में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति मानी जाती है।	संयुक्त अधिकतम सीमा अर्थात एफडीआई और एफआईआई 49 प्रतिशत तथा एफआईआई निवेश 23 प्रतिशत तक सीमित करने एवं एफडीआई 26 प्रतिशत तक सीमित करने की अनुमति देना। एफाआई पीबी की पूर्वानुमति से ही एफडीआई की अनुमति होगी। एफआईआई खरीदें। द्वितीयक बाजार तक प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी अकेला व्यक्ति इन कंपनियों में 5 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी नहीं रखेगा।

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

55. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन निधियों का उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियों और उनके द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राजस्थान और उड़ीसा में चल रही डी. पी.ई.पी. परियोजनाओं का समग्र निष्पादन संतोषजनक है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08**	
		जारी निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय*	जारी निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय*	जारी निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय*	जारी निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय*
1.	उत्तर प्रदेश	94.69	130.02	178.42	221.29	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
2.	उत्तरांचल	13.10	17.75	56.51	65.63	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
3.	बिहार	37.00	81.32	60.00	105.23	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
4.	झारखंड	77.51	100.10	61.45	84.45	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
5.	आंध्र प्रदेश	155.00	204.29	10.00	44.24	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
6.	पश्चिम बंगाल	62.91	51.18	37.90	40.05	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
7.	गुजरात	22.97	23.92	7.95	21.33	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त	परियोजना समाप्त
8.	राजस्थान	105.00	143.48	125.25	147.25	31.90	56.40	58.22	40.63
9.	उड़ीसा	29.91	42.62	27.06	44.58	66.01	64.88	10.59	20.25
	कुल	597.91	794.68	564.82	774.05	97.91	121.28	68.81	60.88

*उपलब्ध निधियों की तुलना में व्यय (जिसमें वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध अवशेष, भारत सरकार द्वारा जारी निधियां और राज्य द्वारा जारी निधियां शामिल हैं)।
**वर्ष 2007-08 के आंकड़े दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

इंजीनियरों की गुणवत्ता में सुधार

56. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को गुणवत्ता वाले इंजीनियरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश की अधिकांश इंजीनियरिंग संस्थाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इंजीनियरी स्तरीय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) नेशनल ऐसोशियसन ऑफ साफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कम्पनीज ने सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवा क्षेत्रों में इंजीनियरी स्नातकों की नियोज्यता की कमी के मुद्दे को उठाया है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ संचार और सूचना

प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों व उनके उन्नयन के लिए मॉडल पाठ्यचर्या पर परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 से बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों हेतु फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम आरंभ किया गया है ताकि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवा क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा सके।

प्रसारण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

57. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में प्रसारण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रसारण क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) की प्रतिशतता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को प्राप्त हुए एफडीआई के नए प्रस्तावों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) मौजूदा प्रावधान के अनुसार प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित विदेशी निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं:–

एफ एम रेडियो	20% तक एफ डी आई + एफ आई आई निवेश
केबल नेटवर्क	49% (एफ डी आई + एफ आई आई)
डायरेक्ट टु होम	49% (एफ डी आई + एफ आई आई)।
अपलिंकिंग हब, आदि जैसी हार्डवेयर सुविधाओं की स्थापना	49% (एफ डी आई + एफ आई आई) इस सीमा में एफ डी आई आई घटक अधिकतम २०% तक होगा।
समाचार और समसामयिक विषयक टी वी चैनल की अपलिंकिंग	26% एफ डी आई + एफ आई आई
गैर समाचार और समसामयिक विषयक टी वी चैनल की अपलिंकिंग	100%

(ख) से (ङ) औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग द्वारा कार्यविधियों को युक्तिसंगत/उदार एवं सरल बनाने के उद्देश्य से सतत् आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति की समीक्षा की जाती है। वित्त मंत्रालय में विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड (एफ आई पी बी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2007 (जनवरी–दिसम्बर, 2007) में सूचना और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित 37 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। तथापि, एफ डी आई के अंतर्वाह आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विश्व व्यापार एवं विकास सूचकांक में भारत का रैंक

58. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूएनसीटीएडी द्वारा हाल में जारी की गई विश्व व्यापार एवं विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 85वां रैंक मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का विश्लेषण करने तथा व्यापार एवं विकास के संबंध में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 2007 में विकासशील देश–व्यापार विकास सूचकांक (टीडीआई)" में भारत को 86वां स्थान प्रदान किया है। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत ने अपने स्थान में सुधार किया है जो 2005 में 90 से बढ़कर 2006 में 86 हो गया है। क्योंकि इसके समग्र टीडीआई अंक 2005 में 413 से बढ़कर 2006 में 433 हो गया है। टीडीआई के संघटकों में शामिल हैं–अंतर्राष्ट्रीय वित्त, वृहद आर्थिक स्थायित्व, घरेलू वित्त, वित्तीय मध्यस्थता, संस्थागत गुणवत्ता, व्यापार निष्पादन, मानव पूंजी, भौतिक अवसंरचना, आर्थिक संरचना, पर्यावरणिक सततधारिता, व्यापार में खुलापान, विदेशी बाजार पहुंच तथा आर्थिक एवं सामाजिक खुशहाली। विश्लेषण में विकसित देशों के टीडीआई अंकों में विकासशील देशों के निष्पादन का निर्धारण किया गया है।

कयर उत्पादों का निर्यात

59. डा. पी. पी. कोया : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशों में काफी विशाल बाजार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारत से कॅयर तथा कॅयर उत्पादों का आयात करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कॅयर उत्पाद 97 देशों का निर्यात किए जाते हैं जिनमें से 37% अमेरिका को, 41% यूरोपियन संघ देशों तथा लगभग 23% विश्व के अन्य देशों को निर्यात होते हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान भारत से कॅयर उत्पादों के निर्यात का देशवार ब्यौरा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि नीचे दर्शाई गई है।

(मात्रा : मीट्रिक टन) तथा मूल्य (लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	2004–05		2005–06		2006–07	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	यू एस ए	132583	18625	35710	20470	38264	22198
2.	यू के	9333	4942	9320	4846	10414	5539
3.	नीदरलैंड	22323	3667	20330	3540	26760	4195
4.	जर्मनी	5909	3011	6693	3815	7861	4592
5.	इटली	5274	2419	4774	2130	6129	2539
6.	फ्रांस	3885	1962	3530	1719	3048	1715
7.	स्पेन	7419	1849	8243	1947	10276	2629
8.	आस्ट्रेलिया	4082	1073	3941	963	6001	1510
9.	कनाडा	2238	1010	2716	1291	3825	1966
10.	बैल्जियम	2218	903	2396	1052	2300	1004
11.	अन्य	27663	7879	38374	9072	54077	12630
	कुल	222927	47340	136027	50845	168755	60517

(ग) उद्योग को विद्यमान निर्यात बाजारों से संपर्क स्थापित करने और नए बाजारों को अपनाने में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय कॅयर बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:–

(i) कॅयर उत्पादों को पहचान दिलाने और इस प्रकार बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों व सम्मेलनों में भागीदारी।

(ii) कॅयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा बाजार के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदर्शनियों/मेलों/उत्पादन संवर्धन कार्यक्रमों तथा विदेशों में कैटलॉग प्रदर्शनों में भागीदारी।

(iii) कॅयर को पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में व्यापक प्रचार प्रारंभ करना।

(iv) वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्यातकों को तैयार करने हेतु व्यवसाय संवर्धन, दौरों, विदेशी मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा विदेश में प्रयोग के लिए कैटलॉगों के उत्पादन के लिए लघु निर्यातकों/उद्यमियों को विदेशी बाजार विकास सहायता प्रदान करना।

(v) वैश्विक क्रेता समुदाय के समक्ष भारतीय कॅयर क्षेत्र के क्षमताओं के प्रदर्शन के उद्देश्य से भारत में विशिष्ट प्रदर्शनियां संगठित करना।

(vi) उद्योगपतियों, टेक्नोक्रेटो, आदि को संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से कॅयर प्रसंस्करण मशीनरी, उत्पाद विकास, विपणन विकास प्रयासों आदि में निर्यात,

निवेश, अनुसंधान व प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय निष्पादन के लिए कॅयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करना।

अपरिष्कृत हीरों की कमी

60. श्री रेवती रमन सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हीरा उद्योग को मार्च, 2008 से अपरिष्कृत हीरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) अपरिष्कृत हीरों की उपलब्धता अन्य बातों के साथ–साथ वैश्विक आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती है। पॉलिश किए गए हीरों के वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 85% (मात्रा के रूप में) है। अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 तक की अवधि के दौरान भारत में 8151.91 मि. अम. डा. मूल्य के अपरिष्कृत हीरों का आयात किया गया जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.32% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। तथापि, अपरिष्कृत हीरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों का पता लगाया गया है और अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं।

ग्रामीण शिक्षा प्रकोष्ठ

61. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक ग्रामीण शैक्षिक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य 'नामांकन, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने तथा उपलब्धि' के संबंध में 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण तथा अन्य स्रोतों जैसे सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त प्रासंगिक आंकड़ों का विश्लेषण करना है ताकि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जा सके। इसमें ग्रामीण विद्यालयों की समस्याओं को समझने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में केस अध्ययन संचालित करने, राज्य कार्यकर्ताओं को शोध अध्ययन करने के निमित्त उन्हें सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और ग्रामीण शिक्षा पर कार्य करने वाले विभिन्न समूहों/एजेंसियों द्वारा संचालित दस्तावेज अध्ययन करने की अभिकल्पना की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के लिए कदम

62. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में गतिविधियां चला रहे विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ युद्धविराम सहित शांति लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में तथा गुमराह युवाओं को राष्ट्रीय मुख्य–धारा में लाने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) अपने–अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकतः राज्य सरकारों के प्रयासों को केन्द्रीय सरकार, धमकियों के आकलन के आधार पर संवेदनशील संस्थाओं एवं संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराने और विद्रोह विरोधी तीव्र अभियान चलाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकारियों को सहयोग देने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर चौकसी एवं निगरानी, आसूचना भागीदारी, स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता, सुरक्षा साजसज्जा के विभिन्न पहलुओं एवं उग्रवाद विरोधी प्रचालनों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सहायता का प्रावधान, इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने के लिए राज्यों को सहायता करके बढ़ावा देती है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्र की स्थिति की आवधिक समीक्षा करने एवं यथावश्यक अन्य कदम उठाने में राज्य सरकारों के साथ सतत आधार पर सघन समन्वय करती है।

केन्द्रीय सरकार एवं पूर्वोत्तर राज्यों के समन्वित प्रयासों से पूर्वोत्तर राज्यों की समग्र सुरक्षा स्थिति में स्थिरता आई है। इसके अतिरिक्त

सरकार ने कई गुटों अर्थात् नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (आई/एम) और नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (के) के साथ युद्ध विराम और यूनाईटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यूपीडीएस), दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के साथ अभियानों को निलंबित रखने (एस ओ ओ) की व्यवस्था है तथा अधिक नेशनल वालण्टियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ युद्ध विराम/अभियानों को निलंबित रखने की व्यवस्था है। सुरक्षा बलों द्वारा सतत विद्रोह विरोधी अभियानों के परिणामस्वरूप भारी संख्या में उग्रवादियों को निष्क्रिय किया गया है – 2005 में 2459, 2006 में 3231 और 2007 में 2875 है। इसमें 2509 वे उग्रवादी (2005 में 555, 2006 में 1430 और 2007 में 524) भी शामिल हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा स्थिति में सुधार के साथ राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय एजेंसियों के लिए सड़क एवं रेल नेटवर्क के क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों में प्रगति करना संभव हो पाया है।

विदेशी एजेंसी के साथ खनिजों की खोज

63. श्री अबु अयीश मंडल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिजों की खोज/निष्कर्षण के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है;

(ख) देश–वार, उन खानों का ब्यौरा क्या है जहां विदेशी एजेंसियों के सहयोग से खनिज की खोज का कार्य आरंभ किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक देश में किए गए विशिष्ट खनिज खोज कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह ओला) : (क) गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों की राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। उपर्युक्त नीति में, अन्य बातों के साथ–साथ, अति मूल्यवान तथा दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी भागीदारिता परिकल्पित है। हीरों और मूल्यवान रत्नों सहित सभी गैर परमाणु खनिजों के लिए आटोमैटिक रूट के अंतर्गत, खनन, खनिज प्रोसेसिंग तथा धातुकर्म में अब 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो अपने–अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में खनिजों के मालिक होते हैं, किसी भारतीय नागरिक को अथवा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में पंजीकृत किसी कंपनी को खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन जरूरी होता है। पिछले तीन वर्षों में टोही परमिटों (आर पी) तथा पूर्वेक्षण लाइसेंसों (पी एल) के मामलों सहित खनिज रियायत प्रस्तावों के ब्यौरे जिनके लिए खान मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन संसूचित किया गया है, खान मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात http://mines.nic.in पर उपलब्ध है।

कर्नाटक में शिक्षा अवसंरचना

64. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विकास सूचकांक में कर्नाटक का रैंक नीचे आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों को पर्याप्त अवसंरचना तथा शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इससे स्थिति में किस हद तक सुधार हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (नूपा) द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक विकास सूचकांक के अंतर्गत कर्नाटक 2005–06 में छठे स्थान पर और 2006–07 में आठवें स्थान पर था। कर्नाटक का शैक्षिक विकास सूचकांक जो 2005–06 में 0.674 था 2006–07 में बढ़कर 0.680 हो गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कार्य–निष्पादन में सुधार किया है।

(घ) और (ङ) जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के 2006–07 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में प्रारंभिक शिक्षा में स्कूल अवसंरचना तथा शिक्षकों में बहुमुखी सुधार हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ छात्र शिक्षण–कक्ष अनुपात बढ़कर 30:1 हो गया है, 79.96% स्कूलों में पेयजल सुविधाएं हैं, 69.33% स्कूलों में शौचालय हैं तथा छात्र–शिक्षक अनुपात 32:1 है।

एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना

65. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा सहित देश में अतिरिक्त एल्युमिना तथा एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार आज तक स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत न किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा देश में एल्युमिना और एल्युमीनियम के अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, देश के प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादकों ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अपनी–अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में सूचित किया है:

कंपनी का नाम	विस्तार/स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त संयंत्रों का स्वरूप	अवस्थिति	क्षमता प्रतिवर्ष मीट्रिक टन (एम टी पी ए) में
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	मौजूदा एल्युमीनियम प्रगालक का विस्तार	अंगुल, उड़ीसा	1.15 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	मौजूदा एल्युमिना शोधनशाला का विस्तार	दामनजोड़ी, उड़ीसा	7 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	एल्युमीनियम प्रगालक का विस्तार	कोरबा, छत्तीसगढ़	6.5 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मौजूदा एल्युमिना शोधनशाला का विस्तार	मूरी, झारखंड	3.4 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मौजूदा एल्युमीनियम प्रगालक का विस्तार	हीराकुंड, उड़ीसा	46000 एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्कल एल्युमिना ग्रीनफील्ड परियोजना	दोरागुडा, उड़ीसा	1.5 मिलियन एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आदित्य एल्युमिना ग्रीनफील्ड परियोजना	कंसरीगुढ़ा, उड़ीसा	1.5 मिलियन एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आदित्य एल्युमीनियम ग्रीनफील्ड परियोजना	लापांगा, उड़ीसा	3.25 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महान एल्युमीनियम ग्रीनफील्ड परियोजना	सिंधी, मध्य प्रदेश	3.25 लाख एम टी पी ए तक वृद्धि।
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लातेहार एल्युमीनियम ग्रीनफील्ड परियोजना	झारखंड	3.25 लाख एम टी पी ए।
मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	मौजूदा एल्युमिना शोधनशाला का विस्तार	मेट्टूर, तमिलनाडु	32000 एम टी पी तक तक वृद्धि
मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	मौजूदा एल्युमियनम प्रगालक का विस्तार	मेट्टूर, तमिलनाडु	27000 एम टी पी तक तक वृद्धि

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

66. डा. वीरेंद्र अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित किसी विश्वविद्यालय को कोई अनुदान/केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) उक्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड है; और

(घ) किन-किन विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान झारखण्ड सहित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के अंतर्गत उन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें धारा में प्रस्तावित मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं का मौके पर मूल्यांकन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वित्तीय सहायता प्रदान करने या अन्य पर निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर समिति की सिफारिशों पर विचार करके लेता है।

विवरण

योजनेत्तर और योजनागत स्कीमों के तहत वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आंन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापट्नम	216.34	612.78	1229.50
2.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1112.71	1305.31	1444.44
3.	सी.ई.सी.आर.आई., हैदराबाद	0.19	0.00	0.00
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4279.62	4570.64	9250.70
5.	जवाहर लाल नहेरू प्रौद्योगिकी, हैदराबाद	336.71	37.55	311.66
6.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	70.42	156.91	228.69
7.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1320.72	1384.39	1883.37
8.	नागाअर्जुन विश्वविद्यालय, गंतूर	50.74	119.11	24.13
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	0.62	4.68	8.71
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	1.42	0.00	0.00

1	2	3	4	5
11.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	496.15	454.15	1295.87
12.	पौत्ती श्रीरामुलु तलगू, विश्वविद्यालय, हैदराबाद	106.13	48.75	78.97
13.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	539.45	670.79	603.79
14.	श्रीकृष्ण देवरिया विश्वविद्यालय, अन्नतापुर	195.35	51.01	221.59
15.	श्रीवेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति	415.64	301.46	456.64
16.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	200.07	138.61	130.63
17.	श्री सत्यसाही उच्चतर अध्ययन संस्थान अनन्तापुर	123.25	115.76	64.50
18.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	–	5.45	6.64
19.	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	49.45	163.14
20.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	3.00	0.00
21.	राष्ट्रीय विधायी अध्ययन और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय	–	174.63	130.46
22.	एम. जी. नारायण अनुसंधान और सामाजिक सस्थान, हैदराबाद	0.00	0.00	8.20
23.	ड्रेविडियन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	105.60
	कुल	9465.53	10204.43	18509.52
अरूणाचल प्रदेश				
1.	अरूणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, इटानगर	1082.86	180.61	164.50
	कुल	1082.86	180.61	164.50
असम				
1.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	3362.83	1193.25	1033.66
2.	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़	401.15	62.80	193.15
3.	गोहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	387.10	158.86	100.42
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	2109.45	750.26	2039.50
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	0.00	0.00	2.25
6.	असम कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	60.75
	कुल	6260.53	2165.17	3429.73
बिहार				
1.	टी. एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	116.47	42.18	209.50

1	2	3	4	5
2.	बाबा साहेब बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर	78.80	183.02	91.51
3.	बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	7.15	95.72	95.48
4.	के. एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	44.36	12.00	65.59
5.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	20.87	62.38	62.97
6.	एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	109.30	158.32	77.63
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	129.41	159.76	168.70
8.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	0.00	1.11	0.00
9.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0.00	0.00	64.43
10.	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	0.00	0.00	131.10
	कुल	506.36	714.49	966.91
छत्तीसगढ़				
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	207.94	34.43	96.99
2.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	10.73	4.96	205.32
3.	पण्डित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	151.28	55.88	247.07
4.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	0.00	4.75
5.	हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	0.00	116.50
	कुल	369.95	95.27	670.63
दिल्ली				
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	14551.65	15737.17	17739.05
2.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	54.52	54.49	135.87
3.	इग्नू	709.40	3.94	0.84
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	25.01	33.00	40.22
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	7158.53	7356.43	8497.82
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	607.39	704.55	672.23
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	8942.30	10728.98	13165.91
8.	नेशनल मुजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजरवेशन एण्ड मियूजिकोलॉजी, नई दिल्ली	11.55	15.00	17.00

1	2	3	4	5
9.	आयोजना और वास्तुकला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00
10.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	554.05	7.17	852.05
11.	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवांस स्टेडी, नई दिल्ली	17.19	14.00	0.00
12.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3.27	897.67	2.47
13.	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली	–	300.00	4.44
	कुल	32634.86	35852.40	41127.90
गुजरात				
1.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	146.24	15.11	137.30
2.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	162.28	172.72	164.64
3.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	808.39	120.63	1059.02
4.	एम.एस. वडोदा विश्वविद्यालय, वडोदरा	229.62	597.69	368.55
5.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	153.73	67.00	114.47
6.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, राजपूत	393.46	187.81	195.07
7.	स्वराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजपूत	115.30	145.69	150.67
8.	दक्षिण गुजरात, विश्वविद्यालय, सूरत	20.24	48.74	204.58
9.	बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	0.00	0.00	5.95
	कुल	2029.26	1355.39	2400.25
गोवा				
1.	गोवा विश्वविद्यालय गोवा	174.17	23.70	277.04
	कुल	174.17	23.70	277.04
हरियाणा				
1.	सी.सी.एम. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	2.31	1.55	2.32
2.	गुरू जाम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	172.14	88.88	108.33
3.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	131.78	218.32	325.11
4.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	127.36	147.53	304.67
5.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुडगांव	4.44	3.83	7.50
6.	राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल	0.00	1.11	0.00

1	2	3	4	5
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र	0.00	1.67	2.39
	कुल	438.03	462.89	750.32
हिमाचल प्रदेश				
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	313.24	805.79	131.55
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	0.00	3.44	0.00
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर	3.67	2.88	3.44
4.	डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यान विज्ञान एवं वनीय विश्वविद्यालय सोलन	0.00	2.40	0.00
5.	चौधरी स्वर्ण कुबर एच. पी. कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	7.60
	कुल	316.91	814.51	142.59
जम्मू और कश्मीर				
1.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	243.21	231.21	229.21
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	331.09	184.20	352.07
3.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	0.00	1.84	20.00
	कुल	574.30	417.25	601.28
झारखण्ड				
1.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा रांची	290.58	129.02	90.35
2.	भारतीय खनन् विद्यालय, धनबाद	2.91	6.16	35.89
3.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	124.35	59.23	89.66
4.	विनोबा भावा विश्वविद्यालय, हजारीबाग	110.31	57.27	229.84
	कुल	528.15	251.68	445.74
कर्नाटक				
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	232.47	237.45	277.64
2.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	168.90	26.64	197.61
3.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	398.31	301.44	379.45
4.	जवाहर लाल नेहरू उच्च विज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	0.00	1.11	6.92
5.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	124.18	84.01	141.20

1	2	3	4	5
6.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	232.64	131.44	357.92
7.	कोवैम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा	110.07	240.00	120.41
8.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	176.89	103.26	222.38
9.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसेर	278.11	360.58	380.70
10.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी मणिपाल, कर्नाटक	3.20	0.00	0.00
11.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंस, बंगलौर	0.00	7.12	20.00
12.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बंगलौर	50.00	75.50	106.75
13.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	0.00	0.00	0.00
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	0.00	1.11	1.11
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक	0.00	0.00	0.75
16.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	0.00	0.00	2.70
17.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	0.00	0.00	149.65
	कुल	1774.77	1569.66	2365.19
केरल				
1.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड	94.44	180.93	212.73
2.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि	232.64	169.26	1460.03
3.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	395.64	256.18	290.49
4.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	196.19	75.41	115.12
5.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	2.92	0.00	0.00
6.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	206.60	69.00	293.96
7.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	2.37	127.24	41.01
	कुल	1130.80	878.02	2413.34
मणिपुर				
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	1082.36	1759.68	4733.75
	कुल	1082.36	1759.68	4733.75
मध्य प्रदेश				
1.	स्वदेश पी सिंह विश्वविद्यालय, रेवा	150.56	73.86	159.36

1	2	3	4	5
2.	बरकातुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	249.11	63.35	79.62
3.	एम जी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	166.23	76.98	121.60
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	162.22	208.91	308.03
5.	डा. एच. एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	141.51	133.44	193.06
6.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	68.62	106'36	98.88
7.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	34.00	33.00	0.00
8.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, प्रभनी	0.00	0.00	0.75
9.	एम. पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0.00	1.65
10.	राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	1.50	86.00	172.16
11.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	48.62	299.71	129.21
12.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	41.63	195.60	176.25
	कुल	1064.00	1277.21	1440.57
महाराष्ट्र				
1.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	191.53	141.77	135.27
2.	सी.आई.एफ.ई., वरसोवा, मुम्बई	0.00	4.33	0.00
3.	डेक्कन कॉलेज पीजी एंड रिसर्च इंस्टीटयूट, पुणे	107.31	77.00	7.92
4.	गोखले इंस्टीटयूट आफ पोल, इकोनॉमिक्स, पुणे	40.54	992.54	11.53
5.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुम्बई	0.00	3.12	18.85
6.	विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1.28	0.00	0.00
7.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	1266.34	1475.14	722.00
8.	एमजीए हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	315.42	1043.20	1656.72
9.	डा. बी.ए. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	268.64	71.01	151.57
10.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	292.33	94.06	343.88
11.	नॉर्थ महाराष्ट्र, जलगांव	159.51	65.85	151.95
12.	पूना विश्वविद्यालय, पुणे	1430.86	1010.86	528.54
13.	एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	274.95	113.64	163.59
14.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	122.49	233.27	404.62
15.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1231.18	1259.60	1184.54
16.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	4.38	69.20	56.25
17.	यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	0.00	0.00	0.46

1	2	3	4	5
18.	एस. आर. टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड	4.22	179.28	65.31
19.	भारती विद्यापीठ, पुणे	110.46	7.92	9.09
20.	विश्वेशवैरय्या राष्ट्रीय संस्थान एवं प्रौद्योगिकी, नागपुर	1.11	0.00	1.96
21.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर	0.00	1.15	0.97
22.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, प्रभनी	0.00	12.50	0.00
23.	पदमश्री डा. डी. पाटील विद्यापीठ, मुम्बई	0.00	0.00	0.75
	कुल	5822.55	6855.44	5615.77
मेघालय				
1.	एन ई एच यू	7217.36	5082.79	7353.36
	कुल	7217.36	5082.79	7353.36
मिजोरम				
1.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	2851.03	2547.96	2586.57
	कुल	2851.03	2547.96	2566.57
नागालैंड				
1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2441.43	2089.06	2134.61
	कुल	2441.43	2089.06	2134.61
उड़ीसा				
1.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर	121.98	43.09	231.21
2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	160.82	80.44	328.81
3.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	4.67	94.90	92.25
4.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	142.96	290.87	376.17
5.	नॉर्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बरीपाडा	1.74	7.44	85.00
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	9.97	0.00	0.00
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	0.00	0.00	5.75
8.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासौर	0.00	0.00	197.94
9.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	0.00	0.00	3.00
	कुल	442.14	516.74	1320.13
पंजाब				
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	310.36	276.02	158.05
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	353.06	790.94	379.76

1	2	3	4	5
3.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	53-90	25-84	203-63
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय, लुधियाना	152.08	124.92	350.05
5.	थापर इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	252.37	160.15	143.85
	कुल	442.14	516.74	1320.13
पांडिचेरी				
1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडीचेरी	1682.70	2494.52	5562.68
	कुल	1682.70	2494.52	5562.68
राजस्थान				
1.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	0.91	0.00	0.00
2.	जे. एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	198.84	104.23	315.15
3.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	16.76	191.93	134.25
4.	एम. एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	114.09	168.18	107.08
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	319.37	629.45	885.51
6.	बनस्थली विद्यापीठ (राज)	439.68	424.11	357.08
7.	बी.आई.टी.एस., पिलानी	250.34	61.56	550.85
8.	जे. वी. भारती संस्थान, लाडनू (राज.)	9.86	15.56	95.48
9.	जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	41.70	16.01	3.45
10.	मालावीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	0.00	0.94	0.75
11.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	0.00	0.00	2.99
	कुल	1391.55	1611.97	2452.59
तमिलनाडु				
1.	अलगाप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	124.07	106.43	182.29
2.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	204.21	434.61	348.98
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	358.37	413.44	609.36
4.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	164.34	149.66	166.71
5.	भारतीदेसन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	173.71	127.81	296.34
6.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	1007.98	3470.53	383.46
7.	मदुरई कामकाज विश्वविद्यालय, मदुरई	290.14	1160.03	407.841
8.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	17.34	35.53	52.93

1	2	3	4	5
9.	एम. सुन्दनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवीले	36.10	107.81	123.06
10.	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर	25.99	1080.38	121.31
11.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	14.52	1.01	6.41
12.	अविनाश महिला गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर	952.70	1081.77	1263.18
13.	गांधीग्राम रूरल संस्थान, गांधीग्राम	1111.27	1196.95	1266.85
14.	श्री चन्द्रशेखरनद्रा सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	60.50	61.52	46.00
15.	श्री रामाचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान	0.00	2.80	3.94
16.	शान मुघा कला, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी	0.00	0.00	0.00
17.	वेल्लूरे प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लूरे (तमिलनाडु)	3.99	0.00	0.00
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली	6.83	0.00	0.46
19.	सत्य भामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	0.00	3.00	0.00
20.	थिरूवल्लूवर विश्वविद्यालय, वेल्लूरे	0.00	0.10	0.00
21.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	0.00	28.57	194.10
22.	प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर	0.00	0.00	2.00
	कुल	4552.06	9461.95	5477.22
त्रिपुरा				
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	1001.74	235.02	63.03
	कुल	1001.74	235.02	63.03
उत्तर प्रदेश				
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	17356.30	20554.94	23321.13
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	374.84	6002.65	9771.26
3.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद	4.91	3.63	4.23
4.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	278.16	34.01	90.65
5.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, झांसी	18527.61	23708.42	30940.38
6.	भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ	0.00	1.50	0.44
7.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	1.32	41.50	40.00
8.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	156.70	70.87	139.31

1	2	3	4	5
9.	दयाल बाग शिक्षा संस्थान, आगरा	477.09	556.21	772.32
10.	डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	221.57	248.68	790.82
11.	डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	27.49	0.72	51.47
12.	डा. राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	20.05	211.93	66.52
13.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	148.18	235.45	215.51
14.	चौ. शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	38.14	8.55	32.82
15.	भारती पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	3.33	2.22	3.29
16.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	373.61	203.77	555.45
17.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान, इलाहाबाद	2.38	3.08	0.00
18.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	68.72	130.26	54.73
19.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	19.30	5.05	59.73
20.	वी.वी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	75.96	0.20	97.17
21.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	75.96	0.20	97.17
22.	जे. आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	5.46	1.14	130.85
23.	भारतीय सूचना संस्थान, इलाहाबाद	0.00	1.16	0.00
	कुल	38234.38	52061.56	67184.76
उत्तरांचल				
1.	जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर	17.05	12.25	2.60
2.	एच. एन. बी. (गढ़वाल) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	57.48	14.95	290.04
3.	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	170.90	38.24	306.98
4.	रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की	0.00	0.00	0.00
5.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	0.00	1.25	1.13
6.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	634.99	893.21	824.67
	कुल	880.42	959.90	1425.42
पश्चिम बंगाल				
1.	बुर्दवान विश्वविद्यालय, बुर्दवान	172.34	172.93	191.13
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	1076.98	3477.58	670.58

1	2	3	4	5
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	1205.38	1214.07	2620.85
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	85.56	106.85	103.23
5.	नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता	245.94	81.69	319.05
6.	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	28.12	48.89	321.93
7.	विद्या सागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	168.65	97.50	99.46
8.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	4023.31	4940.46	6649.43
9.	बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा	72.28	169.46	1093.83
10.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षिक, अनुसंधान संस्थान, हावड़ा	72.28	169.46	1093.83
10.	बिधन चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया	0.00	100.00	280.00
11.	बिधन चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.00	0.55	1.15
12.	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.00	0.00	6.13
	कुल	7078.56	10409.98	12356.77

[अनुवाद]

चीन को कृषि उत्पादों का निर्यात

67. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चीन को कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए कोई कार्य–योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत को चीन से भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यातों के संबंध में सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो चीन को भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) चीन को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पाद अपरिष्कृत कपास, आयल मील्स, ग्वारगम मील, मसाले, तिल बीज, मांस तथा उससे तैयार पदार्थ, दुग्ध उत्पाद, कॉफी, तम्बाकू, पुष्पोत्पाद, मूंगफली, बासमती चावल, दाल, ताजे फल व सब्जियां आदि हैं। कृषि निर्यात से संबंधित एक संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार फल व सब्जियों, मांस उत्पादों तथा दुग्ध निर्मित वस्तुओं जैसे विभिन्न उत्पादों हेतु चीन में बाजार पहुंच हासिल करने के लिए एकीकृत प्रयास कर रही है। बासमती चावल के लिए भारत और चीन के बीच 21.11.2006 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जनवरी, 2007 में प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान चीन में भारतीय तंबाकू के लिए बाजार पहुंच की अनुमति हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। 14 फूलों एवं सब्जियों हेतु बाजार पहुंच हासिल करने के लिए चीन के एक्यूएसआईक्यू में वार्ता अभी चल रही है। मांस उत्पादों के लिए चीन के एक्यूएसआईक्यू दल को पशु स्वास्थ्य स्थिति के आकलन और बूचड़खानों के निरीक्षण हेतु भारत के दौरे हेतु आमंत्रित किया गया है।

(घ) और (ङ) 14 फलों एवं सब्जियों, मांस एवं कुक्कुट उत्पादों हेतु तुरंत पहुंच प्रदान करने के अपने अनुरोध पर भारत को सकारात्मक उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

विवरण

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

एस एस कोड	वस्तु	2005–2006	2006–2007
1	2	3	4
520100	कपास, जो धुनी हुई अथवा साफ न हो	401.17	653.61

1	2	3	4
30379	लिवर्स तथा रोज को छोड़कर अन्य प्रशीतित मछली	96.92	59.35
151530	अरण्डी का तेल और इसके प्रभाज	32.17	55.85
230649	रेप अथवा कोल्जा बीज के अन्य अपशिष्ट	8.7	37.33
130232	लोकस्ट बीन लोकस्ट बीन सीड्स/ग्वार बीज से व्युत्पन्न एमयूसीएलजी–एस तथा थिकनर्स आशोधित हो/न हो	28.76	32.89
520511	714.29 डीटीएक्स/अधिक (14 एमटीआरसी से अनधिक) माप वाले धुने हुए रेशे का सिंगल यार्न	28.23	22.96
520521	714.29 डीटीएक्स/अधिक (14 एमटीआरसी से अनधिक) माप वाले धुने हुए रेशे का सिंगल यार्न	9.22	22.02
160520	तैयार अथवा परिरक्षित श्रिम्प तथा प्रॉंगे	9.99	18.88
230400	सोयाबीन तेल निष्कर्षण से प्राप्त खली तथा अन्य ठोस अपशिष्ट दानेदार/पिलेट रूप में हो/न हो	119.88	14.86
30613	प्रशीतित श्रिम्प तथा प्रॉंगे	13.54	11.58
520790	खुदरा बिक्री हेतु रखा गया अन्य सूती यार्न	28.14	10.71
230500	सोयाबीन तेल निष्कर्षण से प्राप्त खली तथा अन्य ठोस अपशिष्ट, दानेदार/पिलेट रूप में हो/न हो	14.57	9.67
520710	खुदरा बिक्री हेतु रखा गया, भार के अनुसार 85% से अधिक पास युक्त सूती यार्न	14.12	8.24
520524	<192.31 परन्तु > = 25 डीसीटीएक्स (>52 परंतु < = 80 एमटीआरसी सं.) माप वाले धुने हुए रेशे का सिंगल यार्न	2	7.2
120740	तिल बीज, चाहे टूटें हों/न हों	12.12	7.19
520522	<714.29 परन्तु > = 232.56 डीसीटीएक्स (>14 परंतु < 232.56 डीसीटीएक्स (> 14 परंतु < 43 एमटीआरसी सं.) माप वाले धुने हुए रेशे का सिंग यार्न	1.3	6.85
160420	अन्य तैयार अथवा प्रशीतित मछली	1.2	6.39
20230	गोपशुओं का प्रशीतित अस्थिहीन मांस	3.87	5.82
230630	सूर्यमुखी की बीज के खली व अवशिष्ट		5.43
30741	जीवित ताजा/शीतित कटल फिश तथा स्क्विड	11.6	4.19
520512	<714.29 परन्तु > = 232.56 डीसीटीएक्स (> 14 परंतु < = 43 एमटीआरसी सं.) माप वाले बिना धुने हुए रेशे का सिंगल यार्न	4.49	4.13

1	2	3	4
30420	फिश फिलैट्स (कीमा बना हो अथवा नहीं) प्रशीतित	2.61	3.4
140420	कपास लिटर्स	3.07	3.19
40410	दही का पानी	2.02	2.89
520548	प्रत्येग सिंगल यार्न < 83.33 डीसीटीएक्स एवं 120 एमटीआरसी सं. माप वाले धुने हुए रेशे के मल्टिपल (फोल्डेड)/केबल्ड यार्न	1.93	2.63
160590	गोलस्क अन्य जलीय अकशेरूक जीव तैयार/ परिरक्षित	0.35	2.1
121190	शीर्ष 1211 के अन्य पादप तथा पादपों के भाग	1.38	2.06
30269	लीवर्स तथा रोज को छोड़कर अन्य ताजी शीतित मछली	–1.76	1.86
90420	सूखे हुए/कटे हुए/ पिसे हुए कैप्सीकम/ पीएमएमटीए वर्ग के फल	0.45	1.45
520300	धुनी अथवा साफ कपास	8.15	1.29
210111	कॉफी निचोड़ इसेंस तथा सांद्रण	0.44	1.24
140300	मूलतः + झाड़ू/ब्रुश में प्रयुक्त वानस्पतिक सामग्री (उदाहरणार्थ ब्रूमकॉर्न पियासावा काऊच ग्रास एवं आईएसटीएल) लच्छे अथवा गुच्छे में हो/न हो	0.01	1.09
40210	भार के अनुसार 1.5% से अनधिक वसायुक्त दूध एवं क्रीम, दानेदार चूर्ण अथवा ठोस रूप में	4.25	1.02
520623	< 232.56 परन्तु > = 192.310.88 डीसीटीएक्स > 43 परन्तु < = 52 एमटीआरसी सं.) माप वाले धुने हुए रेशे के सिंगल यार्न		1.02
	उप योग	870.98	1031.49
	कुल निर्यात का योग	6,759.10	8,293.97

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

68. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के 'इकानॉमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी स्थापना के लिए किन–किन स्थलों, विशेषकर तमिलनाडु में किन–किन स्थलों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए देशभर में 'उत्कृष्टता के केंद्रों' की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। 11वीं योजना अवधि के दौरान, देश में 14 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तथापि, इन विश्वविद्यालयों के लिए स्थान एवं अन्य ब्यौरे के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) संभावित उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों की योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नौ विश्वविद्यालयों एवं 12 केन्द्रों का पहले से ही अभिनिर्धारण कर लिया गया है और 11वीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के तहत पांच और विश्वविद्यालयों के अभिनिर्धारण का प्रस्ताव है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के विनियम हेतु विधान

69. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के विनियमन हेतु कोई विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन के अधीन होंगे; और

(घ) देश में इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठयक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित विधान किस प्रकार से सहायक होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और संचालन को विनियमित करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गांवों में लघु उद्योग

70. श्री नरहरि महतो : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में गांवों में लघु उद्योग शुरू करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण प्रदान करने के लिए कोई विकेन्द्रीकृत बैंकिंग नेटवर्क की व्यवस्था होगी;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की शर्तें क्या होंगी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई तथा ऐसे उद्यमों से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने व्यक्तियों को नौकरी मिलने की संभावना है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की स्थापना मुख्यतः उद्यमिता प्रयासों पर निर्भर है। तथापि, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में अपनी स्थापना तथा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक स्कीम व कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं जिनका देश भर में ब्रांच नेटवर्क हो। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए गए ये ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र लोडिंग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसई को लेंडिंग पर विस्तृत मार्गदर्शन जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा, कोलेटरल अपेक्षाओं से छूट के लिए ऋण सीमा, मिश्रित ऋणों की संस्वीकृति इत्यादि शामिल हैं।

(घ) गांवों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (लघु उद्योगों) के संबंध में अलग से कोई रोजगार आंकड़ा एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान एमएसई में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रोजगार अनुमान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसएमई के लिए 11,500/–(ग्यारह हजार पांच सौ) करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

विवरण

(एम एस ई क्षेत्र में रोजगार का राज्यवार अनुमान)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोड	राज्य का नाम	2004–05			2005–06			2006–07		
		पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जम्मू और कश्मीर	64350	111559	175909	68216	115746	183962	72054	120200	192254
2	हिमाचल प्रदेश	53003	101746	154749	58989	105565	164464	62723	109627	172350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	पंजाब	354628	632724	987352	358121	656474	1014594	361261	681734	1042995
4.	चंडीगढ़	12080	41837	3917	12418	43407	55826	12668	45078	57743
5.	उत्तरांचल	63855	168766	232621	71542	175101	246642	80899	181839	262737
6.	हरियाणा	254532	346022	600554	260722	359009	619731	267741	372823	640504
7.	दिल्ली	89252	600612	689863	89734	623155	712888	90192	647133	737325
8.	राजस्थान	274257	735570	1009827	292153	763179	1055332	305297	792545	1097842
9.	उत्तर प्रदेश	860039	3758469	4618508	948508	3899538	4848040	1027043	4049589	5076632
10.	बिहार	177092	1041967	1219059	186449	1081076	1267525	196720	1122675	1319395
11.	सिक्किम	1235	398	1633	1290	413	1703	1345	429	1774
12.	अरुणाचल प्रदेश	2492	2278	4769	2602	2363	4965	2724	2454	5178
13.	नागालैंड	20952	56252	77204	24511	58363	82876	30423	60609	91032
14.	मणिपुर	21445	13005	151450	22020	134884	156904	22592	140075	162667
15.	मिजोरम	12360	17266	29626	13404	17914	31318	14780	18603	33383
16.	त्रिपुरा	13028	50309	63338	13442	52198	65640	13941	54200	68147
17.	मेघालय	18058	60190	78248	20599	62449	83048	23566	64852	88418
18.	असम	89930	401740	491671	94214	416819	511033	97639	432858	530497
19.	पश्चिम बंगाल	283483	2124425	2407908	290393	2204162	2494556	297739	2288977	2586716
20.	झारखण्ड	95551	224651	320202	102142	233083	335225	110427	242052	352479
21.	उड़ीसा	118382	933009	1051391	123739	968029	1091768	129613	1005278	1134891
22.	छत्तीसगढ़	105333	487194	592528	107998	505480	613479	110591	524931	635522
23.	मध्य प्रदेश	330962	1208803	1539764	355138	1254173	1609311	377940	1302433	1680379
24.	गुजरात	724348	750083	1474431	756696	778236	1534932	777492	808182	1585675
25.	दमन और दीप	43743	2963	72748	45500	3074	76163	47603	3193	79558
26.	दादरा और नागर हवेली	26041	0	0	27588	0	0	28763	0	0
27.	महाराष्ट्र	878805	1561101	2443906	946014	1623845	2569860	1018437	1686330	2704767
28.	आंध्र प्रदेश	421512	1948947	2370459	429402	2022098	2451500	439327	2099907	2539234
29.	कर्नाटक	615147	1267815	1882962	653165	1315401	1968567	690662	1366017	2056678
30.	गोवा	22873	13175	36048	23699	13699	37308	24065	14195	38260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	लक्षद्वीप	398	1520	1918	432	1577	2008	469	1638	2106
32.	केरल	688539	600967	1289505	709291	623523	1332814	727176	647516	1374692
33.	तमिलनाडु	1379568	1197007	2576574	1461357	1241935	2703291	1550808	1289723	2840532
34.	पुडुचेरी	28754	16900	45645	30245	17534	4779	31220	18209	49428
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3854	5321	9176	4020	5521	9541	4097	5733	9831
	अखिल भारतीय	8149881	20605591	28755473	8605662	21378996	29984658	9050038	22201644	31251682

[हिन्दी]

पेटेंट आवेदन

71. श्री महावीर भगोरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पेटेंट के लिए प्राप्त आवेदनों एवं दिए गए पेटेंटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत को प्रदान किए गए पेटेंटों का अनुपात विश्व में आई सौ में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए पेटेंट आवेदनों और प्रदान किए गए पेटेंटों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	2004–05	2005–06	2006–07
दायर किये गये पेटेंट आवेदन	17,466	24,505	28,882
प्रदान किये गये पेटेंट	1,911	4,320	7,539

वर्ल्ड इन्टेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (वाईपो) पेटेंट रिपोर्ट : स्टैटेस्टिक्स ऑन वर्ल्डवाइड पेटेंट ऐक्टिविटीज (2007 संस्करण) के अनुसार वर्ष 2005 में विश्वभर में लगभग 600,000 पेटेंट प्रदान किये गये। इस संख्या में समान अविष्कार के लिए भिन्न–भिन्न देशों में प्राप्त किये गये पेटेंट भी शामिल हैं।

(ग) बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) अवसंरचना विकास, कंम्प्यूटरीकरण, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 153.00 करोड रुपये की लागत से बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक योजना का कार्यान्वयन किया गया।

ii) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में चार नए एकीकृत बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की स्थापना की गई।

iii) बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और विचार संबंधी कार्यकलापों को मजबूती प्रदान करने हेतु नागपुर में राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान संस्थापित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

iv) 20 जुलाई, 2007 से पेटेंट आवेदनों की ई–फाइलिंग शुरू कर दी गई है।

v) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने तथा इन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

vi) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, जापान, स्विटजरलैण्ड और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र के लोगों को सहायता

72. श्री गिरिधर गमांग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय क निर्णय के अनुसार खनन क्षेत्र के लोगों के विकास तथा सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार तथा संबद्ध एजेंसियों के साथ अपने लाभ तथा निवेश का पांच प्रतिशत प्रदान करने हेतु बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रक्रिया तैयार की है/कोई नीति अपनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा इस निधि का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) खनन क्षेत्रों के स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए पट्टाधारक द्वारा लाभ का एक निश्चित प्रतिशत अलग से रखने की अपेक्षा हेतु नीति संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बीएसएफ कार्मिकों में शराबखोरी

73. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीएसएफ के कार्मिकों, जिन्हें निर्जन बैरकों में काफी लम्बा समय व्यतीत करना पड़ता है, में शराबखोरी का न केवल उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अपितु शराब उनके शारीरीक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बरबाद करती है जैसा कि 22 दिसम्बर, 2007 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सीमा पर इन कार्मिकों के कार्य–निष्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है;

(ग) इन कार्मिकों को शराबखोरी से हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी एवं मेघालय के तुरा में बीएसएफ कार्मिकों के लिए परामर्श सत्र आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) शराबखोरी की बुराईयों के विरुद्ध बी एस एफ कार्मिकों को परामर्श देना और शिक्षित करना, स्वास्थ्य, मनोबल, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा संबंधी कल्याण गतिविधि का ही हिस्सा है तथा इसका यह अर्थ नहीं है कि शराब खोरी बल में कोई गंभीर समस्या है। इन कार्मिकों को शराबखोरी अथवा अन्य अवांछनीय आदतों से हतोत्साहित करने के लिए बल नियमित आधार पर उपाय करता रहता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी घंटों को नियमित करना, टीम खेल और क्रीडा, योग और ध्यान में प्रशिक्षण, चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत करना आदि।

(घ) और (ङ) आकलित आवश्यकता तथा संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता के आधार पर परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। इनमें गुवाहाटी और तुरा में ऐसे सत्र आयोजित किया जाना भी शामिल है।

खनिजों का हवाई सर्वेक्षण

74. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक छत्तीसगढ़ सहित देश में स्वर्ण, हीरा, लौह, बॉक्साइट एवं अन्य खनिजों के भंडारों का पता लगाने के लिए हवाई सर्वेक्षण सहित सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) सरकार को सर्वेक्षणों की रिपोर्ट किस तिथि को प्राप्त हुई; और

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देश में पाए गए उक्त खनिजों के भण्डारों की मात्रा का राज्य–वार तथा जिला–वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों में आज तक केन्द्र सरकार द्वारा हवाई सर्वेक्षण सहित खनिज गवेषण हेतु परमिट प्रदान करने के लिए दिए गए पूर्व अनुमोदन का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) खनिज रियायत नियमावली, 1960 के उपबंधों के अनुसार टोही परमिट धारकों के लिए राज्य सरकार को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परमिट धारकों के लिए, परमिट के तहत् आने वाले क्षेत्र में टोही परमिट की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट, परमिट की समाप्ति अथवा प्रचालनों के परित्याग अथवा परमिट के समापन, इनमें से जो भी पहले हो, के तीन माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

(ग) देश में स्वर्ण, हीरे, लौह, बॉक्साइड तथा अन्य खनिजों के भण्डारों एवं संसाधनों का ब्यौरा भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2006 में प्रकाशित है जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

सीएसआईआर प्रयोगशालाएं

75. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक परिषद (सीएसआईआर) की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार वैश्वीकरण के मद्देनजर देश के विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) देश में ऐसी प्रयोगशालाएं कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 37 है। पश्चिम बंगाल में सीएसआईआर की निम्नलिखित तीन प्रयोगशालाएं हैं:

* केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता;
* भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता;
* केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर।

(ख) और (ग) जी हां। ग्याहवीं पंचवर्षीय योजना में इन्स्टिटयूट ऑफ ट्रैन्स्लेशनल रिसर्च नामक एक संस्थान को स्थापित करने की सीएसआईआर का प्रस्ताव है। प्रत्याशा की जाती है कि यह संस्थान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तथापि, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कोई नई प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चाय को प्रोत्साहन

76. **श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए चाय बोर्ड को कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान आबंटन में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान पौधरोपण विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन के लिए धनराशि में भी वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान बाजार संवर्धन स्कीम के अंतर्गत चाय बोर्ड को 98.60 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। इस स्कीम में निर्यातकों के साथ चाय बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी की परिकल्पना की गई है। निर्यातकों द्वारा इस स्कीम का स्वागत किया गया है। XIवीं योजना अवधि के दौरान आबंटन को बढ़ा कर 100 करोड़ कर दिया गया है।

(घ) से (च) बागान विकास स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान 350 करोड़ रु. आबंटित किए हैं जबकि 10वीं योजना के दौरान 98.59 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। इसी प्रकार, चाय गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विकास स्कीम के तहत 10वीं योजना अवधि के दौरान आबंटित 76.80 करोड़ रु. की तुलना में 11वीं योजना अवधि में आबंटन को बढ़ाकर 230 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है। 11वीं योजना अवधि के दौरान बढ़े हुए आबंटन के साथ इन स्कीमों के तहत पुनर्रोपण, पुनर्नवीकरण, नवरोपण, गुणवत्ता उन्नयन, बाजार संवर्धन को अधिक प्रोत्साहन देना सरकार का प्रयास है।

भवनों के निर्माण हेतु नवोदय विद्यालय को धनराशि

77. **प्रो. एम. रामदास :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अजीत जोगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भवनों के निर्माण हेतु नवोदय विद्यालयों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है, जहां निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ/पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन जवाहर नवोदय विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु निधियां प्रदान की गई हैं, उनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जिन जवाहर नवोदय विद्यालयों में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है उनकी सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। निर्माण कार्य का शुरू होना राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर तथा निधियों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

(घ) से (च) केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास नहीं है।

विवरण-I

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2002–03 से 2006–07 के दौरान जिन जवाहर नवोदय विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु निधियां जारी की गई है, की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02
2.	आन्ध्र प्रदेश	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	असम	20
5.	बिहार	34
6.	चंडीगढ़	01
7.	छत्तीसगढ़	13
8.	दिल्ली	02
9.	दादरा और नगर हवेली	01
10.	दमन	02
11.	गोवा	02
12.	गुजरात	17
13.	हिमाचल प्रदेश	11
14.	हरियाणा	18
15.	जम्मू और कश्मीर	14
16.	झारखण्ड	19
17.	कर्नाटक	27
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	01
20.	मध्य प्रदेश	47
21.	महाराष्ट्र	29
22.	मणिपुर	08
23.	मेघालय	07
24.	मिजोरम	05
25.	नागालैण्ड	06
26.	उड़ीसा	22
27.	पुडुचेरी	04
28.	पंजाब	17
29.	राजस्थान	32
30.	सिक्किम	03
31.	त्रिपुरा	03
32.	उत्तर प्रदेश	66
33.	उत्तराखण्ड	11
34.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	494

विवरण-II

उन जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची जिनमें नवोदय विद्यालय समिति की भूमि हस्तांतरित न किए जाने के कारण स्थलपर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

क्र.सं.	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	1. दिबांग घाटी
		2. पूर्वी सियांग

1	2	3
		3. कुरूंग कुमे
		4. अपर सियांग
		5. पश्चिमी कुमेंग
		6. अंजाव
2.	असम	7. उरी
		8. उत्तरी चाहर हिल्स
		9. बाकसा
		10. उदलगुडी
		11. कामरूप शहर
3.	बिहार	12. अरावल
		13. लखीसराय
		14. खागड़िया
4.	छत्तीसगढ़	15. क्वार्दा
		16. जसपुर
		17. बस्तर
5.	गुजरात	18. पंचमहल
		19. अहमदाबाद
		20. नवसारी
		21. वालसाद
		22. नर्मदा
6.	हरियाणा	23. मेवात
7.	हिमाचल प्रदेश	24. कुल्लू
8.	जम्मू और कश्मीर	25. कुलगाम
		26. जम्मू
		27. रियासी
9.	झारखण्ड	28. साहिबगंज
		29. पलामू
10.	मिजोरम	30. सियाह
		31. मामित
11.	नागालैण्ड	32. दीमापुर
		33. परेन
		34. जुनहेबोटो
		35. किफीरे
		36. मोकुकुंचुंग
		37. लौंगलेंग
12.	पंजाब	38. बरनाला
		39. मोहाली
13.	उड़ीसा	40. देवगढ़
		41. नयागढ़
		42. सोनेपुर
		43. एंगुल
		44. जगतसिंहपुर
		45. रायागाडा
		46. भागढ़
14.	सिक्किम	47. पूर्वी सिक्किम
15.	त्रिपुरा	48. उत्तरी त्रिपुरा
16.	उत्तर प्रदेश	49 गाजीपुर
17.	उत्तराखण्ड	50. बागेश्वर
		51. पौड़ी गढ़वाल
18.	पश्चिम बंगाल	52. कूच बिहार
		53. पूर्वी मिदनापुर
		54. उत्तर दिंजागपुर
		55. पश्चिम मिदनापुर
		56. दार्जिलिंग
		57. बांकुरा

1	2	3
		58. बीरभूम
		59. हावड़ा
		60. दक्षिणी 24 परगना
		61. पुरुलिया

पी सी आर कॉल्स

78. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष को कितनी कॉल्स प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितने मामले दर्ज किए गए तथा इनमें से कितने मामलों को आपराधिक मामलों में परिवर्तित किया गया;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने कॉल्स प्राप्त करने के पश्चात् शिकायतकर्ता अथवा अपराध स्थल पर पहुंचने की कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पीसीआर वैनों द्वारा समय–सीमा का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस ने नियंत्रण कक्ष को प्राप्त इन कॉल्स की कोई निगरानी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	पीसीआर को प्राप्त कॉल्स	दर्ज अपराधिक मामलों की संख्या	विभिन्न कानूनों/ अधिनियमों इत्यादि के तहत की गई कार्रवाई के मामले की सं.
2005	965635	29493	31598
2006	1068186	31296	24506
2007	1211613	32007	23095
2008 (15 फरवरी तक)	157442	3327	1425

(ग) कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ङ) और (च) कॉल्स का अनुवीक्षण किया जाना व्यवस्था में ही अंतर्निहित है। पुलिस नियंत्रण कक्ष को प्राप्त कॉल्स नजदीकी उपलब्ध मोबाईल पेट्रोल वैन (एमपीवी) के स्टाफ को सूचित की जाती है और वे घटना स्थल पर पहुंचने के बाद वापिस रिपोर्ट करते हैं। बातचीत के रिकार्ड का भी अनुवीक्षण किया जाता है।

जेलों से भागना

79. श्री उदय सिंह :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री निखिल कुमार :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में जेल से भागने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार जेल–वार ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार कुल कितने जेल गार्ड तथा अन्य लोग मारे गए;

(घ) इन घटनाओं में लूटे गए हथियारों तथा गोला–बारूद का ब्यौरा क्या है तथा इनकी लागत कितनी है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में जेल से भागने की घटनाओं में कमी है। वर्ष 2004 से 2006 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जेल से भागने की घटनाएं और मारे गए जेल कार्मिक तथा कैदियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(घ) चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची II के अनुसार "जेल" राजय का विषय है इसलिए यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) यद्यपि "जेल" राज्य का विषय है फिर भी केन्द्र सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को जेलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह देती रहती है।

विवरण

2004 से 2006 के दौरान जेल से भागने की घटनाओं में मारे गए कैदियों और जेल कार्मिकों की संख्या तथा जेल तोड़ने की संख्या

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (अनंतिम)		
		जेल से भागने वालों की संख्या	मारे गए कैदी	मारे गए जेल कार्मिक	जेल से भागने वालों की संख्या	मारे गए कैदी	मारे गए जेल कार्मिक	जेल से भागने वालों की संख्या	मारे गए कैदी	मारे गए जेल कार्मिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश*									
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	1	1	2	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6.	गुजरात	0	0	0	2	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	2	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	0	0	0	0	0	1	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	4	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	10	0	0	7	1	2	2	1	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	कुल (समस्त भारत)	11	0	0	8	1	2	3	1	0

* जेल विद्यमान नहीं है।
स्रोत :–कारगार संबंधी आंकड़े।

खाद्य तेल का निर्यात

80. श्री पी. मोहन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को खाद्य तेल के निर्यात की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) खाद्य तेलों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ऑटो कलपुर्जा उद्योग में निवेश

81. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऑटो कलपुर्जा उद्योग में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत अगला ऑटो कलपुर्जा केन्द्र बनने जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऑटो कलपुर्जा आवश्यकताओं हेतु और अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑटो कलपुर्जा उद्योग में किया गया निवेश निम्न प्रकार है:

वर्ष	निवेश (करोड़ रुपये में)
2004–2005	2300
2005–2006	2700
2006–2007	4500

(ख) और (ग) सभी प्रमुख मूल उपकरणों के विनिर्माता अब भारत से कलपुर्जे खरीदने का प्रयास करते हैं। ए सी एम ए ने निर्धारण किया है कि वर्ष 2016 तक भारत के आटो कलपूर्जा उद्योग का कारोबार बढ़कर 45 बिलियन अमेरिकी डालर हो जाएगा, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात किया जाएगा। आटोमोटिव मिशन योजना में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास संबंधी अवसंरचनात्मक विकास परियोजना. (एनएटीआरआईपी) के तहत सात अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ विश्व स्तरीय परीक्षण, स्वीकृति प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना करके अनुसंधान व विकास आवश्यकताओं का उन्नयन करने की परिकल्पना है।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार

82. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लूलाइन बस वालों से दिल्ली यातायात पुलिस के 98 कर्मियों को रिश्वत लेते हुए दिखाए जाने वाली एक फिल्म चर्चा में है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन वसूली करने वाला एक संगठित रैकेट चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो भ्रष्ट यातायात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दिल्ली यातायात पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) एक व्यक्ति ने बसों में पैसा वसूलते हुए कुछ यातायात पुलिस कार्मिकों की फिल्म बनाई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) संलिप्त पुलिस कार्मिकों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिया गया है। जांच के परिणाम के आधार पर पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(घ) दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है :– गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकैटस में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच करना; संदिग्ध चरित्र के कार्मिकों पर नजर रखना; अपराधिक मनोवृत्ति वाले कार्मिकों का गैर संवेनशील पदों पर स्थानांतरण करना; अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; पुलिस संयुक्त आयुक्त और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों द्वारा सीधे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अपराधिक शिकायतों को निपटाना; पुलिस कार्मिकों पर नजदीकी नजर रखने के लिए जिलों/एककों में लोक शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना करना; संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; जिलों के पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर अनुरक्षित रखना; तथा ई–मैल, हैल्पलाइन तथा पोस्ट आफिस बॉक्स सं. 171 के जरिए भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए आम जनता को सुविधा उपलब्ध करवाना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

83. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य–वार और स्थानवार ब्यौरा विवरण के रूप संलग्न है।

(ख) मानकों से इतर प्रोयाजक प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त किए हुए बिना 2003–04 और 2004–05 के दौरान सिविल सेक्टर में 958 केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए।

(ग) और (घ) उन केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सरकार ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इन 95 केन्द्रीय विद्यालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। तत्पश्चात् मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का स्थान		
		2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार (यूटी)	1. इंदिरा पॉइंट, कैम्पबेल बे	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	1. कुडप्पा 2. खम्मम 3. विजयनगरम् 4. वारंगल 5. वेस्ट गोदावरी
3.	अरुणाचल प्रदेश		1. खोन्सा 2. मिओन	– –
4.	असम	–	–	1. गोलपाड़ा 2. गोलाघाट 3. नलवारी
5.	बिहार	1. नवादा 2. छपरा 3. गोपाल गंज 4. दरभंगा 5. बरौनी 6. रक्सौल जिला, ईस्ट चम्पारन 7 मधेपुरा 8. पूर्णिया 9. बांका 10. पटना नं. 3 11. आरा 12. सिवान		1. अररिया 2. मधुबनी 3. शिवहर 4. सुपौल

1	2	3	4	5
6.	छत्तीसगढ़	–	–	1. धामतरी
				2. कंकेर
7.	गुजरात	–	–	1. पंचमहल
				2. डेंगस
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1. लाहौल स्थिति
10.	जम्मू और कश्मीर	1. गुलमर्ग	–	
11.	झारखण्ड	1. भुरकुंडा	–	1. देवघर
				2. गढ़वा
				3. गोड्डा
				4. जामतारा
				5. पलामू
				6. साहिबगंज
				7. सिमडेगा
				8. लातेहर
12.	कर्नाटक	–	1. नेवल बेस कारबार	1 कोडंगु
14.	मध्य प्रदेश	1. रेवा नं. 2	1. मुंगावली, जिला	1. बडवानी
		2. सागर नं. 3	अशोक नगर	2 डिमडोरी
		3. शाजापुर		
15.	महाराष्ट्र	–	–	1. धुले
				2. यवतमाल
16.	मणिपुर	–	–	1 तमंगलॉग
				2. उखरूल
17.	मेघालय	–	–	1. ईस्ट गारो हिल्स
				2. जयंतिया हिल्स
18.	उड़ीसा	–	–	1. बौद्ध
				2. गाजापटी
				3. मल्कानगिरी
				4. नवरंगपुर
				5. रायगाड़ा
19.	राजस्थान	1. करोली	–	1. डुंगरपुर
20.	सिक्किम	–	–	1 सउथ सिक्किम
21.	तमिलनाडु	1. मदुराई नं. 2	–	1. थुरुवनन्मालई
22.	त्रिपुरा	–	–	1 धालाई
23.	उत्तर प्रदेश	1. कन्नौज	–	1. बादायूं
		2. मुरादाबाद नं. 2		2. बहराइच
		3. चान्दपुर, बिजनौर		3. लखीमपुर खीरी

1	2	3	4	5
24.	उत्तराखण्ड	1. अगस्तमुनी 2. सौरखण्ड, टेहरी 3. गोपेश्वर, चमोली 4. आई.टी.बी.पी. मिर्थी 5. लोहाघाट	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	–		1. दक्षिण दीनाजपुर 2. बीरभूम 3. नडिया (राणाघाट)
कुल		31	02	50

[अनुवाद]

शिक्षकों की नियुक्ति

84. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु हाल ही में राज्यों से गणित और विज्ञान के लिए और अधिक शिक्षकों को नियुक्ति करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का निदेश जारी करने की आवश्यकता के बारे में सरकार का क्या आकलन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिनांक 1.4.2008 से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नए उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु संस्वीकृत तीन शिक्षकों में से एक शिक्षक की शैक्षिक पृष्ठ भूमि गणित एवं विज्ञान विषय से संबंधित होगी ताकि इन विशिष्ट विषयों में अध्ययन स्तर को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटन

85. श्री दुष्यंत सिंह :
डा. के. धनराजू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कुल आबंटन कितना रहा;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2008–09 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि निम्नानुसार थी:

वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा जारी राशि (रु. करोड़ में)
2004-05	3113.14
2005-06	7517.71
2006-07	10837.20

वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान अब तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु मौजूदा दिशानिर्देश गुणवत्ता एवं समानता के मुख्य क्षेत्रों तथा लागत वृद्धि के संबंध में संशोधित किए गए हैं।

ग्रामोद्योग की स्थापना

86. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कुटीर/ग्रामोद्योग तथा सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार क्या विभिन्न पहलें की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को

राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार राजसहायता की कुल कितनी राशि दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि निर्धारित, स्वीकृत तथा उपयोग की गई; और

(ङ) ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगार युवाओं के प्रोत्साहन हेतु क्या विभिन्न उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार द्वारा (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को संवर्धित किया जाता है। पीएमआरवाई (ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित) के तहत स्थापित लगभग 50 प्रतिशत इकाइयों के ग्रामीण क्षेत्रों में होने का अनुमान है।

(ख) 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए नियत लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा और की गई उपलब्धियां विवरण–I पर दी गई हैं। इसी प्रकार 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पीएमआरवाई के तहत स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए नियत लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा और उपलब्धियां विवरण–II पर दी गई है।

(ग) आरईजीपी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और योजना के लिए अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते हैं जो बदले में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को निधियां (मार्जिन मनी सहायता के प्रति) जारी करता है। 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्योरा विवरण–III पर दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत सब्सिडी का आबंटन और निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों पर आधारित होता है। सब्सिडी राशि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जारी की जाती है जो बदले में कार्यान्वयन बैंकों को आवश्यक राशि जारी करता है। पीएमआरवाई के तहत 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरबीआई को जारी सब्सिडी राशि निम्नोक्त है:

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी सब्सिडी (करोड़ रु.)
2004–05	190.48
2005–06	251.36
2006–07	228.82

आरबीआई के लाभार्थियों के खातों में राशियां क्रेडिट करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को ये निधियां जारी करता है। अतः सब्सिडी के लिए जारी निधियों का राज्य–वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान संवितरित ऋणों के मामले का राज्य–वार विवरण–II पर दिया गया है।

(घ) 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरईजीपी के तहत उद्दिष्ट निधियां एवं व्यय की गई निधियां (जारी की गई) निम्नोक्त हैं:

(करोड़ रु.)

वर्ष	उद्दिष्ट एवं संस्वीकृत निधियां	केवीआईसी द्वारा व्यय की गई निधियां
2004–05	326.00	292.40
2005–06	376.86	320.96
2006–07	372.63	349.79

इसी प्रकार 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पीएमआरवाई के तहत उद्दिष्ट निधियां एवं व्यय की गई निधियां (जारी की गई) निम्नोक्त हैं:

(करोड़ रु.)

वर्ष	उद्दिष्ट निधियां (सं. अ.)	जारी निधियां
2004–05	218.90	218.17
2005–06	273.46	272.47
2006–07	252.60	248.51

(ङ) जहां तक ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई विभिन्न पहलों का संबंध है, के वी आई सी द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ तालमेल किया गया है। आरईजीपी के तहत विभिन्न फारवर्ड बैकवर्ड लिंकेज जैसे कि उद्यमिता विकास

कार्यक्रम, विपणन, जागरूकता कैंप आयोजित करना, आदि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। केवीआईसी ने आरईजीपी के तहत महिला उद्यमियों के लाभार्थ एमडब्ल्यूसीडी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार केवीआईसी उनके उत्पादों के विपणन के लिए भी एक साथ कार्य करने को सहमत हो गए है। केवीआईसी ने ग्रामीण उद्यमियों के लाभ के लिए उनके बीच आरईजीपी योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा आरईजीपी के तहत विपणन स्थलों के सृजन में विभिन्न अन्य संगठनों जैसे कि आर्मी वाइव्स वेलफेयर परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव, आदि में आधारभूत संरचना सुविधा और सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना आरंभ की है। पीएमआरवाई के संबंध में कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के अलावा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमाओं, परियोजना लागत की उच्चतम सीमा, सब्सिडी की उच्चतम सीमा की अनुकूलता, चयन पूर्व एवं पश्चात लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता की दरों के संबंध में डिजाइन मानदण्डों को बढ़ाया गया है जो 2007–08 में लागू होंगे।

विवरण-I

2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए नियत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य			उपलब्धि		
		2004–05	2005–06	2006–07	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	4	22	5	3	3	2
2.	दिल्ली	24	29	14	9	15	13
3.	हरियाणा	896	1233	1580	1140	1058	869
4.	हिमाचल प्रदेश	573	592	1078	469	506	803
5.	जम्मू और कश्मीर	457	550	913	922	1402	1716
6.	पंजाब	1122	1206	1436	864	440	1022
7.	राजस्थान	1733	1837	2837	1537	2133	1340
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	114	15	39	6	598	127
9.	बिहार	959	345	613	254	692	849
10.	झारखण्ड	727	222	456	240	217	221
11.	उड़ीसा	665	444	850	991	650	857
12.	पश्चिम बंगाल	1705	1660	2181	2584	2078	2290
13.	अरुणाचल प्रदेश	78	94	100	43	76	88
14.	असम	1148	2088	1468	1658	2229	1599
15.	मणिपुर	229	19	178	102	65	139

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मेघालय	229	148	292	146	206	165
17.	मिजोरम	342	966	957	162	365	990
18.	नागालैंड	130	212	167	151	316	156
19.	त्रिपुरा	165	152	210	233	306	212
20.	सिक्किम	81	74	104	139	106	89
21.	आंध्र प्रदेश	1992	3246	3390	1988	2278	2113
22.	कर्नाटक	1512	1601	1934	934	1314	1689
23.	केरल	957	1062	1336	914	1217	912
24.	लक्षद्वीप	2	1	1	0	26	0
25.	पुदुचेरी	5	10	62	7	56	164
26	तमिलनाडु	911	880	1221	925	1036	1075
27.	गोवा	228	148	206	138	136	104
28.	गुजरात	466	705	589	376	516	412
29.	महाराष्ट्र	1429	1664	1835	1773	3120	2296
30.	छत्तीसगढ़	687	826	1224	656	551	691
31.	मध्य प्रदेश	970	1167	1240	1361	736	934
32.	उत्तराखण्ड	457	428	498	513	527	641
33.	उत्तर प्रदेश	3003	3069	2746	2210	1532	1509
	कुल योग	24000	26715	31760	23453	26650	26087

विवरण-II

2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पीएमआरवाई के तहत स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए नियत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05		2005–06		2006–07	
		लक्ष्य (योजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की संख्या	लक्ष्य (योजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की संख्या	लक्ष्य (योजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	5100	7755	5303	9610	5480	11460
2.	हिमाचल प्रदेश	3000	2853	3557	3015	3744	3480

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जम्मू और कश्मीर	2000	639	1588	544	1461	728
4.	पंजाब	4600	8372	4083	8142	4236	8356
5.	राजस्थान	9100	12919	9328	14509	9579	15233
6.	चंडीगढ़	300	206	351	107	491	48
7.	दिल्ली	4500	819	5179	700	5457	588
8.	असम	7500	8256	7387	6414	7643	4623
9.	मणिपुर	1500	387	1418	455	1475	258
10.	मेघालय	400	568	361	568	370	455
11.	नागालैंड	400	109	363	2379	373	978
12.	त्रिपुरा	1000	1747	1193	2139	1238	2673
13.	अरूणाचल प्रदेश	200	440	173	462	178	327
14.	मिजोरम	200	142	188	500	195	773
15.	सिक्किम	100	32	66	31	67	38
16.	बिहार	16000	10396	16003	12136	16477	8011
17.	झारखण्ड	6500	4804	6978	4660	7213	4892
18.	उड़ीसा	7100	11339	6923	14264	7125	13932
19.	पश्चिम बंगाल	24000	3796	24574	4687	25449	3478
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	150	142	123	153	128	118
21.	मध्य प्रदेश	14000	20642	13507	21265	13937	21299
22.	छत्तीसगढ़	6000	3276	5429	3700	5612	4128
23.	उत्तर प्रदेश	26000	42534	26248	40046	26929	43181
24.	उत्तराखण्ड	2500	6637	2119	7584	2189	7166
25.	गुजरात	10000	6406	9579	3369	9859	6021
26	महाराष्ट्र	26000	21819	24614	24011	25439	20977
27.	दमन और दीयू	50	4	19	14	20	4
28.	गोवा	500	45	486	43	504	21

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दादरा और नगर हवेली	50	22	27	24	27	6
30.	आंध्र प्रदेश	21500	22542	20767	22164	20261	16063
31.	कर्नाटक	12000	13931	11046	19377	11387	19463
32.	केरल	17000	16553	18685	21507	18180	21487
33.	तमिलनाडु	20000	16902	21565	19717	21475	22052
34.	लक्षद्वीप	50	4	48	5	50	0
35	पुदुचेरी	700	329	722	368	752	336
36.	अन्य	0	897	0	1397	0	886
	कुल योग	250000	248264	250000	273066	55000	263539

*अनंतिम आंकडे स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक डाटा

विवरण-III

2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान आरईजीपी के तहत प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	21.45	3.63	3.47
2.	दिल्ली	8.09	16.66	18.37
3.	हरियाणा	2142.25	1782.18	1749.31
4.	हिमाचल प्रदेश	657.72	889.90	1165.42
5.	जम्मू और कश्मीर	584.55	833.56	1565.20
6.	पंजाब	1834.63	837.21	1826.00
7.	राजस्थान	2064.33	2679.91	2106.77
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.16	218.87	22.15
9.	बिहार	281.69	570.54	715.67
10.	झारखण्ड	320.60	351.12	357.92
11.	उड़ीसा	863.05	837.22	1055.54

1	2	3	4	5
12.	पश्चिम बंगाल	1999.62	2100.06	2396.03
13.	अरुणाचल प्रदेश	66.03	126.54	144.45
14.	असम	1277.42	2719.99	1717.35
15.	मणिपुर	73.66	43.85	128.99
16.	मेघालय	196.03	234.14	255.06
17.	मिजोरम	257.48	995.54	1043.60
18.	नागालैंड	204.46	286.22	192.13
19.	त्रिपुरा	214.14	289.95	151.47
20.	सिक्किम	165.78	139.54	278.41
21.	आंध्र प्रदेश	3394.19	3627.58	3674.06
22.	कर्नाटक	1063.83	1697.66	2424.27
23.	केरल	1027.95	1603.41	1567.36
24.	लक्षद्वीप	0.00	16.39	0.00
25.	पुदुचेरी	9.05	12.66	42.76
26.	तमिलनाडु	1147.28	1217.13	1438.04
27.	गोवा	88.90	103.68	95.25
28.	गुजरात	530.55	883.08	756.10
29.	महाराष्ट्र	1439.17	1596.48	1837.03
30.	छत्तीसगढ़	1000.91	1152.87	1215.03
31.	मध्य प्रदेश	2125.71	1114.33	1531.38
32.	उत्तराखंड	578.63	617.88	601.44
33.	उत्तर प्रदेश	3596.64	2495.99	2903.32
	कुल योग	29239.95	32095.75	34979.35

खनिज एवं खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

87. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री रूपचंद पाल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज और खनन क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, खनन क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है जिसमें हीरों व कीमती पत्थरों, सोने, चांदी और खनिजों की खोज तथा खनन कार्य भी शामिल हैं। इस पर खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तें लागू होती हैं।

एफ.डी.आई. नीति भारत सरकार के दिनांक 6.10.1998 के संकल्प द्वारा अधिसूथित तटीय रेत के खनिजों की खनन नीति में आणविक खनिजों के संबंध में 74 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. को अनुमोदन प्रदान करती है।

एफ.डी.आई. नीति की हाल ही में की गई समीक्षा में सरकार ने टाइटेनियमयुक्त खनिजों और अयस्कों तथा इसके मूल्यवर्धन में क्षेत्र संबंधी विनियमों एवं खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अध्यधीन सरकार के पूर्वानुमोदन से 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. को अनुमोदन प्राप्त किया है। टाइटेनियमयुक्त खनिजों और अयस्कों के पृथक्करण में एफ.डी.आई. पर निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें भी लागू होंगी;

(i) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में मूल्यवर्धन सुविधाएं स्थापित की जाती है;

(ii) खनिज प्रथक्करण के दौरान कचरे का निपटान आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

दूसरे आणविक खनिजों के खन्न में एफ.डी.आई. की कोई अनुमति नहीं है। उपर्युक्त नीति की समीक्षा संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श से तथा अंतर्मन्त्रालीय परामर्श प्रक्रिया के जरिये की गई थी। एफ.डी.आई. नीति की समीक्षा निरंतर आधार पर भी की जाती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों के संबंध में केरल सरकार से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

भारतीय निर्यात में वृद्धि

88. श्री गणेश सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जिन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2008-09 हेतु सरकार द्वारा निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, वे हैं – पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद), मशीनें एंव उपस्कर, धातु विनिर्माण, प्राथमिक तथा अर्ध प्रसंस्कृत लौह एवं इस्पात, अलौह धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रंजक/मध्यवर्ती तथा कोलतार रसायन।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिलियन अमरीकी डॉलर
2004-05	85,206
2005-06	1,05,152
2006-07	1,28,083

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

(घ) वर्ष 2008-09 के निर्यात लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां

89. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सहित कतिपय राज्य सरकारों को तटवर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध सावधानी बरतने हेतु कोई सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क)

और (ख) आसूचना एजेंसियों और अन्य स्रोतों से यथा समय प्राप्त सूचनाओं के आधार पर केरल राज्य सरकार सहित संबंधित तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक परामर्श – पत्र जारी किए जाते हैं।

गोवा में अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को समाप्त करना

90. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के विरुद्ध आंदोलन के मद्देनजर केन्द्र सरकार से राज्य में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें तीन अधिसूचित जोनों सहित गोवा में विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) की स्थापना हेतु उनके द्वारा की गई सिफारिशों को वापस ले लिया गया है।

(ग) यह मामला विधि मंत्रालय के विचार–विमर्श से विचाराधीन है और इसे विशेष आर्थिक जोनों के अनुमोदन बोर्ड के समक्ष भी रखा जा रहा है।

श्रीलंका और भारत के बीच आर्थिक सहयोग

91. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में श्रीलंका और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों के बीच वर्तमान व्यापार की मात्रा कितनी है; और

(ग) आगामी वर्षों हेतु दोनों देश के बीच व्यापार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वस्तु व्यापार हेतु भारत व श्रीलंका दोनों ने मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मार्च, 2000 से लागू है। अब दोनों देश एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर वार्ता कर रहे हैं। इस करार से सेवा व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को शामिल करके मौजूदा व्यापार करार का दायरा गहन और व्यापक बन जाएगा।

(ख) दोनों देशों के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(आंकड़े मिलियन अम. डॉलर में)

2004-05		2005–06		2006–07		2007–08 (अप्रैल–अक्तूबर, 2007)	
निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1413.18	378.40	2024.67	577.70	2254.11	470.52	1390.21	277.25

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

रोजगारोन्मुख उच्च शिक्षा

92. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 9 प्रतिशत स्नातक रोजगार के लिए आयोग्य हैं तथा केवल 10 से 25 प्रतिशत कॉलेज स्नातक रोजगार के योग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली केवल डिग्रीधारकों की संख्या को बढ़ा रही है, पेशेवरों को नहीं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु कोई कार्य–योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने 2007 के अपने अध्ययन "अनलीशिंग इंडियाज इनोवेशन: टूवार्ड्स सस्टेनेबल एण्ड इनक्लूसिव

ग्रोथ" में मेककिन्से (परामर्शक फर्म) द्वारा किए गए अध्ययन के उपर्युक्त निष्कर्षों का उल्लेख किया हैं गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों तथा कालेजों का पता लगाता है तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालयों को अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता तथा कॉलेजों को 35 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देता है। यह एक विशेष सहायता कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें विश्वविद्यालय के उन पात्र विभागों को 40–100 लाख रुपये की सहायता दी जाती है जिन्हें विभिन्न विषयों में गुणवत्ता मूलक अध्यापन तथा शोध में कुशलता प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई विश्वविद्यालयों में व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रम भी अनुमोदित करता है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार देश में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सूचना प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड है जो अन्य बातों के साथ–साथ परिषद् का सूचना प्रौद्योगिकी में अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड है जो अन्य बातों के साथ–साथ परिषद् के सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों व उनके उन्नयन के लिए मॉडल पाठ्यचर्या पर परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 से बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों हेतु फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम आरंभ किया गया हैं ताकि उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवा क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा सके।

[हिन्दी]

चावल निर्यात पर प्रतिबंध

93. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री सूरज सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 2007 में देश से चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध को शीघ्र ही हटा लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध किस तिथि को हटाया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 और अप्रैल से दिसम्बर, 2007 के दौरान देश से कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 15.10.2007 की अधिसूचना द्वारा गैर–बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना था। तथापि, दिनांक 31.10.2007 की अधिसूचना द्वारा 425 अम. डा. या 17,000 रुपए/टन एफओबी की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) के अधीन गैर–बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। बाद में दिनांक 27.12.2007 की अधिसूचना द्वारा एमईपी को बढ़ाकर 500 अम. डा. या 20,000 रुपए/टन एफओबी कर दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु बफर स्टॉक सुनिश्चित करने और गैर–बासमती चावल की बढ़ती हुई घरेलू कीमतों को कम करने की दृष्टि से यह सब किया गया था। निम्नलिखित अवधि के दौरान चावल के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

मात्रा: मी. टन, मूल्य : लाख रु.

वर्ष	बासमती चावल		गैर–बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2004–05	1162989	292390	3615110	394502
2005–06	1166564	304310	2921602	317817
2006–07	1045715	279281	3702192	424308
2007–08* (अप्रैल–अक्तू., 07)	567335	168777	3187526	375984

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)
*आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

विद्यालयी शिक्षा में मुसलमानों का नामांकन

94. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–2007 के दौरान प्राथमिक स्तर पर मुसलमानों का नामांकन केवल 9.39 प्रतिशत और प्राथमिक कक्षाओं में उच्च कक्षाओं में केवल 7.52 प्रतिशत ही था जबकि देश में इनकी आबादी 13 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूइपीए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा किया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे मुसलमान बहुल राज्यों में इस समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुसलमानों का उनकी आबादी के अनुपात में कम नामांकन के तथ्य का भी खुलासा किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की जिला शिक्षा सूचना पद्धति के अनुसार वर्ष 2006–07 के लिए कुल जनसंख्या में इस समुदाय की हिस्सेदारी की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा में मुस्लिमों बच्चों की 6–14 वर्ष के आयु समूह की नामांकन प्रतिशतता प्राथमिक स्तर पर 9.39% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.62% राष्ट्रीय कवरेज दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के मामले में क्रमशः यह 9.24% और 7.18% , बिहार में 8.95% तथा 6.60% पश्चिम बंगाल में 27.9% और 19.63% जबकि केरल में यह 10.13% तथा 9.59% है।

जिला शिक्षा सूचना पद्धति के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रथम बार आंकड़े सितम्बर, 2006 में एकत्र किए गए थे। कुछ वर्षों में ये आंकड़े स्थिर रहे हैं।

जबकि सच्चर समिति ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित जनसंख्या के अनुपात में नामांकन का कोई आकलन नहीं किया है। तथापि समिति ने यह आकलन किया है कि केरल, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मुस्लिमों के मध्य नामांकन दर राज्य औसत से अधिक है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में समिति ने राज्य औसत से कम नामांकन दर का आकलन किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत पर्याप्त मुस्लिम जनसंख्या वाले 28 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बाहुल्य ब्लॉकों में 270 आवासीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

कॉफी उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन

95. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी के घटते निर्यात को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए कॉफी उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या कॉफी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) भारत ने वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान क्रमशः कुल 211765 मी. टन, 20517 मी. टन और 249029 मी. टन कॉफी का निर्यात किया है। इन वर्षों के दौरान मूल्य प्राप्ति क्रमशः 1225 करोड़ रुपए, 1510 करोड़ रुपए और 2008 करोड़ रुपए रही है। अतः यह नोट किया जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2005–06 जब निर्यातों में कुछ कमी आयी है, के अतिरिक्त कॉफी के निर्यात की मात्रा लगभग स्थिर रही है, तथापि प्रति इकाई प्राप्ति के कारण निर्यातों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है।

कॉफी बोर्ड पुनर्रोपण, जलस्तर संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन, प्रदूषण उपशमन, काफी क्षेत्र के विस्तारण, चकबंदी, सुखाने वाले यार्डों एवं पल्सर्स के निर्माण के लिए काफी कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत से कॉफी का निर्यात बढ़ाने और विश्व बाजार में भारत के हिस्से में बढ़ोत्तरी करने के लिए लक्षित व्यापार मेलों में भागीदारी, प्रमुख गंतव्यों पर क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन, भारतीय कॉफी की विशिष्टीकृत किस्मों की विशेषताओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कपिंग सत्रों का आयोजन, 2 वर्ष में एक बार भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफी पर्व का आयोजन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाड़ा और जापान जैसे सुदूर बाजारों में उच्च मूल्य की विशिष्टीकृत कॉफी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना, भारतीय मूल की उच्च मूल्य की कॉफी जैसे वाशड रोबस्टा, स्पेशियल्टि कॉफी एस्टेट ब्रांड और घुलनशील कॉफी का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जेहादियों के साथ आतंकी संगठनों के संबंध

96. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों की जेहादियों और अन्य आसूचना एजेन्सियों के साथ साठ–गांठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क)

और (ख) उपलब्ध इनपुटों से संकेत मिला है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विप्लवकारी गुट (आई आई जी) बांग्लादेश के भूभाग का प्रयोग कर रहे हैं और उनके पाकिस्तान आई एस आई के साथ संबंध हैं।

(ग) अपने-अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता जिम्मेदार राज्य सरकारों के प्रयासों को केन्द्रीय सरकार, धमकियों के आकलन के आधार पर संवेदनशील संस्थानों एवं संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराने और विद्रोह विरोधी तीव्र अभियान चलाने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकारियों को सहयोग देने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर चौकसी एवं निगरानी, आसूचना भागीदारी, स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता, सुरक्षा साजसज्जा के विभिन्न पहलुओं एवं उग्रवाद विरोधी प्रचालनों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सहायता का प्रावधान, इंडिया रिजर्व बटालियनों के रुप में अतिरिक्त बलों का गठन करने के लिए राज्यों को सहायता करके बढ़ावा देती है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्र की स्थिति की आवधिक समीक्षा करने एवं यथावश्यक अन्य कदम उठाने में राज्य सरकारों के साथ सतत् आधार पर सघन समन्वय करती है।

एनयूईपीए द्वारा आरंभिक शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण

97. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश शर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साथ-साथ सामासिक शिक्षा स्तर पर सार्वभौमिक आरंभिक शिक्षा के संबंध में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की राज्यवार स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक विकास सूचकांक तैयार किया गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक चार व्यापक मापदंडों पर आधारित है जिनमें पहुंच, अवसरंचना, शिक्षक आधारित संकेतक और प्रारंभिक शिक्षा के परिणाम शामिल है। वर्ष 2006-07 के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के सामासिक सूचकांक पर राज्यवार श्रेणीयन संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा राज्यों/जिलों की वार्षिक कार्य योजना और बजटों के अनुमोदन के समय शैक्षिक विकास सूचकांक के ब्यौरे को ध्यान में रखा जाता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक अंतरालों, समानता के मुद्दों और गुणवत्ता के परिणामों पर ध्यान दिया जा सके।

विवरण

सामासिक (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) सूचकांक 2006-07

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शैक्षिक विकास सूचकांक मूल्य	श्रेणी
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.676	11
आंध्र प्रदेश	0.670	12
अरुणाचल प्रदेश	0.458	32
असम	0.477	31
बिहार	0.321	35
चंडीगढ़	0.731	5
छत्तीसगढ़	0.521	27
दादर और नगर हवेली	0.535	25
दमन और दीव	0.631	18
दिल्ली	0.757	3
गोवा	0.645	16
गुजरात	0.677	9
हरियाणा	0.612	20
हिमाचल प्रदेश	0.707	6

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	0.633	17
झारखंड	0.381	34
कर्नाटक	0.680	8
केरल	0.772	1
लक्षद्वीप	0.692	7
मध्य प्रदेश	0.481	30
महाराष्ट्र	0.677	10
मणिपुर	0.598	21
मेघालय	0.517	28
मिजोरम	0.661	14
नागालैंड	0.581	23
उड़ीसा	0.487	29
पुदुचेरी	0.771	2
पंजाब	0.654	15
राजस्थान	0.582	22
सिक्किम	0.662	13
तमिलनाडु	0.741	4
त्रिपुरा	0.545	24
उत्तर प्रदेश	0.526	26
उत्तराखंड	0.629	19
पश्चिम बंगाल	0.458	33

कृषि निर्यात क्षेत्र (ए ई जेड)

98. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पर कृषि निर्यात क्षेत्र (ए ई जेड) कार्य कर रहे हैं और इनके क्या-क्या क्रियाकलाप हैं;

(ख) क्या सरकार ने 20 राज्यों में प्रस्तावित 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों (ए ई जेड्स) के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) 60 कृषि निर्यात जोन (ए ई जेड्स) कच्ची सामग्री के विकास और प्राप्ति, उसके प्रसंस्करण/पैकेजिंग की परिकल्पना करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों पर उनकी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की चालू स्कीमों से सहायता प्राप्त करते हुए उनके संबंधित उत्पादों का अंतिम निर्यात होगा। इन ए ई जेडों में 1097.53 करोड़ रुपए का निवेश तथा इनसे 10669.02 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। देश में ए ई जेडों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ए ई जेडों के निष्पादन में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तथा उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए वर्तमान ए ई जेडों का सम्पूर्ण मूल्यांकन किया गया था। समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि मुख्य रूप से निम्नलिखित की कमी के कारण ए ई जेड्स प्रगति नहीं कर पाए थे:-

(i) उनके संकल्पनात्मक डिजाइन में परियोजना उन्मुखीकरण;

(ii) ए ई जेड्स की संकल्पना के बारे में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ में जागरूकता;

(iii) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करने और ए ई जेडों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए प्रभावशाली एजेंसी; तथा

(iv) प्रभावकारी सार्वजनिक भागीदारी।

उपचारात्मक कार्यवाही के प्रमुख घटक हैं ए ई जेडों के कार्यान्वयम के समन्वय एवं निगरानी के लिए संस्थागत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना और उनके पुनरूद्धार के साथ-साथ उन्हें मॉडल ए ई जेड्स बनाने के लिए विशेष फोकस हेतु कुछ ए ई जेडों को चुनना।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कृषि निर्यात जोनों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वस्तु	एईजेड में शामिल क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	अनन्नास	दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुडी
		लीची	मुर्शिदाबाद, माल्दा, 24 परगना (उ.) और 24 परगना (द)
		आलू	हुगली, बर्दवान, मिदनापुर (प.) उदय नारायणपुर और हावड़ा
		आम	मल्दा और मुर्शिदाबाद
		सब्जियां	नाडिया, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना
		दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग
2.	कर्नाटक	खीरा	टुमकुर, बंगलौर, शहरी बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रादुर्गा, धारवाड़ और बागलकोट
		गुलाबी प्याज	बंगलौर शहरी, बंगलौर (ग्रामीण), कोलार
		फूल	बंगलौर (शहरी) बंगलौर (ग्रामीण), कोलार टुमकुर, कोडागु और बेलगाम
		वनीला	दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ उदुपी, शिमोगा, कोडागु, चिंकमंगलूर जिले
3.	उत्तरांचल	लीची	उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून
		फूल	देहरादून, पंतनगर जिले
		बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार जिले
		औषधीय एवं सुगंधित पादप	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले
4.	पंजाब	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ और लुधियाना
		आलू	सिंहपुरा जिरकापुर (पटियाला) रामपुर फूल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर
		बासमती चावल	गुरूदासपुर, अमृतसर. कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर जिले
5.	उत्तर प्रदेश	आलू	आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, अलीगढ़ और बागपत
		आम एवं सब्जियां	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी
		आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़ और बागपत
		बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे. बी. फूलेनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद जिले

1	2	3	4
6.	महाराष्ट्र	अंगूर एवं दाखलता	नासिक, सांधली, पुणे, सतारा, अहमदनगर और शोलापुर
		आम (अलफान्सो)	रत्नागिरी, सिन्धदुर्ग, रायगढ़ और थाणे जिले
		केसर आम	औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर और लातूर जिले
		फूल	पुणे नासिक, कोल्हापुर और सांगली
		प्याज	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव और शोलापुर जिले
		अनार	सोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, ओसमानाबाद एवं लातूर
		केला	जलगांव, धुले, नानरबाद, बुलधाना, परभणी, हिन्डोली, नांदेड और वर्धा
		संतरा	नागपुर और अमरावती
7.	आंध्र प्रदेश	आम का गूदा और ताजी सब्जियां	चित्तूर
		आम एवं अंगूर	रंगारेड्डडी, मेडक, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर और नालगोन्डा
		आम	कृष्णा जिला
		खीरा	महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर, और नलगोन्डा
		लाल मिर्च	गुन्टूर
8.	जम्मू और कश्मीर	सेब	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम, और पुलवामा
		अखरोट	बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम, कुपवाड़ा और श्रीनगर, डोडा, पूंछ, उधमपुर, राजौरी और कठुआ
9.	त्रिपुरा	जैविक अन्ननास	कुमारघाट मनु, मेलागढ़, माताबाड़ी और काकरबन ब्लॉक
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज, लहसुन	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजाजपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर
		बीज मसाले	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शजाजपुर और नीमच
		गेहूं (डुरूम)	उज्जैन जोन (नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर जोन इंदौर, धार, शाजाजपुर और देवास) भोपाल (सिहोर विदिशा रायसेन, होशंगाबाद, बेतूल)
		मसूर एवं चना	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुरा, छिंदवाड़ा
		संतरा	छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बेतूल
11.	तमिलनाडु	फूल	धर्मपुरी
		फूल	नीलगिरी जिला
		आम	मदुरई, थेनी, डिन्डुगुल, विरुधनगर और तिरूनेलवली

1	2	3	4
		काजू गिरी	कडालोर, थंजावुर, पुडुकोटाई और सिवागंगा
12.	बिहार	लीची, सब्जियां एवं शहद	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व और पश्चिम चम्पारन, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी सारन और गोपालगंज
13.	गुजरात	आम एवं सब्जियां	अहमदाबाद, खड़िया, आनंद, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वल्साड, भरूच और नर्मदा
		मूल्यवर्धित प्याज	भावनगर, सुरेन्द्र नगर, अमरेली, राजकोट जूनागढ़ और जामनगर
		तिल के बीज	अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जामनगर
14.	सिक्किम	फूल (आर्किड) और चेरी मिर्च	पूर्वी सिक्किम
		अदरक	उत्तरीपूर्वी दक्षिणी एवं पश्चिमी सिक्किम
15.	हिमाचल प्रदेश	सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लु, मंडी, चम्बा और किन्नौर
16.	उड़ीसा	अदरक एवं हल्दी	कान्धामल
17.	झारखंड	सब्जियां	रांची, हजारीबाग और लोहारदागा
18.	केरल	बागवानी उत्पाद	थ्रिसूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम अलापुझा पठानुमथठा, कोल्लाम, तिरूअनंतपुरम इदुक्की और पालक्कोड़
		औषधीय पादप	बायानाड़, मल्लापुरम, पलक्काड, थ्रिसूर, एर्नाकुलम, इदुक्की, कोल्लाम, पठानामिट्ठा, तिरूवनंतपुरम
19.	असम	ताजा एवं प्रसंस्कृत अदरक	कामरूप, नलबाड़ी बारपेटा, डारांग, नागांव, मोरीगांव, कारबी, अगलोंग और उत्तर कचार जिले
20.	राजस्थान	धनिया	कोटा, बून्दी, बारान, झालावाड़ एवं चितौड़
		जीरा	नागौर, बाडमेर, जालौर, पाली और जोधपुर

औषध अनुसंधान संबंधी सार्वजनिक पोर्टल

99. श्री वसुदेव आचार्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "औषध अनुसंधान संबंधी सार्वजनिक पोर्टल" आरंभ करने का है जैसा कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 को "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) सी एस आई आर टयूबरक्यूलोसिस (टी.बी.) के लिए वेब बेस्ड ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम पर एक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

(ख) यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है। इस कार्यक्रम के तथ्यों एवं ब्यौरों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

सुपारी का उत्पादन

100. श्री जी. एन. सिद्धीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुपारी का कुल उत्पादन और इसकी मांग (मीट्रिक टन में) कितनी है;

(ख) क्या देश में अन्य देशों के साथ सुपारी का आयात/निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सुपारी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) देश में सुपारी के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(उत्पादन हजार मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन	मांग
2003–04	439.15	465.31
2004–05	456.64	485.06
2005–06	483.10	532.93
2006–07	472.05*	543.39

(स्रोतः सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय) * अन्तिम अनुमान

(ख) जी, नहीं। मांग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः मांग का अनुमान उत्पादन जमा आयात में से निर्यात घटाकर लगाया गया है;

(ग) भारत में सुपारी के निर्यात और भारत में इसके आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(मात्रा : मी. टन में मूल्य : करोड़ रुपए में)

	निर्यात		आयात	
वर्ष	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2003–04	1809	11.74	27957	38.53
2004–05	3695	20.66	32124	43.95
2005–06	3458	23.31	52375	72.28
2006–07	5336	22.93	76678	110.85

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

मनोरंजन और मीडिया उद्योगों के लिए कर ढांचा

101. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनोरंजन और मीडिया उद्योगों के लिए कर ढांचे में आमूल – चूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न समूहों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मनोरंजन और मीडिया उद्योगों के लिए कर ढांचे को अंतिम रूप देने से पूर्व उक्त सिफारिशों पर किस प्रकार विचार करने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) दिनांक 12 दिसंबर, 2007 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। कई समूहों/संगठनों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जांच करने के पश्चात् कई अनुरोधों की वित्त मंत्रालय के विचारार्थ अनुशंसा की गयी है। वित्त मंत्रालय से प्रसारण, डी टी एच एवं केबल सेक्टर के साथ–साथ फिल्म उद्योग पर मौजूदा कर संरचना का अध्ययन करने के लिए समितियां गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संघ का नाम	उत्पाद (एच एस कोड) उत्पाद का नाम, शुल्क दर	प्रस्तावों का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	केरल फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स	शून्य	आयकर अधिनियम की धारा 40(क) (3) के तहत निर्माताओं/वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा 20,000/– रु. तथा नकद भुगतान की अनुमति।
2.	फिल्म फेडेरेशन ऑफ इंडिया	सिनेमा के डिजिटल ट्रांसमिशन पर सेवा कर लगाना	सेवा कर प्राधिकरण वितरक द्वारा थियेटरों के मालिकों को सेवा प्रदान किए जाने के तथ्य को दरकिनार करते हुए थियेटरों में फिल्म प्रदर्शित करने के लिए प्राप्त राशि पर सेवा कर अधिरोपित करना चाहते हैं। ये लेन–देन सामान्य व्यापारिक लेन–देन हैं और सेवा का उपबंध नहीं है।

1	2	3	4
3.	अन्य उद्योग संगठनों द्वारा समर्थित फॉरेन फिल्म चैम्बर्स ऑफ इंडिया	रिकार्ड की गई फिल्म, बीटा कॉम, विडियो टेप और अन्य रिकार्ड किए गए माध्यम में सेल्यूलायड फिल्मों का आयात	वीसीडी/डीवीडी/टेलीकास्ट के रूप में प्रतिकृति/ रूपान्तरण/वितरण/पुनः बिक्री हेतु विभिन्न प्ररूपों में सेल्यूलायड फिल्मों (रिकार्ड की गई) का आयात, जब सीमा शुल्क के प्रयोजनार्थ देय रॉयल्टी के साथ आयात की गई फिल्मों का मूल्य न आंका जाए। ये आयात मूर्त उत्पाद के वास्तविक आयात हैं और सीमा शुल्क की गणना हेतु इनकी लागत को ही आधार बनाना चाहिए।
4.	मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एम ए आई)	(i) भवन, संयंत्र मशीनरी, सिनेमा	आयकर अधिनियम के अंतर्गत संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर हेतु 15% और भवनों के लिए 10: के मूल्यह्रास की दर अपर्याप्त है।
		फर्नीचर कालीन आदि।	सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन कर के साथ प्रस्तावित समानता प्रार्थित है जिसके लिए मूल्यह्रास की दर 40% है।
		(ii) राज्य/केन्द्र सरकार से मिली छूटों को पूंजीगत आय माना जाए और आयकर अधिनियम के अंतर्गत करारोपण से छूट दी जाए।	नए मल्टीप्लेक्सों के विकास या मौजूदा सिनेमा घरों के नवीकरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा मनोरंजन का में दी गई छूट को पूंजीगत आय माना जाना चाहिए तथा आयकर से छूट दी जानी चाहिए।
		(iii) वितरकों को किए गए भुगतान से स्रोत पर कर में कटौती नहीं की जानी चाहिए।	कुछ नहीं।
		(iv) सिनेमा प्रदर्शन के लेन–देन पर सेवा कर की छूट	शो का समय, थियेटरों को किराए पर लेना, बॉक्स ऑफिस से आय की हिस्सेदारी की प्रतिशतता या तय किराए आदि सहित विभिन्न तरीकों से फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। वस्तु, संपत्ति या अवसंरचना का कोई किराया नहीं होता है। पहले ही काफी कर लगाए जाते हैं और यह उद्योग, सेवा कर के अतिरिक्त बोझ को सहन करने की वित्तीय स्थिति में नहीं था।
		(v) आयात किए गए उपस्कर और ज़ेनान बल्बों, सिनेमा डिजिटल तथा एनालॉग साउंड प्रोसेसर एवं साउंड पिक–अप हेतु एल ई डी जैसे देश में विनिर्मित न किए गए अवयवों पर सीमा शुल्क में कमी।	मौजूदा उच्च सीमा शुल्क को काफी कम किया जाना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकीय उन्नति छोटे कस्बों तक पहुंच सके।

1	2	3	4
5.	दि फिल्म एंड टेलीविजन प्रॉडयूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	अग्रिम कर	फिल्म उद्योग के 'अकल्पनीय लाभों' हेतु धारा 234बी/234 सी के अंतर्गत लगाए गए ब्याज को छोड़ा जा सकता है।
		टी डी एस	जब मनोरंजन उद्योग विशिष्ट रूप से क्षेत्रीय फिल्मों की लाभप्रदता को देखते हैं तो यह उल्लिखित है कि 10.30 से 11.33 की टी डी एस दर अत्यधिक है। यह सुझाव दिया जाता है कि संविदा नियमों के अंतर्गत मनोरंजन उद्योग हेतु प्रतिलिप्याधिकार नियमों की बजाय प्रतिलिप्याधिकारों पर टीडीएस का पुनः समूहन बनाया जा सकता है।
		वैट	प्रतिलिप्याधिकार पर वैट की उगाही एक विवादास्पद मुद्दा है और यह भारी बोझ है क्योंकि प्रतिलिप्याधिकार को माल नहीं समझा जा सकता है। इसलिए इसे टी डी एस नियमों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।
		अप्रदर्शित चलचित्रकी रंगीन फिल्मों पर 16% की शुल्क दर पर अतिरिक्त निष्प्रभावी शुल्क और अप्रदर्शित चलचित्रकी रंगीन फिल्मों से 5% के सीमा शुल्क को हटाना।	सीवीडी का अधित्याग किया जाए और जम्बो रॉल में अप्रदर्शित चलचित्रकी रंगीन पॉज़िटीव फिल्म तथा 400 और 1000 फीट के रॉल में अप्रदर्शित चलचित्रकी रंगीन निगेटिव फिल्म को उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की जाए ताकि सी वी डी मे छूट को जारी रखा जा सके। फिल्म की लागत को घटाने के लिए यह कटौती/छूट मांगी जा रही है।
		सीमा शुल्क	
		लघु बजट की फिल्मों के लिए कर में छूट।	लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर में दी जाने वाले छूट और अवकाश के सदृश विषय–वस्तु आधारित लघु बजट के सिनेमा को लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। कार्य का मूल्यांकन करने के लिए और किसी फिल्म परियोजना को कर में छूट प्रदान किए जाने के लिए पात्र घोषित करने हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जैसे निकाय को नियुक्त किया जा सकता है।
		उपांत लाभ कर	फिल्म और टेलीविजन उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उपांत लाभ कर के परिकलन में छूट प्रदान की जाए।

1	2	3	4
		एनीमेशन उद्योग को प्रोत्साहन राशि	इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
6.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	आयकर और उत्पाद शुल्क में छूट	डिजिटल शीर्ष छोर उपस्करों, सेट टॉप बॉक्सों और इसके कलपुर्जों आदि पर बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/अतिरिक्त निष्प्रभावी शुल्क को उनकी मौजूदा दरों से घटा कर 0% लाया जाना चाहिए।

विद्यालयों में गुणवत्तापरक सुधार

102. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका "विद्यालयों में गुणवत्तापरक सुधार" की सामासिक योजना में विलय किया गया है; और

(ख) अन्य योजनाओं को एक योजना में परिवर्तित करने और "विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार" विषय को राज्य सरकारों को अंतरिक किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 10वीं योजनावधि के दौरान इस विभाग की निम्नलिखित 5 पूर्व योजनाओं को इसके घटकों के रूप में संकेंद्रित करके "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" नामक एक समग्र केन्द्रीय प्रयोजित योजना प्रारंभ की गई थी:–

(i) विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

(ii) स्कूल शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना

(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

(iv) विद्यालयों में योग शिक्षा प्रारंभ करना; और

(v) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड

(ख) व्यय सुधार आयोग ने योग एवं पर्यावरण शिक्षा को इस आधार पर बंद करने की सिफारिश की थी कि इन योजनाओं के तहत किए गए आबंटन इतने कम हैं कि देशभर में इसका नगण्य प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर विचार करने के पश्चात् सचिवों की समिति का मानना था कि पर्यावरण शिक्षा तथा योग गुणवत्ता शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं और इन्हें विस्तृत रूप में जारी रखा जाना चाहिए। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार की योजना इस पृष्ठभूमि में तैयार की जा रही थी।

"स्कूलों में विज्ञान शिक्षा सुधार" नामक घटक को दिनांक 1.4.2006 से एक राज्य क्षेत्र योजना के रूप में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को हस्तांतरित कर दिया गया है। क्योंकि इसके तहत सीमित आबंटन उपलब्ध होने से व्यापक प्रभाव डालना संभव नहीं था और चूंकि यह महसूस किया गया कि राज्य क्षेत्र योजना के माध्यम से राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु बेहतर स्थिति में होंगे।

[हिन्दी]

अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती

103. श्री संतोष गंगवार :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस सहित अर्द्धसैनिक बलों में अधिकारियों की भर्ती में लगातार गिरावट आ रही है और उनमें रैंकवार अधिकारियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बल भर्ती बोर्डों के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्मिकों की आवश्यकता और वास्तव में भर्ती किए गए कार्मिकों के बीच अंतर होने का कारण विस्तार के बाद नवीन पदों के लिए मंजूरी मिलना, बल का प्रवर्त्तन आदि है। तथापि, भर्ती स्तर में कोई कमी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

104.श्री अनन्त नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित राज्यों सहित कुछ राज्य सरकारों ने पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए केन्द्र सरकार से मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों एवं संसाधनों को बढ़ावा देती है जिनमें शामिल हैं केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देना, राज्य पुलिस एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता देना, आसूचना भागीदार करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजना श्रृंखला के जरिए विकास कार्यों में अंतर–राज्य समन्वय लाना एवं उनमें सहायता करना।

इस समय राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 33 बटालियनों को (अंतर–राज्य प्रतिनियुक्ति पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल की 1 बटालियन सहित) नक्सलवाद रोधी कार्यों पर तैनात किया गया है: आंध्र प्रदेश – 4; बिहार – 4; छत्तीसगढ़–13; झारखंड–5; मध्य प्रदेश – 1; उड़ीसा – 4; उत्तर प्रदेश – 1; बंगाल–1।

विभिन्न राज्यों में समय–समय पर केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, अन्य बातों के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था की समग्र स्थिति, बलों की उपलब्धता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है।

उड़ीसा के नयागढ़ एवं गंजम जिलों में 15/16/2/2008 को विविध पुलिस अवस्थापनाओं पर नक्सलवादी हमले के पश्चात् उड़ीसा को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 4 कंपनियां (राज्य से पहले से तैनात 4 बटालियनों के अतिरिक्त) तत्काल उपलब्ध कराई गई।

गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2008

105.श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को अभी केन्द्र सरकार का अनुमोदन मिलना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधेयक के अनुमोदन में क्या बाधाएं हैं;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से किसी तरह के विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं;

(ङ) उन विधेयकों की क्या स्थिति है; और

(च) गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक सहित इन विधेयकों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (च) संगठित अपराध नियंत्रण के संबंध में अन्य राज्यों से प्राप्त विधेयक और उनकी स्थिति निम्नवत है।

1. राजस्थान संगठित अपराध बिल, 2006	यह विधेयक, इसे राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के अनुमादन के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 10.3.2006 को प्राप्त हुआ था। दूर–संचार विभाग और राजस्व विभाग की टिप्पणियां स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को दिनांक 21.8.2007 को भेजी गई थीं।
2. आंध्र प्रदेश संगठित अपराध बिल, 2006	यह विधेयक, इसे राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 31.10.2007 को प्राप्त हुआ था। दूर–संचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की

	टिप्पणियां स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को दिनांक 26.12.2007 को भेजी गई थी।
3. मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007	यह विधेयक, इसे राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 04.02.2008 को प्राप्त हुआ था। संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय (दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग); सूचना और प्रसारण; कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और न्याय विभाग); और इस मंत्रालय के अन्य प्रभागों की टिप्पणियां दिनांक 7.2.2008 को आमंत्रित की गई है।

राज्य विधायनों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती है अर्थात् (क) केन्द्रीय कानूनों से असंगति (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विसामान्यतया और (ग) कानूनी सांविधानिक वैधता। इस मामले में, कतिपय नीतिगत मुद्दों का समाधान राज्य सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके किया जाना है। इसलिए इस संबंध में कोई समय–सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना

106. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में कुल कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है;

(ख) सरकार द्वारा आज की तिथि तक ऐसे कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या कितनी है जिनमें दिल्ली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इन मामलों को बन्द करने के लिए न्यायालयों में याचिका दाखिल की गई है; और

(घ) सभी मामलों का निपटान कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(घ) कोई निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

विवरण

वर्ष	मामलें					
	रिपोर्ट किए गए	निरस्त किए गए	स्वीकृत किए गए	चालान किया गया	जांच लम्बित	कार्रवाई नहीं की गई
2005	82638	2272	80366	55946	6308	18112
2006	88335	1664	86671	52653	20279	13739
2007	77059	1353	75706	36739	29494	9473

[अनुवाद]

नॉल्को का विदेशों में कारोबार विस्तार

107. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नॉल्को का विचार विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नॉल्को ने इस संबंध में इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ङ) ऐसे विदेशी कारोबार विस्तार से नॉल्कों की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) परियोजना की व्यवहार्यता और प्रतियोगी लागत पर विद्युत की उपलब्धता के अध्यधीन विदेश में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में एल्युमीनियम प्रगालक स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। तथापि, आज तक, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) 5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एल्युमीनियम प्रगालक और 1250 मेगावाट की क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित करने की साध्यता की जांच करने हेतु अपेक्षित डाटा की प्राप्ति के लिए नाल्को और दक्षिण सुमात्रा की सरकार (जी ओ एस एस), इंडोनेशिया के बीच 11 जनवरी, 2008 को एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पुलिस की विशेष शाखाओं के लिए धनराशि

108.श्री एस. अजय कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपनी पुलिस की विशेष शाखाओं और निचले स्तर पर आसूचना संग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी निधि की कम से कम दस प्रतिशत धनराशि निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) आसूचना संग्रहण के लिए ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा नामक चार नक्सल प्रभावित राज्यों से राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के एक भाग के रूप में वर्ष 2007–08 में इस संबंध में एक योजना बनाने को कहा गया था। तदनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोजनाओं में आसूचना संग्रहण के लिए अपेक्षित आधुनिक उपकरणों के लिए प्रावधान किया गया है।

सभी राज्यों से एक पी एफ योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 से विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने के लिए योजना आकार के 5% तक की राशि निर्धारित करने को कहा गया है।

औद्योगिक पार्कों की स्थापना

109.श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए गए औद्योगिक पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत दिये गये राज्यवार अनुमोदन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार औद्योगिक पार्कों की स्थापना नहीं करती है। औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्क डवलपर्स द्वारा स्थापित किये जाते हैं। जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80I क के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट के लिए पात्र हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत दिये गये अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	दिए गए अनुमोदनों की संख्या			
		2005	2006	2007	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6	8	3	17
2.	गुजरात	3	–	–	3
3.	हरियाणा	–	1	–	1
4.	कर्नाटक	18	7	1	26
5.	महाराष्ट्र	32	4	1	26
6.	पांडिचेरी	–	–	1	1
7.	पंजाब	1	–	–	1
8.	राजस्थान	14	58	6	78
9.	तमिलनाडु	1	6	–	7

1	2	3	4	5	6
10.	उत्तर प्रदेश	1	1	–	2
11.	उत्तरांचल	2	3	1	6
12.	पश्चिम बंगाल	1	1	–	2
	कुल	79	89	13	181

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

110.श्री रनेन बर्मन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सरकार से खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाए जाने के रूप में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने हेतु कुछ कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) रोजगार सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सृजित रोजगार अवसरों का ब्यौरा निम्नोक्त है:

प्रदत, अनुमानित रोजगार अवसर

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या, लाख में	
	आरईजीपी	पीएमआरवाई
2004–05	5.30	3.72
2005–06	5.68	4.09
2006–07	5.95	3.95

शहरों के नामों को बदला जाना

111.श्री एम. शिवन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बंगलौर, मंगलौर, बेलगाम और अन्य शहरों सहित तेरह शहरों के नामों में परिवर्तन किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो नामों में ये परिवर्तन कब तक कर दिए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के बंगलौर, मंगलौर बेलगांव सहित 12 शहरों/कस्बे के नामों में परिवर्तन के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

पुलिस बल का प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण

112.श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपराधियों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न नई कार्यप्रणालियों के मद्देनजर पुलिस बल को प्रशिक्षण देने और उनकी कार्यकुशलता/क्षमता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों से निपटने के लिए पुलिस तंत्र तथा मौजूदा न्यायविदों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उनके लिए अनुसंधान कार्य शुरू करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ज) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक आबंटित धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस की क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रयासों में केन्द्र सरकार द्वारा भारत और विदेशों में पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के जरिए मदद की जाती है। बी पी आर एंड डी के तत्वावधान के अंतर्गत, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे कि वैज्ञानिक पूछताछ तकनीक, साइबर अपराध जांच, आर्थिक अपराध जाचं, अत्याधुनिक विस्फोटक डिवाइस मामलों की जांच आदि।

(ग) से (ज) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थापित की है तथा न्यायिक क्षमता निर्माण के लिए आधारभूत ढांचे के कम्प्यूटरीकरण और विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान में न्यायाधीशों सहित अन्तर–अनुशासनात्मक भागीदारी के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठयक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पुलिस बलों को आधुनिकीकृत करने में राज्य सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार जिन मदों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, वे हैं :– सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, बाह्य चौकियों और पुलिस लाइनों का निर्माण; आवाजाही और आधुनिक हथियार; सुरक्षा, निगरानी, संचार और विधि विज्ञान उपकरण, पुलिस आवास; कम्प्यूटरीकरण; प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे और उपकरण का उन्नयन आदि। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस से संबंधित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध करवाता है।

पुलिस आधुनिकीकरण हेतु जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम 2004–05 से 2006–07 जारी की गई केन्द्रीय धनराशि (रुपए करोड़ में)

राज्य का नाम	में जारी केन्द्रीय धनराशि		
	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	79.93	101.41	88.12
अरुणाचल प्रदेश	9.13	7.00	11.53
असम	41.37	56.68	52.18
बिहार	45.25	39.87	51.62
छत्तीसगढ़	32.72	40.74	57.06
गोवा	0.28	1.06	1.00
गुजरात	39.54	39.85	45.52
हरियाणा	22.13	14.95	19.69
हिमाचल प्रदेश	2.57	6.78	3.92
जम्मू और कश्मीर	110.9	109.22	88.13
झारखंड	22.33	40.74	47.00
कर्नाटक	58.87	65.85	64.15
केरल	28.55	18.84	24.53
मध्य प्रदेश	42.27	31.65	43.24
महाराष्ट्र	71.00	88.78	105.1
मणिपुर	15.24	16.97	14.09
मेघालय	7.58	6.57	8.59
मिजोरम	7.45	6.00	10.48
नागालैंड	13.09	17.52	22.68
उड़ीसा	27.76	35.08	38.00
पंजाब	21.79	20.31	15.00
राजस्थान	42.67	34.81	40.47
सिक्किम	5.90	2.43	3.46
तमिलनाडु	56.78	65.51	61.65
त्रिपुरा	11.17	11.83	11.34
उत्तर प्रदेश	108.55	98.12	94.28
पश्चिम बंगाल	29.20	26.67	37.11
कुल	960.00	1025.00	1065.00

[अनुवाद]

भारतीय हीरा उद्योग का संरक्षण

113. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हीरा परिष्करण तथा रत्न और जवाहरात उद्योग दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा हीरे के खनन को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित बदलाव और चीन से भी प्रतिस्पर्धा के कारण भारी दबाव और लाभ में कमी का अनुमान लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय हीरा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद ने हीरा उद्योग पर लगने वाले करों में कटौती का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय हीरा उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नीतिगत पहलें की हैं–

(i) रत्नों एवं आभूषणों क निर्यात जिसमें तराशे और पॉलिश किए गए हीरे भी शामिल हैं, को विदेश व्यापार नीति (2004-09) में एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ii) अपरिष्कृत हीरों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना अग्रिम प्रेषण की अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) सोने, प्लेटिनम से इतर धातुओं के लिए खपतयोग्य वस्तुओं, औजारों, मशीनों और उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य की 2 प्रतिशत और सोने एवं प्लेटिनम के लिए 1 प्रतिशत होगी। तथापि, रोडियम की परत चढ़े चांदी के आभूषणों के लिए हकदारी 3 प्रतिशत होगी।

(v) किसी वित्त वर्ष में रत्न एवं आभूषणों के नमूनों की 300,000/- रुपए तक अथवा रत्न एवं आभूषण मदों में पिछले तीन वर्षों के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 तक जो भी कम हो शुल्क मुक्त आयात हकदारी की अनुमति दी गई है।

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 10 क के तहत छूट के प्रयोजनार्थ तराशने एवं पॉलिश करने के कार्य को विनिर्माण माना गया है।

(vii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को परिष्करण एवं पुनर्निर्यात हेतु तराशे एवं कीमती नगीनों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(viii) तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ix) जिन हीरा इकाइयों में घोषित लाभ कारोबार का 8 प्रतिशत या इससे अधिक है, उन इकाइयों के लिए कारोबार आधार पर आयकर लागू किया गया है।

इसके अलावा, सरकार विदेशी बाजारों में शुरू किए गए विभिन्न बिक्री संवर्धन कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के अपने बजट पूर्व अभ्यावेदन में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) ने अन्य बातों के साथ-साथ आभूषणों की डिजाइनिंग एवं विनिर्माण के लिए मशीनों पर सीमाशुल्क में कमी करने, सरकारी व्यापार के प्रयोजनार्थ अर्थात सम्मेलनों, बिक्री संवर्धन और प्रचार आदि के संबंध में पूर्णतः और अनन्यतः किए गए व्यय को वेतनेतर कर से छूट देने का अनुरोध किया है।

(ङ) उपर्युक्त सुझावों के संबंध में सरकार का निर्णय वित्त विधेयक, 2008 में प्रदर्शित किया जाएगा।

सीआरएफ की अधिसूचित आपदा सूची

114. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता संवितरित करने के लिए आपदा राहत कोष की अधिसूचित आपदा सूची में "पाला", "शीत लहर" और "अचानक आने वाली बाढ़" को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अधिसूचित आपदा सूची सहित तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग) द्वारा आपदा राहत कोष (सी आर एफ) की स्कीम तैयार की गई है। इसी कार्यरचना में उन प्राकृतिक आपदाओं की सूची में ऐसी घटनाओं जिनके घटित होने पर आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती है, को शामिल करना समय–समय पर नियुक्त किए जाने वाले वित्त आयोगों का अधिकार है। अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में "शीत लहर" और "पाला" की घटनाओं को शामिल करने संबंधी विषय को कुछ राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा और उड़ीसा द्वारा 12वें वित्त आयोग के सम्मुख उठाया गया था। तथापि 12वें वित्त आयोग द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इन घटनाओं को शामिल करने की सिफारिश नहीं की गई है।

उल्लिखित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में "शीत लहर" और "पाला" को शामिल करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की वर्तमान सूची में शामिल है; चक्रवात, सूखा, भूकम्प/सुनामी, आग, बाढ़, ओला वृष्टि, भूस्खलन, बर्फबारी, बादल फटना तथा कीट आक्रमण। अचानक आने वाली बाढ़ की घटना को "बाढ़" वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

आरक्षण सुविधाएं वापिस लिया जाना

115. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित अनेक राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ वापिस ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित कोई इंजीनियरी कॉलेज नहीं है।

जहां तक राज्य सरकार के इंजीनियरी कॉलेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुविधाओं को वापस लिए जाने का प्रश्न है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत में नेपाली प्रवासी

116. श्री विजय कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंकड़ों नेपाली, माओवादियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण भारत में आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रवासियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो प्रवासियों के इस प्रवाह को रोकने अथवा उन्हें भारत में बसाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) भारत का नेपाल के साथ मुक्त सीमा एवं वीजा रहित क्षेत्र है। नेपाल की आन्तरिक स्थिति के कारण अभी हाल ही में कुछ नेपालियों के भारत में अस्थायी रुप से आने की रिपोर्टें मिली हैं। वर्ष 2004 से 2007 तक कुछ अवसरों पर भारी संख्या में नेपालियों के नेपाल के तराई क्षेत्र से भारत आने की रिपोर्टें मिली थीं। परन्तु धीरे–धीरे नेपाल वापस भेज दिया गया। सरकार को निकट भविष्य में नेपालियों के भारी संख्या में भारत आने की आशंका नहीं है।

(घ) भारत नेपाल सीमा पर सीमारक्षक बल अर्थात् सशस्त्र सीमा बल को सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। उ.प्र., बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारों को भी सचेत किया गया है। एस एस बी राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन के साथ सघन समन्वय से कार्य कर रही है भारत सरकार भी समग्र स्थिति पर सघन निगरानी रख रही है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान कार्य

117. श्री पुष्प जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय से अनुसंधान कार्य अलग कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों द्वारा कोई उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर राजस्थान में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) विश्वविद्यालयों में अनुसंधानकर्त्ताओं को सीट उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) यद्यपि विश्वविद्यालयों से अनुसंधान कार्य नहीं हटाए गए हैं, तथापि विश्वविद्यालयों में विज्ञान संबंधी बुनियादी अनुसंधान को सुदृढ़ करने के उद्देश्यार्थ सरकार ने प्रोफेसर एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था। सरकार ने कार्य बल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों के कार्यन्वयन हेतु कार्य बल को एक अधिकार प्राप्त समिति में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ग) वर्ष 2007–08 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2.00 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृति की गई है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विज्ञान संबंधी बुनियादी अनुसंधान स्कीमों में से एक स्कीम नामतः "प्रतिभावान छात्रों हेतु विज्ञान में अनुसंधान फेलोशिप" के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विभागों में से प्रत्येक को 10 फेलोशिप आबंटित की गई है।

बहुमूल्य धातुओं का आयात

118. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुमूल्य धातुओं के आयात में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो धातुवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी धातुओं के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई नई खनन नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में खनन की गई बहुमूल्य धातुओं का राज्यवार और खनिजवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) मूल्यवान धातुओं का आयात, निर्यात–आयात नीति द्वारा निर्देशित होता है। भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध स्वर्ण, प्लाटिनम, चांदी और अन्य मूल्यवान धातुओं की वर्ष 2005–06 और 2006–07 (अनंतिम) की उपलब्ध सूचना के अनुसार, मूल्यवान धातुओं के आयात बढ़ रहे हैं।

(ग), (घ) और (च) इन चिंताओं को संबोधित करने वाली राष्ट्रीय खनिज नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित मूल्यवान धातुओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

उत्पादन कि.ग्रा. में

धातु का नाम	राज्य	2005–06	2006–07 (अनंतिम)	2007–08 (31.12.2007 तक) (अनंतिम)
1	2	3	4	5
स्वर्ण अयस्क	झारखंड	9581	11269	6212
	कर्नाटक	469772	507634	485191
प्राथमिक स्वर्ण	झारखंड	34	24	21
	कर्नाटक	2846	2336	2174
स्वर्ण (विदेशी)	गुजरात	6710	10335	7193
स्वर्ण (गौण)	झारखंड	167	127	–

1	2	3	4	5
चांदी	झारखंड	3383	1708	–
	राजस्थान	24261	51295	43640
	कर्नाटक	317	226	211
चांदी (विदेशी)	गुजरात	35077	48362	36612

[अनुवाद]

लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट

119.श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिब्राहन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट कब तक सौंप दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) यह रिपोर्ट आयोग की विस्तारित अवधि में सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बिस्कुट दिया जाना

120.श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में भोजन के रूप में बिस्कुट परोसने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बच्चों को भोजन के रूप में बिस्कुटों का परोसा जाना वर्तमान में दिए जा रहे भोजन के अतिरिक्त होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बिस्कुट परोसे जाने से पके हुए भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता की क्षतिपूर्ति होगी; और

(छ) यदि हां, तो इस योजना को बिस्कुट परोसे जाने की योजना से बदले जाने की स्थिति में मध्याह्न भोजन प्रक्रिया से जुड़े स्थानीय समुदाय का क्या हश्र होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) जी, हां। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है क्योंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के स्थान पर बिस्कुटों की आपूर्ति बच्चों के पोषण के हित में नहीं होगी और इससे बच्चों के पोषण मानदंडों, भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी परितृप्ति नही होती है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

121.प्रो. एन. रामदास :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों के औद्योगिक रूप से पिछड़े होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) अतीत में विभिन्न अध्ययनों ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में पहचान करने की मांग की है अभी हाल ही में औद्योगिक पिछड़ेपन के विशिष्ट मामलों के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अन्तः मंत्रालयीय बैठकें आयोजित की गई हैं और उपलब्ध संगत आंकड़ों का, विभिन्न

जिलों में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों का समाधान करने के उद्देश्य से ठोस नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने व उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात निवेश निर्णय उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिये गये हैं। सरकार द्वारा अदा की गई भूमिका में नियंत्रण करने में आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाकर तथा विलम्बों को समाप्त कर के सहायता तथा निर्देशन प्रदान करने तक एक बदलाव आ गया है। तथा 1991 की औद्योगिक नीति का वक्तव्य समुचित प्रोत्साहनों, संस्थानों तथा अवसंरचनात्मक निवेश के जरिये देश के पिछड़े जिलों को औद्योगिकीकरण के प्रसार तक सरकार के इरादे को रेखांकित करता है। पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए पहल प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनमें प्रयासों में सहायता करती है। उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं जिनमें से कुछ इस विभाग द्वारा क्रियान्वयन के अधीन विशिष्ट क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

(i) विकास केन्द्र योजना;

(ii) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस);

(iii) परिवहन राजसहायता योजना;

(iv) पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति, 2007 (एनईआईआईपीपी); तथा

(v) विशिष्ट श्रेणी के राज्यों हेतु नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें

वाहनों को अनधिकृत रूप से पार्क किया जाना

122. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनधिकृत जगहों पर पार्क की गई गाड़ियों, ट्रकों, टैंपों, बसों, दोपहिए और तिपहिए वाहनों को दिल्ली पुलिस की क्रेनों द्वारा उठाए जाने का वाहन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनसे चालान के रूप में कितनी धनराशि अर्जित की गई और उस धनराशि का किस प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार। इस संबंध में संग्रहित समस्त राशि सरकारी खाते में जमा की जाती है।

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	वाहन की संख्या एवं प्रकार	2005	2006	2007	2008 (15 फरवरी 2008 तक)
1.	ट्रक	749	419	629	68
2.	टैम्पों	10002	10394	10290	1590
3.	बस	302	192	165	31
4.	कार	55821	79071	76518	10892
5.	तिपहिया	1337	1612	530	74
6.	दुपहिया	70349	28264	24631	3680
7.	अन्य	37	193	171	29
	कुल वाहन	138597	120145	112934	16364
उठाकर ले जाने के प्रभार सहित संग्रहित कुल राशि		3.58 करोड़	3.46 करोड़	7.31 करोड़	1.27 करोड़

बच्चों का अवैध दुर्व्यापार

123. श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में राजनयिक पासपार्टों के माध्यम से बच्चों के अवैध दुर्व्यापार में संलिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें ट्रेवल एजेन्टों तथा पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में बच्चों के उक्त दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने 18 अप्रैल, 2007 को प्राथमिकी संख्या 168/2007 और 169/2007 के तहत दो मामले दर्ज किए हैं जिनमें एक सांसद को अपनी पत्नी शारदा बेन बाबू भाई कटारा के नाम पर जारी पासपोर्ट से श्रीमती परमजीत कौर नामक महिला को तथा अपने पुत्र श्री राजेश बाबू भाई कटारा के नाम पर जारी पासपोर्ट से अमरजीत सिंह नामक एक बच्चे को टोरेंटो कनाडा ले जाने का प्रयास करते हुए अंतग्रस्त किया गया।

(ग) और (घ) अब तक की जांच से व्यक्त होता है कि इसमे कुछ ट्रैवल एजेंट शामिल हैं उपर्युक्त मामले में अब तक पांच ट्रैवल एजेंटों सहित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ङ) बच्चों के अवैध दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर अवैध दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन हेतु एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति कार्य कर रही है जिसमें राज्य एवं केन्द्रीय संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधि होते हैं। इस सी ए सी की तिमाही बैठकें होती हैं

(ii) गृह मंत्रालय ने मानवों के अवैध दुर्व्यापार से संबंधित मामलों का राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय करने और इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने और समन्वय बैठकें करने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ गठित किया है।

(iii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग के लिए "अन्वेषकों हेतु मानव दुर्व्यापार पुस्तिका" नामक एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया है।

(iv) महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस कार्मिकों को जागरूक करने के लिए बी पी आर एंड डी क्षेत्रीय दुर्व्यापार रोधी कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। आज की तारीख तक विभिन्न शहरों में कई कार्यशालाएं आयोजित की है।

इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट चेक करने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(क) सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मैग्नीफाइंग ग्लासेज एवं अल्ट्रावायलेट लैम्पस का प्रयोग।

(ख) मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों को जारी करना जो अधिक सुरक्षित है।

(ग) सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पासपोर्ट रीडिंग मशीन्स (पी आर एम एस) और क्वेश्चनेबल डाकूमेंट इक्जामिनर (क्यू डी एक्स) मशीनें संस्थापित करना।

(घ) जाली/फोर्जड दस्तावेजों को संसूचित करने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक उत्थान

124. श्री वाडिंग रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त मंत्रालय को भेजे गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रति जिला 65 लाख रुपए की वार्षिक बढ़ोतरी संबंधी अनुरोध की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) "शिक्षा तथा कौशल विकास" से संबंधित दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति के उप–समूह–II ने 12 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सिफारिशों वाली अपनी पहली रिपोर्ट दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति को सौंप दी है। दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। अनुसूचित जनजातियां दलित मामलों संबंधी मंत्रियों की समिति के विचारार्थ विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है।

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई के मामले

125. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध निर्माणों की अनुमति देने तथा फर्जी तोड़–फोड़ के संबंध में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा दर्ज किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सीबीआई ने राजधानी में 545 ऐसी सम्पतियों की पहचान की है जहां तोड़–फोड़ केवल कागजों पर दर्शाई गई थी जबकि इमारतों मे कोई तोड़–फोड़ नहीं की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीबीआई ने इसमें संलिप्त व्यक्तियों के नाम वाली आठवीं स्थिति रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अवैध निर्माणों की अनुमति देने तथा फर्जी तोड़–फोड़ के संबंध में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के विरुद्ध 21 मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें से 5 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

(ग) सम्पत्तियों की सही संख्या की पहचान करना मामले के पूरा होने के अध्यधीन है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 7वीं स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसे 5 अप्रैल, 2008 को विचार के लिए भेज दिया गया है।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

भारत-चीन व्यापार

126. श्री जुएल ओराम :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक भारत–चीन के बीच हुई व्यापार वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीन और भारत के बीच व्यापार संतुलन में काफी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन ने केन्द्र सरकार को व्यापार संतुलन के अंतर को कम करने का आश्वासन दिया है; जैसाकि दिनांक 13 जनवरी, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जून, 2003 में प्रधानमंत्री के बीजिंग दौरे के दौरान हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के अनुपालन में भारत–चीन संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया था। जे एस जी ने नई दिल्ली और बीजिंग में बारी–बारी से चार बैठकें की थी। अप्रैल, 2005 में चीन के प्रधानमंत्री के भारत के दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच जे एस जी की अंतिम रिपोर्ट का आदान–प्रदान किया गया था और उसने यह अनुशंसा की कि दोनों सरकारों को संभावित चीन–भारत क्षेत्रीय व्यापार करार की व्यवहार्यता और उसमें होने वाले लाभों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल नियुक्त करना चाहिए और उसने उसकी विषय वस्तु के बारे में भी अपनी सिफारिशें की हैं। जे एस जी की सिफारिश के अनुसरण में एक जे टी एफ का गठन किया गया था। नई दिल्ली और बीजिंग में बारी–बारी से जे टी एफ की छह बैठकें आयोजित की गई थीं और अक्तूबर, 2007 में आयोजित अपनी अंतिम बैठक मे जे टी एफ ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। जनवरी, 2008 में प्रधानमंत्री के चीन के दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्री आर टी ए के संबंध में जे टी एफ की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई की पद्धतियों का पता लगाने का कार्य दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों को सौंपने पर सहमत हुए थे।

(ख) जी, हां। इस समय व्यापार संतुलन चीन की ओर झुका हुआ है और उसके पक्ष में वर्ष 2007 के पहले 11 महीनों में लगभग 9 बिलियन डालर का व्यापार आधिक्य है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान, चीन के वाणिज्य

मंत्री ने कहा था कि वह भारत से और अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत में क्रेता मिशनों को भेजने हेतु कार्रवाई करेंगे।

(ङ) भारत फलों एवं सब्जियों, मांस, भेषज, इलेक्ट्रॉनिक मदों, आटोमोबाइल कलपुर्जों आदि के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है।

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों, वस्तु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में भारत विशिष्ट क्षेत्रों में बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों को उठाता रहा है। अक्तूबर, 2007 में सम्पन्न जे टी एफ वार्ताएं भी इसी दिशा में एक प्रयास थीं।

ईसाई संस्थानों पर हमले

127. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 2007 के दौरान देश के विभिन्न भागों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ईसाई मिशनरी संस्थाओं तथा धार्मिक समूहों पर हुए हाल के हमलों की ओर आकर्षित करता गया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 2007 से अब तक हुई ऐसी घटनाओं की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें हुए जान–माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार, वर्ष 2007 के दौरान देश के विभिन्न भागों में ईसाई संगठनों और अन्यों के बीच सामाजिक तनाव/संघर्ष के दृष्टान्तों से अवगत है।

भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा साम्प्रदायिक घटनाओं के आंकड़े अनुरक्षित रखना मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान ईसाईयों के शामिल होने की साम्प्रदायिक घटनाओं तथा इनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश में साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न तरीकों से सहायता करती है जैसे कि आसूचना का आदान–प्रदान, सतर्कता संदेश भेजना, विशिष्ट अनुरोध पर संबंधित राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से सृजित संयुक्त रेपिड एक्शन फोर्स सहित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भेजना तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करना। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार समय–समय पर इस संबंध में सलाह और दिशा–निर्देश भेजती रहती है। देश में साम्प्रदायिक सद्भावना पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतत नजर रहती है तथा जहां भी आवश्यक होता है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए राज्य सभा में "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	2007	
	घटनाएं	मारे गए
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	6	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	1	0
बिहार	1	0
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ़	4	0
दिल्ली	1	0
दादर और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	2	0
हरियाणा	1	0

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	3	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	2	0
कर्नाटक	11	0
केरल	4	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	16	0
महाराष्ट्र	7	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	9	3
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	5	0
राजस्थान	3	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	1	0
त्रिपुरा	0	0
उत्तरांचल	0	0
उत्तर प्रदेश	3	0
पश्चिम बंगाल	0	0
कुल	80	3

भारत-अमरीका व्यापार

128. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–अमरीका व्यापार संबंधों में काफी तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2006–07 में अमरीका में भारत का विदेश व्यापार निवेश 2 बिलियन डालर रहा जो कि इसी अवधि के दौरान भारत में अमरीकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) (850 मिलियन डालर) के दुगने से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अमरीका से भारत को हुए निर्यात में 72–75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि भारत का निर्यात केवल 40–42 प्रतिशत की दर से बढ़ा है; और

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क), (ख) और (ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान भारत–अमेरिका पण्य व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07
I.	भारत से अमेरिका को निर्यात	13,765.75	17,353.06	18,821.42
II.	भारत में अमेरिका को निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि	19.81	26.06	8.63
III.	भारत में अमेरिका से आयात	7,001.35	9,454.74	11,726.96
IV.	भारत में अमेरिका से आयातों में प्रतिशत वृद्धि	39.06	35.04	24.03
V.	कुल व्यापार	20,767.10	26,807.81	30,578.38
VI.	कुल व्यापार में प्रतिशत वृद्धि	25.67	29.09	14.07
VII.	व्यापार संतुलन	+6764.40	+7898.32	+7130.04

स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता

(ग) और (घ) "भारतीय उद्यमों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष निवेश" संबंधी फिक्की – अर्न्स्ट एण्ड यंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006–07 में भारत से अमेरिका में बहिर्गामी निवेशों का कुल मूल्य 2 बिलियन अम. डालर से अधिक का था। वर्ष 2006–07 के दौरान भारत में अमेरिका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 855.78 मिलियन अम. डालर का था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बाजारोंन्मुख हैं और संबंधित कम्पनियों द्वारा व्यवसाय विश्लेषण पर आधारित हैं।

(च) भारत–अमेरिका पण्य व्यापार आंकड़े दर्शाते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और बढ़ाने के लिए भारत – अमेरिका व्यापार नीति मंच और भारत–अमेरिका वाणिज्यिक विचार–विमर्श के अंतर्गत नियमित द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया जा रहा है।

प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात

129. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा किन–किन प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात और आयात किया गया है; और

(ख) ऐसे आयातों के दौरान खतरनाक उत्पादों के बीजों के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, मांस, दुग्ध, उत्पाद, फल, सब्जियां, बीज आदि शामिल हैं। प्रमुख कृषि आयातों में खाद्य तेल, दालें चीनी तथा चीनी से बने मिष्ठान्न, गेहूं, मांस आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार द्वारा अपनी बीज विकास नीति, 1988 के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि बीज एवं रोपण सामग्रियों के सभी आयातों का विनियमन पौध संगरोध आदेश, 2003 तथा उसमें किए गए संशोधनों के तहत किया जाएगा। आयात किए जाने के लिए अपेक्षित बीज की सर्वप्रथम छोटी मात्रा की जांच की जाती है और जांच परिणामों/मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम दो वर्षों के लिए विदेशी बीजों एवं रोपण सामग्रियों के थोक आयात की अनुमति प्रदान करके ऐसे आयातों के दौरान खतरनाक उत्पादों के बीजों के पाटन को रोका जाता है।

मानित विश्वविद्यालय

130. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के मानित विश्वविद्यालय में दाखिले में एकरूपता लाने के लिए कैपिटेशन फीस पर प्रतिबंध लगा दिया है जैसाकि दिनांक 25 जनवरी, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानित विश्वविद्यालयों को सुचारु बनाने के लिए विनियम लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो मानित विश्वविद्यालयों को कब तक विनियमित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम–विश्वविद्यालय घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावित संस्थाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों (2006) के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के तहत सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु संस्थाओं द्वारा संघ ज्ञान नियमावली के मॉडल संविधान को अपनाने' का उल्लेख है। प्रत्येक सम–विश्वविद्यालय को मॉडल संघ ज्ञापन/नियमावली का अनुसरण करना आवश्यक होता है। उक्त संघ ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दाखिला के समय किसी भी रूप से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री सम्मेलन

131. श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इसमें चर्चा की गई;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में आसूचना ब्यूरो ने माओवादियों के आधार क्षेत्र में हुए विस्तार की बात मानी है;

(घ) यदि हां, तो क्या एक नवीन रिपोर्ट के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री को सचेत किया गया है कि नक्सलवादियों अपना सैन्य आधार उन्नत बनाने तथा छह नियमित सशस्त्र टुकड़ियां बनाने के साथ–साथ नए घातक हथियार प्राप्त कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर मुख्यमंत्रियों की 20.12.2007 को हुई बैठक में विचार किया गया था।

कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण राज्य में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं/मुद्दों से निपटने की प्रारंभिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 मे हुई 1509 घटनाओं और 678 हताहतों की तुलना में वर्ष 2007 में 1565 घटनाएं एवं 696 हताहत हुए।

नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों एवं संसाधनों को बढ़ावा देती है जिनमें शामिल है केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देना, राज्य पुलिस एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय को प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता देना, आसूचना भागीदारी करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजना श्रृंखला के जरिए विकास कार्यों में अंतर–राज्य समन्वय लाना एवं उनमें सहायता करना।

इस समय राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की 33 बटालियनों को (अंतर राज्य प्रतिनियुक्ति पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल की 1 बटालियन सहित) नक्सलवाद रोधी कार्यों पर तैनात किया गया है: आंध्र प्रदेश – 4; बिहार–4; छत्तीसगढ़–13; झारखंड–5; मध्य प्रदेश–1; उड़ीसा–4; उत्तर प्रदेश–1; और पश्चिम बंगाल–1।

उड़ीसा के नयागढ़ एवं गंजम जिलों में 15/16.02.2008 को विविध पुलिस अवस्थापनाओं पर नक्सलवादी हमले के पश्चात उड़ीसा को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां (राज्य में पहले से तैनात 4 बटालियनों के अतिरिक्त) तत्काल उपलब्ध कराई गई।

टैलीविजन पर आने वाली विषय-वस्तु का विनियमन

132. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली विषय–वस्तु को विनियमित करने की कोई मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंसर बोर्ड ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली विषय–वस्तु को भी फिल्मों जितना विनियमित किया जाना चाहिए;

(घ) क्या यह सुझाव दिया गया है कि सेंसर बोर्ड को टेलीविजन प्रसारण को भी प्रमाणित करना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीविजन विषय–वस्तु को भी सेंसर करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) देश में टी.वी. विषय–वस्तु को विनियमित करने के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19 सितम्बर, 2007 को आयोजित सिमकॉन XXVI सहित विभिन्न मंचों से ऐसी कई मांगें की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा

133. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, वस्तु विनियम आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम व्यापार तथा विपणन कंपनियों के मामले में भारतीय हिस्सेदारी के 26 प्रतिशत हिस्से के अनिवार्य विनिवेश की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार के इस निर्णय पर किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में परिवर्तनों को अनुमोदित किया है:

i. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पेट्रोलियम शोधन में, मौजूदा पीएसयू में घरेलू इक्विटी में किसी प्रकार के विनिवेश या इसमें कमी के बिना, सरकार ने विदेशी इक्विटी सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किये जाने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में वास्तविक व्यापार एवं विपणन के लिये 5 वर्ष के भीतर 26 प्रतिशत तक इक्विटी की अनिवार्य विनिवेश की शर्त की समाप्ति को भी अनुमोदित कर दिया है।

ii. सरकार ने उत्पाद विनियम में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा 23 प्रतिशत की निवेश सीमा एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर 26 प्रतिशत की सीमा के साथ अनुमोदन प्रदान किया है। एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाजार तक सीमित होगा तथा इन कंपनियों में कोई अकेली कंपनी (इन्टिटी) 5 प्रतिशत इक्विटी से ज्यादा नहीं रखेगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त नीति को पणधारियों के साथ परामर्श तथा अंतर–मंत्रालयीय परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। एफ. डी. आई. नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है।

रेडियो और टेलीविजन टावरों की स्थापना

134. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान रेडियो और टेलीविजन टावरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे टावरों की स्थापना पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है;

(घ) आज की तारीख तक कितने शहरों में उक्त टावर स्थापित नहीं किए गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी के संबंध में कुल प्राक्कलित लागत 182 करोड़ रु. है। दूरदर्शन के संबंध में यह लागत 198.37 करोड़ रुपये है।

(घ) सरकार द्वारा रेडियो और टी वी ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु अपनाए गए मानदंडों में निम्नलिखित कारक शामिल हैं जैसे कि शहरी और ग्रामीण आबादी को परिणामी कवरेज की सीमा; जनजातीय, पहाड़ी, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवरेज का प्रावधान; स्थलीय परिस्थितियां आदि, और इसका शहरों की संख्या से कोई संबंध नहीं है।

(ङ) दूरदर्शन की फ्री–टु–एयर डी टी एच सेवा "डी डी डायरेक्ट प्लस" के जरिए समस्त देश में (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) बहु चैनल रेडियो तथा टी वी कवरेज उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ	आकाशवाणी राज्य क्षेत्र ट्रांसमीटरों की संख्या	दूरदर्शन के के ट्रांसपीटरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	–	16
2.	आंध्र प्रदेश	7	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	–
4.	असम	5	1
5.	बिहार	1	1
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
7.	छत्तीसगढ़	1	–
8.	दादर और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
9.	दमन एवं दियू (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
10.	दिल्ली	2	–
11.	गोवा	–	–
12.	गुजरात	3	2
13.	हरियाणा	2	2
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1
15.	जम्मू और कश्मीर	1	2
16.	झारखंड	2	–
17.	कर्नाटक	2	–
18.	केरल	1	1
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	1	6
20.	मध्य प्रदेश	1	1
21.	महाराष्ट्र	7	1
22.	मणिपुर	2	–
23.	मेघालय	1	–
24.	मिज़ोरम	3	–
25.	नागालैंड	4	–
26.	उड़ीसा	1	–
27.	पंजाब	3	2
28.	पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
29.	राजस्थान	7	2
30.	सिक्किम	1	–
31.	तमिलनाडु	4	1
32.	त्रिपुरा	3	–
33.	उत्तर प्रदेश	8	–
34.	उत्तराखंड	6	–
35.	पश्चिम बंगाल	6	2
	कुल	93	41

नोट :– उपर्युक्त के अलावा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में 100 अल्प शक्ति एफ एम ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी अनुमोदन किया है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते

136. श्री जसुभाई धामाभाई बारड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन माह के दौरान किसी अन्य देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) किया है जिस पर दिनांक 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। 539 टैरिफ लाइनों के संबंध में टैरिफ समाप्ति/कमी की संशोधित अनुसूची को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 20.12.2007 को नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सी ई सी ए में संशोधन हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस टैरिफ रियायत में दोनों देशों का आर्थिक लाभ के साथ द्विपक्षीय व्यापार में आगे और वृद्धि होगी।

मदरसों का आधुनिकीकरण

137. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण और 3000 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 250 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम और उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे थे। प्रस्तावों की जांच करने के बाद, मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान 135 मदरसा अध्यापकों के लिए 48.60 लाख रु. और 1400 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिये 1.75 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार

138. श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच किन क्षेत्रों में व्यापार चल रहा है;

(ख) क्या सरकार के पास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आगामी वर्षों के लिए संभावित नए क्षेत्र कौन से हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत और यू के के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः पेट्रोलियम, सिलेसिलाए वस्त्र, मशीनें एवं उपकरण, धातु विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण, मोती, बेशकीमती एवं कीमती नगीनें, इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक को छोड़कर मशीनें, सोना, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं, धातुमय अयस्क और धातु स्क्रैप आदि है।

(ख) और (ग) द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा भारत–यू के संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जे ई टी सी ओ) द्वारा की जाती है जिसकी सह–अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और यू के की ओर से उनके समकक्ष मंत्री द्वारा की जाती है। जे ई टी सी ओ का कार्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने सहित आर्थिक सहयोग के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के तौर–तरीकों को अभिज्ञात करना है। इसे आर्थिक सहयोग संबंधी विशिष्ट मुद्दों एवं क्षेत्रों के संबंध में विचार विमर्श करने का कार्य भी सौंपा गया है और ऐसे विचार–विमर्श के आधार पर यह ऐसे विशिष्ट मुद्दों का निपटान करने के लिए अनुषंगी कार्य समूह गठित करने का निर्णय ले सकती है। पारंपरिक और अपारंपरिक क्षेत्रों में व्यापार एवं निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए समिति व्यवसाय नीत उपायों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा करती है। इस अधिदेश के अनुसरण में जे ई टी सी ओ ने कतिपय मुख्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है जिनमें द्विपक्षीय व्यापार की विशाल संभावना है और इन क्षेत्रों में व्यवसाय नीत कार्य समूहों की स्थापना हैं। ये क्षेत्र हैं : कृषि व्यवसाय, लेखांकन सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग स्वास्थ्य रक्षा, अवसंरचना, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, विधिक सेवाएं और निगमित मामले। इन कार्य समूहों को दोनों देशों की सरकारों को नीतिगत सिफारिशें करने और इन मुख्य क्षेत्रों में व्यावसायिक भागीदारी का स्तर बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) में घोटाला

139. श्री रशीद मसूद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी बी आई द्वारा राज्य व्यापार निगम में पता लगाए गए 150 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उक्त घोटाले के संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घोटाले की राशि को भी जब्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (क) से (ङ) एक शिकायत के आधार पर सरकार ने मै. मेट्रो मशीनरी ट्रेडर्स तथा मै. ए जी ऐग्रो प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एस टी सी के एक सौदे से संबंधित मुद्दे की जांच की। जांच

के आधार पर एस टी सी के दो पूर्व निदेशकों सहित पांच अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई है। मामले की और विस्तारपूर्वक जांच के लिए मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

जेलों में कुप्रबंधन

140. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न जेलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ ही श्रम कुप्रबंधन बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा जेलों के नाम सहित उनकी क्षमता तथा प्रत्येक जेल में बंद कैदियों की लिंग–वार तथा राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन प्रमुख रुप ये संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व हैं। मानवाधिकार उल्लंघन और श्रम कुप्रबंधन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(1) जेलों में क्षमता बढ़ाने, भीड़भाड़ को कम करने और कारागारों में सफाई व्यवस्था और रहन स्तर के स्तर में सुधार करने के लिए एक कारागार आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया है ताकि किसी अपराध के दंडों में से एक दंड मृत्यु दंड प्राप्त अभियुक्त से भिन्न विचारणाधीन कैदि यदि कथित अपराध के दिए प्रदत्त कारायास की अधिकतम अवधि में से आधी अवधि तक जेल में बंद रहता है तो उसे जमानत अथवा बिना जमानत के उसके व्यक्तिगत बोंड पर छोड़ दिया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में विचारणाधीन किसी भी ऐसे कैदी को उस अवधि से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जाएगा जिस अवधि के लिए उसे दोषी पाया जाएगा।

(3) वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के विचार से "प्ली बारगेनिंग" पद्धति प्रारंभ की है।

(4) दीर्घकाल से लंबित सत्रों और अन्य मामलों के नियमन के लिए भारत सरकार ने 1562 फास्ट ट्रेक कोर्ट भी स्थापित किए हैं। जिन्होंने उन्हें अंतरित 18.2 लाख मामलों में से कुल 10.4 लाख मामलों का निपटान किया है।

(5) भारत सरकार ने माडल कारागार नियम तैयार किए हैं और उन्हें दिसंबर 2003 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित किया है। इस नियम पुस्तक का उद्देश्य कारागारों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित किए जाने के लिए कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता लाना है।

ऐसी जेलों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। 31.12.06 को जेलों की राज्य/संघ क्षेत्रवार क्षमता और उनमें बंद कैदियों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006 के अंत में अन्य जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अन्य जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	250	0	250	24	0	24
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	28	0	28	26	4	30
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	91	6	97	257	0	257
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	40	0	40	50	0	50
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	4	409	6	415	357	4	361
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	960	40	1000	412	26	438
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	1	960	40	1000	412	26	438
	कुल (अखिल भारत)	5	1369	46	1415	769	30	799

*जेल विद्यमान नहीं है।
एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में विशेष जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशेष जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	360	12	372	307	2	309
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	2	170	10	180	186	10	196
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	2	238	12	250	180	0	180
13.	केरल	5	377	47	424	471	19	490
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	243	3	246	196	5	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	2	1043	30	1073	1248	33	1281
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	10	0	10	10	0	10
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	4	946	95	1041	741	28	769
	कुल (राज्य)	18	3387	209	3596	3339	97	3436
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	18	3387	209	3596	3339	97	3436

*जेल विद्यमान नहीं है।

एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में खुली जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खुली जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	430	0	430	335	0	335
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	100	0	100	43	0	43
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	2	100	0	100	75	0	75
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80	0	80	38	0	38
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	80	0	80	33	0	33
13.	केरल	2	350	0	350	254	0	254
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	3	722	0	722	642	0	642
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	100	0	100	68	0	68
21.	पंजाब	1	200	0	200	29	0	29
22.	राजस्थान	10	456	0	456	396	15	411
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	1	100	0	100	53	0	53
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	1	300	0	300	235	0	235
28.	पश्चिम बंगाल	1	70	0	70	68	0	68
	कुल (राज्य)	27	3088	0	3088	2269	15	2284
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	27	3088	0	3088	2269	15	2284

*जेल विद्यमान नहीं है।
एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में सुधार ग्रहों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुधार ग्रहों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	93	0	93	14	0	14
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	1	15	15	30	17	0	17
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	100	0	100	45	0	45
12.	कर्नाटक	1	200	0	200	0	0	0
13.	केरल	1	100	0	100	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	105	0	105	29	0	29
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	300	0	300	250	0	250
22.	राजस्थान	1	90	0	90	16	0	16
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	405	0	405	339	0	339
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	9	1408	15	1423	710	0	710
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	9	1408	15	1423	710	0	710

*जेल विद्यमान नहीं है।
एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में महिला जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	महिला जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	0	320	320	0	372	372
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	0	83	83	0	88	88
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	1	0	60	60	0	46	46
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	0	262	262	0	381	381
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	0	55	55	0	21	21
21.	पंजाब	1	0	150	150	0	207	207
22.	राजस्थान	2	0	350	350	0	215	215
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	0	513	513	0	789	789
25.	त्रिपुरा	1	0	30	30	0	22	22
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	100	100	0	52	52
	कुल (राज्य)	13	0	1923	1923	0	2193	2193
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1	0	400	400	0	463	463
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	1	0	400	400	0	463	463
	कुल (अखिल भारत)	14	0	2323	2323	0	2656	2656

*जेल विद्यमान नहीं है।

एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में उप–जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उप–जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	2954	350	3304	3660	75	3736
2.	अरुणाचल प्रदेश*	--	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1	24	8	32	58	1	59
4.	बिहार	25	4023	225	4248	8707	301	9008
5.	छत्तीसगढ़	17	1052	113	1165	2140	0	2140
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	12	1214	78	1292	1684	81	1765
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	6	159	19	178	275	12	287
10.	जम्मू और कश्मीर	3	250	0	250	82	0	82
11.	झारखंड	4	474	26	500	1085	33	1118
12.	कर्नाटक	81	4184	405	4589	2801	53	2854
13.	केरल	26	1038	154	1192	1415	26	1441
14.	मध्य प्रदेश	86	6157	547	6704	8456	78	8534
15.	महाराष्ट्र	172	2361	0	2361	155	9	164
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	6	247	23	270	217	23	240
20.	उड़ीसा	52	3037	333	3370	5596	231	5827
21.	पंजाब	11	676	0	676	1300	0	1300
22.	राजस्थान	59	3330	281	3611	2176	10	2186
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	113	3230	602	3832	2749	502	3251
25.	त्रिपुरा	7	408	14	422	444	8	452
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	2	323	13	336	806	24	830
28.	पश्चिम बंगाल	29	1517	234	1751	2921	181	3102
	कुल (राज्य)	832	36658	3425	40083	46727	1649	48376
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	30	10	40	8	0	8
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	1	50	10	60	33	0	33
32.	दमण और दीव	2	80	40	120	53	1	54
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	4	56	0	56	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	20	10	30	7	0	7
	कुल (संघ शासित)	12	236	70	306	101	1	102
	कुल (अखिल भारत)	844	36894	3495	40389	46828	1650	48478

*जेल विद्यमान नहीं है।
एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में जिला जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	1518	119	1637	2571	239	2810
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	18	2213	254	2467	4003	140	4143
4.	बिहार	23	9352	350	9702	21613	757	22370

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	6	1087	98	1185	1657	75	1732
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	6	1591	71	1662	3280	137	3417
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	2	204	6	210	257	14	271
10.	जम्मू और कश्मीर	8	1570	60	1630	1311	46	1357
11.	झारखंड	19	3941	206	4147	8945	364	9309
12.	कर्नाटक	6	1088	108	1196	1079	53	1132
13.	केरल	3	347	34	381	794	24	818
14.	मध्य प्रदेश	22	4883	378	5261	6160	248	6408
15.	महाराष्ट्र	23	4733	289	5022	6520	384	6904
16.	मणिपुर	2	100	0	100	0	0	0
17.	मेघालय	4	485	35	520	612	9	621
18.	मिजोरम	5	441	72	513	311	40	351
19.	नागालैंड	3	333	17	350	173	5	178
20.	उड़ीसा	13	4266	164	4430	6997	193	7190
21.	पंजाब	5	1694	18	1712	2320	108	2428
22.	राजस्थान	25	4706	223	4929	3368	134	3502
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	6	159	84	243	61	119	180
25.	त्रिपुरा	2	252	6	258	200	3	203
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	6	1012	55	1067	1534	45	1579
28.	पश्चिम बंगाल	12	5275	528	5803	3622	293	3915
	कुल (राज्य)	228	51250	3175	54425	77388	3430	80818
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	239	30	269	336	2	338
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1	1050	0	1050	1559	0	1559
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	40	10	50	78	0	78
	कुल (संघ शासित)	3	1329	40	1369	1973	2	1975
	कुल (अखिल भारत)	231	52579	3215	55794	79361	3432	82793

*जेल विद्यमान नहीं है।

एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

वर्ष 2006 के अंत में केन्द्रीय जेलों में कैदियों की क्षमता और आबादी

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रिय जेलों की संख्या	कैदियों की कुल क्षमता			बंद कैदियों की आबादी		
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	6428	204	6632	7996	158	8154
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	6	3247	139	3386	3884	100	3984
4.	बिहार	6	10334	125	10459	12543	272	12815
5.	छत्तीसगढ़	4	2719	230	2949	6091	396	6487
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7.	गुजरात	2	2387	79	2466	6070	270	6340
8.	हरियाणा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9.	हिमाचल प्रदेश	2	483	23	506	704	19	723
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1210	10	1220	181	13	831
11.	झारखंड	4	6390	168	6558	9846	376	10222
12.	कर्नाटक	6	4972	250	5222	8077	400	8477
13.	केरल	3	2278	239	2517	3381	74	3455
14.	मध्य प्रदेश	8	7723	567	8290	16605	453	17058
15.	महाराष्ट्र	8	10993	389	11382	16860	578	17438

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	2	860	110	970	383	15	398
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	456	89	545	338	40	378
19.	नागालैंड	1	550	50	600	256	0	256
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	7	7984	252	8236	10440	461	10901
22.	राजस्थान	8	7927	191	8118	7556	97	7653
23.	सिक्किम	1	100	21	121	222	3	225
24.	तमिलनाडु	9	12272	84	12356	13940	44	13984
25.	त्रिपुरा	1	355	0	355	693	0	693
26.	उत्तर प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	6	10652	305	10957	9789	498	10287
	कुल (राज्य)	94	100320	3525	103845	136492	4297	140759
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	8	4800	0	4800	11378	0	11378
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	201	24	225	223	4	227
	कुल (संघ शासित)	9	5001	24	5025	11601	4	11605
	कुल (अखिल भारत)	103	105321	3549	108870	148093	4271	152364

*जेल विद्यमान नहीं है।
एन. ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास

141. श्री विजय कृष्ण :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और सुरक्षा के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है

(ख) क्या अनेक लघु उद्यम पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंद हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित तीन वर्षों के दौरान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान व वर्तमान वर्ष के

दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित व व्यय की गई निधियों का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2008–09 के लिए देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए तैयार किए गए नए प्रस्तावों व योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संवर्धन व विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, केंद्र सरकार विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सहयोगी उपाय करते हुए उनके प्रयासों का अनुपूरण करती है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख प्लान योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण–I में संलग्न है।

(ख) से (घ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ़ती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व पंजीकृत लघु उद्योगों (अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण–II में है। 1973–74, 1990–91 और 2001–02 में आयोजित तीनों अखिल भारतीय गणनाओं की रिपोर्ट पहले पंजीकृत लघु उद्योगों की बंदी के बारे में विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करती हैं। दूसरी अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पूर्व पंजीकृत लघु उद्योगों का लगभग 35 प्रतिशत दूसरी अखिल भारतीय गणना के दौरान बंद पाए गए, जबकि तीसरी अखिल भारतीय गणना में पूर्व पंजीकृत इकाइयों का 39 प्रतिशत बंद पाया गया। वर्ष दर वर्ष आधार पर ऐसे केंद्रीकृत आंकड़ों को रखना संभव नहीं है। तथापि, तीनों अखिल भारतीय गणना द्वारा प्रदान किए गए इन आंकड़ों को विशिष्ट उद्यमों के परियोजना जीवन चक्र और अन्य कारणों के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

(ङ) सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पहले लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) की सभी योजनाओं के तहत आबंटित और व्यय किए गए निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में है।

(च) फरवरी, 2007 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज की घोषणा और XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत योजनाओं/ कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के बाद, अन्य योजनाओं को जारी रखने के अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथ–साथ, एमएसएमई के संवर्धन व विकास के लिए निम्नलिखित नई पहलें आरंभ की हैं:–

(i) विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक कलस्टरों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रति–स्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। एनएमसीपी एक 10 बिंदु वाला कार्यक्रम है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, औद्योगिक डिजाइन के लिए सहायता, लीन विनिर्माण और प्रौद्योगिकियों का आरंभ, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को लोकप्रिय बनाना और उसकी प्राप्ति, नए विचारों को विकसित करने के लिए बिजनेस इनक्यूबेटरों की स्थापना, एमएसएमई द्वारा आईसीटी के प्रयोग का बढ़ावा देना, विपणन पहलें, आदि शामिल हैं।

(ii) विभिन्न संस्थानों से सफलतापूर्वक उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)/कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी), आदि पूर्ण करने वाले भावी प्रथम पीढ़ी उद्यमियों के हैंडहोल्डिंग सहयोग और विकास के लिए राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयू एमवाई) कार्यान्वित की जा रही है।

(iii) उद्यमिता को बढ़ावा देन के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों/व्यवसाय स्कूलों में उद्यमी क्लबों की स्थापना।

(iv) प्रौद्योगिकी बिक्र किल्नों में वर्टिकल शैफ्ट बिक्र किल्न (वीएसबीके) का संवर्धन

(v) एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना।

(vi) एमएसएमई विकास संस्थानों के माध्यम से समाज के लाभ वंचित वर्गों, खासकर अनु.जा./अनु.जनजा./महिलाओं/शारीरिक विकलांगों से संबंधित लोगों के लिए विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रमों, जैसे उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी), आदि का आयोजन।

(vii) उच्चतर उपयोग और पहुंच के लिए संशोधित मानदंडों के साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन।

विवरण-I

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख प्लान योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. क्रेडिट गारण्टी फंड योजना

यह योजना नए एवं विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 50 लाख रु. तक के ऋणों पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित समपार्श्विकता मुक्त क्रेडिट (सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण) के 75 प्रतिशत तक का (महिलाओं के लिए 80%) गारण्टी कवर प्रदान करती है। योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

2. सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक कलस्टर अर्थात किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समान अथवा एक ही प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के समुच्चय का होलिस्टिक विकास करना है। ऐसे कलस्टरों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान निदानात्मक अध्ययन द्वारा की जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, आदि जैसे क्षेत्रों में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के संबंध में कलस्टर के विकास के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जाती है।

3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)

आरईजीपी के तहत, उद्यमी अधिकतम 25 लाख रु. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

पीएमआरवाई के तहत, देशभर में अपने उद्यम स्थापित करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान की जाती है। पीएमआरवाई के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों परन्तु प्रत्यक्ष कृषि प्रचालनों जैसे कि फसल उगाना, खाद की खरीद, आदि को छोड़कर आर्थिक रूप से जीवनक्षम सभी कार्यकलाप स्वीकार्य हैं।

5. आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों आईएसओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने की लागत की 75 प्रतिशत अथवा 75,000 जो भी कम हो, की मात्रा तक प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उनकी विपणन योग्यता में सुधार लाना है।

6. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

स्वरोजगार-रत बनने के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युवाओं को समर्थ बनाने की दृष्टि से ईडीपी/एमडीपी संचालित किए जाते हैं। पाठ्यक्रमों में 22.5 प्रतिशत सीटें समाज के कमजोर वर्गों के समर्थन में आरक्षित की जाती है, जिन्हें बिना किसी लागत के प्रशिक्षित किया जाता है और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 500 रु. की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

7. महिला कॅयर योजना

कॅयर बोर्ड की महिला कॅयर योजना के तहत राज्य में ग्रामीण महिलाओं को छात्रवृत्ति सहित स्पिनिंग कैयर यार्न पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर स्पिनिंग रैट्स की प्राप्ति के लिए सफल प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

8. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य अति लघु, खादी, ग्रामीण और कॅयर औद्योगिक इकाइयों सहित लघु इकाइयों को योजना के तहत अनुमोदित विनिर्धारित उप-क्षेत्रों/उत्पादों में उनके उत्पादन उपस्कर (प्लांट व मशीनरी) के आधुनिकीकरण के लिए उनके द्वारा लिए गए संस्थागत वित्त (क्रेडिट) पर अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है।

विवरण-II

लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उद्योग निदेशालयों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जारी स्थायी रूप से पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों/ई. एम. (भाग II) की अखिल भारतीय कुल संख्या को दर्शाता ब्यौरा

		वर्ष तक पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योगों/एमएसएमई की कुल संख्या		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	18,560	19,675	20,782
2.	हिमाचल प्रदेश	15,328	17,033	18,139
3.	पंजाब	68,326	68,999	69,604
4.	चंडीगढ़	1,465	1,506	1,536
5.	उत्तरांचल	23,891	26,767	30,268
6.	हरियाणा	41,777	42,793	43,945
7.	दिल्ली	7,596	7,637	7,676
8.	राजस्थान	59,260	63,127	65,967
9.	उत्तर प्रदेश	240,857	265,633	287,627

1	2	3	4	5
10.	बिहार	67,398	70,959	74,868
11.	सिक्किम	224	234	244
12.	अरुणाचल प्रदेश	429	448	469
13.	नागालैंड	2,396	2,803	3,479
14.	मणिपुर	5,025	5,160	5,294
15.	मिजोरम	3,728	4,043	4,458
16.	त्रिपुरा	1,071	1,105	1,146
17.	मेघालय	3,262	3,721	4,257
18.	असम	20,113	21,071	21,837
19.	पश्चिम बंगाल	46,891	48,034	49,249
20.	झारखंड	24,633	26,332	28,468
21.	उड़ीसा	18,098	18,917	19,815
22.	छत्तीसगढ़	39,250	40,243	41,209
23.	मध्य प्रदेश	135,240	145,119	154,439
24.	गुजरात	173,385	181,128	186,106
25.	दमन व दीव	1,768	1,839	1,924
26.	दादरा व नागर हवेली	1,397	1,480	1,543
27.	महाराष्ट्र	115,811	124,668	134,212
28.	आंध्र प्रदेश	69,183	70,478	72,107
29.	कर्नाटक	142,401	151,202	159,882
30.	गोवा	2,936	3,042	3,089
31.	लक्षद्वीप	107	116	126
32.	केरल	187,330	192,976	197,842
33.	तमिलनाडु	281,568	298,261	316,518
34.	पांडिचेरी	2,507	2,637	2,722
35.	अंडमान और निकोबार	1,000	1,043	1,063
	अखिल भारत	1,824,211	1,930,299	2,031,910

विवरण-III

वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम योजनाओं की निधियों के आबंटन और उपयोग का ब्यौरा

क्र.सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	ब.अ. 2004–05	उपयोग की गई/व्यय की गई 2004–05	ब.अ. 2004–05	उपयोग की गई/व्यय की गई 2004–05	ब.अ. 2004–05	उपयोग की गई/व्यय की गई 2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
I	लघु उद्योगों का संवर्धन	10.98	8.92	11.31	11.31	15.09	11.95
II	विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	10.43	10.39	11.20	9.70	16.85	16.08
III	1 प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास	6.34	4.84	6.76	6.09	8.58	6.94
	2 ट्रैड योजना	0.50	0.26	0.50	0.43	1.11	0.45
IV	अनुषंगी विकास के लिए उपसंविदा केन्द्र	1.00	0.81	1.10	1.03	1.20	0.91

1	2	3	4	5	6	7	8
V	टूल रूमों के लिए योजना	26.85	27.24	30.00	29.96	29.34	28.84
VI	विपणन सहायता एवं ईपी योजना	2.32	2.02	2.32	2.46	2.62	2.99
VII	क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र एवं स्थान परीक्षण स्थान	3.55	2.40	4.05	2.54	4.05	2.98
VIII	प्रौद्योगिकी उन्नयन	25.49	22.30	30.00	27.80	62.93	33.05
IX	कैड/कैम केन्द्र, चेन्नै	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
X	एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना	15.45	16.24	30.00	20.68	19.00	19.67
XI	सांख्यिकी संग्रहण	4.40	3.24	5.00	4.38	8.75	4.73
XII	1 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	196.29	196.29	200.00	205.90	118.1	126.10
	2 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम	2.00	2.00	5.00	2.75	32.28	10.00
XIII	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना	6.10	5.40	20.00	25.88	61.81	73.64
XIV	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
XV	निवेश (इक्विटी शेयर कैपिटल)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
XVI	अन्य अनुदान	6.00	1.73	11.00	12.97	18.45	17.67
XVII	विपणन सहायता योजना	9.00	7.75	11.50	9.83	9.50	10.28
XVIII	एनटीएससी अनुदान सहायता के व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	9.39	4.50	4.00	2.00	2.00
XIX	सर्वेक्षण एवं अध्ययन एवं नीति अनुसंधान	2.00	0.32	0.50	0.23	2.00	0.18
XX	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2.50	1.30	1.00	1.20	1.75	1.75
XXI	राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड	0.50	0.68	0.50	0.59	1.00	1.00
XXII	प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट, निस्वड, ईडीआई, आईआईई)	5.45	6.24	4.57	4.85	5.65	5.10
XXIII	राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग	0.00	1.44	3.00	2.96	32.87	5.60

1	2	3	4	5	6	7	8
XXIV	केवीआईसी	437.00	460.99	587.00	558.56	592.93	589.82
XXV	कॅयर बोर्ड	18.00	16.80	23.00	35.43	23.00	21.90
XXVI	पीएमआरवाई*	219.00	218.19	219.00	272.54	325.10	248.51
XXVII	स्फूर्ति	100.00	–	30.00	1.50	25.97	25.53
	सकल योग (एमएसएमई मंत्रालय)	1136.25	1042.18	1267.91	1270.57	1436.93	1282.68

*इसमें एनपीआरआई शामिल है।

टिप्पणी : वर्तमान वर्ष के लिए व्यय के अंतिम आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंत तक उपलब्ध होंगे।

उच्च शिक्षा में शुल्क ढांचा

142. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क ढांचे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रही है ताकि एक ऐसी रणनीति तैयार की जा सके जिससे उच्च शिक्षा में शुल्क न ही अत्यधिक कम हों और न ही वह उच्च शिक्षा के समान प्रसार की दिशा में अवरोध बनें;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि शुल्क ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उससे प्रचालन लागत की कम से कम 20 प्रतिशत राशि हासिल की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शुल्क ढांचे को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्व वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले और शुल्क संरचना के लिए विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है।

(ख) और (ग) 11वीं योजना दस्तावेज में योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ सुझाव दिया है कि चूंकि अधिकांश विश्वविद्यालय के छात्र आय स्तरों की दृष्टि से उच्च 10 प्रतिशत जनसंख्या में से होते हैं, अतः वे सामान्य उच्चतर शिक्षा की ऑपरेटिंग लागत की 20 प्रतिशत राशि का शुल्क देने में सक्षम होंगे। इसलिए विद्यमान संस्थाओं में शुल्क स्तरों को धीरे–धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन नए मानदंड शुरू से नई संस्थाओं में कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

स्टिंग आप्रेशन पर निर्णय

143. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, मीडिया संगठन सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद ही स्टिंग आप्रेशनों को प्रसारित कर पाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में इस विषय को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो निर्णय में स्टिंग प्रसारण के विषय में व्यक्त अन्य मुद्दे क्या हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक शामिल व कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि दिशानिर्देश पर संबंधित मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने से पहले, उन्हें परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित किया जाए और यदि उन्हें अनुकूल पाया जाता है तो उन्हें समुचित और उपयुक्त समझे जाने वाले आशोधनों के साथ अधिनियमनों/दिशानिर्देशों में समाविष्ट किया जाए।

(ग) और (ङ) प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में समाविष्ट किए जाने वाले मुद्दों पर कोई अंतिम राय कायम नहीं की गई है।

(घ) समावेदन बनाम राज्य पर दिनांक 14.12.2007 को डब्ल्यू. पी. (सी आर एल) सं. 1175/2007–कोर्ट में दिया गया निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर उपलब्ध है।

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

144. प्रो. एम. रामदास :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम क्या रहे;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए सरकार तथा खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कोई आर्थिक सहायता, ऋण तथा राज सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने तथा राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार तथा खादी और ग्राम उद्योग आयोग को कोई प्रस्ताव दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं तथा इस संबंध में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) द्वारा किए गए प्रयासों में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, अर्थात ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन शामिल है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में ग्रामोद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के संबंध में बैंक ऋण के साथ 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक केवीआईसी द्वारा मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक/महिलाओं/अनु.जा.जा./अ.पि.व., आदि जैसे कुछ लाभवंचित/विशेष श्रेणियों के मामले में, 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रुपये तक परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर बढ़ी हुई मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी के तहत उपयोग की गई मार्जिन मनी और अनुमानित अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन निम्नलिखित है:

वर्ष	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	रोजगार सृजन (व्यक्तियों की संख्या)	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रुपये में)
2004-05	23453	530025	29239.95
2005-06	26650	567676	32095.75
2006-07	26087	595451	34979.35

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए केवीआईसी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ तालमेल किया है। आरईजीपी के तहत विभिन्न बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेजों जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम, विपणन, जागरूकता शिविरों के आयोजन, आदि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। आरईजीपी के तहत महिला उद्यमियों के लाभ के लिए केवीआईसी ने एमडब्ल्यूसीडी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एमओयू के अनुसार, केवीआईसी ने एमडब्ल्यूसीडी ने आरईजीपी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन और उनके उत्पादों के विपणन के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए सहमति दी है। केवीआईसी ने ग्रामीण उद्यमियों के बीच आरईजीपी योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के द्वारा उन्हें लाभ पहुंचाने और आरईजीपी के तहत विपणन माध्यमों के सृजन के लिए आर्मी वाइव्स वेलफेयर ऐसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे विभिन्न अन्य संगठनों के साथ भी तालमेल स्थापित किया है। इसके अलावा, विनिर्माण, परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव, आदि में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधा और सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना में सहायता देने के लिए ग्रामीण उद्योग केंद्र (आरआईएससी) योजना भी आरंभ की गई है।

(घ) आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन सीधे, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते हैं। आरईजीपी के तहत, एक पात्र उद्यमी केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके एक ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, भावी उद्यमी को सीधे केवीआईसी के राज्य कार्यालयों या संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के खादी व ग्रामोद्योग

बोर्ड (केवीआईबी) या कार्यान्वयक बैंक को परियोजना प्रस्ताव देना होता है। परियोजना का अनुमोदन संबंधित बैंकों द्वारा तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

सबमर्सिबल कैप्सूल

145. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) सागर के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए सबमर्सिबल कैप्सूल बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै ने दूर से प्रचालित किए जा सकने वाले मानवरहित पनडुब्बीनुमा यंत्र का डिजाइन बनाकर उसका विकास किया है। यह यंत्र 2.53 मीटर लम्बा, 1.8 मीटर चौडा तथा 1.7 मीटर ऊंचा है। यह 150 कि.ग्रा. भार ले जा सकता है। इस जलयान और उसकी नियंत्रण प्रणाली के लिए संपूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। जल ध्वनिक नौसंचालन प्रणाली (एच.ए.एन.एस.), इनर्शियल नौसंचालन प्रणाली और डॉप्लर वेलोसिटी लॉग युक्त एक एकीकृत नौसंचालन प्रणाली भी विकसित की गई है। इससे शोधकर्ताओं को नमूने लेने, समुद्र संस्तर की फोटोग्राफी करने, अन्तर्जल वाहनों, पाइपलाइनों का निरीक्षण इत्यादि करने जैसे विभिन्न शोध संबंधी कार्य करने में सुविधा मिलेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना

146. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की समस्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 28.02.2007 के अपने बजट भाषण में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर को कम करने और मेधावी परन्तु गरीब विद्यार्थियों को कक्षा–VIII से आगे पढ़ाई जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्सहित करने के उद्देश्यार्थ राष्ट्रीय साधन–व–योग्यता छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना में कक्षा IX से XII में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु 500/– रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनयूईपीए का निष्कर्ष

147. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना व प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में 27 लाख प्राथमिक स्कूल शिक्षकों ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन में देश में इस प्रकार के शिक्षकों का राज्यवार प्रतिशत भी दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का कोई मानदण्ड है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्यों को एसएसए के अंतर्गत उक्त शिक्षकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो एनयूईपीए के प्रतिवेदन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन

विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के माध्यम से देश के सभी जिलों से प्रारंभिक स्कूल आंकड़े एकत्र करता है। वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली डाटा के अनुसार नियमित प्रारंभिक स्कूल के 44.01% शिक्षकों के पास उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक अर्हता होती है।

(ख) और (ग) नियमित प्रारंभिक स्कूल शिक्षक जिनकी शैक्षिक अर्हता उच्चतर माध्यमिक स्तर तक है, की राज्य–वार संख्या और प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता निर्धारित की है; जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है। राज्यों के लिए एनसीटीई द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हताओं के अनुरुप अपने अध्यापक भर्ती नियम बनाने आवश्यक हैं। एनसीटीई विशेष मामलों में छूट भी प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं निम्नलिखित हैं:–

स्तर	न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हता
प्राथमिक	i) वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सर्टीफिकेट अथवा इंटरमीडिएट अथवा इसके समान, और
	ii) कम–से–कम 2 वर्ष की अवधि का बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट अथवा प्रारंभिक शिक्षा स्नातक।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासक विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक सूचना प्रणाली आंकड़ 2006–2007 के अनुसार नियमित प्रारंभिक स्कूल शिक्षक जिनकी अकादमिक अर्हता उच्चतर माध्यमिक स्तर तक है की राज्यवार संख्या और प्रतिशतता

राज्य का नाम	कुल नियमित प्रारंभिक स्कूल शिक्षक	उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अर्हता प्राप्त शिक्षक शिक्षकों की प्रतिशतता	उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अर्हता प्राप्त
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3502	1588	45.35
आंध्र प्रदेश	438664	77888	17.76
अरुणाचल प्रदेश	7951	2785	35.03
असम	205889	142047	68.99
बिहार	201618	96328	47.78
चंडीगढ़	5292	557	10.53
छत्तीसगढ़	128755	46933	36.45
दादरा और नगर हवेली	1004	593	59.06
दमन और दीव	605	297	49.09
दिल्ली	89839	8519	9.48
गोवा	6758	3259	48.22
गुजरात	214930	161612	75.19
हरियाणा	77154	29170	37.81
हिमाचल प्रदेश	50268	23679	47.11
जम्मू और कश्मीर	79347	28585	36.03
झारखंड	80735	35419	43.87
कर्नाटक	249871	181330	72.57
केरल	124679	69148	55.46
लक्षद्वीप	414	295	71.26
मध्य प्रदेश	360845	145933	40.44
महाराष्ट्र	547116	273325	49.96
मणिपुर	20197	7167	35.49
मेघालय	28128	21608	76.82
मिजोरम	13020	8043	61.77
नागालैंड	86619	47186	54.48
उड़ीसा	150183	95581	63.63
पांडिचेरी	7425	1755	23.64

1	2	3	4
पंजाब	83482	30604	36.66
राजस्थान	362155	93003	25.68
सिक्किम	9728	6441	66.21
तमिलनाडु	358444	138922	38.76
त्रिपुरा	29985	17513	58.41
उत्तर प्रदेश	453880	172798	38.07
उत्तरांचल	46200	11259	24.37
पश्चिम बंगाल	240032	115736	48.22
सभी जिले	4764714	2096886	44.01

साक्षरता दर

148.श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में चौदह वर्ष की आयु के बच्चों में साक्षरता दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बच्चों की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल नामांकन दर का औसत 93.54% (चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी: 2004–05) है। सर्व शिक्षा अभियान को देश में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नए स्कूल खोलना, शिक्षकों को भर्ती करना, स्कूलों की आधारभूत संरचना का संवर्धन करना, सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए सामुदायिक परिवर्तन लाना शामिल है।

ग्रेडिड सेल्फ रीडिंग परियोजना

149.श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रेडिड सेल्फ रीडिंग परियोजना लाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एनसीई आरटी) ने बच्चों के लिए ग्रेडिड सेल्फ रीडिंग सीरीज लाए जाने व वाचनालय स्थापित करने हेतु प्रायोगिक परियोजना के लिए कुछ शहरों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना के लिए चिन्हित शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों व अन्य शहरों में इस परियोजना को लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) ग्रेडिड सेल्फ रीडिंग परियोजना राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान का एक भाग है। इसका उद्देश्य शुरूवाती कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के महत्व पर बल देना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शुरूआती अध्ययन अर्थात शिक्षकों द्वारा अध्ययन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना, बाल साहित्य हेतु प्रावधान, ग्रेडिड रीडिंग श्रृंखला का विकास तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्कूल में अध्ययन कक्ष/कार्नर के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं में सुधार हेतु कार्यरत है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केवल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के 500 प्राथमिक स्कूलों में ग्रेडिड सेल्फ–रीडिंग की प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित कर रही है तथा किसी और शहर में ऐसी कोई परियोजना नही है। राज्यों को इस बात हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपनी स्वयं की ग्रेडिड–रीडिंग सीरिज शुरू करने तथा अपने स्कूलों में अध्ययन कक्ष विकसित करने हेतु स्वयं के अध्ययन विकास सेल शुरू करें।

विश्वविद्यालयों की निगरानी

150.श्री रायापति सांबसिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के निगरानी तंत्र के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार संपूर्ण देश में मौजूदा विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन से संतुष्ट हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस दिशा में उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी देवी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियमित होती है। इन योजनाओं का अन्तर्निहित अनुवीक्षण तंत्र है। ऐसे विश्वविद्यालयों/कालेजों को विकास विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन और सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग के लिए विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन भी करती है। कार्य निष्पादन में वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है।

विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

151. श्री जी. एम सिद्दीश्वर :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2007 की स्थितिनुसार, राज्य–वार विश्व–विद्यालयो व कालेजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के केन्द्रीय व राज्य विश्वविद्यालय में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद 30 प्रतिशत शिक्षण व गैर–शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके कारण क्या हैं;

(घ) विश्वविद्यालय–वार 2007–08 के शैक्षणिक वर्ष में लेक्चरारों व गैर–शिक्षण श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों में इन रिक्त पदों को भरे जाने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत देश में 415 विश्वविद्यालय/संस्थाएं और 6680 कॉलेज है। राज्य–वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1820 शिक्षण पद और 5067 शिक्षणेत्तर पद रिक्त पड़े हैं और दिनांक 1.05.2007 की स्थिति के अनुसार 74 विश्वविद्यालयों में ६२७ शिक्षण पद रिक्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का निर्देश देता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23.03.2006 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उसने राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों को आयोग के मानदंडों के अनुसार सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने का यह कहते हुए निर्देश दिया है कि काफी लम्बे समय तक संविदा, अंशकालीन एवं अतिथि संकाय के रूप में संकायों की भर्ती में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अनुभवी शिक्षकों की भारी संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी एवं उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं।

विवरण

31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या	सम विश्वविद्यालयों की संख्या	निजी विश्वविद्यालयों की संख्या	राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या	राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	कॉलेजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	20	3	4	-	1	2	435
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	1	1	-	-	-	6
3.	असम	4	2	-	-	2	-	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	13	-	2	-	1	1	323
5.	छत्तीसगढ़	8	-	-	-	1	-	143
6.	गोवा	1	-	-	-	-	-	26
7.	गुजरात	17	-	2	3	1	-	373
8.	हरियाणा	7	-	3	-	1	-	147
9.	हिमाचल प्रदेश	3	-	-	1	1	-	49
10.	जम्मू और कश्मीर	6	-	-	-	1	1	98
11.	झारखण्ड	4	-	2	-	1	-	93
12.	कर्नाटक	16	-	8	-	1	-	577
13.	केरल	7	-	1	-	2	-	224
14.	मध्य प्रदेश	14	1	2	-	1	-	437
15.	महाराष्ट्र	19	1	20	-	2	-	883
16.	मणिपुर	-	2	-	-	-	-	53
17.	मेघालय	-	1	-	1	-	-	31
18.	मिजोरम	-	1	-	1	-	-	20
19.	नागालैंड	-	1	-	1	-	-	14
20.	उड़ीसा	10	-	2	-	1	-	358
21.	पंजाब	7	-	2	1	1	-	215
22.	राजस्थान	14	-	7	1	1	-	236
23.	सिक्किम	1	1	-	1	-	-	3
24.	तमिलनाडु	19	-	20	-	3	-	332
25.	त्रिपुरा	-	1	-	1	1	-	16
26.	उत्तर प्रदेश	19	4	8	5	2	1	831
27.	उत्तराखण्ड	5	-	3	5	1	-	45
28.	पश्चिम बंगाल	15	1	1	-	3	-	388
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	4	11	-	2	-	80
30.	चंडीगढ़	1	-	1	-	2	-	18
31.	पुडुचेरी	-	1	-	-	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	2
33.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
34.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
35.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	231	25	100	21	33	05	6680

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अनुमति

152. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त व अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान, कंपनी–वार, इन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी निधियां निवेशित की गयी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) अप्रैल–दिसंबर, 2006 तथा अप्रैल–दिसंबर, 2007 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों की संख्या तथा राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) कंपनी वार एफडीआई अंन्तर्वाह के ब्यौरे "औद्योगिक सहायता सचिवालय" (एसआईए) के मासिक न्यूजलेटर में प्रकाशित किये जाते हैं। एसआईए न्यूजलेटर को विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और इसे www.dipp.nic.in पर देखा जा सकता है।

विवरण

अप्रैल–दिसम्बर, 2007 तथा अप्रैल–दिसम्बर, 2006 के दौरान अनुमोदित राज्यवार एफडीआई संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय अनुमोदनों की संख्या		अनुमोदित एफडीआई की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर में)	
		2007	2006	2007	2006
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	12	8	854.51	109.58
2	असम	1	3	8.58	14.72
3	गुजरात	7	4	16.63	1.19
4	हरियाणा	7	1	31.92	0.00
5	कर्नाटक	9	13	16.15	1,043.89
6	केरल	1	1	0.00	0.02
7	मध्य प्रदेश	1	41	0.00	1,981.96
8	महाराष्ट्र	60	1	1,012.70	41.74
9	पंजाब	3	1	867.52	0.38
10	राजस्थान	4	1	55.37	0.00
11	तमिलनाडु	20	12	319.84	86.91
12	उत्तर प्रदेश	4	2	2.33	0.11
13	पश्चिम बंगाल	2	1	1.90	369.66
14	दिल्ली	41	26	110.43	525.19
15	गोवा	1	1	0.01	1.11
16	राज्य, जो दर्शाये नहीं गये	17	23	42.93	422.45
	कुल योग	190	139	3,340.83	4,598.92

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष

153. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में, अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार

i. किसी सम्भावित आपदा स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) नामक निधि

ii. अनन्यतः प्रशमन उद्देश्य की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि (एन डी एम एफ) नामक निधि सृजित कर सकती है।

सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के निपटान पर 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि से राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) बनाने का 26 नवम्बर, 2007 को अनुमोदन कर दिया है।

एन डी एम एफ एवं उसकी रूपात्मकताएं बनाने के संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियोजित विशिष्ट प्रशमन परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान वार्षिक बजट में किया जाता है।

अभी हाल ही में अधिसूचित तेरहवें वित्त आयोग के विचारणीय विषय में, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि आयोग आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा और उस पर समुचित सिफारिश करेगा। इस आयोग की रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2009 तक आने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि के संबंध में अंतिम निर्णय 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में लिया जा सकता है।

फेडरल इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी का गठन

154. श्री एल. राजगोपाल :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फेडरल इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी (एफआईए) का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य इस एजेंसी के गठन के प्रति आशंकाग्रस्त हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी आशंकाओं के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस एजेंसी का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) कई समितियों के अंतर–राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले अपराधों की जांच पड़ताल और उनका अभियोजन, केन्द्रीय एजेंसी से करवाये जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले से संबंधित रिट याचिका (सिविल) में सितम्बर, 2006 को दिए गए निर्णय में इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) और गृह मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी थी। गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार करता रहा है। पुलिस ओर लोक व्यवस्था, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय होने के कारण जिन राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश राज्यों ने इस मुद्दे पर आपत्ति/आशंका प्रकट की है। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने जासूसी, विमान अपहरण, तथा देश के बाहर से हथियारों तथा जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी आदि जैसे संबंधित अपराधों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले तथा अंतर–राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ वाले आतंकवाद के चयनित मामलों की केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जांच हेतु प्रत्येक मामले के आधार पर राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। इस मामले में सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं।

कॉयर उद्योग

155. श्री अनन्त नायक : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में उड़ीसा सहित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र–वार कॉयर उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसमें केन्द्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान का कितना योगदान है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कॅयर बोर्ड और इसके दो अनुसंधान संस्थानों अर्थात केन्द्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई)

केलावूर तथा केन्द्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी) बैंगलूर के माध्यम से उड़ीसा सहित नारियल उत्पादक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कॅयर उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी काम में लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। कॅयर बोर्ड के सीसीआरआई तथा सीआईसीटी ने उत्पादन में उल्लेखनीय विकास करने के लिए उच्च क्षमता सहित अनेक नई उत्पादन एवं विनिर्माण तकनीकों का विकसित की है। कॅयर बोर्ड द्वारा विकसित नई तकनीकें विभिन्न उपायों के माध्यम से सभी नारियल उत्पादक राज्यों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है इन उपायों में विस्तृत सेवा गतिविधियां, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बैठकें, उद्यमिता तथा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। क्षेत्र प्रदर्शन/ उपयोग द्वारा नई प्रौद्योगिकियों का प्रचार भी किया गया है।

"पिथप्लस" (कॅयर पिथ को बायोऑर्गेनिक उर्वरक में बदलने के लिए प्रयुक्त मशरूम स्पॉन का खाद्य योग्य प्रकार) के उत्पादन में मदद और कॅयर पिथ नमूनों की जांच के लिए उड़ीसा राज्य में बोर्ड द्वारा एक पायलट स्केल लेबोरेटरी स्थापित की गई है।

(ख) केन्द्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान द्वारा कॅयर उद्योग में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में प्रमुख अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

(i) कॅयर फाइबर के निष्कर्षण तथा प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण।

(ii) नारियल भूसी को तेजी से सड़ाने के लिए कॉयरेट के रूप में जाने वाले एक बैक्टीरियल कॉकटेल का विकास

(iii) यंत्रों द्वारा निकली गई बिना सड़ी हुई हरी भूसी के गुणवत्ता सुधार के लिए कॉयरेट के उपयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास।

(iv) धागे की विभिन्न रूपों की कताई के लिए मोटरीकृत पारंपरिक रैटों का विकास।

(v) एक शून्य प्रदूषण प्रक्रिया विकसित की गई जिसके द्वारा यूरिया के साथ कॅयर फाइबर पर जल मिश्रण में वनस्पति तेल उपयोग किया गया। इससे बेहतर कताई तथा उच्च उत्पादन के वांछित प्रभाव उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रक्रिया कॅयर फाइबर को बैकवाटर्स, झीलों और लैगूनों में भिगोने की पारंपरिक प्रक्रिया, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, समाप्त हो गई है।

(vi) एक मेटालिक हेंडलूम अनुग्रह का विकास किया गया है जो महिला कामगार को कॅयर मेट बुनने के अनुकूल है और जिससे उन्हें दैनिक कमाई में वृद्धि होती है।

(vii) अनुपम लूमको का सभी प्रकार के मैट, मैटिंग और कार्पेट को बुनने के लिए विकसित किया है। लूम न्यूमेरिक पार्यड और महिला कामगारों के अनुकूल है।

(viii) नॉन वूलन फेल्ट, कॅयर पिथ और कंपोस्टेड कॅयर पिथ का इस्तेमाल करते हुए एक रेडिमेड लान कोकोलॉन का विकास किया गया है।

(ix) आरआरएल, त्रिवेन्द्रम के सहयोग से कॅयर और फिनाइल फोरमालाडिहायड रेजिन से उत्पादों का विकास किया जो व्यावसायिक प्लाईवुड के मितव्ययी एवं प्रभावी अनुकल्प है।

(x) कॅयर जियो टेक्सटाईल का विकास किया गया है जो मृदा ह्रास नियंत्रण में प्रभावी होता है।

(xi) आई आई टी दिल्ली के सहयोग से 100% पर्यावरण अनुरूप कॅयर उत्पादों के उत्पादन के लिए कॅयर के प्राकृतिक रंगों से विभिन्न प्रकार के शेड विकसित किए गए।

[हिन्दी]

जेलों में सीसीटीवी कैमरा लगाना

156. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेलों में महिला कारावास के अलावा सभी कारावासों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिला कारावासों में सीसीटीवी कैमरों को कब तक लगाये जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार विभिन्न जेलों में महिलाओं द्वारा आत्महत्याओं के कुल कितने मामले सामने आए हैं;

(ङ) आत्महत्या के प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटना की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) दिल्ली में महिला जेल सहित सभी जेलों में कुल 258 सी सी टी वी स्थापित किए जाने हैं। स्थापित किए जाने वाले 258 सी सी टी वी कैमरों में से 196 पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं। महिला जेल में स्थापित किए जाने वाले 10 कैमरों में से 8 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। समग्र कार्य के 15 मार्च 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) वर्ष 2004 के दौरान देश के किसी भी भाग में कारागार में महिला कैदियों की आत्महत्या का कोई मामला सूचित नहीं किया गया था। 2005 के दौरान महिला कैदियों की आत्महत्या के 3 मामले–असम, केरल और महाराष्ट्र प्रत्येक से एक–एक सूचित किए गए हैं। वर्ष 2006 के लिए गोवा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अभी आंकड़े प्राप्त होने हैं, तथापि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 के दौरान महिला कैदियों की आत्महत्या के 4 मामले–असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रत्येक में एक–एक सूचित किए गए हैं।

(ङ) और (च) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II के अंतर्गत "कारागार" राज्य का विषय है तथा कारागार प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है। 2004 में लागू किए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित माडल कारागार नियमावली में जब जेलों में आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तब की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले कैदियों के विरुद्ध बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) जब कारागार में आत्महत्या की कोई घटना होती है तब जेल अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल शरीर की जांच किया जाना अपेक्षित होता है। यदि संभावना होती है कि व्यक्ति अभी भी जीवित है, तो बिना किसी विलम्ब के उसे पुनः जीवित करने के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है।

(2) चाकू, रस्सी और अन्य औजार जो कार्यशालाओं में प्रयोग होते हैं और जिनका कैदियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने हेतु प्रयोग किया जाता है, को प्रत्येक दिन वार्डनों को ताले में रखना होता है।

(3) आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले कैदियों पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जानी चाहिए तथा उन्हें सैल में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

घरेलू नौकर के रूप में बच्चों का इस्तेमाल

157. श्री विजय कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 के दौरान, आज की तिथि तक दिल्ली में घरेलू नौकरों के रूप में और लघु उद्योगों में 14 वर्ष की आयु से कम कुल कितने बच्चे लिप्त हैं; और

(ख) दिल्ली पुलिस/प्रशासन द्वारा ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए और इसके आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) जनगणना, 2001 में अनुमानित है कि दिल्ली में 41899 बच्चे कार्यरत हैं। तथापि, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लघु उद्योगों सहित विभिन्न व्यवसायों से बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिल्ली में 2007 में कुल 327 मामले तथा जनवरी 2008 में मामले पकड़े गए थे।

(ख) दिल्ली पुलिस को 27 मामले सूचित किए गए हैं। श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 2007 में 277 मामलों तथा जनवरी, 2008 में 8 मामलों में अभियोजन दायर किया है।

नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों हेतु दिशा-निर्देश

158. श्री सुरेश अंगाड़ि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों से यह अनुरोध किया है कि उन्हें अपने राज्यों में वाम पक्षीय उग्रवाद से निपटने के लिए और अधिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मांग नहीं करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने राज्यों से अपने पुलिस बलों में रिक्त पदों को भरने पर ध्यान केन्द्रित करने को भी कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में नक्सलवादी समस्या पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित कृतिक बल की द्वि–दिवसीय बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्यों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों से उनके प्रयासों एवं संसाधनों को बढ़ावा देती है जिनमें शामिल हैं केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देना, राज्य पुलिस एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, सुरक्षा

संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता देना, आसूचना भागीदारी करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजना श्रृंखला के जरिए विकास कार्यों में अंतर राज्य समन्वय लाना एवं उनमें सहायता करना।

इस समय राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 33 बटालियनों को (अतर राज्य प्रतिनियुक्ति पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल की 1 बटालियन सहित) नक्सलवाद रोधी कार्यों पर तैनात किया गया है।

विभिन्न राज्यों में समय-समय पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती, अन्य बातों के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था की समग्र स्थिति, बलों की उपलब्धता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है।

उड़ीसा के नयागढ़ एवं गंजम जिलों में 15/16.2.2008 को विविध पुलिस अवस्थापनाओं पर नक्सलवादी हमले के पश्चात उड़ीसा को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 4 कंपनियां (राज्य में पहले से तैनात 4 बटालियनों के अतिरिक्त) तत्काल उपलब्ध कराई गई।

राज्यों को नक्सली गतिविधियों से निपटने में सहायता की जा रही है ऐसे और इस संबंध में कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया है। जो कि प्रभावकारी पुलिस व्यवस्था के लिए जरूरी हैं जैसे सुरक्षित पुलिस थाना भवन, प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक, तैनात कार्मिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और पुलिस थाना स्तर पर विशेषीकृत उपकरण, हथियार और वाहन मुहैया कराना (ii) कार्रवाई योग्य आसूचना संग्रहण, भागीदारी और उपयोग करने के लिए क्षमता संवर्धन हेतु राज्य आसूचना ढांचे को सुदृढ़ करना (iii) मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग और अतिरिक्त प्रशिक्षण क्षमता का सृजन करना (iv) नक्सलवाद रोधी कार्यों के लिए विद्रोह प्रतिरोध एवं जंगल-युद्ध में प्रशिक्षित विशेषीकृत यूनिटें/कार्यबल गठित करना (v) राज्य पुलिस बलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरना (vi) कानून एवं व्यवस्था के अनुकूल पुलिस-जनता अनुपात में सुधार करना, (vii) राज्य पुलिस बजट में उपस्कर, हथियार, आवाजाही, संचार, पुलिस भवनों और आवास तथा विधि विज्ञान के लिए उपयुक्त प्रावधान (viii) नक्सली अपराधों की त्वरित जांच एवं अभियोजन करना।

विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा के अधीन आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर बना कार्यबल नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए जरूरी प्रचालानात्मक उपायों के दायरे और विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों के बीच यथावाश्यक समन्वय लाने पर विचार करता है।

राजधानी एक्सप्रेस विस्फोट की जांच

159. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने दिसम्बर, 2007 के दौरान दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट की जांच में सहायता के लिए असम का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय दल द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या केन्द्रीय दल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन किस सीमा तक हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) विस्फोट की घटना की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच की गई है। निदेशक, राष्ट्रीय बम आंकड़ा केन्द्र, एन एस जी ने अपनी सलाह से निष्कर्ष निकाला है कि आतंकवादी हमले से ऐसे व्यापक रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित रखना काफी दूभर कार्य है। सुझाए गए निवारक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, वास्तविक समय पर कार्रवाई योग्य आसूचना, रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने पर नियंत्रण, रेलवे लाइनों पर गश्त, वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध विस्फोटकों की प्राप्ति और इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत तंत्र, आतंकवादी संगठनों द्वारा आई ई डी विस्फोटों में इस्तेमाल किए जाने वाली मदों के बारे में जन जागरूकता सृजित करना, सुरक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण तथा विस्फोट स्थल प्रबंधन आदि।

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की रिपोर्ट को उपयुक्त कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय तथा असम सरकार को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

160. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री रशीद मसूद :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री नकुल दास राई :
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष आर्थिक सत्र क्षेत्र (सेज) की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार, स्थान–वार आज की तारीख तक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु स्वीकृत, स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा अब तक प्रस्तावों की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा एस ई जेड अधिनियम, 2005 और और एस ई जेड नियम, 2006 के प्रावधानों और उनमें निहित उद्देश्यों तथा इस प्रयोजनार्थ यथा निर्धारित प्रशासनिक दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं अर्ह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत होते हैं।

(ख) और (ग) औपचारिक रूप से अनुमोदित एस ई जेडों की राज्यवार संख्या, अधिसूचित एस ई जेडों की संख्या वैध सैद्धांतिक अनुमोदन और लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। किसी प्रस्ताव को अनुमोदन न दिए जाने/उस पर विचार न किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश न मिलना और/अथवा अपेक्षित भूमि के स्वामित्व की पुष्टि न होना आदि हो सकते हैं। जहां तक निवेश का संबंध है, एस ई जेड अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एस ई जेडों से 67347 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	औपचारिक अनुमोदनों की संख्या	सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या	औपचारिक अनुमोदनों में से अधिसूचित एस ई जेड	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				1
2.	आंध्र प्रदेश	70	3	54	22
3.	असम				
4.	बिहार				
5.	चंडीगढ़	2		2	
6.	छत्तीसगढ	1	2		2
7.	दादरा और नगर हवेली	4			
8.	दिल्ली	2			4
9.	गोवा	7		3	11
10.	गुजरात	38	9	17	23
11.	हरियाणा	35	17	15	23
12.	हिमाचल प्रदेश		2		
13.	झारखंड	1		1	
14.	कर्नाटक	40	10	19	33
15.	केरल	11	2	8	12
16.	मध्य प्रदेश	12	5	3	4
17.	महाराष्ट्र	88	36	24	39

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	2			
19.	उड़ीसा	9	4	3	3
20.	पांडिचेरी	1			
21.	पंजाब	7	8	2	2
22.	राजस्थान	6	9	4	1
23.	तमिलनाडु	57	13	31	14
24.	उत्तरांचल	3		1	1
25.	उत्तर प्रदेश	23	4	8	12
26.	पश्चिम बंगाल	20	14	6	10
	कुल	439	138	201	217

[अनुवाद]

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध

161. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री कीरेन रिजीजू :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री एन. शिवन्ना :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री किन्जरपु येरनमायडु :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री के. सी. सिंह 'बाबा' :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने विदेशी महिला पर्यटकों सहित महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दहेज की मांग, दहेज संबंधी मृत्यु, बलात्कार एवं छेड़-छाड़ सहित अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) एन सी आर बी का अधिदेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर अपराध आंकड़े संग्रहित करना है। "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण विदेशी महिला पर्यटकों सहित महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाले अपराध के मामलों को दर्ज करने की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकारों की है।

(ख) एन सी आर बी द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-06 के दौरान विदेशी महिला पर्यटकों सहित महिलाओं एवं बच्चों पर किए गए अपराध के राज्य/संघ राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण I एवं II पर दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-2006 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों का राज्यवार/संघ राज्यवार विवरण क्रमशः संलग्न विवरण III एवं IV पर दिया गया है।

(घ) से (च) भारत सरकार महिलाओं एवं बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने के प्रभावी उपाय करने और दंड न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करती रही

है। केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस बलों की अपराध का मुकाबला करने एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता में वृद्धि करने के विचार से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवस्थापना के रूप में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

विवरण-I

वर्ष 2004 के दौरान महिलाओं के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	शीलभंग	यौन शोषण	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का व्यापार	अनैतिक व्यापार (पी) अधिनियम	दहेज निषेध अधिनियम	नारी की विकृत प्रस्तुति (पी) अधिनियम	सती रोकथाम अधिनियम	महिलाओं के प्रति किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	1016	1030	512	3817	2310	8388	2	405	339	1102	0	18921
2	अरुणाचल प्रदेश	42	41	0	61	0	4	0	0	0	0	0	148
3	असम	1171	1552	74	883	11	1945	0	28	36	0	0	5700
4	बिहार	1390	997	1029	704	13	2679	35	24	1220	0	0	8091
5	छत्तीसगढ़	969	174	71	1661	131	741	0	9	7	0	0	3763
6	गोवा	37	10	2	23	15	17	0	28	0	0	0	132
7	गुजरात	339	905	58	757	164	3955	0	33	0	0	0	6211
8	हरियाणा	386	292	251	403	850	2026	0	62	6	0	0	4276
9	हिमाचल प्रदेश	153	99	8	284	16	252	0	4	5	2	0	823
10	जम्मू और कश्मीर	218	632	9	990	264	82	0	11	2	0	0	2208
11	झारखंड	797	178	275	411	3	588	36	3	199	0	0	2490
12	कर्नाटक	291	286	259	1435	57	1588	0	1170	337	0	0	5423
13	केरल	480	142	31	2260	133	3222	0	168	2	45	0	6483
14	मध्य प्रदेश	2875	584	751	6690	804	3436	0	23	40	0	0	15203
15	महाराष्ट्र	1388	787	314	2831	862	5646	0	309	21	11	0	12169
16	मणिपुर	31	71	0	30	0	2	0	0	0	0	0	134
17	मेघालय	54	18	2	34	0	5	0	0	0	0	0	113
18	मिजोरम	20	0	0	66	0	0	0	5	0	0	0	91
19	नागालैंड	18	4	0	3	1	0	0	4	0	0	0	30
20	उड़ीसा	770	423	319	1811	170	1192	0	22	532	0	0	5239
21	पंजाब	390	311	113	261	38	801	0	32	7	2	0	1955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	राजस्थान	1038	1861	379	2825	41	6781	1	79	13	89	0	13127
23	सिक्किम	3	4	0	40	0	1	0	1	0	0	0	49
24	तमिलनाडु	618	692	225	1861	1081	1437	0	3022	294	102	0	9332
25	त्रिपुरा	160	54	20	134	0	302	0	0	0	0	0	670
26	उत्तर प्रदेश	1397	2324	1708	1900	2682	4950	3	44	477	0	0	15485
27	उत्तरांचल	115	127	82	143	110	405	0	4	2	0	0	988
28	पश्चिम बंगाल	1475	1018	396	1566	64	6334	12	121	36	25	0	11047
	कुल राज्य	17641	14636	6888	33884	9820	56779	89	5611	3575	1378	0	150301
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	3	0	6	3	5	0	0	0	0	0	27
30	चंडीगढ़	19	43	6	20	18	73	0	9	0	0	0	188
31	दादरा और नागर हवेली	7	7	0	5	0	3	0	0	0	0	0	22
32	दमण और दीव	1	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	7
33	दिल्ली संघ शासित	551	881	126	601	130	1254	0	123	11	0	0	3677
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
35	पांडिचेरी	4	8	6	50	30	2	0	4	6	0	0	110
कुल संघ शासित क्षेत्र		592	942	138	683	181	1342	0	137	17	0	0	4032
कुल अखिल भारत		18233	15578	7026	34567	10001	58121	89	5748	3592	1378	0	154333

स्रोत: भारत में अपराध।

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	शीलभंग	यौन शोषण	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का व्यापार	अनैतिक व्यापार (पी) अधिनियम	दहेज निषेध अधिनियम	नारी की विद्युत प्रस्तुति (पी) अधिनियम	सती रोकथाम अधिनियम	महिलाओं के प्रति किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	935	995	443	3595	2508	8696	3	661	306	2657	0	20819
2	अरुणाचल प्रदेश	35	39	0	67	0	9	0	0	0	0	0	150
3	असम	1238	1455	99	899	19	2206	3	25	82	0	0	6027
4	बिहार	1147	929	1014	451	16	1574	74	28	789	0	0	6019
5	छत्तीसगढ़	990	184	100	1450	132	732	0	6	5	0	0	3599
6	गोवा	20	12	2	30	8	11	0	38	0	0	0	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	गुजरात	324	916	48	802	104	4090	0	59	0	0	0	6343
8	हरियाणा	461	344	212	380	597	2075	0	85	7	0	0	4161
9	हिमाचल प्रदेश	141	102	2	286	29	228	0	4	1	0	0	793
10	जम्मू और कश्मीर	201	658	5	830	371	76	0	3	0	0	0	2144
11	झारखंड	753	283	257	293	36	590	4	13	313	2	0	2544
12	कर्नाटक	343	312	261	1585	71	1883	0	1241	361	0	0	6057
13	केरल	478	129	21	2339	175	3263	0	225	4	108	0	6762
14	मध्य प्रदेश	2921	604	739	6426	792	2969	3	19	36	0	0	14529
15	महाराष्ट्र	1545	851	341	3228	919	6233	0	222	23	8	0	13370
16	मणिपुर	25	69	0	25	0	20	0	1	0	0	0	140
17	मेघालय	63	19	1	44	0	3	0	1	0	0	0	131
18	मिजोरम	37	0	4	49	4	0	0	1	0	0	0	95
19	नागालैंड	17	9	0	7	0	0	0	4	0	0	0	37
20	उड़ीसा	799	547	334	2238	184	1671	0	29	446	1	0	6249
21	पंजाब	396	329	99	306	43	729	0	58	5	0	0	1969
22	राजस्थान	993	1549	361	2503	28	5997	0	115	1	109	1	11657
23	सिक्किम	18	2	0	38	0	4	0	0	0	0	0	62
24	तमिलनाडु	571	783	215	1764	665	1650	0	2777	193	30	0	8648
25	त्रिपुरा	162	43	34	161	1	439	0	0	0	0	0	840
26	उत्तर प्रदेश	1217	2256	1564	1635	2881	4505	0	31	586	0	0	14875
27	उत्तरांचल	133	125	63	100	89	272	0	2	2	0	0	786
28	पश्चिम बंगाल	1686	1039	446	1572	54	6636	61	74	18	1	0	11887
	कुल राज्य	17651	14584	6665	33305	9723	56901	148	5742	3178	2916	1	150814
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	1	0	11	1	5	0	0	0	0	0	22
30	चंडीगढ़	33	45	3	31	9	75	0	9	0	0	0	205
31	दादरा और नगर हवेली	5	9	0	5	0	5	0	0	0	0	0	24
32	दमण और दीव	2	2	1	1	0	3	0	1	0	0	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	दिल्ली संघ शासित	658	1106	114	762	225	1324	1	151	9	1	0	4351
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	6	3	4	60	26	6	0	5	17	0	0	127
कुल संघ शासित क्षेत्र		708	1166	122	870	261	1418	1	166	26	1	0	4739
कुल अखिल भारत		16359	15750	6787	34175	9984	58319	149	5906	3204	2917	1	155553

वर्ष 2006 के दौरान महिलाओं के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	शीलभंग	यौन शोषण	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का व्यापार	अनैतिक व्यापार (पी) अधिनियम	दहेज निषेध अधिनियम	नारी की विकृत प्रस्तुति (पी) अधिनियम	सती रोकथाम अधिनियम	महिलाओं के प्रति किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	1049	1329	519	4534	2411	9164	0	657	474	1347	0	21484
2	अरुणाचल प्रदेश	37	51	1	63	2	14	0	0	0	0	0	168
3	असम	1244	1544	105	1290	10	2548	0	29	31	0	0	6801
4	बिहार	1232	1084	1188	530	53	1689	42	13	909	0	0	6740
5	छत्तीसगढ़	995	178	103	1598	143	717	1	13	9	0	0	3757
6	गोवा	21	10	0	18	7	14	0	26	0	0	0	96
7	गुजरात	354	945	50	736	138	4977	0	78	1	0	0	7279
8	हरियाणा	608	431	255	486	491	2254	0	85	7	0	0	4617
9	हिमाचल प्रदेश	113	109	3	275	31	259	0	0	2	0	0	792
10	जम्मू और कश्मीर	250	723	10	960	347	135	0	5	2	0	0	2432
11	झारखंड	799	410	281	414	44	668	5	11	345	2	0	2979
12	कर्नाटक	400	328	244	1683	38	2129	0	786	476	0	0	6084
13	केरल	601	202	25	2543	222	3708	0	189	5	59	0	7554
14	मध्य प्रदेश	2900	617	764	6243	762	2989	0	12	32	2	0	14321
15	महाराष्ट्र	1500	921	367	3479	984	6738	1	378	55	9	0	14452
16	मणिपुर	40	79	0	42	0	10	0	0	0	0	0	171
17	मेघालय	74	25	6	57	0	13	0	1	0	0	0	176
18	मिजोरम	72	1	0	51	0	1	0	0	0	0	0	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	नागालैंड	23	3	0	3	2	3	0	9	0	0	0	43
20	उड़ीसा	985	577	457	2415	247	694	12	44	1394	0	0	6825
21	पंजाब	442	418	130	314	60	801	2	67	7	1	0	2242
22	राजस्थान	1085	1553	394	2582	31	7038	3	143	3	102	0	12934
23	सिक्किम	20	7	0	14	0	6	0	0	0	0	0	47
24	तमिलनाडु	457	718	187	1179	852	1248	0	1732	81	35	0	6489
25	त्रिपुरा	189	62	35	207	0	471	0	0	0	0	0	964
26	उत्तर प्रदेश	1314	2551	1798	2096	2714	5204	0	70	628	0	0	16375
27	उत्तरांचल	147	183	80	153	113	358	0	3	1	0	0	1038
28	पश्चिम बंगाल	1731	1199	445	1837	63	7414	1	66	25	4	0	12785
कुल राज्य		18682	16258	7467	35802	9765	61264	67	4417	4487	1561	0	159770
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	5	0	14	4	7	0	0	0	0	0	36
30	चंडीगढ़	19	57	10	20	13	102	0	3	0	0	0	224
31	दादरा व नगर हवेली	6	14	1	5	1	5	0	0	0	0	0	32
32	दमण और दीव	3	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	9
33	दिल्ली संघ शासित	623	1066	137	718	144	1728	0	112	15	1	0	4544
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
35	पांडिचेरी	9	13	3	56	39	19	0	8	2	0	0	119
कुल संघ शासित क्षेत्र		666	1156	151	815	201	1864	0	124	17	1	0	4995
कुल अखिल भारत		19348	17414	7618	36617	9966	63128	67	4541	4504	1562	0	164765

विवरण-II

वर्ष 2004 के दौरान बच्चों के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	हत्या (शिशु हत्या सहित)	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	भ्रूण हत्या	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	घर–निकाला और त्यागना	अवयस्क लड़कियों का उपार्जन	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद	वेश्यावृति के लिए लड़कियों का विक्रय	बाल विवाह रोक अधिनियम	अन्य अपराध	किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	71	363	396	0	2	26	60	0	0	4	406	1328
2	अरुणाचल प्रदेश	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0	3	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	असम	1	7	3	0	0	0	8	0	1	1	0	21
4	बिहार	9	3	29	1	0	1	7	0	1	3	5	59
5	छत्तीसगढ़	44	308	70	6	6	14	1	0	0	14	477	940
6	गोवा	2	20	9	0	0	1	1	0	0	0	20	53
7	गुजरात	74	96	300	0	1	95	5	0	0	30	198	799
8	हरियाणा	23	24	42	15	1	15	0	0	0	2	42	164
9	हिमाचल प्रदेश	5	32	26	2	0	13	0	0	0	2	12	92
10	जम्मू और कश्मीर	1	4	27	0	0	1	0	0	0	0	2	35
11	झारखंड	6	43	18	1	0	0	5	0	0	0	39	112
12	कर्नाटक	54	42	41	4	1	17	4	0	0	1	25	189
13	केरल	51	159	74	0	0	0	20	0	0	1	56	361
14	मध्य प्रदेश	144	710	179	9	5	115	2	0	0	2	2487	3653
15	महाराष्ट्र	187	634	380	15	8	249	14	11	3	14	766	2281
16	मणिपुर	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	31
17	मेघालय	1	22	9	0	0	0	0	0	0	0	11	43
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	उड़ीसा	9	31	11	0	0	0	3	0	0	1	74	129
21	पंजाब	42	54	53	8	1	12	0	0	1	2	20	193
22	राजस्थान	21	137	128	17	0	90	1	1	1	2	5	403
23	सिक्किम	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	8
24	तमिलनाडु	71	166	93	0	3	20	6	0	0	5	29	393
25	त्रिपुरा	5	28	14	0	0	0	0	0	0	0	12	59
26	उत्तर प्रदेश	525	394	735	2	4	0	23	0	0	1	234	1921
27	उत्तरांचल	4	17	2	0	0	1	32	0	0	0	0	56
28	पश्चिम बंगाल	2	19	99	0	1	0	13	9	12	8	43	206
कुल राज्य		1357	3330	2775	81	33	670	205	21	19	93	4968	13552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	8	3	0	0	0	0	0	0	0	2	14
30	चंडीगढ़	3	13	36	0	0	11	0	0	0	0	3	66
31	दादर व नगर हवेली	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	11
32	दमण और द्वीव	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
33	दिल्ली संघ शासित	41	186	371	4	0	33	0	0	0	0	131	766
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	12
	कुल संघ शासित क्षेत्र	49	212	421	5	0	45	0	0	0	0	139	871
	कुल अखिल भारत	1406	3542	3196	86	33	715	205	21	19	93	5107	14423

वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	हत्या (शिशु हत्या सहित)	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	भ्रूण हत्या	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	घर–निकाला और त्यागना	अवयस्क लड़कियों का उपार्जन	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद	वेश्यावृति के लिए लड़कियों का विक्रय	बाल विवाह रोक अधिनियम	अन्य अपराध	किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	57	315	332	1	4	99	48	9	2	9	74	950
2	अरुणाचल प्रदेश	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3	असम	13	90	18	1	5	0	0	0	2	0	70	199
4	बिहार	26	8	72	0	0	0	5	0	0	4	0	115
5	छत्तीसगढ़	37	382	110	21	8	6	0	0	0	3	430	997
6	गोवा	4	15	11	0	0	2	0	0	0	0	21	53
7	गुजरात	76	90	285	4	1	141	12	0	0	25	202	836
8	हरियाणा	38	131	101	8	0	32	0	0	0	7	57	374
9	हिमाचल प्रदेश	6	58	37	1	0	12	0	0	0	3	14	131
10	जम्मू और कश्मीर	4	4	48	0	0	0	0	0	0	0	1	57
11	झारखंड	33	22	11	0	0	0	4	0	0	0	27	97
12	कर्नाटक	47	48	35	7	1	18	7	0	0	3	25	191
13	केरल	45	140	45	1	1	3	21	0	0	3	127	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	मध्य प्रदेश	150	870	240	12	7	95	4	1	0	18	2324	3721
15	महाराष्ट्र	192	634	420	4	11	321	5	6	1	22	689	2305
16	मणिपुर	3	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	20
17	मेघालय	9	51	11	0	0	0	4	0	0	0	6	81
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	10	28	16	0	0	0	0	0	0	0	32	86
21	पंजाब	26	51	59	12	0	13	2	1	0	11	36	211
22	राजस्थान	57	246	132	10	0	123	1	0	1	3	7	580
23	सिक्किम	1	14	2	1	1	5	0	0	0	0	1	25
24	तमिलनाडु	54	115	69	0	1	6	0	0	0	4	39	288
25	त्रिपुरा	1	20	6	0	0	0	0	0	0	1	0	28
26	उत्तर प्रदेश	390	394	749	0	2	0	3	0	0	4	259	1801
27	उत्तरांचल	6	18	41	0	0	0	9	0	0	0	2	76
28	पश्चिम बंगाल	2	6	102	0	1	0	20	2	44	2	57	236
कुल राज्य		1287	3764	2977	83	43	876	145	19	50	122	4500	13866
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	1	8
30	चंडीगढ़	3	21	23	0	0	7	0	0	0	0	3	57
31	दादरा व नगर हवेली	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
32	दमण और द्वीव	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5
33	दिल्ली संघ शासित	34	235	507	3	0	47	0	9	0	0	191	1026
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	8
कुल संघ शासित क्षेत्र		40	262	541	3	0	57	0	9	0	0	197	1109
कुल अखिल भारत		1327	4026	3518	86	43	933	145	28	50	122	4697	14975

वर्ष 2006 के दौरान बच्चों के प्रति दर्ज किए अपराधिक मामले

क्र. सं.	राज्य	हत्या (शिशु हत्या सहित)	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	भ्रूण हत्या	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	घर–निकाला और त्यागना	अवयस्क लड़कियों का उपार्जन	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का विक्रय	बाल विवाह रोक अधिनियम	अन्य अपराध	किए गए कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	61	412	498	5	11	89	35	5	6	17	247	1386
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
3	असम	11	61	25	1	5	0	0	0	1	1	147	252
4	बिहार	12	17	25	0	0	0	4	0	0	2	6	66
5	छत्तीसगढ़	48	448	113	5	1	14	0	0	0	5	604	1238
6	गोवा	3	14	10	0	1	8	1	0	0	0	17	54
7	गुजरात	87	112	360	6	1	150	9	0	0	12	240	977
8	हरियाणा	29	176	158	9	0	24	0	0	0	7	59	462
9	हिमाचल प्रदेश	4	41	52	5	1	12	2	0	0	1	18	136
10	जम्मू और कश्मीर	3	8	72	0	0	1	0	0	0	0	1	85
11	झारखंड	10	28	11	1	0	0	26	0	0	0	36	112
12	कर्नाटक	63	84	62	13	0	31	2	0	0	6	15	276
13	केरल	51	219	73	0	0	4	35	0	0	1	170	553
14	मध्य प्रदेश	160	829	237	14	12	105	6	0	0	4	2572	3939
15	महाराष्ट्र	207	655	552	10	7	255	15	23	1	15	1101	2841
16	मणिपुर	6	15	32	0	0	0	0	0	0	0	1	54
17	मेघालय	6	47	13	0	0	0	3	0	0	2	0	71
18	मिजोरम	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
19	नागालैंड	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
20	उड़ीसा	13	101	17	0	1	0	0	0	0	3	19	154
21	पंजाब	24	58	169	22	0	15	0	0	1	9	31	329
22	राजस्थान	77	311	392	25	0	137	1	2	0	1	5	951
23	सिक्किम	4	14	6	0	0	1	0	0	0	0	10	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	तमिलनाडु	60	125	118	0	0	12	1	0	0	6	31	353
25	त्रिपुरा	3	37	0	0	0	0	0	0	0	1	0	41
26	उत्तर प्रदेश	426	347	734	2	3	0	0	0	0	0	255	1767
27	उत्तरांचल	10	23	5	0	0	0	13	0	0	0	0	51
28	पश्चिम बंगाल	3	20	156	0	0	3	77	4	114	6	49	432
	कुल राज्य	1384	4248	3917	118	43	861	230	34	123	99	5634	16691
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9
30	चंडीगढ़	1	8	43	0	0	11	0	0	0	0	1	64
31	दादरा व नगर हवेली	1	3	10	0	0	1	0	0	0	0	0	15
32	दमण और दीव	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
33	दिल्ली संघ शासित	62	448	1114	7	2	36	1	1	0	0	489	2160
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	1	8	13	0	0	0	0	0	0	0	3	25
	कुल संघ शासित क्षेत्र	66	473	1185	7	2	48	1	1	0	0	493	2276
	कुल अखिल भारत	1450	4721	5102	125	45	909	231	35	123	99	6127	18967

विवरण-III

वर्ष 2004–2006 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति (पी ए आर), आरोपित व्यक्ति (पी सी एस), और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी सी वी)

		2004			2005			2006		
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	28976	27139	5761	31136	30369	7543	30660	27617	5892
2	अरुणाचल प्रदेश	162	118	17	129	105	45	141	114	22
3	असम	8117	5578	692	8760	5934	762	8438	5425	955
4	बिहार	12334	8997	930	11220	9280	1035	11757	9827	1591
5	चंडीगढ़	6051	6130	1612	5491	5435	1683	5758	5676	1491
6	गोवा	227	189	56	229	196	105	159	166	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	गुजरात	15549	15543	297	16510	16314	555	18188	17566	543
8	हरियाणा	6610	6404	1965	6275	6264	1159	6857	6865	1308
9	हिमाचल प्रदेश	1203	1103	87	1267	1242	102	1151	1153	97
10	जम्मू और कश्मीर	3345	3313	188	3163	3039	136	3896	3887	268
11	झारखंड	3931	3514	725	3432	2367	721	4117	3733	526
12	कर्नाटक	9154	9272	2440	10590	10335	2375	11035	10494	1509
13	केरल	9849	9572	737	10669	10155	929	11406	10926	1159
14	मध्य प्रदेश	27027	27087	5412	24254	24298	5836	23753	23696	6061
15	महाराष्ट्र	30432	30240	1177	34156	33326	944	36197	34067	1064
16	मणिपुर	132	6	0	127	11	0	104	3	2
17	मेघालय	96	50	4	106	53	4	158	101	10
18	मिजोरम	79	58	8	85	70	169	138	139	128
19	नागालैंड	36	75	97	37	40	49	64	52	38
20	उड़ीसा	7884	7691	859	9524	9368	693	10408	10179	957
21	पंजाब	3642	4031	1031	3303	3027	498	3882	3094	697
22	राजस्थान	14640	14639	4613	12838	12856	4042	14546	14565	4987
23	सिक्किम	69	40	2	42	25	5	39	34	3
24	तमिलनाडु	12750	12465	6032	12275	12471	6152	9483	8987	4991
25	त्रिपुरा	983	890	136	1308	1090	192	1272	892	159
26	उत्तर प्रदेश	32979	29866	13938	32720	31006	14537	34720	32599	15710
27	उत्तरांचल	2660	2116	689	1648	1465	382	2176	1895	523
28	पश्चिम बंगाल	16613	14345	729	19227	17324	1261	22398	18226	2077
	कुल राज्य	255530	240471	50234	260521	247465	51914	272901	251778	52833
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	44	38	12	32	23	2	49	63	1
30	चंडीगढ़	331	261	79	306	247	17	352	267	33
31	दादरा और नागर हवेली	32	29	0	35	33	0	25	31	8
32	दमण और दीव	15	17	0	17	18	0	28	26	3
33	दिल्ली संघ शासित	5196	4688	799	5853	5238	798	6207	5537	925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	लक्षद्वीप	1	2	2	0	0	0	1	0	0
35	पांडिचेरी	173	164	43	191	177	54	260	250	77
	कुल राज्य	5792	5199	935	6434	5736	871	6922	6174	1042
	कुल अखिल भारत	261322	245670	51169	266955	253201	52785	279823	257952	53875

(स्रोत : भारत में अपराध) टिप्पणी : पुलिस और न्यायालयों द्वारा किए गए निपटान की सूचना विगत वर्ष के लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

विवरण-IV

वर्ष 2004–2006 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति (पी ए आर), आरोपित व्यक्ति (पी सी एस), और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी सी वी)

		2004			2005			2006		
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	1325	1159	139	1097	1037	134	1653	1402	247
2	अरुणाचल प्रदेश	13	4	0	24	20	2	18	12	0
3	असम	18	19	1	202	109	13	256	126	35
4	बिहार	76	46	1	131	80	0	80	90	12
5	चंडीगढ़	960	969	214	1057	1055	271	1420	1414	251
6	गोवा	64	59	10	76	53	10	69	64	3
7	गुजरात	805	796	88	968	950	66	985	975	82
8	हरियाणा	301	301	54	362	355	45	477	458	61
9	हिमाचल प्रदेश	97	109	7	162	148	10	143	131	17
10	जम्मू और कश्मीर	36	36	1	24	24	0	65	65	0
11	झारखंड	136	140	0	116	110	6	130	123	15
12	कर्नाटक	135	132	1	160	160	4	198	193	7
13	केरल	249	116	18	428	467	90	850	630	41
14	मध्य प्रदेश	4530	4570	803	4949	5010	1483	5062	4891	1499
15	महाराष्ट्र	2440	2301	126	2551	2386	108	3124	2909	120
16	मणिपुर	23	0	0	16	1	0	38	0	0
17	मेघालय	0	0	0	31	7	0	23	13	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	35	35	35
19	नागालैंड	1	1	0	0	0	0	5	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	उड़ीसा	172	166	31	100	90	14	142	138	14
21	पंजाब	308	284	83	251	194	31	211	183	51
22	राजस्थान	306	303	43	414	417	64	647	639	98
23	सिक्किम	35	13	0	12	7	0	14	0	0
24	तमिलनाडु	416	321	26	263	278	76	381	312	95
25	त्रिपुरा	56	36	7	24	35	4	31	11	1
26	उत्तर प्रदेश	3250	3027	1961	2852	2753	1817	2853	2641	1801
27	उत्तरांचल	67	61	17	107	85	29	95	112	10
28	पश्चिम बंगाल	231	113	3	283	174	2	566	336	21
	कुल राज्य	16050	15082	3634	16660	16005	4279	19371	17905	4518
29	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	10	0	17	12	0	10	8	0
30	चंडीगढ़	21	17	3	61	53	6	42	39	19
31	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	8	18	1	12	12	0
32	दमण और दीव	0	0	0	6	5	0	2	3	0
33	दिल्ली संघ शासित	558	572	181	590	564	187	1394	736	131
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	13	8	0	11	12	2	39	25	1
	कुल राज्य	613	608	184	693	664	196	1499	823	151
	कुल अखिल भारत	16663	15690	3818	17353	16669	4475	20870	18728	4669

(स्रोत : भारत में अपराध) टिप्पणी : पुलिस और न्यायालयों द्वारा किए गए निपटान की सूचना विगत वर्ष के लंबित मामलों की सूचना भी शामिल है।

विद्यालयी पाठ्यचर्या संबंधी संगोष्ठी

162. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का विचार पारस्परिक अधिगम हेतु विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासों और विचारों के लिए आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से "विद्यालयी पाठ्यचर्या: दक्षेस राष्ट्रों में नीतियां, व्यवहार और शैक्षिक मुद्दे पर एक संगोष्ठी" आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने "विद्यालयी पाठ्यचर्या: सार्क राष्ट्रों में नीतियां, व्यवहार और शैक्षिक मुद्दों" पर सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सार्क देशों से इससे संबंधित कंट्री पेपर आमंत्रित करके सार्क राष्ट्रों के मध्य पाठ्यक्रम नीतियों, व्यवहार और मुद्दों के संबंध में हिस्सेदारी करना तथा परस्पर लाभ प्राप्त करना है।

(ग) विद्यालयी शिक्षा के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 में बनाई गई है और इसके आधार पर कक्षा I से XII तक की

नई पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें तैयार किए गए हैं। इनकी परिकल्पना की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ कार्यकलाप किए गए हैं। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात में सुधार करने के लिए 8.32 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करना, शिक्षकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण, प्राथमिक और अपर प्राथमिक कक्षाओं के लगभग 6.5 करोड़ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों और बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, 6395 ब्लॉक संस्थान केन्द्रों और 68352 कलस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नियमित अकादमिक सहायता प्रदान करना और विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

पान मसाले का उत्पादन

163. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के पान मसालों सहित गुटकों का पृथक-पृथक कुल उत्पादन (मीट्रिक टनों में) कितना है;

(ख) देश में गुटके की कुल कितनी मांग है;

(ग) क्या देश गुटके के निर्यात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(च) इस व्यापार में कितनी कम्पनियां संलग्न हैं; और

(छ) देश में गुटके के उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय जनगणना 2001-02 के अनुसार पंजीकृत एवं अपंजीकृत क्षेत्र दोनों के लिए पान मसाला एवं संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण संबंधी उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I एवं II के अनुसार है।

(ग) से (घ) पिछले तीन वर्षों के लिए भारत से चबाने वाले तम्बाकू (गुटका, पान, मसाला एवं जर्दा सहित) के निर्यात और उनसे अर्जित कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मिलियन अम. डालर
2004-05	3778	140.97	31.64
2005-06	5739	171.27	39.08
2006-07	5953	198.48	43.94
2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)	5898	179.85	44.52

45 कंपनियां चबाने वाले तम्बाकू के निर्यात में लगी हुई हैं।

(छ) सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत उपलब्ध कार्यक्रम एवं स्कीमें गुटका उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं।

विवरण-I

तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण (पंजीकृत क्षेत्र)

एनआई सी कोड	विवरण	इकाइयों की संख्या	संयंत्र एवं मशीनरी की मूल कीमत (लाख रु. में)	रोजगार	सकल उत्पादन 2001-2002 (लाख में)	सकल उत्पादन 2000-2001 (लाख में)	सकल उत्पादन 1999-2001 (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
16001	तम्बाकू के पत्ते की डंठल निकालना, उन्हें पुनः सुखाना आदि	377	596.981	3112	16053.83	16843.49	17931.58
16002	बीड़ी का विनिर्माण	933	579.853	25199	142318.55	141700.27	136650.73
16003	सिगरेट एवं सिगरेट तम्बाकू का विनिर्माण	22	127.792	121	2120.88	1182.97	707.39
16004	सिंगार एव चुरूट का विनिर्माण	68	34.345	449	213.88	802.44	182.25

1	2	3	4	5	6	7	8
16005	नशावार का विनिर्माण	70	107.129	331	969.24	3214.42	3333.07
16006	जर्दा का विनिर्माण	169	377.785	1862	8957.49	6598.11	6044.96
16007	कटेचू (कत्था) और चबाने वाले चूने का विनिर्माण	97	1631.939	4551	12629.78	12659.42	17903.01
16008	पान मसाला एवं संबद्ध उत्पादों का विनिर्माण	374	1087.871	3009	18090.10	24048.98	19264.02
16009	चबाने वाले तम्बाकू एनईसी सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	613	682.015	3892	11273.46	11435.79	16699.80
	कुल	2723	5225.71	42526	212626.21	218484.69	218714.81

विवरण-II

तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण (अपंजीकृत क्षेत्र)

एनआईसी कोड	विवरण	इकाइयों की संख्या	संयंत्र एवं मशीनरी की मूल कीमत (लाख रु. में)	रोजगार	सकल उत्पादन 2001-2002 (लाख में)	सकल उत्पादन 2000-2001 (लाख में)	सकल उत्पादन 1999-2000 (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
16001	तम्बाकू के पत्ते की डंठल निकालना, उन्हें पुनः सुखाना आदि	17	1.72	59	11.317	10.332	7.762
16002	बीड़ी का विनिर्माण	4096	49.05	10545	1993.787	1833.834	1697.448
16003	सिगरेट एवं सिगरेट तम्बाकू का विनिर्माण	5	2.05	16	2.272	2.057	1.730
16004	सिंगार एव चुरूट का विनिर्माण	7	0.32	25	18.730	17.870	15.550
16005	नशावार का विनिर्माण	4	4.45	21	10.471	9.961	10.120
16006	जर्दा का विनिर्माण	1	0.20	5	1.350	0.970	1.350
16007	कटेचू (कत्था) और चबाने वाले चूने का विनिर्माण	10	0.65	23	7.637	7.294	7.305
16008	पान मसाला एवं संबद्ध उत्पादों का विनिर्माण	13	1.01	21	4.256	2.868	2.405

1	2	3	4	5	6	7	8
16009	चबाने वाले तम्बाकू एनईसी सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	21	93.15	51	50.264	58.535	46.967
	कुल	4174	152.60267	10767	2100.08464	1943.721	1790.637

नई खनिज नीति

164. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ए. साई प्रताप :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2007 के दौरान खनिज पदार्थ प्रचुर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई खनिज नीति को अंतिम रूप देने में किस सीमा तक एक राय बनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खनिज उत्पादक राज्यों को प्रदत्त अवांछित शक्तियों, जिनके कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, को समाप्त करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का है;

(ङ) नई खनिज नीति की मुख्य विशेषताएं और इसके लक्ष्य क्या हैं; और

(च) नई खनिज नीति को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (च) मुख्यमंत्रियों, जिन्होंने पहले दिनांक 31.12.2006 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों के साथ 19.12.2007 को एक बैठक की गई थी। उक्त ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। मुख्यमंत्रियों की चिंताओं को सुना गया। राष्ट्रीय खनिज नीति अब सरकार के विचाराधीन है।

चाय बागानों को पुनर्जीवित करना

165. श्री अनन्त नायक :
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के चाय बागानों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चाय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता अथवा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बन्द पड़े/छोड़ दिए गए चाय बागानों हेतु पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक कितने चाय बागानों का पुनरूद्धार किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार शेष बन्द पड़े/छोड़ दिए गए चाय बागानों का अधिग्रहण करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इन चाय बागानों का अधिग्रहण कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) चाय की सभी पुरानी और अलाभकारी झाड़ियों का बड़े पैमाने पर पुनर्रोपण और पुनरूद्धार शुरू करने के लिए चाय उत्पादकों की सहायतार्थ सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े 83 बंद चाय बागानों को पुनः खोलने को सुकर बनाने के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज घोषणा किया है। इस पैकेज में बैंक के बकाया ऋणों का पुनर्गठन करने, चाय बोर्ड के ऋणों की माफी और सरकार से ब्याज सब्सिडी के साथ बैंकों से नई कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने और चाय बोर्ड की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत स्वीकार्य सहायता की व्यवस्था है।

(ङ) अब तक 11 बंद पड़े चाय बागानों को पुनः खोला गया है।

(च) और (छ) सरकार ने उन बागानों के प्रबंधन में परिवर्तन हेतु चाय अधिनियम की धारा 16 ङ. लागू करने का निर्णय लिया है जो पुनः

खोले नहीं जाते हैं। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और अब तक चार बागानों के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

प्रौढ़ साक्षरता

166.श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15–35 वर्ष की आयु वर्ग में कितने व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण की;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम हेतु राज्य–वार पृथक–पृथक कुल कितनी धनराशि अनुमोदित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम हेतु आबंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न साक्षरता योजनाओं के लिए अपेक्षित आबंटित धनराशियों के दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रम परियोजना आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं और कलैण्डर वर्ष के आधार पर नहीं होते। किसी वर्ष विशेष में संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का परिणाम केवल उन परियोजनाओं के निष्कर्ष और उनके बाह्य मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध होता है जिसमें कुछ वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) वर्ष 2007–08 के दौरान प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत की गई राज्यवार निधियों के अद्यतन ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण–II में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। निधियों को दुरुपयोग करने/अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के संबंध में 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है।

राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या
बिहार	01
छत्तीसगढ़	01
गुजरात	01
हरियाणा	01
झारखण्ड	01
कर्नाटक	03
महाराष्ट्र	02
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिम बंगाल	01

(छ) प्राप्त शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा भी इनकी जांच–पड़ताल की गई। नौ मामलों में अनुदान रोक दिया गया है, दो मामलों में जांच की गई है और उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। दो मामलों में राज्य सरकार से जांच करने के लिए कहा गया है और एक मामले की जांच की जा रही है।

विवरण-I

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	13.59	0.00	22.07
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.22	0.64
3	असम	0.00	0.00	2.32
4	बिहार	22.88	12.10	2.96
5	छत्तीसगढ़	0.10	0.08	1.16
6	गोवा	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.14	0.40	0.04
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
11	झारखण्ड	2.52	5.09	2.49
12	कर्नाटक	1.19	1.85	3.12
13	केरल	0.00	0.00	0.03
14	मध्य प्रदेश	17.03	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.37	0.00	0.02
16	मणिपुर	0.00	0.00	1.03
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.11	0.01
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	1.82	6.35	1.34
21	पंजाब	0.00	0.47	0.63
22	राजस्थान	2.87	4.61	1.22
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.21	2.35	1.27
25	त्रिपुरा	0.00	1.00	0.00
26	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.13
27	उत्तर प्रदेश	17.78	4.02	2.35
28	पश्चिम बंगाल	0.00	1.09	0.10
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	80.50	39.74	42.93

*राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों/एस.एल.एम.ए. से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार।

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2007-08 के दौरान संस्वीकृत की गई निधियां (19.2.2008 तक)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1295.57
2	अरुणाचल प्रदेश	19.54
3	असम	111.23
4	बिहार	593.71
5	छत्तीसगढ़	109.19
6	गोवा	24.48
7	गुजरात	378.81
8	हरियाणा	230.99
9	हिमाचल प्रदेश	29.91
10	जम्मू और कश्मीर	139.01
11	झारखण्ड	595.21
12	कर्नाटक	1920.84
13	केरल	601.56
14	मध्य प्रदेश	674.42
15	महाराष्ट्र	790.55
16	मणिपुर	122.77
17	मेघालय	38.31
18	मिजोरम	22.65

1	2	3
19	नागालैंड	24.13
20	उड़ीसा	397.38
21	पंजाब	102.21
22	राजस्थान	2701.89
23	सिक्किम	0
24	तमिलनाडु	922.28
25	त्रिपुरा	28.50
26	उत्तर प्रदेश	2820.90
27	उत्तराखंड	418.29
28	पश्चिम बंगाल	1470.94
29	चंडीगढ़	29.97
30	दिल्ली	77.55
31	पांडिचेरी	38.70
32	दमण और दीव	38.70
33	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
34	दादर और नगर हवेली	0
35	लक्षद्वीप	0
	कुल	16731.49

चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता

167. **श्री सुरेश अंगड़ि** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर विचार–विमर्श करते समय सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का है क्योंकि इनको बाजार व्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं है और इनमें बाजारोन्मुख विनियम दर नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ एफ टी ए का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संभावित उथल–पुथल के मद्देनजर घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु एफ टी ए पर विचार–विमर्श करने के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री जी के चीन दौरे के दौरान इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) उन देशों के संबंध में कोई मुक्त व्यापार करार (एफटीए) विचाराधीन नहीं है जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं है और जिनकी विनियम दर नीति बाजारोन्मुख नहीं है। तथापि, चीन के साथ एक क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीए) की व्यवहार्यता एवं उसके लाभों के संबंध में गठित संयुक्त कार्यबल की सिफारिशों पर दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व वाले संयुक्त दल द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए वार्ताओं में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को सहयोजित किया जा रहा है और किसी करार को अंतिम रूप देने से पूर्व उनके विचारों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, अन्य देशों के लिए भारत की टैरिफ पेशकश को अंतिम रूप देने से पूर्व और टैरिफ रियायत के संबंध में भारत का अनुरोध अग्रेषित करते समय हितबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क दुर्घटनाएं

168. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महानगरों में गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है अथवा कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संग्रहीत जानकारी के अनुसार वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के क्रमशः कुल 361343, 390378 और 394432 मामले सूचित किए जिनमें इस अवधि के दौरान बढ़ोतरी का रूझान रहा है। चार मैट्रोपोलिटन शहरों में वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के क्रमशः 18595, 23132 और 22274 मामले सूचित किए गए जिनकी मिलीजुली प्रवृत्ति रही।

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के एन सी आर बी द्वारा यथासंकलित राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। वर्ष 2004 से 2006 के दौरान चार मैट्रोपोलिटन शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की एन सी आर बी द्वारा यथासंकलित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) द्वारा "दुर्घटना सम्भावित स्थानों की पहचान एवं परिशोधन के लिए एक प्रणाली की स्थापना" शीर्षक से 1995 में एक अनुसंधान परियोजना आर–64 शुरु की थी। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले:–

(i) अधिकांश दुर्घटनाएं, खासकर घातक दुर्घटनाएं सीधी सड़क पर उच्च गति के कारण होती है।

(ii) चौराहों को, खासकर अपर्याप्त स्थल दूरी, यातायात मार्गदर्शन की कमी, सड़क पर लगे चिन्हों के अभाव और अपर्याप्त सड़क ज्यामिति के कारण अत्यधिक संवेदनशील पाया गया।

(iii) ज्यादातर दुर्घटनाएं उच्चगति एवं गलत ढंग से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण होती है।

(iv) अपर्याप्त पदयात्री सुविधाओं और यातायात नियमों का कम ज्ञान होने के कारण पदयात्री दुर्घटनाओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील पाए गए। पदयात्री सर्वाधिक गलतियां करते हैं और यही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

(v) कई दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालक की गलती पाई गई।

(vi) ऐसा पाया गया कि अधिकतम हताहत कार से होते हैं फिर पैदलयात्री और सबसे कम भारी वाहन।

(vii) रात के समय ट्रक सर्वाधिक दुर्घटनाएं करते हैं।

(vii) 90% तक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही और तेज गति को पाया गया।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवस्थापना समिति के निर्देशानुसार श्री एस. सुन्दर, वरिष्ठ अध्येता, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर एक समर्पित निकाय का सृजन की विवेचना करने एवं उसकी सिफारिश करने के लिए समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 20.2.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की मुख्य सिफारिश में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) भारत में सड़क सुरक्षा का सम्वर्धन करने एवं यातायात प्रबंधन में सुधार करने के लिए सड़क अभियांत्रिकी, आटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यातायात विधि, चिकित्सा देखभाल, आदि के क्षेत्र से सदस्यों/विशेषज्ञों को मिलाकर संसद में एक अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय स्तर के एक शीर्ष निकाय अर्थात सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन करना। इस बोर्ड को निधियां प्रदान करना भी इस अधिनियम से शासित होगी।

(ii) प्रस्तावित बोर्ड के नियामक एवं परामर्शक कार्य होंगे।

(iii) यह बोर्ड अपने नियामक कार्य के रूप में सड़क अवस्थापनाएं एवं फर्नीचर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग डिजायन, निर्माण और प्रचालन के लिए भारतीय रोड कांग्रेस के साथ परामर्श करके यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों के स्टैण्डर्ड, डिजायन निर्धारित करेगा और सुरक्षा मानदंड भी बनाएगा।

(iv) परामर्शी भूमिका के रूप में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देगा।

(v) राज्य स्तर में समकक्ष निकायों का सृजन करना।

(ङ) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय जलमार्गों एक्सप्रेसवेज की योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग माना जाता है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क सुरक्षा संवर्धन के विभिन्न उपाय किए हैं जैसे रोड फर्नीचर, रोड

मार्किंगज/सड़क चिन्ह, आसूचना परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों के बीच अनुशासन सम्वर्धन, चुनिन्दा स्थलों पर सड़क सुरक्षा आडिट करना।

(iii) असंगठित सेक्टर में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में एन जी ओज की संलिप्तता करना।

(vi) श्रव्य–दृव्य–मुद्रित मीडिया के जरिए सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान चलाना।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानदंड सख्त करना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/एनजीओज को क्रेनें और एम्बुलेंस देना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने बनाए गए राजमार्ग पर इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदाओं के अंतर्गत प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी के लिए एक एम्बुलेंस भी मुहैया कराता है।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेनों से 4 लेनों में और 4 लेनों से 6 लेनों में चौड़ा करना और उनमें सुधार करना।

विवरण-I

वर्ष 2004–2006 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	37078	37289	41323
अरुणाचल प्रदेश	217	237	243
असम	2002	3656	4080
बिहार	3890	3746	4382
छत्तीसगढ़	6075	5996	7111
गोवा	1542	1069	3749
गुजरात	18478	18541	18944
हरियाणा	7908	7682	10262
हिमाचल प्रदेश	2515	2401	2416
जम्मू और कश्मीर	6281	5669	5609
झारखंड	1295	2739	4301
कर्नाटक	38751	40273	43280
केरल	41103	42295	41728
मध्य प्रदेश	23591	21474	25038
महाराष्ट्र	44539	46586	48887
मणिपुर	468	600	521
मेघालय	328	330	176
मिजोरम	38	71	72
नागालैंड	68	53	77
उड़ीसा	7278	7593	7729
पंजाब	2036	2152	2251
राजस्थान	23243	23115	23348
सिक्किम	159	189	39
तमिलनाडु	52508	75480	55145
त्रिपुरा	645	662	793
उत्तर प्रदेश	14374	14689	16207
उत्तरांचल	1252	1332	1461
पश्चिम बंगाल	12152	12181	13085
कुल (राज्य)	349814	378100	382257
संघ शासित क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	215	206	155
चंडीगढ़	411	528	521
दादर और नगर हवेली	111	127	103

1	2	3	4
दमण और दीव	47	57	57
दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	9110	9580	9699
लक्षद्वीप	2	0	1
पांडिचेरी	1633	1780	1639
कुल (संघ शासित क्षेत्र)	11529	12278	12175
कुल (अखिल भारत)	361343	390378	394432

विवरण-II

वर्ष 2004–2006 के दौरान मैट्रो शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की संख्या

शहर	2004	2005	2006
चैन्ने	4873	7875	7359
दिल्ली	8218	8531	8385
कोलकाता	2164	2366	2379
मुम्बई	3340	4360	4151
कुल	18595	23132	22274

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

169. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार एवं महाराष्ट्र सहित राज्य–वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में व्यय की गई राशि का राज्य–वार तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निधियों के उपयोग की जांच करने तथा योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षण एवं आकस्मिक व्यय के लिए जारी की गई राशि और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग में लाई गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I तथा विवरण–II में दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक लाभग्राही को देय सब्सिडी हेतु केन्द्रीय निधियां भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो बदले में उन्हें संबंधित राज्यों में संबंधित लाभग्राहियों के ऋण लेखाओं में राशियां क्रेडिट करने हेतु कार्यान्वयन बैंकों को आगे कर देता है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए अनुवीक्षण तंत्र में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला प्रधानमंत्री रोजगार योजना समिति और संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना समिति शामिल है। ये समितियां जिला/राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा योजना की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण पद्धतियों में अनेक सुधार किए गए हैं, जिससे उत्तरदायित्व में भी सुधार होगा। ब्यौरा संलग्न विवरण – III में दिया गया है।

विवरण-I

10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत संघ सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10वीं योजना	11वीं योजना (2007-08)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	917.37	199.28
2	असम	349.94	5.38
3	अरुणाचल प्रदेश	17.63	6.00
4	बिहार	121.41	56.38
5	छत्तीसगढ़	166.00	57.11
6	दिल्ली	0.00	2.63
7	गोवा	0.00	0.38
8	गुजरात	753.65	69.89
9	हरियाणा	266.29	182.74
10	हिमाचल प्रदेश	83.34	24.62

1	2	3	4
11	जम्मू और कश्मीर	37.67	1.00
12	झारखंड	49.24	41.81
13	कर्नाटक	661.87	306.22
14	केरल	722.19	377.94
15	मध्य प्रदेश	971.12	115.45
16	महाराष्ट्र	635.04	198.93
17	मणिपुर	19.59	16.18
18	मेघालय	30.98	15.59
19	मिजोरम	19.77	7.59
20	नागालैंड	53.78	30.62
21	उड़ीसा	523.12	167.99
22	पंजाब	245.52	64.92
23	राजस्थान	503.01	244.11
24	तमिलनाडु	636.53	311.79
25	त्रिपुरा	99.91	33.69
26	उत्तर प्रदेश	2063.52	659.39
27	उत्तरांचल	266.23	81.14
28	पश्चिम बंगाल	53.19	256.85
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.61	1.17
30	चंडीगढ़	6.99	1.03
31	दमन और द्वीव	0.28	0.10
32	दादरा व नगर हवेली	0.77	0.45
33	लक्षद्वीप	0.44	0.07
34	पुदुचेरी	15.08	8.63
35	सिक्किम	2.23	3.08
	कुल	10299.30	3550.12

विवरण-II

पीएमआरवाई के तहत प्रशिक्षण तथा आकस्मिक व्यय के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई/उपयोग में लाई गई राशि का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	187.81	188.78	एन.आर.
2	असम	87.44	25.73	NR
3	अरुणाचल प्रदेश	6.23	5.83	0.42
4	बिहार	26.33	19.56	6.64
5	छत्तीसगढ़	30.52	34.73	33.92
6	दिल्ली	एन आर	एन आर	एन आर
7	गोवा	एन आर	0.12	0.12
8	गुजरात	29.21	28.90	34.64
9	हरियाणा	43.76	60.04	68.18
10	हिमाचल प्रदेश	14.06	10.67	18.05
11	जम्मू और कश्मीर	एन आर	एन आर	एन आर
12	झारखण्ड	17.03	33.28	14.99
13	कर्नाटक	163.16	139.09	159.10
14	केरल	165.13	211.27	64.33
15	मध्य प्रदेश	164.66	152.79	230.91
16	महाराष्ट्र	145.05	146.74	132.67
17	मणिपुर	8.82	5.11	एन आर
18	मेघालय	9.58	10.61	5.78
19	मिजोरम	2.96	4.75	एन आर
20	नागालैंड	13.44	19.51	10.12
21	उड़ीसा	111.35	134.26	122.67

1	2	3	4	5
22	पंजाब	20.17	52.72	एन आर
23	राजस्थान	103.41	126.83	127.14
24	तमिलनाडु	128.27	168.16	एन आर
25	त्रिपुरा	19.20	20.44	20.56
26	उत्तर प्रदेश	359.17	446.25	388.87
27	उत्तरांचल	52.58	56.63	78.26
28	पश्चिम बंगाल	20.27	41.01	21.60
29	अंडमान और निकोबार द्वी समूह	0.33	0.49	0.09
30	चंडीगढ़	1.17	1.43	0.87
31	दमण एवं दीव	एन आर	एन आर	एन आर
32	दादरा व नगर हवेली	एन आर	एन आर	एन आर
33	लक्षद्वीप	एन आर	एन आर	एन आर
34	पुडुचेरी	2.08	2.22	3.51
35	सिक्किम	0.29	0.46	एन आर
	कुल	1933.46	2148.42	1543.43

एन आर–रिपोर्ट नहीं।

विवरण-III

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति के आधार पर मामलों के आबंटित लक्ष्य के 125 प्रतिशत के लिए 200 रुपये प्रति आवेदक पर चयनपूर्व अभिप्रेरणात्मक अभियान।

(ii) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में व्यापक प्रचार तथा जागरूकता प्रदान करने हेतु एक संकल्प अपनाने को कहा गया है।

(iii) कार्यबल समिति के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करने हेतु लाभाग्राहियों के चयन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे कि अकेले बैंक प्रबंधक ही किसी गैर–निष्पादन परिसम्पति (एनपीए), यदि कोई हो, जो लाभग्राहियों को प्रदत्त ऋणों के फलस्वरूप प्राप्त होगी, हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसी प्रकार की समपार्श्विकता पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लाभग्राहियों को इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि उन्हें कम से कम प्रत्येक जिले/राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिल सके।

(vi) तहसीलदार/ब्लाक विकास अधिकारी आवास तथा आय संबंधी मानदंडों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभग्रहियों की पात्रता को अधिप्रमाणित कर सकता है।

अनिवासी भारतीयों का निवेश

170. डा. पी. पी. कोया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें मंजूरी दे दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों से निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) योजना, पोर्टफोलियों, निवेश योजना और गैर प्रत्यावर्तनीय निवेशों की एक योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश कर सकते हैं। एफडीआई योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के आंकड़े एफडीआई के साथ रखे जाते हैं। अनिवासी भारतीयों के निवेशों पर पृथक आंकड़े केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते।

(ङ) और (च) सरकार ने अनिवासी भारतीयों की ओर से निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार एवं पारदर्शी नीति लागू की है जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वतः मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए खुले हैं। इसके अतिरिक्त, यह नीति अनिवासी

भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष छूट की अनुमति देती है जिसमें रियल एस्टेट एवं आवास क्षेत्र में घरेलू एयरलाइनों में बिना शर्त 100 प्रतिशत तक पूंजी निवेश शामिल है।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश

171. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश की मात्रा क्या है;

(ख) क्या चीन ने भारत की तुलना में अधिक निवेश आकर्षित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006–07 के लिए ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन फॉर इंडस्ट्री द्वारा मापे गए अनुसार, पूंजी निवेश 801821 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2007 के अनुसार, 2006 में भारत में हुए 16.881 बिलियन डॉलर के एफडीआई अंतर्वाहों की तुलना में चीन में ये अंतर्वाह 69.468 बिलियन अमेरिकी डालर के थे।

(घ) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की हुई है, जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। भारत में एफडीआई के अंतर्वाह 2003–04 के 2.6 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2006–07 में 15.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, अप्रैल–दिसंबर 2007 के दौरान एफडीआई अंतर्वाह 12.7 बिलियन अमेरिकी डालर के थे।

[अनुवाद]

नई बटालियन बनाना

172. श्री नन्द कुमार साय :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नक्सलरोधी कार्यकलापों के लिए पहले से स्वीकृत आईटीबीपी सहित 26 भारतीय रिजर्व बटालियनों के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों में एक नई बटालियन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वर्तमान केन्द्रीय बलों को किस सीमा तक राहत मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सीमा रक्षा, आतंकवाद–रोधी कार्य, आंतरिक सुरक्षा (नक्सलवाद–रोधी अभियानों सहित) और कानून और व्यवस्था से संबंधित कार्यों के लिए केन्द्रीय पुलिस बल की बटालियनों की आवश्यकता का समय–समय पर आकलन किया जाता है जहां कहीं अपेक्षा होती है आंतरिक बटालियनें मंजूर की जाती हैं। हाल ही विगत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 20 बटालियनें और सशस्त्र सीमा बल की 20 बटालियनें मंजूर की गई है। सरकार ने राज्यों द्वारा अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित किए जाने का भी अनुमोदन कर दिया है। आशा है इन उपायों से संबंधित बलों के कार्मिकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

उग्रवादियों का पुनर्वास

173. श्री नन्द कुमार साय :
श्री रामदास आठवले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों/आतंकवादियों का पुनर्वास किया जाता है जैसाकि दिनांक 13 जनवरी, 2008 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने वायदों को पूरा करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या आत्मसमर्पण करने वाले कुछ उग्रवादियों ने जम्मू और कश्मीर में पुर्नवास कैंपों को छोड़ दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में इसी प्रकार के पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज

की तिथि तक आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों/नक्सलवादियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2004 की जम्मू और कश्मीर सरकार की आत्मसर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास की नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में केन्द्र सरकार ने 1.4.1998 को आतंकवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास हेतु स्कीम तैयार की थी जिसे 1.4.2005 से संशोधित किया गया है।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आत्मसमर्पण नीति में शामिल हैं, तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति मास 2000/– रुपए की दर पर आत्मसमर्पण करने वालों को मासिक वृत्ति; तीन वर्षों की अवधि हेतु आत्मसमर्पण करने वाले के नाम में बैंक में एफ डी आर के रुप में रखे जाने हेतु 1.50 लाख रुपए का तत्काल अनुदान तथा यह आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की शर्त पर निकाले जा सकते हैं; निर्धारित दरों के अनुसार आत्मसमर्पित हथियारों के लिए प्रोत्साहन, आदि।

(ग) से (ङ) आत्म समर्पण नीति के अंतर्गत गोलनगर और जम्मू प्रत्येक में दो पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए थे। आत्मसमर्पण करने वालों की प्रतिक्रिया की कमी के कारण ये दोनों पुनर्वास केन्द्र चलाए नहीं जा सके।

(च) और (छ) नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास हेतु भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं है। कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों की नक्सलवादियों हेतु अपनी स्वयं की राज्य विशिष्ट आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियां हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों को व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है जिसमें शामिल हैं बिना शस्त्रों के आत्मसमर्पण करने वालों को 10,000/– रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति तथा खूंखार, भूमिगत नक्सलवादी कैडरों और दलम के सदस्य जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करते हैं के संबंध में नियमित शस्त्रों के साथ आत्म समर्पण करने वाले हेतु 20,000/– रुपए तक की प्रतिपूर्ति।

(ज) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर किए गए व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

	जम्मू और कश्मीर	उत्तर पूर्व राज्य
2004–05	0.82 करोड़ रुपए	8.52 करोड़ रुपए
2005–06	0.49 करोड़ रुपए	3.85 करोड़ रुपए
2006–07	0.31 करोड़ रुपए	6.54 करोड़ रुपए
2007–08 (आज तक)	0.34 करोड़ रुपए	4.43 करोड़ रुपए

नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य–विशिष्ट आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास पर किए गए व्यय के ब्यौरे केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

174. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में सीमेंट की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सीमेंट का मूल्य वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आज तक सीमेंट के मूल्य में हुई वृद्धि का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का सीमेंट संयंत्रों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सीमेंट विनिर्माण के अनुसार वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (अप्रैल 2007 – जनवरी 2008) में सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमशः 127.57 मिलियन टन, 141.81 मिलियन टन, 155.66 मिलियन टन तथा 135.83 मिलियन टन था। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) सीमेंट की औसत कीमत में तीव्र वृद्धि हुई है और ये दिसंबर, 2005 के 158/– रुपये प्रति बोरी से बढ़कर मार्च, 2007 में 225/– रुपये प्रति बोरी हो गए। लेकिन उसके बाद यह काफी स्थिर हो गए और मार्च, 2007 तथा जनवरी, 2008 के बीच इनमें केवल 2.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर के कारण दिसंबर, 2005 तथा मार्च, 2007 के बीच सीमेंट की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई। बढ़ी हुई मांग की पूर्ति हेतु सीमेंट की आपूर्ति बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसमें सीमेंट पर आयात शुल्क को कम कर शून्य करके समतुल्य शुल्क एवं विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क को हटा कर आयात को सुलभ बनाना शामिल है। इसके अलावा, भारत सरकार के एक उद्यम – एमएमटीसी लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य सरकार के उद्यम, टीएएनसीईएम और मैसर्स पुदुचेरी कृषि सेवा उद्योग निगम (पीएएसआईसी) को सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत सीमेंट के आयात के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है ताकि बाजार में आयातित सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाई रखी जा सके। इन उपायों के साथ सीमेंट के औसत मूल्य काफी हद तक स्थिति हो गए हैं जिनमें मार्च, 2007 और जनवरी, 2008 के बीच केवल 2.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

विवरण

वर्ष	माह	प्रति बैग रुपये में औसत मूल्य	दिसम्बर, 2005 से मूल्य में वृद्धि	दिसम्बर, 2005 से मूल्य में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
2005	दिसम्बर	158		
2006	जनवरी	163	5	3.2%
	फरवरी	175	17	10.8%
	मार्च	189	31	19.6%
	अप्रैल	199	41	25.9%
	मई	200	42	26.6%
	जून	201	43	27.2%
	जुलाई	201	43	27.2%
	अगस्त	201	43	27.2%
	सितम्बर	202	44	27.8%
	अक्तूबर	205	47	29.7%
	नवम्बर	208	50	31.6%
	दिसम्बर	209	51	32.3%
2007	जनवरी	209	51	32.3%
	फरवरी	212	54	34.2%
	मार्च	225	67	42.4%
	अप्रैल	226	68	43.0%
	मई	226	68	43.0%
	जून	227	69	43.7%
	जुलाई	229	71	44.9%
	अगस्त	231	73	46.2%
	सितम्बर	231	73	46.2%
	अक्तूबर	231	73	46.2%
	नवम्बर	231	73	46.2%
	दिसम्बर	230	72	45.6%
2008	दिसम्बर	231	73	46.2%

[अनुवाद]

आतंकवाद/उग्रवाद के खिलाफ रक्षोपाय

175. **श्री उदय सिंह :**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

श्रीमती जयप्रदा :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री संतोष गंगवार :

श्री मोहन सिंह :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री मणी कुमार सुब्बा :
श्री के. एस. राव :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक अयोध्या, वाराणसी, सीआरपीएफ केन्द्र, रामपुर (उत्तर प्रदेश), मालेगांव (महाराष्ट्र), जयपुर (राजस्थान) तथा जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में हुए आतंकवादी हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान घायल हुए, मारे गए और गिरफ्तार हुए सुरक्षा कर्मियों/सिविलियनों, आतंकवादियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को रोकने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में आतंकवाद घटनाओं में संलिप्त होने वाले दिग्भ्रमित युवाओं की कुल संख्या कितनी है और नौवीं तथा दसवीं योजनावधि के दौरान उनके पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उग्रवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में मैं राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (छ) मांगी गई जानकारी का समस्त विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विद्यालयों में नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर

176. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक, मैट्रिक तथा उच्च माध्यमिक चरणों में नामांकन दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार इन चरणों के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर क्या है;

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के लिए प्राथमिक (कक्षा-I-V), मिडिल कक्षा (VI-VIII) और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा IX-XII) कक्षाओं का सकल नामांकन अनुपात और कक्षा I-V, I-VIII और I-X में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वार्षिक कक्षावार नामांकन आंकड़े अलग-अलग एकत्र नहीं किए जाते हैं। कक्षा-XII में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर की गणना नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहु-उद्देशीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपायों का एक सेट विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, वार्षिक विद्यालय अनुदान, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित अकादमिक सहायता आदि के माध्यम से विद्यालयों को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उपायों का उद्देश्य सामुदायिक सहायता, पढाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों, पुराने बच्चों अथवा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए लचीली अध्ययन व्यवस्था और बालिकाओं, समाज के लाभवंचित वर्गों के बच्चों अथवा विशेष जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान करना है।

केन्द्र सरकार सभी युवाओं को वहनीय बेहतर गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय उपाय विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

विवरण-I

वर्ष 2002–03 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात			कक्षाओं में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर		
		I-V	VI-VIII	IX-XII	I-V	I-VIII	I-X
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	95.93	63.12	40.12	41.71	59.94	68.95
2	अरुणाचल प्रदेश	105.93	65.69	38.14	37.94	58.01	71.66
3	असम	86.83	51.22	29.65	61.17	68.76	74.91
4	बिहार	73.52	24.98	17.39	62.31	79.01	83.60
5	छत्तीसगढ़*	104.45	71.12	31.13	-	-	-
6	गोवा	104.22	105.34	63.04	2.69	5.54	39.68
7	गुजरात	111.50	75.94	40.20	24.77	45.48	62.82
8	हरियाणा	80.98	67.33	47.52	6.89	9.90	29.14
9	हिमाचल प्रदेश	116.42	104.06	68.97	12.42	9.56	29.95
10	जम्मू और कश्मीर	84.39	60.93	33.38	24.82	26.71	51.07
11	झारखंड*	74.79	31.46	20.71	-	-	-
12	कर्नाटक	110.65	74.28	37.95	18.74	48.46	62.14
13	केरल	98.11	97.07	62.24	0.00	0.00	12.90
14	मध्य प्रदेश	95.02	63.50	30.61	31.43	46.94	63.79
15	महाराष्ट्र	106.55	86.97	53.08	15.55	32.59	52.05
16	मणिपुर	146.88	80.46	51.32	25.60	32.93	60.54
17	मेघालय	116.19	53.08	32.61	56.51	71.67	80.93
18	मिजोरम	128.70	78.47	40.61	56.38	58.31	75.68
19	नागालैंड	65.22	35.10	13.54	51.80	53.38	77.47
20	उड़ीसा	103.02	56.43	31.09	46.13	61.73	71.74
21	पंजाब	71.12	59.09	39.12	25.29	32.75	48.01
22	राजस्थान	97.25	55.67	29.29	56.93	66.60	75.77
23	सिक्किम	121.68	65.19	32.83	52.06	69.66	75.12
24	तमिलनाडु	115.50	99.08	55.15	15.37	42.85	46.80

1	2	3	4	5	6	7	8
25	त्रिपुरा	123.85	71.42	36.89	42.97	65.19	74.27
26	उत्तर प्रदेश	91.25	46.84	36.52	23.55	45.57	46.31
27	उत्तराखण्ड *	107.87	78.84	56.31	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	102.99	58.00	30.37	36.41	68.23	78.74
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	116.38	95.30	56.67	2.31	18.42	51.35
30	चंडीगढ़	72.61	74.68	64.16	30.44	0.00	21.90
31	दादर और नागर हवेली	126.99	78.83	35.14	24.82	48.00	72.34
32	दमन और दीव	114.00	102.81	47.02	0.00	14.83	45.24
33	दिल्ली	91.83	88.34	49.71	12.13	23.57	47.19
34	लक्षद्वीप	110.99	105.44	63.40	3.03	4.48	24.13
35	पुदुचेरी	116.17	120.27	70.68	0.00	0.00	21.69
	भारत	95.39	60.99	37.52	34.89	52.79	62.58

*पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ दर्शाई गई है।

विवरण-II

वर्ष 2003–04 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात			कक्षाओं में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर		
		I-V	VI-VIII	IX-XII	I-V	I-VIII	I-X
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	87.72	64.86	44.61	42.61	59.79	66.70
2	अरुणाचल प्रदेश	109.56	63.60	38.68	46.34	63.52	72.09
3	असम	88.16	63.65	40.83	53.15	70.81	74.84
4	बिहार	72.57	25.33	16.90	59.03	78.03	82.58
5	छत्तीसगढ़*	123.29	70.52	35.92	-	-	-
6	गोवा	97.96	101.23	62.55	-1.90	9.43	37.94
7	गुजरात	113.41	70.40	40.01	26.02	46.94	63.05
8	हरियाणा	75.25	65.51	45.53	13.31	21.26	26.54
9	हिमाचल प्रदेश	106.47	98.24	69.78	16.98	14.28	32.42

1	2	3	4	5	6	7	8
10	जम्मू और कश्मीर	71.52	50.60	32.60	36.65	47.49	60.26
11	झारखंड*	79.09	37.54	15.60	-	-	-
12	कर्नाटक	108.91	76.20	41.66	9.75	50.59	60.38
13	केरल	96.92	93.64	48.00	0.00	-9.54	8.58
14	मध्य प्रदेश	106.59	63.30	34.89	23.78	46.81	63.81
15	महाराष्ट्र	107.60	87.55	53.86	13.07	33.25	52.06
16	मणिपुर	137.51	84.33	46.24	26.41	30.61	49.02
17	मेघालय	105.51	61.14	28.09	53.42	71.13	83.24
18	मिजोरम	120.17	76.98	43.66	55.61	64.19	69.74
19	नागालैंड	80.48	44.66	18.06	32.81	44.83	71.97
20	उड़ीसा	110.91	54.01	32.74	38.19	61.72	64.72
21	पंजाब	73.45	60.06	39.03	22.03	35.19	43.45
22	राजस्थान	115.07	61.54	32.60	57.94	68.50	75.47
23	सिक्किम	116.51	56.75	27.51	53.85	73.29	80.82
24	तमिलनाडु	116.51	100.41	56.85	3.23	25.15	58.82
25	त्रिपुरा	122.76	72.84	38.16	44.80	64.29	74.31
26	उत्तर प्रदेश	94.75	48.64	37.93	13.51	42.84	44.10
27	उत्तराखण्ड *	106.85	80.36	56.12	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	107.33	64.28	32.61	33.46	63.77	80.24
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	116.05	95.85	57.78	-0.35	18.86	50.68
30	चंडीगढ़	71.44	69.50	57.41	-3.62	-2.03	12.13
31	दादर और नगर हवेली	126.06	81.64	37.02	28.40	45.24	72.48
32	दमन और दीव	111.35	97.62	44.24	0.00	17.36	50.45
33	दिल्ली	90.10	85.34	51.93	22.03	27.71	46.30
34	लक्षद्वीप	106.37	97.09	64.99	3.03	4.90	42.24
35	पुदुचेरी	120.37	119.68	74.08	0.00	-4.60	22.96
	भारत	98.20	62.40	36.89	31.47	52.32	62.69

*पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ दर्शाई गई है।

विवरण-III

वर्ष 2004–05 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात			कक्षाओं में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर		
		I-V	VI-VIII	IX-XII	I-V	I-VIII	I-X
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	96.71	71.76	47.66	31.95	59.36	63.69
2	अरुणाचल प्रदेश	123.12	75.53	42.37	46.85	62.63	70.79
3	असम	105.20	69.70	32.23	50.07	73.38	74.96
4	बिहार	83.75	32.43	32.23	51.59	74.69	83.06
5	छत्तीसगढ़*	131.84	79.87	37.30	-	-	-
6	गोवा	110.13	100.61	57.82	2.43	6.90	40.65
7	गुजरात	118.65	73.77	38.64	35.09	46.34	59.29
8	हरियाणा	82.23	76.39	43.60	4.81	24.51	32.48
9	हिमाचल प्रदेश	108.90	108.50	131.26	7.74	15.89	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	83.72	60.28	35.38	36.92	38.57	53.75
11	झारखंड*	94.80	43.41	14.80	-	-	-
12	कर्नाटक	107.10	85.47	46.40	15.88	49.99	59.38
13	केरल	93.61	98.19	60.15	0.00	0.00	7.15
14	मध्य प्रदेश	132.16	83.29	35.72	10.21	43.95	64.70
15	महाराष्ट्र	110.37	98.08	55.60	6.70	28.99	54.16
16	मणिपुर	151.69	94.69	48.61	31.18	32.80	43.02
17	मेघालय	147.62	76.45	33.27	49.97	64.21	79.15
18	मिजोरम	127.53	81.77	44.67	49.84	66.84	66.95
19	नागालैंड	87.94	55.60	21.28	42.69	42.49	67.29
20	उड़ीसा	129.69	74.11	43.43	39.34	61.95	64.42
21	पंजाब	77.20	65.42	39.60	23.96	33.67	44.06
22	राजस्थान	121.24	70.67	33.06	56.59	65.34	73.87
23	सिक्किम	143.58	66.70	33.30	49.44	71.22	82.30
24	तमिलनाडु	118.41	107.00	62.08	0.94	23.96	55.19

1	2	3	4	5	6	7	8
25	त्रिपुरा	131.03	78.16	38.86	43.20	64.15	73.36
26	उत्तर प्रदेश	107.54	52.43	36.32	12.06	41.94	43.77
27	उत्तराखण्ड *	117.74	88.08	58.03	-	-	-
28	पश्चिम बंगाल	112.11	66.46	31.39	43.65	63.63	78.03
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	108.85	106.50	49.04	3.72	10.44	36.97
30	चंडीगढ़	74.01	68.57	54.67	2.59	13.40	16.73
31	दादर और नगर हवेली	134.50	79.05	38.95	28.23	51.95	67.06
32	दमन और दीव	136.01	116.57	69.54	0.84	17.03	43.43
33	दिल्ली	94.42	87.59	52.26	0.00	28.12	46.92
34	लक्षद्वीप	58.78	58.71	46.00	7.62	16.41	18.88
35	पुडुचेरी	131.64	108.22	76.10	0.00	0.00	16.89
	भारत	107.80	69.93	39.91	29.00	50.84	61.92

*पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर उनसे संबंधित मूल राज्य के साथ दर्शाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 11.06½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 1)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 3)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 5)।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 6)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं देखिये संख्या एल.टी 8093/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 353(3) के अंतर्गत नागालैण्ड राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी उद्घोषणा, जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8094/2008]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 3 जनवरी, 2008 का आदेश, जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8095/2008]

(2) राष्ट्रपति को नागालैण्ड के राज्यपाल के दिनांक 13, 14, 16 और 17 दिसम्बर, 2007 के रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8096/2008]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ), जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 28 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 1 का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8097/2008]

(4) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति की कीमत का निर्धारण नियम 2005, जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 638(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8098/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम . एल. पलानीमाणिक्कम): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक – संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्यांक 22)–सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में आवास वित्त कार्यकलापों की पुनरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी 8099/2008]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी 8100/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी 8101/2008]

अपराह्न 12.01 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 19 नवम्बर, 2007 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2007;

(2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2007;

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2007;

(4) भारतीय वायलर (संशोधन) विधेयक, 2007;

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

(6) सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007;

(7) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007; और

(8) सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007 ।

महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007;

(2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007;

(3) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2007;

(4) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007;

(5) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007;

(6) संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007; और

(7) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007।

[प्रन्थालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी 8102/2008]

अपराह्न 12.01½ बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष के विनिश्चय*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत निम्नलिखित तीन मामलों पर लोक सभा अध्यक्ष के 27 जनवरी, 2008 के विनिश्चियों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

1. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री मोहम्मद शाहिद अखलाक के विरुद्ध दी गई याचिका।

2. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध दी गई याचिका।

3. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री भालचन्द्र यादव के विरुद्ध दी गई याचिका।

*सभापटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.02 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री फुरकान अंसारी (गोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सदन के पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूचना और प्रसारण संबंधी स्थायी समिति के बयालीसवें, तैंतालीसवें और चौंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य रखता हूं:–

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

[प्रन्थालय में रखा गए, देखिये संख्या एल.टी 8103/2008]

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(3) प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी 8105/2008]

अपराह्न 12.03 बजे

अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ने के बारे में दिनांक 14.8.2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ने के बारे में लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के संबंध में दिए गए उत्तर में निम्नलिखित शुद्धि करता हूं:–

"वर्ष 2005 के लिए "बीएसएफ, पुरुष" कॉलम में 17464 के स्थान पर 2597" पढ़िए

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग थोड़े शांत हो जाए। कृपया शोर न करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इसी प्रकार 'वर्ष 2006 के लिए 16210 के स्थान पर 2540" पढिए।

वर्ष 2007 के लिए जुलाई 2007 तक 7199 के स्थान पर 1654" पढ़िए।

असुविधा के लिए खेद है।

महोदय, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में 14.8.2007 को 373 प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने के लिए वक्तव्य देना था लेकिन निर्धारित समय से पूर्व ही सत्र समाप्त होने के कारण वक्तव्य नही दिया जा सका।

अब यह वक्तव्य संसद के बजट सत्र के दौरान सुविधा के अनुसार किसी भी दिन दिया जाएगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी 8106/2008]

अपराह्न 12.03½ बजे

चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:–

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) और 5(1) के साथ पठित चार्य अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद संख्या 14, रेल बजट पर चर्चा करेगी।

...(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : माननीय रेल मंत्री लालूजी ने कुछ दिन पूर्व कर्नाटक का दौरा किया और उन्होंने कर्नाटक के लोगों

के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था। अतः हम अनुरोध करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महोदय, माननीय रेल मंत्री ने बताया कि कर्नाटक के लोगों को रेलवे में भर्ती में वरीयता नहीं मिल रही है। लालू ने कहा "गन्दे लोग" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल माननीय रेल मंत्री का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : कृपया मुझे स्पष्ट करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बारे में बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जी हां, मैं इस बारे में एक्सपलैन करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए, मंत्री जी इस बारे में बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

कृपया वह जो कह रहे हैं उसको सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तो मैं न उन्हें स्पष्टीकरण देने और न ही आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अनंत कुमार जी, आपने जो सवाल उठाया है, वह उस समय का है, जब डैकन हैराल्ड के एक पत्रकार ने मुझ से पूछा था कि क्या आप कर्नाटक के लोगों को नौकरियों में प्राइरोरिटी देंगे या नहीं। मैंने उनसे कहा था कि आप यह गंदी बात क्यों उठाते हैं? "गन्दी बात मत उठाइए।" लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को इस तरह से डाल दिया कि "लालू प्रसाद जी ने कहा कि कर्नाटक के लोग डर्टी होते हैं।" उसी दिन मैंने इसका एक खण्डन भिजवाया था, जो कि 13 तारीख को छपा था। उसमें हमने क्लैरिफाई कर दिया था। उसकी प्रेस रिलीज़ मेरे पास है। मेरे अंदर देश के प्रति और कर्नाटक के प्रति हाई रिस्पैक्ट है। इसलिए यह बात सच नहीं है। हमारे जैसे लोगों के मुंह से इस तरह की बात कभी नहीं निकल सकती है। आपने अच्छा किया जो संसद में इस बात को उठाया, मैंने इसे क्लैरिफाई कर दिया है। हमने तो कर्नाटक के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है ...*(व्यवधान)* उन्होंने आप लोगों का साथ नहीं दिया।

श्री अनंत कुमार : यदि आप यह बात पहले बोल देते तो क्लैरिफाई हो जाता। लेकिन यह बात आपने नहीं आपके पब्लिसिटी आफिसर ने कही थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप दोनों को पब्लिसिटी मिल गई है।

अपराह्न 12.07 बजे

रेल बजट (2008-09)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, वर्ष 2008–09 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद फक्र महसूस हो रहा है। हर साल के जो नये मुकाम हमने हासिल किये, वही हमारी अगली सफलता के पैमाने बन गये। वर्ष 2005 में हमने 9 हजार करोड़ रुपये का कैश सरप्लस अर्जित किया जो वर्ष 06 में बढ़कर 14 हजार और वर्ष 07 में 20 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। सम्मानित सदन को यह जानकर प्रस्न्नता होगी कि वर्ष 2007–08 में हमने लाभांश पूर्व 25 हजार करोड़ रुपये का कैश सरप्लस अर्जित कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। हमारा ऑपरेटिंग रेशियों भी सुधरकर 76 प्रतिशत हो गया है। भारतीय रेल एक सरकारी विभाग के रुप में काम करता है। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि लाभांश पूर्व नेट सरप्लस के आधार पर हमारी यह उपलब्धि विश्व की टाप फार्च्यून 500 कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों से बेहतर है। हम भारतीय रेल को एक के बाद एक नई बुलंदियों पर ले गये हैं। तरक्की के इस सफर में 14 लाख कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर दिन–रात काम किया और मुसाफिर को अपना मसीहा बनाकर विकास की ऐसी कहानी लिखी जिसमें हमने किराया घटाकर भी अरबों का मुनाफा कमाया। इसीलिए विश्व भर में एक नायाब मेगा इंटरप्राइज के रूप में भारतीय रेल को ख्याति प्राप्त हो रही है। यह लीक से हटकर की गई सोच और कुछ नया कर गुज़रने की ललक का फल है।

सब कह रहे हैं, हमने गज़ब काम किया है,
करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है।
फल सालों ये अब देगा, पौधा जो लगाया है,
सेवा का, समर्पण का, हर फर्ज़ निभाया है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभापटल पर भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8107/08

[श्री लालू प्रसाद]

मैं स्वयं अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद रेल की कोई समस्या नहीं रहेगी।

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद : सभी कह रहे हैं कि हमने आश्चर्यजनक कार्य किया है। हमने प्रतिदिन करोड़ों का मुनाफा कमाया है। यह कहा जा रहा है कि लालू यादव ने एक फल का वृक्ष लगाया है और अब यह मेरा कर्तव्य है कि हर वर्ष इस पर फल आएं।

[हिन्दी]

नित नये कीर्तिमान स्थापित करती भारतीय रेल ने कइयों को हैरानी में डाला है। जहां आम आदमी प्रगति की यह तस्वीर देखकर खुश है वहीं कुछ लोग अभी भी इसे शक की नजर से देखते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारी उपलब्धियां खुली किताब की तरह हैं। हमने इन चार सालों में कुल 68 हजार 778 करोड़ रुपये का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस अर्जित किया। इसमें से 15 हजार 898 करोड़ रुपये का डिविडेंड भुगतान किया, 39 हजार 215 करोड़ रुपये का रेल परियोजनाओं में निवेश किया और फंड बैलेंस 13 हजार 665 करोड़ रुपये बढ़कर 20 हजार 483 करोड़ रुपये हो गया है।

महोदय, यूपीए सरकार बनने से पूर्व रेलवे की वित्तीय स्थिति क्या थी यह किसी से छिपा नहीं है। रेलवे एक ऐसे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही थी जिसमें वह भारत सरकार को डिविडेंड देने से चूक गई थी और गतायु संपत्तियों को समय रहते बदलने की स्थिति में नहीं थी। आज जब इसका वित्तीय कायाकल्प हो गया है तो वही लोग इसका श्रेय लेने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं:

उजड़ा चमन जो छोड़ गये थे, हमारे दोस्त,
अब बात कर रहे हैं, दो फसले बहार की

हमने न केवल ख्वाब देखे हैं बल्कि उन्हें साकार किया है। रेलवे को दिवालियेपन की स्थिति से उबरकर देश के सबसे सस्ते, सक्षम और फायदेमंद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में जनमानस को उपलब्ध कराया है। इस कायाकल्प की रणनीति के पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है। यह आम समझ की बात है कि रेलवे जैसे कैपिटल इन्टेन्सिव व्यवसाय में मार्जिनल लागत औसत लागत से काफी कम होती है। इसीलिए हमने वाल्यूम गेम खेलकर प्रति इकाई लागत कम कर, टैरिफ कम कर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाकर मुनाफा कमाने की रणनीति तैयार की। प्रति यात्री अथवा प्रति टन किराया बढ़ाने की जगह प्रति ट्रेन आमदनी बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित किया। दामों में भारी कमी होने से आज जिस प्रकार मोबाईल फोन करोड़ों लोगों की पहुंच में आ गया है, उसी प्रकार लाखों गरीब लोगों ने नॉन एसी स्लीपर से कुछ अधिक किराये पर खुली ऐसी गरीब रथ में यात्रा करने का लुत्फ पहली बार उठाया है।

वैगन टर्नराउंड टाइम घटाकर और पे लोड बढ़ाकर हमने 233 मिलियन टन की अतिरिक्त लोडिंग की और 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया।

हमने माल भाड़ा में सामान्य वृद्धि करने की जगह टैरिफ का युक्तिकरण किया। जहां हमने पैट्रोल, डीजल के मालभाड़े में कमी की वहीं निर्यात किये जाने वाले आयरन ओर के भाड़े में वृद्धि की। माल भाड़े में लीन सीजन डिस्काउंट देकर एवं पीक सीजन सरचार्ज लगाकर हमने 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की।

यात्री किरायों में वृद्धि करने की बजाय हमने यात्री गाड़ियों की लंबाई बढ़ाने पर ध्यान दिया। 2004-05 से 2007-08 के दौरान 3 हजार अतिरिक्त डिब्बे जोड़कर हमने 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की।

पार्सल, विज्ञापन, लैंड लीज आदि से प्राप्त होने वाली आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। चार वर्षों में अन्य कोचिंग एवं विविध आय 1 हजार 900 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 हजार 700 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

हमने ग्राहकों का पसीना छुड़ाने की जगह परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। निवेश नीति में कम लगात और अच्छे रिटर्न देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इनसे नेटवर्क की बाधाओं को कम करने, चल स्टॉक का बेहतर उपयोग करने और यात्रा समय को घटाकर थ्रूपुट बढ़ाने में मदद मिली।

निवेश, कमर्शियल, टैरिफ, आपरेटिंग नीतियों में आपसी तालमेल बैठाकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया। मजबूत गठबंधन बनाकर रेलवे की प्रतियोगी क्षमता को धारदार बनाया। शिपिंग एवं सड़क परिवहन कंपनियों को कंटेनर ट्रेन चलाने का लाइसेंस देकर कल तक हमारे प्रतिद्वंदी रहे व्यक्तियों को रेलवे का पार्टनर बना लिया।

हम मुनाफे को तिजोरी में न रखकर इस कायाकल्प को चिरस्थाई बनाने के लिए रेल क्षमता के विस्तार में निवेश कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों में रेलवे का प्लान साइज 13 हजार करोड़ से बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये हो गया है। संक्षेप में :

नई कथनी, नई करनी, नई एक सोच लाये हैं,
तरक्की की नई पारसमणी हम खोज लायें हैं।

चालू वर्ष में निष्पादन

हमने एक बार फिर वर्ष 2007-08 के प्रथम नौ महीनों में

आशातीत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिसंबर माह तक फ्रेट लोडिंग में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं 33 हजार 447 करोड़ रुपये की माल लदान से आय प्राप्त हुई है। अभी तक प्राप्त संकेतों के मद्देनजर हमने वर्ष 2007–08 के लिए फ्रेट लोडिंग के निर्धारित लक्ष्य को 785 मिलियन टन से बढ़ाकर 790 मिलियन टन कर दिया है तथा माल लदान आय का लक्ष्य भी 800 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। दिसंबर माह तक यात्री आय में भी लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अतः संशोधित अनुमानों के अनुसार माल आय का लक्ष्य 47 हजार 743 करोड़ रुपये, यात्री आय का 20 हजार 75 करोड़, अन्य फुटकर आय का 2 हजार 637 करोड़, अन्य कोचिंग आय का 2 हजार 200 करोड़ एवं सकल यातायात आय का 72 हजार 655 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

महोदय, छठे वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के मद्देनजर मैंने साधारण संचालन व्यय के लिए 750 करोड़ रुपये और पेंशन फंड में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। चालू वर्ष में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना नहीं है। इससे एवं बरती गई मितव्ययता के कारण साधारण संचालन व्यय में 966 करोड़ रुपये की और पेंशन फंड में 400 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है संशोधित अनुमानों में साधारण संचालन व्यय का लक्ष्य 41 हजार 721 करोड़ रुपये, पेंशन फंड के लिए प्रावधान 8 हजार 250 करोड़ रुपये और डीआरएफ के लिए 5 हजार 450 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार कुल संचालन व्यय 55 हजार 421 करोड़ रुपये होने की संभावना है। लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 25 हजार 65 करोड़ रुपये तथा शुद्ध राजस्व 18 हजार 416 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वर्ष का 4 हजार 218 करोड़ रुपये का डिविडेंड एवं 664 करोड़ रुपये का बकाया डिविडेंड भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2007–08 में रेलवे का आपरेटिंग रेशियो 76.3 प्रतिशत होने की संभावना है। महोदय, आजाद भारत के रेलवे के गौरवशाली इतिहास में यह पहला अवसर है जब रेलवे का लगाई गई पूंजी पर रिटर्न 21 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा।

गोल पर गोल दाग रहे हैं, हम हर मैच में,
देश का बच्चा–बच्चा बोले, चक दे रेलवे

यात्री सुविधायें

महोदय, रेल यात्री हमारे सम्मानित अतिथि हैं। 'अतिथि देवो भव' सदियों में हमारे देश की परंपरा रही है। पिछले चार वर्षों से भारतीय रेल पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रही है। हमने अपने अतिथि के अनुभव को सुखद, आरामदेह और सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं जिसके बारे में मैं सम्मानित सदन को संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा।

टिकट काउंटर्स पर लगने वाली लंबी कतारों को दो वर्षों में समाप्त करना।

टिकट खरीदने के रेल यात्रा की शुरुआत होती है। हमने आधुनिक आईटी एवं संचार तकनीक का प्रयोग कर टिकट काउंटर्स पर लगने वाली लंबी कतारों को दो वर्षों में सदा के लिए समाप्त करने की एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। अब यात्री घर बैठे अपने कम्प्यूटर, मोबाइल से, अपने गली मोहल्ले में ही बने काउंटर, स्टेशनों पर लगे आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट खरीद सकेंगे। अगले दो वर्षों में यूटीएस काउंटर की संख्या 3 हजार से बढ़ाकर 15 हजार और आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की संख्या 250 से बढ़कर 6 हजार कर दी जाएगी। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा का विस्तार सभी जोनल रेलवे में किया जाएगा। इससे हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने के साथ–साथ हर गली मोहल्ले में रेल टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में केवल कनफर्म ई टिकट ईश्यू होता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने वेटलिस्टिड ई–टिकट भी निर्गत करने का निर्णय लिया है। इससे ई–टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की संख्या अगले एक वर्ष में एक लाख से बढ़कर तीन लाख होने की संभावना है।

मोबाइल फोन पर रेल टिकट की सुविधा

हमारे देश में मोबाइल फोन का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा लगभग 30 करोड़ मोबाईल फोन भारत की जनता के पास उपलब्ध है। सन 2010 तक यह संख्या 50 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। अतः हम मोबाईल फोन के माध्यम से आरक्षित एवं गैर आरक्षित रेल टिकट वितरण के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

मुंबई उपनगरीय सेवा में 'गो मुंबई कार्ड' पर रेल टिकट

मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवा में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड पर ही रेल टिकट, मंथली सीजन टिकट एवं प्लेटफार्म टिकट उपलब्ध कराने की योजना के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अगले माह के अंत तक यह प्रणाली काम करना शुरू कर देगी। इस मल्टीपरपज कार्ड का नाम 'गो मुंबई कार्ड' रखा गया है और इससे बेस्ट की बसों के टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। इन कार्डों की बिक्री स्टेशनों, बेस्ट के डिपो एवं शहर में अनेक स्थानों से की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए न तो रेलवे ने पूंजीगत निवेश किया है और न ही कोई खर्च रेलवे अथवा यात्रियों को टिकट प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा। मात्र कार्ड खरीदने एवं रीचार्ज कराने के लिए मामूली राशि देनी होगी। पायलट सफल होने पर पश्चिम रेलवे सहित अन्य उपनगरीय सेवाओं में इस प्रकार की टिकट वितरण व्यवस्था लागू की जाएगी।

[श्री लालू प्रसाद]

इन सभी प्रयासों से काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

रेलवे इन्क्वायरी कॉल सैंटर

महोदय, जब मैंने दो वर्ष पूर्व बिना निवेश के पूरे देश मे रेलवे इन्क्वायरी कॉल सेंटर लगाने की घोषणा की थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' जैसा बताया था। मुझे खुशी है कि मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने अब हकीकत में बदल गये हैं। पूरे देश में 139 टेलीफोन नंबर पर सभी मोबाइल फोन और फिक्सड लाइन फोन से लोकल काल चार्ज पर इंक्वायरी सेवा उपलब्ध है। प्रतिदिन लगभग दो लाख लोग इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं और आशा है कि एक वर्ष के अंदर इनकी संख्या बढ़कर पांच लाख हो जाएगी। इन कॉल सैंटर पर ट्रेन के आगमन एवं प्रस्थान के बारे में ऑन लाइन सूचना उपलब्ध नहीं रहने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। अतः हमने आधुनिक आईटी एवं संचार तकनीक का उपयोग कर गाड़ियों को ऑनलाइन बेसिस पर कंट्रोल आफिस, एनटीईस और काल सेंटर से लिंक करने का निर्णय लिया है। इस कार्य को मार्च, 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे गाड़ियों के बारे में अद्यतन सूचना दी जा सकेगी।

ऑन लाइन कोच इंडीकेशन डिस्प्ले बोर्ड

यात्री गाड़ी के समय पालन तथा अगले स्टेशन पर पहुंचने के संभावित समय से अनभिज्ञ रहते हैं जबकि अंतराष्ट्रीय फ्लाइट में यह सूचना लगातार स्क्रीन पर उपलब्ध रहती है। इससे विशेषकर रात्रि में उतरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः हमने ओवरनाइट मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन लाइन कोच इंडीकेशन डिस्पले बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। इन बोर्डों पर अगले ठहराव वाले स्टेशन की दूरी एवं पहुंचने का संभावित समय डिस्पले होता रहेगा। यह सुविधा लंबी दूरी की मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में मार्च 2009 तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

ऑनलाइन ट्रेन आगमन-प्रस्थान सूचना पट्ट

गाड़ियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु रेलवे स्टेशनों, पार्किंग स्थलों और प्रवेशद्वारों पर ऑनलाइन ट्रेन आगमन–प्रस्थान और प्लेटफार्म आबंटन सूचना पट्ट लगाये जाएंगे। बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाले रंगीन एलईडी डिस्पले बोर्ड मार्च, 2009 तक और बी कोटि के 100 स्टेशनों पर लगाये जायेंगे।

ऑनलाइन आरक्षण उपलब्धता संबंधी सूचना पट्ट

ए एवं बी कैटेगरी के स्टेशनों के सभी रिजर्वेशन कार्यालयों में ऑनलाइन आरक्षण उपलब्धता संबंधी सूचनापट्ट लगाये जाएंगे ताकि यात्रियों को काउंटर पर जाकर आरक्षण उपलब्धता के बारे में पूछने की जरूरत न पड़े। इन सभी रिजर्वेशन कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में रंगीन एलईडी रिजर्वेशन डिस्पले बोर्ड तथा टच स्क्रीन भी लगाये जाएंगे।

यात्री गाड़ियों में डिस्चार्ज फ्री ग्रीन टायलट की व्यवस्था

चलती गाड़ियों से मैला गिरने के कारण स्टेशनों पर गंदगी फैलती है। इस समस्या के निदान के लिए हमने यात्री डिब्बों में डिस्चार्ज फ्री ग्रीन टायलट के कई डिजाइन विकसित कराये हैं। अभी तक किये गये ट्रायल के जो परिणाम सामने आये हैं वे उत्साहवर्द्धक हैं। अतः चलती गाड़ियों में से मैला गिरने की समस्या को हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की लागत पर सभी 36 हजार कोचों में ग्रीन टायलट की व्यवस्था कर दी जाएगी।

राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों में एलएचबी डिजाइन के कोचों की व्यवस्था

वर्तमान में चार शताब्दी एवं चार राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में एलएचबी डिजाइन के कोच लगाये गये हैं। इन कोचों में यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए सभी आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः हमने निर्णय लिया है कि मार्च 2010 तक सभी राजधानी एवं मार्च 2011 तक सभी शताब्दी गाड़ियों में एलएचबी कोच लगा दिए जाएंगे।

मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में स्टेनलेस स्टील के कोच की व्यवस्था

राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों के अलावा मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में भी स्टेनलेस स्टील के आईसीएफ बोगी वाले एलएचबी कोच लगाये जाएंगे। ये डिब्बे ज्यादा आरामदेह होंगे और इनकी वहन क्षमता मौजूदा सवारी डिब्बों के मुकाबले 10–16% अधिक है। इन डिब्बों में न केवल रखरखाव की आवश्यकता भी कम होती है अपितु ये लंबे समय तक उपयोग में लाये जा सकते हैं। 2008–09 से इनका उत्पादन शुरू किया जाएगा और 2009–2010 से केवल स्टेनलेस स्टील के डिब्बों का ही उत्पादन होगा।

माडयूलर टायलट की व्यवस्था

स्टेनलेस स्टील के ऊपर वर्णित कोचों में माडयूलर टायलट की व्यवस्था की जाएगी। इन शौचालयों की आंतरिक साज–सज्जा एवं डिजाइन आधुनिक एंव आकर्षक होंगे। इनमें साफ–सफाई, जल निकास, वायु संचार एवं प्रकाश की बेहतर व्यवस्था होगी।

यात्री गाड़ियों में ऑनबोर्ड सफाई की व्यवस्था

वर्तमान में यात्री गाड़ियों की सफाई प्रायः प्रारंभिक स्टेशन पर एवं

लंबी दूरी की गाड़ी की बीच के किसी स्टेशन पर भी की जाती है। लेकिन चलती गाड़ियों में कोच और शौचालय की नियमित सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। हमने पायलट के आधार पर कुछ राजधानी-शताब्दी गाड़ियों में ऑन बोर्ड सफाई की व्यवस्था का कार्य प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा कराना शुरू किया है। नई व्यवस्था से गाड़ियों की साफ-सफाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अतः हमने निर्णय लिया है कि सभी राजधानी, शताब्दी और सुपफास्ट मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन में ऑन बोर्ड साफ-सफाई का कार्य प्रोफेशनल एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। इन एजेंसियों के प्रशिक्षित कर्मचारी आधुनिक मशीन एवं सामग्री का उपयोग कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सवारी डिब्बों में जन उद्घोषणा प्रणाली

वर्तमान में राजधानी-शताब्दी गाड़ियों में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपलब्ध रहता है। यही सुविधा चुनी हुई मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने की व्यवस्था

महोदय, रेलवे में हाई, मीडियम और लो लेवल तीन तरह के प्लेटफार्म होते हैं। लो लेवल के प्लेटफार्म पर उतरने-चढ़ने में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रेलवे में बी श्रेणी के कुल 244 स्टेशनों में से 109 स्टेशनों पर हाई लेवेल और 135 स्टेशनों पर लो अथवा मीडियम लेवल के प्लेटफार्म हैं। हमने निर्णय लिया है कि बी श्रेणी के सभी 135 स्टेशनों के लो एवं मीडियम लेवेल प्लेटफार्म को हाई लेवल प्लेटफार्म में अपग्रेड किया जाएगा। डी श्रेणी के कुल 748 स्टेशनों में से 264 स्टेशनों पर हाई लेवेल, 203 पर मीडियम और 281 स्टेशनों पर लो लेवेल प्लेटफार्म हैं। जिन 281 स्टेशनों पर लो लेवेल के प्लेटफार्म हैं उन्हें मीडियम लेवेल में और 203 स्टेशनों के मीडियम लेवेल प्लेटफार्म को हाई लेवल प्लेटफार्म में अपग्रेड किया जाएगा।

प्लेटफार्म शेल्टर की व्यवस्था

डी श्रेणी के अनेक स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेल्टर की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को गर्मी, सर्दी और बरसात में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि डी श्रेणी के सभी 748 स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी। बी श्रेणी के सभी स्टेशनों के प्लेटफार्म पर आवश्यकतानुसार 250 से 500 वर्ग मीटर वाले शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी। प्रोफेशनल एजेंसियों द्वारा डिजाइन किये गये ये शेल्टर आधुनिक एवं आकर्षक होंगे।

फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था

महोदय, स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं होने के कारण न केवल यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु आये दिन रेल दुर्घटनायें भी होती रहती है। संप्रति 105 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर हाई लेवेल प्लेटफार्म हैं लेकिन फुट ओवर ब्रिज नहीं हैं। बी और डी श्रेणी के 90 स्टेशनों को हाई लेवल प्लेटफार्म में अपग्रेड किया जाएगा लेकिन उन पर फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं है। अतः हमने निर्णय लिया है कि हाई लेवल प्लेटफार्म वाले बी और डी श्रेणी के सभी 195 स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था की जाए।

प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाना

लम्बी यात्री गाड़ियां चलाने के उद्देश्य से हमने 560 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का विस्तार करने का निर्णय लिया था। इनमें से 416 स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है और शेष 144 स्टेशनों पर काम सितंबर 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 2008-09 में 30 और स्टेशनों पर प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा।

प्लेटफार्म की ऊंचाई एवं लंबाई बढ़ाने, शेल्टर उपलब्ध कराने एवं फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने के कार्यों को 500 करोड़ रुपये की लागत पर अगले दो वर्षों में पूरा किया जाएगा।

मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था

मोटर वाहन पार्किंग की आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 30 बड़े स्टेशनों पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था

बड़े स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था नहीं होने से बुजुर्गों, महिलाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि 50 बड़े स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर की व्यवस्था की जाएगी।

वर्तमान पद्धति के अनुसार गाड़ियों के कोच पर प्रारंभिक और गंतव्य स्थानों की लकड़ी की नाम पट्टियां लगी रहती हैं। आजकल एक ही रेक लिंक से भिन्न-भिन्न गंतव्य स्थानों वाली एक से अधिक गाड़ियां चलती हैं। नाम पट्टियां बार-बार बदलने की जरूरत न पड़े इसलिए हमने माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। इससे रिमोट कंट्रोल से नाम पट्टियां बदली जा सकेंगी जो रात को भी साफ नजर आएंगी।

वर्तमान में हमारे आरक्षित रेलवे टिकट पर गाड़ी प्रस्थान का समय अंकित रहता है, लेकिन गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय अंकित नहीं

[श्री लालू प्रसाद]

रहता है। यात्रियों की सुविधा के लिए हमने आरक्षित रेलवे टिकट पर गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय भी अंकित करने का निर्णय लिया है।

माल व्यवसाय

वर्ष 2003–04 में रेलवे ने 557 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की थी जबकि इस वर्ष 790 मिलियन टन लोडिंग होने की संभावना है। इस प्रकार इन चार वर्षों में 233 मिलियन टन अतिरिक्त लोडिंग होने की संभावना है जो कि 90 के पूरे दशक में हुई अतिरिक्त लोडिंग के 160 प्रतिशत के बराबर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1 हजार 100 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग करने का लक्ष्य निर्धारित है। अगले चार वर्षों में 310 मिलियन टन की अतिरिक्त फ्रेट लोडिंग करने की क्षमता को सृजित करने के लिए हमने अनेक कदम उठाये हैं जिसके बारे में सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा।

रूटवार एचडीएन विकास योजना

महोदय, लगभग 20 हजार किलोमीटर लंबे हाई डेंसिटी नेटवर्क, कोयला एवं आयरन ओर रूट एवं पोर्ट रेल संपर्क रेल लाइनों पर रेलवे का 75 प्रतिशत से अधिक माल यातायात संचालित होता है। इनमें से अनेक मार्ग पूरी तरह सैचुरेट हो चुके हैं और उन पर 100% से भी अधिक लाइन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रेल के भविष्य की दृष्टि से इन मार्गों की क्षमता का इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए, मैंने इस नेटवर्क का रूटवार विस्तृत अध्ययन कर एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के आदेश दिए थे। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यह प्रक्रिया पूरी कर एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। इस नेटवर्क की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 7 वर्षों में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रूटवार ली जाने वाली योजनाओं में दोहरीकरण, तीसरी और चौथी लाइनों, बाइपासों, फ्लाईओवरों, क्रॉसिंग स्टेशनों, मध्यवर्ती ब्लॉक स्टशनों, आटोमेटिक सिगनलिंग कार्यों, यार्डों का पुनर्निर्माण सहित 124 कार्यों का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण शामिल है। चल रहे थ्रूपुट संवर्द्धन के 104 कार्यों को अगले दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इस पूरे नेटवर्क पर आईबीएस प्रणालियां मार्च, 2009 तक लगा दी जाएंगी।

थ्रूपुट संवर्द्धन योजनाओं को फास्ट ट्रैक पर पूरा करने के लिए हमने नये दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं। सामान्य योजनाओं से कम समय में इन योजनाओं को स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया जाएगा।

आधुनिक एवं आटोमेटिक सिगनलिंग सिस्टम

महोदय, अब तक सिगनलिंग का इस्तेमाल प्रमुख रूप से रेल संरक्षा के लिए होता रहा है, जबकि आधुनिक सिगनल प्रणाली के द्वारा लाइन क्षमता में सुधार करने की काफी संभावनायें विद्यमान हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने रेल नेटवर्क पर आटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली का विस्तार करना शुरू किया है। यह सिस्टम दिल्ली–गाजियाबाद, छोटा अम्बाना–सीतारामपुर, पलवल–मथुरा और दहानू रोड–मुंबई के बीच पहले से ही उपलब्ध है। कानपुर–मुगलसराय के बीच यह सिस्टम लगाने के लिए पूर्व में ही स्वीकृति दी गई थी लेकिन उस पर काम रूके हुए थे। अब हमने इस खंड पर आटोमेटिक सिगनलिंग सिस्टम लगाने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। हमने केएफडब्ल्यू के सहयोग से गाजियाबाद–कानपुर सेक्शन में आटोमेटिक सिंगनलिंग सिस्टम लगाने का कार्य शुरू किया है। डावड़ा–खाना, दिल्ली–पलवल, वडोदरा–सूरत–वलसाड़–दहानू रोड़ खंड पर आटोमेटिक सिगनलिंग की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। इन कार्यों के पूरा होने से मौजूदा लाइन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होने के साथ–साथ रेल संरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

कोयला उद्योग

कोयला रेलवे के माल यातायात का मुख्य स्तंभ है। वर्ष 2007–08 में 336 मिलियन टन कोयले का लदान होने की संभावना है। कोल मूवमेंट के अधिकांश नये डेडीकेटेड रूट 25 टन एक्सल लोड ट्रेन के लिए उपयुक्त होंगे। उत्तर भारत के बिजली घरों की मांग को पूरा करने के लिए अलवर–रेवाड़ी का दोहरीकरण तथा मुगलसराय–लखनऊ मार्ग का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण किया जा रहा है। तालचेर, ईब वैली और कोरबा क्षेत्र में कोयला परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उरकुरा–भाटापारा तीसरी लाइन और बिलासपुर–अनुपुर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। जहां मथुरा–बीना के बीच सिगनलिंग, राजखरस्वां, चाम्पा और अनुपुर में बाई–पास के कार्य प्रगति पर हैं। वहीं खड़गपुर–पांसकुरा, बीना–भोपाल एवं झारसुगुड़ा–चाम्पा के बीच तीसरी लाइन एवं उधना–जलगांव दोहरीकरण को बजट में शामिल किया गया है। बीना–गुना–कोटा लाइन के दोहरीकरण का कार्य सर्वेक्षण के बाद लिया जाना प्रस्तावित है।

महानदी पर दूसरा पुल, रजतगढ़–बारांग, टिटलागढ़–रायपुर तथा टिटलागढ़–संबलपुर लाइन के दोहरीकरण, विजयनगरम–कोट्टावालसा, बारांग–खुर्दा रोड़ तीसरी लाइन तथा कोट्टावालसा–सिम्हाचलम के बीच चौथी लाइन के कार्य लिये जा चुके हैं। जहां नागपुर–गोंदिया के बीच आटोमेटिक सिगनलिंग का कार्य प्रगति पर है वहीं गोदिया से दुर्ग के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग का कार्य बजट में शामिल किया गया है।

पोर्ट ट्रैफिक-लक्ष्य 300 मिलियन टन

भारतीय रेल को विभिन्न बंदरगाहों से कुल ट्रैफिक का लगभग 25

प्रतिशत ट्रैफिक प्राप्त होता है। भारत का विदेशी व्यापार 2011–12 तक 650 मिलियन टन से बढ़कर 1 हजार 100 मिलियन टन होने की संभावना है। अतः रेलवे द्वारा पोर्ट रेल संपर्क योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मूंदड़ा एवं कांडला पोर्ट की मांग को पूरा करने के लिए गांधीधाम–पालनपुर आमान परिवर्तन का कार्य सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अंतर्गत एसपीवी गठित कर पूरा कर लिया गया है। पिपावाव पोर्ट के लिए संपर्क मार्ग का कार्य भी पूरा हो चुका है। भिलड़ी–समदड़ी, रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा का आमान परिवर्तन कार्य भी प्रगति पर है। मुंबई पोर्ट के लिए कुर्ला–वडाला रेल लिंक का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। हरिदासपुर–पारादीप नई लाइन, कृष्णापट्टनम पोर्ट संपर्क नई लाइन और भरुच से दहेज आमान परिवर्तन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एसपीवी का गठन किया जा चुका है तथा सूरत–हजीरा और पेन–रेवास पोर्ट नई लाईन के लिए शीघ्र ही एसपीवी का गठन किया जाएगा। निजी क्षेत्र की पहल पर धामरा एवं कीर्तनया पोर्ट रेल संपर्क मार्ग का कार्य भी विचाराधीन है।

मंगलौर पोर्ट हेतु हसन–मंगलौर आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है तथा वल्लारपड़म इनलैंड कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल के लिए वल्लारपड़म–इड्डापल्ली नई लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दीघी एयरपोर्ट तक संपर्क लाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। एन्नोर पोर्ट की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर अटीपट्टु–पुट्टूर नई लाइन का निर्माण प्रस्तावित है तथा राजगोड़ा–हल्दिया के दोहरीकरण का कार्य हल्दिया पोर्ट के साथ भागीदारी के अंतर्गत किया जाएगा।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : हल्दिया, पंसकुरा ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हां वहीं पंसकुरा, सुधार लेंगे।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार एसपीवी का कन्सेशन पीरियड लाइन पर चले ट्रैफिक की समानुपातिक शुद्ध आय 30 वर्ष के लिए अथवा किये गये निवेश पर 14 प्रतिशत रिटर्न का पीरियड, दोनों में जो भी कम है के आधार पर किया जाता है। निवेश की गणना परियोजना निर्माण पर आई वास्तविक लागत के आधार पर की जाती है। परियोजना की सही कीमत जानने एवं टाइम एवं कास्ट ओवर रन पर नियंत्रण रखने के लिए यह निश्चय किया गया है कि पायलट के आधार पर कुछ योजनाओं का खुली निविदा के माध्यम से बीओटी के द्वारा क्रियान्वयन किये जाने की संभावनायें तलाशी जाएंगी। ट्रैफिक गारंटी नई लाइन के लाभार्थियों द्वारा दी जाएगी।

स्टील उद्योग-मिशन 200 मिलियन टन

11वीं योजना के अंत तक स्टील उत्पादन 55 मिलियन टन से बढ़कर 110 मिलियन टन होने की संभावना है। स्टील उद्योग से रेलवे को सालाना 120 मिलियन टन ट्रैफिक प्राप्त होता है और हमने 2011–12 तक स्टील उद्योग से 200 मिलियन टन ट्रैफिक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। आयरन और मूवमेंट के अधिकांश नये डेडीकेटेड रूट का निर्माण अथवा अपग्रेडेशन 25 टन एक्सल लोड एवं कुछ रूटों का 30 टन एक्सल लोड की ट्रेन चलाने के लिए किया जाएगा। जहां अंगुल–सुकिंदा नई लाइन, मनोहरपुर, गोइलकेरा तीसरी लाइन एवं पादापहाड़–बांसपानी, बरबिल–बड़ाजामदा, धुमित्रा–चम्पाझरन दोहरीकरण कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं वहीं गोइलकेरा–आदित्यपुर, चम्पाझरन–बिमलगढ़ तीसरी लाइन तथा जखापुरा–बांसपानी दोहरीकरण कार्य सर्वेक्षण के बाद स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। केके लाइन दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा प्रथम चरण में किरंडूल से जगदलपुर तक दोहरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र के लिए हास्पेट–वास्को लाइन को दोहरीकरण आरवीएनएल के द्वारा किया जाएगा। बांसपानी–जखापुरा दोहरीकरण, जखापुरा– हरिदासपुर, गोइलकेरा–मनोहरपुर तीसरी लाइन एवं दल्ली राजहरा– रावघाट नई लाइन भी आरवीआनएल द्वारा क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

सीमेंट उद्योग - मिशन 200 मिलियन टन

11वीं योजना के अंत तक सीमेंट उत्पादन 170 मिलियन टन से बढ़कर 280 मिलियन टन होने की संभावना है। सीमेंट उद्योग से रेलवे को सालाना 100 मिलियन टन से अधिक ट्रैफिक प्राप्त होता है और हमने 2011–12 तक सीमेंट उद्योग से 200 मिलियन टन ट्रैफिक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देश में सीमेंट उत्पादन के 10 से अधिक बड़े कलस्टर हैं। नंदयाल–येरागुंटला, जग्गाय्यापेट–मल्लाचेरूवु तथा विष्णुपुरम–जनपहाड़ नई लाइन के कार्य प्रगति पर हैं तथा इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भानूपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई लाइन का कार्य बजट में प्रस्तावित है। बाकी कलस्टर की मांग के लिए दौंड–गुलबर्गा दोहरीकरण, पुणे–गुंटकल विद्युतीकरण का कार्य करने का प्रस्ताव है। भुज–नलिया लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य आवश्यक मंजूरी के बाद लिये जाने का प्रस्ताव है। टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 50 से अधिक बड़े टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है जिनमें मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, गाजियाबाद इत्यादि प्रमुख हैं।

कंटेनर व्यवसाय-मिशन 100 मिलियन टन

पिछले तीन वर्षों में 15 आपरेटर को कंटेनर ट्रेन चलाने के लाइसेंस दिये गये हैं। वर्तमान में कंटेनर कार्पोरेशन की 143 एवं अन्य कंटेनर आपरेटरों की 44 कंटेनर ट्रेन चल रही हैं। इस साल के अंत तक अन्य आपरेटर की गाड़ियों की संख्या बढ़कर 50 से 55 हो जाने की संभावना है। वर्ष 2007 –08 में नये ऑपरेटर द्वारा दिये गये दो मिलियन टन ट्रैफिक को लेकर कुल कंटेनर ट्रैफिक 26 मिलियन टन

[श्री लालू प्रसाद]

होने की संभावना है। वर्तमान में 60 कंटेनर डिपो कार्यरत हैं जिसमें से 3 डिपो निजी पार्टियों ने बनाये हैं। आगामी वर्षों में कंटेनर कार्पोरेशन के द्वारा 8 एवं अन्य आपरेटरों द्वारा 40 कंटेनर डिपो का निर्माण करने की संभावना है।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

स्वर्णिम चतुर्भज एचडीएन का सबसे व्यक्त एवं महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे सदन को यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि लुधियाना से कोलकाता के निकट स्थित दानकोनी तक पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली से जेएनपीटी के बीच बनने वाले पश्चिमी कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी गई है। मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्ष 2008-09 के दौरान इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में इन परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने की भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण

जहां वर्ष 2003-04 में 6 हजार 300 वैगन का निर्माण हुआ था वहीं वर्ष 2007-08 में लगभग 15 हजार वैगनों का निर्माण किये जाने की संभावना है। वर्ष 2008-09 में 20 हजार वैगन का उत्पादन करने की योजना है जो अब तक का सर्वाधिक वैगन उत्पादन होगा। इसी प्रकार 2008-09 में 250 डीजल और 220 इलेक्ट्रिक लोकों का उत्पादन किया जाएगा जो कि एक रिकार्ड है। नई पीढ़ी के डीजल और इलेक्ट्रिक लोको के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।

नये डिजाइन के हाई कैपेसिटी वैगन

ढुलाई क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 2008-09 से 20.3 टन एक्सल लोड के बीसीएन और बाक्सन वैगन का निर्माण बंद कर दिया जाएगा और अब स्टेनलेस स्टील के 22.9 टन एक्सल लोड के वैगनों का ही निर्माण किया जाएगा। नये डिजाइन के स्टेनलेस स्टील के बीसीएन वैगन का टेयर वेट कम है। इनकी लंबाई कम होने के कारण अब बीसीएन वैगन की ट्रेन 40 डिब्बों की बजाय बाक्सन वैगन की तरह 58 डिब्बों की होगी। इससे बीसीएन ट्रेन का पेलोड 78 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2 हजार 300 टन से बढ़कर 4 हजार 100 टन हो जाएगा। हमने यह उपलब्धि टेयर वेट घटाकर, वैगन की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाकर हासिल की है।

इस उच्च क्षमता वाले डिज़ाइनर की संभावनाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए वर्ष 2008-09 में 5 हजार ओपन मालडिब्बों को स्टेनलेस स्टील बॉडी में अपग्रेड कर उनका टेयरवेट लगभग दो टन घटाया जाएगा।

वर्तमान में रेलवे में स्टील और पेट्रोलियम उत्पाद के वैगन 20.3 टन एक्सल लोड के लिए ही उपयुक्त है। आरडीएसओ ने 25 टन एक्सल लोड का नया बीआरएन वैगन विकसित किया है। हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2008-09 से 20.3 टन के एक्सल लोड के वैगन का उत्पादन बंद कर नये डिजाईन के बीआरएन वैगन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। २२९ टन एक्सल लोड के बीटीपीएन वैगन का नया डिजाइन विकसित करने के लिए कई विदेशी कंपनियों से बातचीत चल रही है और अगले वर्ष के अंत तक इस विषय पर निर्णय लिये जाने की संभावना है।

वैगन उत्पादकों द्वारा नये डिजाइन के वैगनों का उत्पादन

अभी तक आरडीएसओ द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टैंडर्ड डिजाइन के अनुरूप ही उत्पादों द्वारा वैगन का उत्पादन किया जाता है। फलस्वरूप रेलवे में अधिकांश 70 और 80 के दशक के डिजाइन के वैगन प्रयोग में लाये जा रहे हैं। आधुनिक एवं नये डिजाइन के वैगन का प्रयोग रेलवे में प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक नई नीति तैयार की है। इस नीति में नये डिजाइन के वैगन को सर्टीफाई एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है एवं कंपनी के आईपीआर को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। वैगन उत्पादक अब विदेश से तकनीक आयात कर भी नये एवं आधुनिक डिजाइन के वैगन भारतीय रेलवे में ला सकेंगे। इस नई नीति से रेलवे में सतत् रूप से वैगन तकनीकी में सुधार होता रहेगा।

नई वैगन लीजिंग पालिसी

वैगन लीजिंग मार्केट का विकास करने के लिए हमने एक नई वैगन लीजिंग पालिसी तैयार की है जिसके अंतर्गत रेलवे ग्राहक कंटेनर आपरेटर वैगन लीज पर ले सकेंगे। वैगन लीजिंग कंपनियों को निबंधन कराने के लिए 5 करोड़ रुपये की फीस देनी होगी और निबंधन के लिए उनकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए। निबंधन 20 वर्षों से अधिक के लिए दिया जाएगा और संतोषजनक सेवायें पायें जाने पर और 10 वर्षों के लिए नवीकरण किया जा सकेगा। लीजिंग कंपनियों को अपना लेसी चुनने अथवा बदलने के पूरे अधिकार दिये गये हैं। ये कंपनियां स्पेशल परपज वैगन, हाई कैपेसिटी वैगन तथा कंटनेर वैगन लीज पर देंगी।

नई वैगन निवेश योजना

वर्ष 2005-06 में घोषित वैगन निवेश योजना आयरन ओर ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना

में 138 रेक में 1 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की स्वीकृति दी गई है। इसमें से अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत पर 42 रेक प्राप्त हो चुके हैं।

पुरानी वैगन निवेश योजना आयरन ओर को छोड़कर अन्य ग्राहकों के बीच लोकप्रिय नहीं हुई है। अतः इसके स्थान पर एक नई उदारीकृत वैगन निवेश योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्पेशल परपज एवं हाई कपैसिटी वैगन खरीदकर अथवा लीज पर लेकर निवेश किया जा सकेगा। स्पेशल परपज वैगर और हाई कपैसिटी वैगन में निवश करने पर निर्धारित दरों पर मालभाड़ें में छूट दी जाएगी।

बल्क एवं नॉन बल्क गुड्स टर्मिनल निर्माण योजना

उन्नत देशों में सीमेंट, खाद्यान्न, खाद आदि को बल्क के रूप में ढोया जाता है। इसमें ढुलाई लागत में कमी होती है और इसीलिए हमारे देश में ऐसी वस्तुओं के बल्क मूवमेंट का प्रचलन बढ रहा है। अतः हमने बल्क हैंडलिंग टर्मिनल निर्माण की नई पॉलिसी तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और खाद के बल्क हैंडलिंग टर्मिनल का निर्माण वस्तु उत्पादक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा किया जा सकेगा।

इन टर्मिनल पर राउंड द क्लास काम करने की सभी आधुनिक हैंडलिंग सुविधायें उपलब्ध होंगी। टर्मिनल निर्माता बल्क मूवमेंट के लिए जरूरी स्पेशल परपज बल्क वैगन में भी निवेश करेंगे। इस योजना के अंतर्गत वैगन क्लोज सरकिट में चलेंगे जिसके लिए उन्हें मालभाड़े में निर्धारित दरों पर डिस्काउंट देय होगा। इसके अलावा निर्धारित अवधि तक बिजी सीजन सरचार्ज एवं टर्मिनल चार्ज भी देय नहीं होगा। इन टर्मिनल पर वारफेज एवं डैमरेज भी देय नहीं होगा। नॉन बल्क गुड्स टर्मिनल के लिए भी नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत तैयार स्टील, बोरा बंद सीमेंट एवं बोरा बंद खाद के परंपरागत अनलोडिंग गुड्स टर्मिनल का निर्माण करने पर बिजी सीजन सरचार्ज एवं टर्मिनल चार्ज देय नही होगा। ऐसे टर्मिनल के लिए थर्ड पार्टी का ट्रैफिक भी बुक किया जा सकेगा जिस पर केवल टर्मिनल चार्ज व वारफेज से ही छूट मिलेगी।

उक्त दोनों प्रकार के टर्मिनल मुख्य रूप से निजी जमीन पर बनेंगे लेकिन रेलवे की जमीन उपलब्ध होने पर खुली निविदा के माध्यम से अधिकतम ट्रैफिक आय उपलब्ध कराने वाले निविदादाता को लैंड लाइसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रेल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे जमीन पर बने टर्मिनल पर एजेंसी को पहले साल में कम से कम आधा मिलियन टन और तीसरे साल से कम से कम एक मिलियन टन सालाना ट्रैफिक की गारंटी भी देनी होगी।

डोर टू डोर टोटल लॉजिस्टिक्स सेवा

भारतीय अर्थव्यवस्था के ट्रांसपोर्ट मार्केट में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आजकल ग्राहक ट्रक, रेल आदि की अलग-अलग व्यवस्था करने के बजाय डोर टू डोर साल्यूशन चाहते हैं। यह सर्विस उद्योग का स्वरूप लेती जा रही है। अतः रेलवे ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर डोर टू डोर साल्यूशन उपलब्ध कराने के व्यवसाय में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठायेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत रेलवे आधुनिक हैंडलिंग सुविधाओं, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पार्कों की सुविधा सहित कई प्रकार की वैल्यू एडेड सेवाएं उपलब्ध करायेगा।

विजन 2025

लीक से हटकर की गई सोच, वाणिज्यिक, संचालनिक एवं मूल्य नीतियों में किये गये अभिनव निर्णय एवं विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय एवं सामंजस्य बिठाने से ही रेलवे का वित्तीय कायाकल्प हुआ है। इस जादुई कायाकल्प को चिरस्थायी बनाने के लिए हम अगले 6 महीने में रेलवे का विजन 2025 डाक्यूमेंट तैयार करेंगे। जिसमें नए विचारों और नई सोच को एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा। इसमें आने वाले समय के लिए हमारी तैयारियां और रणनीतियों का खुलासा किया जाएगा। यह दस्तावेज अगले 17 सालों में संचालनिक निष्पादन एवं सेवा की गुणवत्ता के लक्ष्य निर्धारित करेगा तथा इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक कार्य योजना एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए जरूरी निवेश योजना का विस्तृत उल्लेख रहेगा। इस दस्तावेज में ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई आधुनिक यात्री सेवाओं और माल बाजार में रेलवे की प्रतियोगी स्थिति को धारदार बनाने के लिए जरूरी तरह-तरह की फ्रेट सेवाओं का उल्लेख किया जाएगा। इसमें एक ऐसे संगठन के ब्लूप्रिंट का उल्लेख रहेगा जिसमें सभी विभाग आपसी समन्वय और तालमेल के साथ एक टीम के रूप में कार्य कर रेलवे को नई बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। योजनाओं का नियोजन रूटवार ट्रैफिक की बाधाओं को दूर करने, नेटवर्क का विस्तार एवं रेलवे का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से किया जाएगा। यात्री सेवाओं का ध्येय केवल दो शब्द होंगे – आराम और सुविधा। माल यातायात के लिए हमारे ध्येय शब्द होंगे – प्रतिबद्धता एवं संपर्कशीलता। ये सभी उपाय एक पुनः उत्थानशील रेलवे की मजबूत नींव रखेंगे। इससे रेलवे के प्रबंधन एवं कर्मियों को नित नये प्रयोग करने के लिए प्रेरणा मिलेगी तथा भावी पीढ़ी के लिए यह दस्तावेज मार्गदर्शक स्तंभ के रुप में कार्य करेगा।

इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप

अद्भुत सृजनशीलता और जोखिम उठाने की भावना की बदौलत पिछले चार वर्षों में रेलवे का जादुई कायाकल्प हुआ है। 21वीं शताब्दी में विद्युत की गति से व्यावसायिक परिवेश में परिवर्तन हो रहे हैं। नित नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा नई तकनीक एवं नये विचारों को आत्मसात् करने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी है। अतः

[श्री लालू प्रसाद]

हमने रेलवे बोर्ड में एक वहु – विभागीय इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप का गठन करने का निर्णय लिया है। किसी भी स्तर के रेलकर्मी और देश के नागरिक इस ग्रुप को इनोवेटिव सुझाव भेज सकेंगे। इस ग्रुप को नये–नये प्रयोग करने के लिए समुचित सुविधायें एवं राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

स्ट्रेटजिक बिजनेस युनिट का गठन

पिछले चार वर्षों में स्टील, सीमेंट, कोयला इत्यादि के परिवहन में रेलवे की भागीदारी बढ़ी है। इस प्रगति को बनाये रखने के लिए हमने रेलवे बोर्ड में कोयला, सीमेंट, स्टील और कंटेनर ट्रैफिक के लिए स्ट्रेटजिक बिजनेस युनिट का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि ग्राहकों की समस्याओं का निदान सिंगल विंडो सिस्टम के तहत समयबद्ध तरीके से हो जाए। इस इकाई को उभर रहे व्यावसायिक अवसरों का समय रहते लाभ उठाने एवं बाजार में रेलवे की प्रतियोगी स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी अधिकार दिये जाएंगे।

आईटी विजन 2012

परिचालन की कुशलता में सुधार लाने, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे टेक्नालॉजी, सिस्टम और काम करने के तौर तरीकों में अमूलचूल परिवर्तन कर रही है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आईटी कार्यक्रमों में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों–मालभाड़ा सेवा प्रबंधन, यात्री सेवा प्रबंधन और सामान्य प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में आईटी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमारा मूल मंत्र सीमलेस इन्टीग्रेशन होगा। रेलवे का संचार नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है जो इस डिलीवरी प्लेटफार्म की नींव का काम करेगा। जीआईएस, जीपीएस, एवं आरएफआईडी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा। एक केन्द्रीयकृत इनफोरमेशन सिस्टम न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि संगठन के लिए भी फायदेमंद होगा। ग्राहकों को सूचना का प्रसारण सही, त्वरित एवं ऑन लाइन होगा। ग्राहक के लिए यह एक श्रेष्ठ अनुभव होगा क्योंकि सेवायें बेहतर होंगी, रेल ऑपरेशन में संरक्षा बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन सुगम होंगे तथा इन्फोटेन्मेंट, ऑनबोर्ड टेलीविजन तथा इंटरनेट सुविधा सहित नालेज कियोस्क जैसी अतिरिक्त सुविधायें भी उपलब्ध होंगी। संगठन के लिए संसाधनों के प्रयोग की योजना बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि सभी संसाधनों की पूरी तस्वीर एक साथ सामने रहेगी। इससे उत्पादकता, संगठन की क्षमता एवं कर्मचारी की संतुष्टि में गुणात्मक वृद्धि होगी। आईटी के लिए हमारे एक विजन को अगले 5 वर्षों में मूर्त रूप दिया जाएगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

रेलवे को आगामी वर्षों में नेटवर्क के विस्तार, तकनीक का आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन तथा ग्राहकों को विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भारी निवेश करना होगा। इसीलिए हमने आगामी 5 वर्षों के लिए 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना तैयार की है। इस योजना के बड़े हिस्से के लिए फंडिंग की व्यवस्था आंतरिक संसाधन ऋण के माध्यम से की जाएगी। लेकिन इतने बड़े निवेश प्रोग्राम को सिर्फ रेलवे के संसाधनों से ही चलाना कठिन होगा। अतः हमने अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक पीपीपी योजनायें शुरु की हैं। इनमें मेट्रो स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने, स्टेट आफ द आर्ट रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयां लगाने, मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्क बनाने की पीपीपी योजनायें सम्मिलित हैं। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खुली निविदा के माध्यम से नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, पटना एवं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए 2008–09 के दौरान कंसेशन अवार्ड कर दी जाएगी। हमें इन स्टेशनों पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से डीजल लोको, इलेक्ट्रिक लोको तथा रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण के लिए खुली निविदा द्वारा भागीदार का चयन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कंटेनर ट्रेन, कंटेनर डिपो एवं मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क के निर्माण में भी लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे की खाली पड़ी भूमि के व्यावसायिक उपयोग से वर्ष 2008–09 में 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2008–09 में पीपीपी योजनाओं के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजनाओं की कंसेशन अवार्ड किये जाने की संभावना है।

लेकर चला हूं सबको तरक्की की राह पर
एक नींव साझेदारी की मैंने रखी नई।

सुरक्षा

रेल यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेल सुरक्षा बल में वर्षों से खाली पड़ी 5 हजार 700 सिपाहियों की रिक्तियों एवं 993 उप निरीक्षकों की रिक्तियों को मई 2008 तक एक व्यापक नियुक्ति अभियान चलाकर भर लिया जाएगा। सिपाहियों की नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत एवं उप निरीक्षकों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। कुछ लोग महिलाओं की बात करते हैं, हम इसे लागू करते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा 973 नये पद सृजित किये गये हैं। जिनके विरुद्ध अगले वर्ष कालबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। हमने रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक समेकित

सुरक्षा योजना तैयार की है। जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्लोज सरकिट टीवी लगाये जाएंगे तथा यात्रियों एवं उनके सामान की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम एवं बम अथवा विस्फोटक सामग्री की पहचान एवं डिस्पोजल सिस्टम लगाये जाएंगे। संवेदनशील स्टेशनों पर इस प्रणाली को रेलवे द्वारा अपने खर्चे पर अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। रेल सुरक्षा बल को सुरक्षा के लिए सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे तथा इन कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

संरक्षा

रेल संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे सतत् प्रयास से रेल संरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फलस्वरूप परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में 234 से घटकर 195 रह गई है जो अब तक की न्यूनतम है। ढोए गए यातायात में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2005-06 की तुलना में 2006-07 में प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या भी 0.28 से घटकर 0.23 रह गई है। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2007-08 में भी यह क्रम जारी है। हम रेल संरक्षा में अरबों रुपये का निवेश कर रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि हम रेल तंत्र की संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विशेष रेल संरक्षा निधि से लिये गये 16 हजार 538 किलोमीटर की पुरानी रेलों, 2 हजार 359 स्टेशनों के पुराने सिगनल तथा 2 हजार 251 पुलों के नवीकरण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। रेलवे यह सावधानी भी बरत रही है कि संपत्तियों के गतायु होते ही उनके नवीनीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान डीआरएफ में कर दिया जाए। इसी आलोक में मैंने वर्ष 2007-08 में डीआरएफ का प्रावधान बढ़ाकर 5 हजार 450 करोड़ एवं 2008-09 में 7 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

महोदय, हमने मानवीय चूक को यथासंभव कम करने के लिए एक बहुआयामी योजना तैयार की है। इस योजना में टक्कर रोधी उपकरण, एकाउस्टिक बेयरिंग डिटेक्टर, ईओटीटी डिवाइस, अल्ट्रासोनिक डिजिटल फ्लॉ डिटेक्टिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, ट्रैक मॉनिटरिंग कार इत्यादि स्वचालित संरक्षा उपकरणों के प्रयोग से रेल संरक्षा को पुख्ता बनाया जाएगा।

टक्कर रोधी उपकरण

दो गाड़ियों में आमने-सामने अथवा पीछे से टक्कर होने की संभावना खत्म करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में टक्कर रोधी उपकरण का पायलट शुरू किया गया था। इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आये हैं। अतः हमने चरणबद्ध तरीके से इस प्रणाली का विस्तार पूरे रेल नेटवर्क पर करने का निर्णय लिया है। फिलहाल अगले दो वर्षों में इस प्रणाली का विस्तार तीन और रेलवे यथा दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में किया जाएगा।

रोलिंग स्टॉक की ऑन लाइन निगरानी

एक्सल बॉक्स बियरिंग के फेल होने तथा पहियें में खराबी होने से दुर्घटना की संभावनायें बढ़ जाती हैं। एकाउस्टिक बेयरिंग डिटेक्टर्स, बेयरिंग बॉक्स में संभावित खराबी की सूचना हॉट बॉक्स की स्थिति तक पहुंचने से पहले ही दे देता है, जबकि वाइल्ड प्रणाली द्वारा पटरियों पर पहियों के भार प्रभाव का मापन करके रोलिंग स्टॉक के दोषपूर्ण पहियों को स्वतः ही पता लगाया जा सकता है। इससे रोलिंग स्टॉक के साथ-साथ रेलपथ की संरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होता है। अतः प्रमुख स्थानों पर एकाउस्टिक बियरिंग डिटेक्टर तथा व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टरों की व्यवस्था करके रोलिंग स्टॉक की ऑनलाइन मानिटरिंग के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत पर 65 उपकरणों की व्यवस्था करने की एक मास्टर योजना तैयार की गई है।

अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्टिंग मशीन

वर्तमान में पटरी दोष की जानकारी एनालॉग आधारित एसआरटी और डीआरटी द्वारा प्राप्त की जाती है। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में मौजूदा एनालॉग आधारित मशीन को बदलकर 300 डिजिटल एसआरटी और 200 डिजिटल डीआरटी लगाने की योजना है। इसके अलावा 140 करोड़ रुपये की लागत पर अगले 5 वर्षों में स्वचालित अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, पुल निरीक्षण यंत्र तथा ट्रैक मॉनिटरिंग कारों का भी प्रावधान किया जाएगा।

आग से सुरक्षा

सवारी डिब्बों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अग्निरोधक सामग्री लगाने के अलावा आगे लगने अथवा धुआं निकलने पर समय रहते चेतावनी देने के लिए भी एक विस्तृत आग सूचना प्रणाली पायलट के आधार पर एक रेक में लगाने का प्रस्ताव है। प्रयोग सफल होने पर इसे चरणबद्ध तरीके से 700 करोड़ रुपये की लागत पर सभी गाड़ियों में लगाया जाएगा।

आरयूबी तथा आरओबी निर्माण

महोदय, आरयूबी अथवा आरओबी का निर्माण सामान्यतः रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 भागीदारी के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों के सीमित साधनों की वजह से इन कार्यों में विलंब होता रहा है। अतः हमने निर्णय लिया है कि चौकीदार वाले अथवा चौकीदार रखे जाने की पात्रता रखने वाले समपारों के स्थान पर जहां पर फिजिबल हो डबल लाइन मार्गों पर डेढ़ करोड़ रुपये की अधिकतम

[श्री लालू प्रसाद]

लागत तथा सिंगल लाइन पर सवा करोड़ रुपये की अधिकतम लागत पर आरयूबी का निर्माण रेलवे अंपनी लागत पर करेगी। राज्य सरकारों का सिर्फ संपर्क मार्ग पर होने वाला न्यूनतम व्यय ही वहन करना होगा। राज्य सरकारों की लागत 50:50 भागीदारी के आधार पर 582 आरओबी एवं अरयूबी का निर्माण कार्य चल रहा है। 2008–09 में लगभग 100 नये आरओबी एवं आरयूबी निर्माण का प्रस्ताव है।

वर्तमान मानदंडों के अनुसार लगभग 1 हजार 200 आरओबी का निर्माण जरूरी है। लेकिन अनेक राज्यों के द्वारा आधी–आधी लागत पर इनके निर्माण करने की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। अतः सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत बीओटी प्रणाली से आरओबी का निर्माण कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे प्रति वर्ष बनने वाले आरओबी की संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है।

अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर संरक्षा

महोदय, भारतीय रेलवे में 16 हजार 600 लेवल क्रॉसिंग मैन्ड और 18 हजार 200 लेवल क्रॉसिंग अनमैन्ड हैं। मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर रेल दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में सर्दी में कोहरा पड़ने के समय ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना और बढ़ रही है। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में सर्दी में कोहरा पड़ने के समय ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2006–2007 में अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर हुई दुर्घटनायें परिणामी रेल दुर्घटनाओं की 37 प्रतिशत थीं जबकि 2000–01 में यह दुर्घटनायें 15 प्रतिशत थीं। वर्ष 2006–07 में हुई 195 परिणामी दुर्घटनाओं में 72 दुर्घटनायें अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर हुई थीं। अतः हमने लेवल क्रासिंग को मैन करने की नीति को और उदार एवं व्यापक बनाकर तेजी से सभी व्यस्त अनमैन्ड लेवेल क्रासिंग को मैन करने का निर्णय लिया है।

सामाजिक कल्याण

लाइसेंसधारी कुली को गैंगमैन एवं चतुर्थ वर्ग के अन्य पदों पर नौकरी

मुसाफिर और कुली का साथ, बरसों से निरंतर है,
उसे सम्मान दें, जो रात–दिन सेवा में तत्पर है।

रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले कुली, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से आते हैं। ये वर्षों से यात्रियों का बोझा ढोते हैं। रेलवे में गैंग मैन के कई हजार पद रिक्त हैं। अनमैन्ड लेवल क्रासिंग को मैन करने के लिए गैनमैन को गेटमैन के रुप में प्रोन्नति देने से गैंगमैन के काफी बड़ी संख्या में और पद रिक्त हो जाएंगे। लाइसेंसधारी कुलियों की वर्षों पुरानी मांग के मद्देनगर समुचित स्क्रीनिंग कर लाइसेंसधारी कुलियों को वन टाइम बेसिस पर रेलवे में गैंगमैन एवं चतुर्थ वर्ग के अन्य पदों पर नौकरी दी जाएगी।

रियायतें

विद्यार्थियों के लिये मुफ्त मंथली सीजन टिकट

वर्तमान में छात्राओं को 12वीं कक्षा तक और छात्रों को 10वीं कक्षा तक स्कूल से घर के बीच यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी के मुफ्त मंथली सीजन टिकट दिये जाते हैं। हमने अब छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई तक एवं छात्रों को 12वीं कक्षा तक यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

वरिष्ठ महिला नागरिकों को यात्री किराये में 50 प्रतिशत रियायत

रेलवे द्वारा 60 साल से अधिक के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सभी श्रेणियों के यात्री किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है। हमने वरिष्ठ महिलाओं को सभी श्रेणी के यात्री किराये में दी जाने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

अशोक चक्र विजेताओं को रियायतें

परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र से अलंकृत जवानों एवं पदाधिकारियों को कम्पेनियन के साथ एसी टू टियर में यात्रा करने के लिए कार्ड पास मिलता है जो राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों में भी मान्य हैं। लेकिन भारतीय सेना के अशोक चक्र धारियों को मिलने वाले पास कार्ड पर राजधानी एवं शताब्दी ट्रेन में यात्रा करने की सुविधा नहीं है। अब हमने अशोक चक्र विजेताओं को दिये जाने वाले कार्ड पास पर भी राजधानी एवं शताब्दी ट्रेन में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिये रियायत

भारतीय रेल और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन आपसी सहयोग से रेड रिबन एक्सप्रेस गाड़ी चला रही है। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं एड्स पीड़ित लोगों को नामिनेटेड एआरटी सेन्टर्स में इलाज के लिए द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

नवर-चाइल्ड हेल्थ एक्सप्रेस

भारतीय रेल सदैव से ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सचेष्ट रही है। रेलवे स्वयंसेवी संगठनों एवं मंत्रालयों के साथ कंधे से

कंधा मिलाकर लाइफ लाइन एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस, साइंस एक्सप्रेस और आजादी एक्सप्रेस चलाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में मां और शिशु को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल और राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा मिलकर पायलट बेसिस पर 7 बोगियों की एक मदर–चाइल्ड हेल्थ एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। जिसमें रेल कर्मचारियों और आम जनता का ईलाज होगा। इस गाड़ी को रेलवे द्वारा रियायती किराये पर चलाया जाएगा। इस गाड़ी में प्रसूति ऑपरेशन गृह, चाइल्ड हेल्थ सेंटर इत्यादि सुविधायें होंगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बकाया रिक्तियों के निपटान के लिए वर्ष 2004 से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जाति के लिए चिह्नित बकाया रिक्तियों में से लगभग 99 प्रतिशत रिक्तियां भर ली गई हैं।

अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

2003–04 की तुलना में 2007–08 में ग्रुप डी में की गई नियुक्तियों की संख्या 2 हजार 655 से बढ़कर 10 हजार 614 हो गई है। महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों की नियुक्ति उनके निर्धारित कोटा से कहीं अधिक की गई है। जैसे ग्रुप डी की 10 हजार 614 नियुक्तियों में से 5 हजार 45 नियुक्तियां अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यार्थियों की हुई है।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सेल

भारतीय रेल द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उन्हें रेलवे में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड एवं प्रत्येक जोनल रेलवे में एक अलग अल्पसंख्यक कोषांग गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी नियुक्ति बोर्ड एवं समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य होना अनिवार्य है। जिन राज्यों में उर्दू राज्य की दूसरी भाषा है उनमें रेल नियुक्तियों की सूचना उर्दू अखबारों में प्रकाशित करने के भी आदेश निर्गत किये गये हैं। ऐसे राज्यों में ग्रुप डी की परीक्षा भी उर्दू में लेने के निर्देश दिये गये हैं। जहां यह मान्य है।

अपराह्न 1.00 बजे

समर्पित जिसका जीवन राष्ट्र सेवा में हमेशा है,
कड़ी मेहनत करे जो, वो सिपाही रेलकर्मी है।

रेलवे के वित्तीय कायाकल्प के लिए 14 लाख रेलकर्मियों ने दिन– रात परिश्रम किया है। इसीलिए हमने कर्मचारियों को 2006–07 में देयब बोनस 65 दिन बढ़ाकर 70 दिन कर दिया है।

नवंबर, 2007 में भारतीयों रेलों के इतिहास में पहली बार सभी 16 क्षेत्रीय रेलों पर रेलवे ट्रेड यूनियन के चुनाव संपन्न हुए। इनमें लगभग 88 प्रतिशत रेलकर्मी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब सभी रेल ट्रेड यूनियन प्रजातांत्रिक आधार पर चुनी गई हैं एवं इससे औद्योगिक संबंधों में नये अध्याय की शुरूआत हुई है।

ऐसे रेल कर्मी जो पहले राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी संगठन अथवा अन्य किसी संस्था में काम कर चुके हों तथा जिनकी पूर्व सेवा अवधि को भारतीय रेलवे में पेंशन के लिए सम्मिलित किया गया हो, उनकी पूर्व सेवा अवधि के आधे सेवाकाल को रेल की पूरे सेवाकाल में जोड़कर पास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

स्टॉफ बेनिफिट फंड

स्टाफ बेनिफिट फंड में दी जाने वाली राशि को वर्ष 2008–09 के लिए दस गुना बढ़ाकर 35 रुपये से 350 रुपये प्रति रेल कर्मचारी करने का प्रस्ताव है।

चिकित्सा सुविधायें

चिकित्सा सेवा में सुधार लाने के लिए 101 करोड़ रुपये की लागत से 13 नये कार्यों का प्रस्ताव है। उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित केंद्रीय अस्पताल भवन को सेंट्रली एयरकंडीशंड बनाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी रेलवे के लिए जयपुर हुबली में डिवीजनल हास्पिटल को अपग्रेड कर दो नये केंद्रीय अस्पताल, रांची में नया डिविजनल अस्पताल एवं आईसीएफ में ओपीडी ब्लाक निर्माण का प्रस्ताव है।

खेलकूद के क्षेत्र में रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

इस वर्ष भी भारतीय रेल ने अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल–कूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। जून, 2007 में भारतीय रेल ने यूएसआईसी विश्व रेलवे टेनिस चैम्पियनशिप जीती। जून, 2007 में कॉमनवेल्थ फ्री स्टाइल तथा ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप में भारतीय रेल के पहलवानों ने 6 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक जीते। जुलाई, 2007 में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारतीय

[श्री लालू प्रसाद]

रेल के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 2 कांस्य पदक जीते। सितम्बर, 2007 में विश्व बिलियर्डस चैम्पियनशिप में भारतीय रेलवे के श्री रूपेश अश्विनी साई शाह विश्व चैंपियन बने। नवंबर 2007 में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में डोला बनर्जी ने स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा। राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय रेल ने 26 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया जिनमें 17 में विजेता रही। भारतीय रेल के दो खिलाड़ियों ज्योति एस कुल्लू को हॉकी के लिए तथा श्री विजिन्दर को बॉक्सिंग के लिए "अर्जुन पुरस्कार, 2006" से सम्मानित किया गया। भारतीय रेल के पूर्व हॉकी खिलाड़ी श्री विरेन्द्र सिंह को "खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, 2007" से सम्मानित किया गया है।

धरोहर संरक्षण

रेलवे के पास धरोहर का एक अमूल्य खजाना है। भारतीय रेल की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया है। निकट भविष्य में कालका शिमला रेलवे को भी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है। हमने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और क्षेत्रीय रेल संग्रहालयों को समृद्ध बनाने के लिए समुचित राशि की व्यवस्था की है। भाप इंजन रेलवे धरोहर का हृदय हैं। हम भाप इंजनों के माध्यम से हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास करेंगे।

ऊर्जा संरक्षण

भारतीय रेल ऊर्जा संरक्षण हेतु ऊर्जा कुशल टेक्नालाजी अपनाने के लिए कटिबद्ध है। इसी आलोक में सभी 6 लाख स्टाफ क्वार्टर में 26 लाख बल्बों को सीएफएल से बदलने का निर्णय लिया गया है। इससे सालाना लगभग 20 करोड़ युनिट बिजली की बचत होगी एवं प्राप्त होने वाले कार्बन क्रेडिट से सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अंतर्गत इस योजना को वित्त पोषित किया जाएगा। सभी स्टेशनों, कार्यालयों एवं अन्य रेल परिसरों में भी सीएफएल और टी–5 लाइट लगाने की वृहद् योजना तैयार की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारतीय रेल, यूआईसी का नेतृत्व करते हुए विश्व रेल मामलों में उत्तरोत्तर अहम् भूमिका निभा रही है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने हाल ही में चीन रेलवे के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मौजूदा मार्गों पर गति बढ़ाने, भारी कर्षण परिचालनों और विश्वस्तरीय स्टेशनों के विकास कार्यों में सहयोग मिलेगा। भारत ने जून 2007 में ट्रांस एशियन रेलवे करार पर हस्ताक्षर किये हैं। हम सरकार की 'पूर्व की ओर देखो' नीति में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं एवं इसके तहत बिमस्टेक एवं मेकांग गंगा देशों के कर्मचारियों को मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। इस पहल को सार्क देशों तक भी बढ़ाया जाएगा।

नबी नगर में कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट की स्थापना

बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में एक हजार मेगावाट के रेलवे कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। चालू योजना अवधि के दौरान इससे उत्पादन शुरू होने की आशा है।

केरल में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना

बढ़ती हुई रेल सवारी डिब्बों की आवश्यकता को देखते हुए, पिछले वर्ष रायबरेली में एक नई फैक्ट्री की स्थापना का निर्णय लिया गया था। पिछले कुछ सालों में हमें मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका, बंगलादेश, तंजानिया, म्यानमार, अंगोला, सेनेगल, माली इत्यादि देशों से रेल कोच सप्लाई के आर्डर मिले है। देश में मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं राज्य सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमें एक हजार एकड़ जमीन निशुल्क दी है और वहां कारखाना खोला है। इन सभी जरूरतों को मद्देनजर केरल में एक नई रेल कोच उत्पादन इकाई लगाई जाएगी। केरल राज्य सरकार द्वारा इस फैक्ट्री के लिए 1 हजार एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराई गई है।

गरखा में वैगन पुनर्निर्माण कार्यशाला

बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले चार वर्षों में रेलवे के वैगन उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वैगन के पुनर्निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता भी बढ़ रही है। अतः पुराने वैगनों के पुनर्निर्माण के लिए छपरा जिले के गरखा में 40 करोड़ रुपये की लागत पर एक नई वैगन पुनर्निर्माण इकाई के निर्माण का प्रस्ताव है।

रेल कारखानों का आधुनिकीकरण

पश्चिम बंगाल के लिलुआ कारखाना, पेरम्बूर लोको कारखाना और अजमेर लोको कारखाने का 200 करोड़ रुपये की लागत पर आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

जमालपुर कारखाने का विकास एवं आधुनिकीकरण

सन् 1862 में स्थापित जमालपुर कारखाना भारतीय रेल का

सबसे बड़ा इन्टीग्रेटेड कारखाना है। विगत कुछ वर्षों में इस कारखाने में वैगन, कंटेनर फ्लैट् वैगन, बड़ी ब्रेक डाउन क्रेन और टॉवर वैगन आदि का निर्माण शुरू हो गया है। 82 करोड़ रुपये की लागत पर जमालपुर कारखाने का आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि इसे एक उत्पादन इकाई के रूप में विकसित किया जा सके।

भारतीय रेल को मोकामा एवं मुजफ्फरपुर वैगन फैक्ट्री का ट्रांसफर

माल लदान में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण वैगनों की मांग बढ़ रही है। भारतीय रेल को भारत वैगन की मोकामा एवं मुजफ्फरपुर में स्थित वैगन फैक्ट्री ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है ताकि उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आपको इस पर चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा। वे अभी आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमें विश्वास है कि रेलवे के कायाकल्प की भांति हम अगले वर्षों में इन दोनों फैक्ट्रियों का भौतिक एवं वित्तीय कायाकल्प करने में कामयाब होंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप समझाइए।

श्री लालू प्रसाद :

भूमि अधिग्रहण अधिनियम अध्यादेश

रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगता है। राज्य सरकार जगह नहीं देती, उससे परेशानी चाहती है। अतः महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए त्वरित आधार पर भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऐक्ट की तर्ज पर रेल अधिनियम, 1989 के अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे द्वारा नियुक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित विशेष रेल परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। पूर्वी एवं पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मरीढ़ा, मधेपुरा और रायबरेली में तीन नई रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयों एवं 3 थ्रुपुट संवर्द्धन योजनाओं को विशेष रेल परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वर्ष 2006–07 के दौरान रेलवे के 9 सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल 8 हजार 758 करोड़ रुपये की आमदनी दर्ज की है और 1 हजार 366 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। कॉनकोर लिमिटेड ने 3 हजार करोड़ रुपये के कारोबार से 704 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आईआरएफसी द्वारा 2 हजार 284 करोड़ रुपये की आय एवं 399 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2006–07 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 1 हजार 543 करोड़ रुपये का कारोबार एवं 76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। इरकान ने मलेशिया में रेल लाइन के निर्माण के लिए चार हजार करोड़ रुपये की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना हासिल की है। राइट्स ने वर्ष 2006–07 में 566 करोड़ रुपये का रिकार्ड कारोबार कर 118 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। चालू वर्ष के दौरान रेलटेल भी लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है।

यात्री सेवाएं

वर्ष 2008–09 के दौरान मैं 10 नये गरीब रथ, 53 नई गाड़ियां, 16 गाडियों का विस्तार तथा 11 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने की घोषणा करता हूं:

गरीब रथ

1. जयपुर–चंडीगढ़ वाया रेवाड़ी–भिवानी (सप्ताह में तीन दिन)
2. सिंकदराबाद–विशाखापत्तनम (सप्ताह में तीन दिन) गरीब रथ, फुली एयरकंडीशन,
3. वाराणसी–दिल्ली (सप्ताह में तीन दिन),
4. बेंगलोर–कोचुवेली (सप्ताह में तीन दिन),
5. रांची–दिल्ली (सप्ताह में दो दिन)
6. जम्मू तवी–काठगोदाम (साप्ताहिक) (यह सेवा पिछले बजट में प्रस्तावित निजामुद्दीन–देहरादून गरीब रथ सेवा के बदले होगी)
7. यशवंतपुर–पुडुचेरी (सप्ताह में तीन दिन)
8. जबलपुर–मुंबई (सप्ताह में दो दिन)
9. दिल्ली–जयनगर वाया पटना (सप्ताह में दो दिन)
10. पुणे–नागपुर (सप्ताह में तीन दिन)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : क्या बंगाल में कोई गाड़ी नहीं दी है?

श्री लालू प्रसाद : क्या पटना से बंगाल के लिए हमने गाड़ी नहीं दी है। लगता है आप लोग कोई जानकारी नहीं रखते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिए। जब रेल बजट पर बहस होगी तब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप उनकी बात का उत्तर न दें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : पटना–कोलकाता के लिए हम पहले से गाड़ी चालू कर चुके हैं *...(व्यवधान)* आप बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे देश में 28 राज्य हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : समय पर आपको एलर्ट रहना चाहिए। भविष्य में सभी गाडियां चलेंगी। यह लास्ट नहीं है। आप सब जागरूक रहिए। आप सब गाड़ियां देखेंगे।

108 नई गाड़ियां

1. अमरावती–मुंबई एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
2. चैन्नई–तिरुचेन्दूर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. हैदराबाद–उस्मानाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
4. भुवनेश्वर–मुंबई एक्सप्रेस वाया संबलपुर (सप्ताह में दो दिन)
5. अमृतसर–सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस वाया हसनपुर (साप्ताहिक)
6. रांची–चोपन एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
7. आसनसोल–मुंबई एक्सप्रेस वाया जसीडीह (साप्ताहिक) इस सेवा के परिचालन से हावड़ा–मुंबई मेल की सेवा सातों दिन बरास्ते गया पुनः उपलब्ध हो जाएगी।
8. कामाख्या–गांधीधाम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
9. कोचुवेली–देहरादून एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
10. जयनगर–सहरसा जानकी एक्सप्रेस वाया हसनपुर (सप्ताह में तीन दिन)
11. न्यू डिब्रुगढ़ टाऊन–कामाख्या एक्सप्रेस वाया मोरनहाट (सप्ताह में तीन दिन)
12. मछलीपत्तनम–बैंगलोर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन), आप सुनते जाइए।
13. सूरत–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस वाया आजमगढ़–छपरा (साप्ताहिक)
14. अमृतसर–कोचुवेली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
15. दिल्ली–पठानकोट एक्सप्रेस वाया अमृतसर (सप्ताह में तीन दिन)
16. मादना टाऊन–पटना एक्सप्रेस वाया भागलपुर (सप्ताह में तीन दिन)
17. इंदौर–उदयपुर एक्सप्रेस वाया रतलाम (सप्ताह में तीन दिन)
18. वाराणसी–रामेश्वरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
19. दिल्ली–जोगबनी लिंक (एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
20. खुजराहो–दिल्ली लिंक एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
21. कामाख्या–गया एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
22. रामनगर–दिल्ली लिंक एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
23. कोलकाता–मुर्शिदाबाद हजार दुआरी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
24. मथुरा–छपरा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
25. ग्वालियर–इंदौर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
26. उदयपुर–दिल्ली चेतक एक्सप्रेस वाया अजमेर–नीम का थाना (सप्ताह में तीन दिन)
27. पुरी–दरभंगा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
28. यशवंतपुर–जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
29. राधिकापुर–दिल्ली एक्सप्रेस
30. वास्कोडिगामा–पटना एक्सप्रेस वाया कोंकण रेलवे (साप्ताहिक)
31. परादीप–भुवनेश्वर एक्सप्रेस (प्रतिदिन) यह गाड़ी परादीप–कटक के मध्य चलने वाली एक जोड़ी सवारी गाड़ी को निरस्त कर चलाई जाएगी।
32. बिलासपुर–पुणे एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
33. केन्दूझरगढ़–पुरी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
34. गया–चैन्नई एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
35. बल्हारशाह–मुम्बई लिंक एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
36. न्यू डिब्रुगढ़ टाऊन–यशवंतपुर एक्सप्रेस वाया मोरनहाट (साप्ताहिक)

37. रांची–भागलपुर एक्सप्रेस वाया क्यूल (सप्ताह में तीन दिन) वह सेवा रांची–भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन वाया क्यूल) के बदले होगी
38. लखनऊ–दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
39. देहरादून–दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
40. अहमदाबाद–मुंबई वातानुकूलित एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
41. चेन्नई–रामेश्वरम एक्सप्रेस वाया मतिलादुतुरै–कराईकुड्डी (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
42. चेन्नई–त्रिरूचिरापल्ली एक्सप्रेस वाया मयिलादुतुरै (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
43. चेन्नई–सेलम एक्सप्रेस वाया वृद्धाचलम (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
44. मदुरै–तेनकाशी पैसेंजर (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
45. विल्लुपुरम–मयिलादुतुरै पैसेंजर (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
46. मैसूर–नन्जनगुड़ा टाऊन पैसेंजर (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
47. अहमदाबाद–पाटन पैसंजर (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
48. दबोई–प्रतापनगर पैसेंजर (प्रतिदिन) आमान परिवर्तन के बाद
49. हाजीपुर–फुलवरिया पैसेंजर (प्रतिदिन) नई लाइन बनने के बाद। यह हमारा गांव है, यहां के लिए पैसेंजर ट्रेन दिया है। हम पैसेंजर ट्रेन में चढ़कर जाएंगे।
50. इटारसी–कटनी पैसेंजर (प्रतिदिन)
51. शोरूवण्णूर–नीलाम्बुर रोड़ पैसेंजर (प्रतिदिन)
52. तिरूनेलवेल्ली–तिरूचेन्दुर पैसेंजर (प्रतिदिन)
53. वसई रोड–पनवेल मेमू सेवा (प्रतिदिन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह बोलने का समय नही है। डा. जगन्नाथ कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : गाड़ियों का विस्तार

मुझे निम्नलिखित 16 सेवाओं का मार्ग विस्तार का प्रस्ताव करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है:–

1. 8611/8612 वाराणसी–रांची का वाया राउरकेला संबलपुर तक विस्तार (सप्ताह में दो दिन)
2. 2677/2678 बेंगलूरु–कोयम्बटूर एक्सप्रेस का एर्णाकुलम तक विस्तार

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह सिक्ख कम्युनिटी की मांग की थी कि अहमदाबाद से अमृतसर तक एक ट्रेन चलाई जाए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप लोग इसे देखिए, अगर कमी होगी तो रिप्लाई के समय देखेंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : 4207/4208 दिल्ली–रायबरेली पदमावत एक्सप्रेस का प्रतापगढ तक का विस्तार।

4. 7405/7406 तिरूपति–निजामाबाद कृष्णा एक्सप्रेस का आदिलाबाद तक विस्तार
5. 3225/3226 दानापुर–दरभंगा एक्सप्रेस का जयनगर तक विस्तार
6. 2855/2856 नागपुर–रायपुर एक्सप्रेस का बिलासपुर तक विस्तार
7. 2691/2692 चेन्नई–बेंगलोर एक्सप्रेस का श्रीसत्य साई प्रशांति निलायम तक विस्तार

[श्री लालू प्रसाद]

8. 6733/6734 मदुरै–मनमाड एक्सप्रेस का एक दिशा में रामेश्वरम तथा दूसरी दिशा में ओखा तक विस्तार

9. 2141/2142 राजेन्द्र नगर टर्मिनस–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक विस्तार

10. 2409/2410 निजामुद्दीन–बिलासपुर गोंडवाना एक्सप्रेस का रायगढ़ का विस्तार

11. 4201/4202 मथुरा–लखनऊ एक्सप्रेस का पटना तक विस्तार

12. 2083/2084 कोयम्बटूर–कुम्बकोणम जनशताब्दी एक्सप्रेस का मईलादुतुरै तक विस्तार (आमान परिवर्तन के बाद)

13. 1423/1424 शोलापुर–बागलकोट एक्सप्रेस का गडग तक विस्तार (आमान परिवर्तन के बाद)

14. 571/572 बेंगलोर–सेलम पैसेंजर का नागोर तक विस्तार (आमान परिवर्तन के बाद)

15. 724/725 तूतीकोरिन–तिरूनेलवेल्ली पैसेंजर का तिरूचेन्दूर तक विस्तार

16. 356/357 धारवाड़–गडग पैसेंजर का बीजापुर तक विस्तार

फेरों में वृद्धि

वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित रेल सेवाओं के फेरों में वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है:–

1. 2425/2426 नई दिल्ली–जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

2. 2203/2204 सहरसा–अमृतसर गरीब रथ (सप्ताह में 2 दिन से बढ़कर 3 दिन)

3. 2449/2450 निजामुद्दीन–मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)

4. 6513/6514 बागलकोट–यशवंतपुर बासवा एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

5. 3403/3404 रांची–भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस वाया अंडाल (सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

6. 2891/2892 बारीपदा–भुवनेश्वर एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन)

7. 2151/2152 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–हावड़ा समरस्ता एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)

8. 2421/2422 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

9. 2947/2948 अहमदाबाद–पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन)

10. 2431/2432 निजामुद्दीन–तिरूवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन)

11. 5109/5110 वाराणसी–राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)

गुरूद्वारा सचखंड साहिब, नांदेड द्वारा श्री गुरुग्रंथ साहिब का गुरता गद्दी दिवस का त्रिशताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं गुरुद्वारा सचखंड साहिब के लिए आनंदपुर साहिब और पटना साहिब से इस अवधि के दौरान विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा करता हूं।

वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले कामनवेल्थ गेम्स से पूर्व 12 अक्तूबर से 18 अक्तूबर 2008 तक पूणे में कामनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों की महत्ता को देखते हुए मैं पूणे एवं दिल्ली के मध्य इस अवधि के दौरान विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा करता हूं।

वार्षिक योजना 2008-09

महोदय, वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना रेलवे की अब तक की सबसे बडी वार्षिक योजना है। इसमें 37 हजार 500 रुपए निवेश करने का प्रस्ताव है जो गत वर्ष की अपेक्षा 21 प्रतिशत अधिक है। सामान्य राजस्व से कुल बजटीय सहायता 7 हजार 874 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जिसमें 774 करोड़ रुपए केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त होंगे। इस प्रकार वार्षिक योजना के लिए 79 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था आंतरिक एवं गैर बजटीय स्त्रोतों से की जाएगी।

इस योजना में रेल क्षमता के विस्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण, एचडीएन मार्गों पर थ्रूपुट संवर्धन, ट्रैफिक फैसिलिटी कार्य तथा नेटवर्क के विकास एवं विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। फ्लाइओवर, बाईपास, आईबीएस, गुड्स शेड का उन्नयन इत्यादि ट्रैफिक फैसिलिटी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। दोहरीकरण योजनाओं के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2 हजार 500 करोड़ रुपए, ट्रैफिक फैसिलिट कार्यों के लिए 984 करोड़ तथा आरवीएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई लाइनों के लिए 1 हजार 730 करोड़ रुपए, आमान परिवर्तन के लिए 2 हजार 489 करोड़ रुपए, विद्युतीकरण के लिए 626 करोड़ रुपए तथा महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए

650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। संरक्षा कार्यों के लिए रेलपथ नवीकरण पर 3 हजार 600 करोड़ रुपए, सिगनल तथा दूर संचार कार्यों के लिए 1 हजार 520 करोड़ रुपए, ऊपरी अथवा निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए तथा बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राष्ट्रीय परियाजनाओं अर्थात् उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला, जीरीबाम–इम्फाल रोड, दीमापुर–कोहिमा, आजरा–बरनीहाट, कुमारघाट–अगरतला नई लाइन, बोगीबिल रेल सह सड़क पुल तथा लमडिंग–सिलचर–जीरीबाम, रंगिया–मुरकांगसेलेक आमान परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय से 1 हजार 712 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

चालू परियोजनाएं

चालू वर्ष में 2 हजार 300 किलोमीटर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। 2008–09 के लिए 3 हजार 500 किलोमीटर बड़ी लाइन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कश्मीर घाटी में काकापोर और बडगाम के बीच नई लाइन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और घाटी का शेष हिस्सा 2008–09 में पूरा हो जाएगा। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए रेलवे की सकल बजट सहायता में से 25 प्रतिशत और अतिरिक्त सहायता के रूप में शेष 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लेने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन परियोजनाओं के लिए नॉन लैप्सेबल पूर्वोत्तर रेल विकास निधि भी बनाने का प्रस्ताव है।

नई लाइनें

महोदय, 2007–08 के दौरान 155 किलोमीटर नई लाइनों के पूरा होने की संभावना है। बेंगलोर–हसन का बेंगलोर–नीलमंगला सेक्शन से पहले ही पूरा हो चुका है। कुमारघाट–अगरतला का मानू–अम्बासा, महोबा–खुजराहो, आरा–सासाराम का विक्रमगंज–पीरो और देवघर–दुमका का देवघर–घोड़मारा के शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

2008–09 के लिए 350 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ प्रमुख सेक्शन इस प्रकार हैं:–

1. देवघर–दुमका का घोड़मारा–दुमका
2. नागपट्टीनम–वेलनकनी
3. येरागुंटला–नंदयाल का येरागुंटला–नोसम
4. हरपनहल्ली–हरिहर

इन सेक्शनों के पूरा होने पर देवघर–दुमका और कोट्टूर–हरिहर नई लाइन परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

आमान परिवर्तन

सेलम–कुड्डालोर का वृद्धाचलम–अट्टूर, पूर्णा–अकोला का पूर्णा–हिंगोली, जयनगर– दरभंगा, बांकुरा–दामोदर रेलवे लाइन का शेराजाबार–रायनगर, बरसोई–राधिकापुर, तिरूनलवेलि–तिरूच्चेंदूर, न्यू कूचबिहार–बामनहाट, समस्तीपुर– खगड़िया का समस्तीपुर–रूसेराघाट, पीपर रोड–बिलारा और साबरमती– खोडियार का आमान परिवर्तन चालू वर्ष के दौरान पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी–सादुलपुर–हिसार, कटिहार–जोगबानी, मिरज–लातूर का उस्मानाबाद–कुर्डूवाड़ी, रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा, त्रिची– मानामदुरै का करायकुड़ी–त्रिची–नागोर–कराइकल का तिरूवरूर–नागोर, पूर्ण–अकोला का हिंगोली–अकोला, सोलापुर–गड़ग का बागलकोट–गड़ग तथा गुंटकल–कल्लूरू का आमान परिवर्तन शीघ्र पूरा होने की संभावनाएं हैं।

इन खंडों के आमान परिवर्तन पूरा होने से सेलम–कुड्डालोर, जोगबानी–कटिहार–राधिकापुर, समस्तीपुर–खगड़िया, पूर्णा–अकोला, पीपर रोड–बिलारा, त्रिची–मानामदुरै, सोलापुर–गड़ग तथा गुंटूर–गुंटकूल–कल्लूरु परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय हर बार गुजरात के साथ अन्याय होता है। पैसा गुजरात से लेते हैं, लेकिन वहां के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम इसके विरोध में वाक–आऊट करते हैं।

अपराह्न 1.45 बजे

इस समय श्री हरिन पाठक और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद यादव : 2008–09 के दौरान, निम्नलिखित खंडों सहित लगभग 2 हजार 150 किमी का आमान परिवर्तन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:

1. मिरज–लातूर का पंढरपुर–मिरज

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालू प्रसाद]

2. नौपदा–गुनुपुर

3. मथुरा–अचनेरा

4. औंड़िहार–जौनपुर

5. फकीराग्राम–धुबरी

6. पूर्णिया–सहरसा

7. सरूपसर–श्रीगंगानगर

8. अजमेर–फुलेरा, जब एन.डी.ए. सरकार थी, आपने कुछ नहीं किया था।

9. भिलड़ी–समदड़ी

10. जबलपुर–गोंदिया का बालाघाट–कटंगी

11. धर्मावरम–पकाला का मदनापल्ली–धर्मावरम

12. शिमोगा–तालगुप्पा का आनंदपुरम–तालगुप्पा

13. सीतामढ़ी–नरकटियागंज

14. काटपाड़ी–विल्लुपुरम का तिरूवन्नामलाई–विल्लुपुरम

15. प्रतापनगर–छोटा उदयपुर का बोडेली–छोटा उदयपुर

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद) : लालूजी, आपने फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। जब मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा) : आगरा के बारे में आपने वादे करके भी कुछ नहीं किया। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : राजकोट–वेरावल का संजलिया–जेतलसर

इन खंडों के पूरा होने से मिरज–लातूर, नौपदा–गुनुपुर, मथुरा–अचनेरा, औंड़िहार–जौनपुर, रेवाड़ी–रींगस–अजमेर, भिलड़ी–समदड़ी, धर्मावरम–पकाला, काटपाड़ी–विल्लुपुरम, श्रीगंगानगर–सरूपसर, न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव, राजकोट–वेरावल, प्रतापनगर–छोटा उदयपुर और बेंगलोर–हुबली, बिरूर–शिमोगा–तालगुप्पा परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आपका व्यवहार खेदजनक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं उन्हें कहूंगा कि इसे सभापटल पर रख दिया जाए। परन्तु मैं इस तरह व्यवधान उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं। ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : दोहरीकरण।

वर्ष 2007–08 के दौरान, 500 किमी का दोहरीकरण कार्य पूरा होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2008–09 के लिए एक हजार किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई परियोजनाएं

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि रतलाम–इंदौर–खंडवा–अकोला, उदयपुर–अहमदाबाद, सूरतपुरा–हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर, जयपुर–रींगस–चुरू एवं सीकर–लोहारू, मदुरै–बोदीनायकनूर का आमान परिवर्तन एवं कुर्सेला–बिहारीगंज, इरोड–पलनी, गया–डाल्टनगंज, चेन्नई–पुदुचेरी–कुड्डालोर, मुजफ्फरपुर–दरभंगा, अटीपट्टू–पुत्तर, तथा जलालगढ़–किशनगंज नई लाइन परियोजना को बजट में शामिल किया गया है। पांसकुरा–खड़गपुर, बीना–भोपाल, चांपा–झारसुगुड़ा, राजखरस्वां–सिनी तीसरी लाइन, उधना–जलगांव, चन्द्रपुरा–राजाबेड़ा, जाखल–मानसा, मूरी–मूरी आउटर केबिन, बांसपानी–

जरोली, विल्लुपुरम–डिंडीगुल दोहरीकरण और तिरूवल्लूर–अरकोणम चौथी लाइन के निर्माण कार्यों को भी बजट में शामिल कर लिया गया है। भानूपल्ली–बिलासपुर–बेरी, सीतामढ़ी–सुरसंड–जयनगर–निर्मली, ब्यावर के निकट रास के लिए रेल लिंक, आरा–भभुआ रोड़, अगरतला–सबरूम, अररिया–सुपौल, डेहरी आन सोन–बंजारी, वर्धा–नांदेड, मुजफ्फरपुर–जनकपुर, कुडप्पा–बैंगलोर, गया–चतरा, भैराबी–सायरंग (आईजॉल), लक्ष्मीपुर–झाझा–खेड़ा–नवादा नई लाइन योजनाओं को भी बजट के लिये जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में से राज्य सरकारों ने वर्धा–नांदेड़, कुडप्पा–बैंगलोर, भानूपल्ली–बिलासपुर–बेरी के लिए साझेदारी की सहमति दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मानमाड–इंदौर तथा वाड़सा–गढ़चिरौली नई लाइन के लिए भी साझेदारी स्वीकार की है तथा इन प्रस्तावों के स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त साहिब–गढ़शंकर, दमोह–कुंडलपुर, जोलारपेट्टै–तिरुवन्नामलाई, सिवोक–रेंगपो (सिक्किम) नई लाइनों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

रेल विद्युतीकरण

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व रेलवे के कृष्णानगर–लालगोला खण्ड तथा मध्य रेलवे के तिरूपति–पकाला–काटपाडी खण्ड का विद्युतीकरण कर दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज के मुंबई–चेन्नई मार्ग के नंदलूर से गुंटकल तथा गुंतकल से पुणे खंड का विद्युतीकरण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। गोंडा से बरौनी विद्युतीकरण का कार्य गत वर्ष ही स्वीकृत हो चुका है तथा इस वर्ष बरौनी–कटिहार–गुवाहाटी एवं कानपुर–झांसी रेल मार्ग का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। शोरानूर–मंगलोर रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता अध्ययन वित्त वर्ष 2008–09 में शुरू किया जाएगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 हजार 500 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, यदि आप सुनना नहीं चाहते तो मैं उनसे कहूंगा कि इसे सभापटल पर रख दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मुंबई शहरी परिवहन परियोजना फेज वन एवं टू

मुंबई उपनगरीय सेवा के उन्नयन एवं विस्तार के लिए विश्व बैंक की सहायता से एमयूटीपी फेज वन का कार्य तेजी से चल रहा है। पश्चिम रेलवे में बोरीवली तथा विरार के बीच तीसरी और चौथी लाइन यात्रियों की सेवा के लिए खोल दी गई है। बेहतर वेंटीलेशन, उन्नत सौंदर्य एवं बेहतर प्रकाश व्यवस्था सहित नई प्रौद्योगिकी के दोहरे वोल्टेज वाले ईएमयू रेक भी मुंबई में लाए गए हैं। पांच हजार करोड़ रुपये की लागत पर फेज–2 का कार्य भी शुरू करने का प्रस्ताव है। एमयूटीपी फेज–2 का वित्त पोषण रेलवे, राज्य सरकार एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से सहयोग प्राप्त कर किया जाएगा। एमयूटीपी फेज वन दिसंबर 2009 तक एवं फेज टू को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी।

पिछले वर्ष के बजट भाषण में मुंबई उपनगरीय खंड में 150 अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने की घोषणाएं की गई थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक 144 सेवायें शुरू की जा चुकी हैं और मार्च 2008 तक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वर्ष 2008–09 में भी 300 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया रूकिए। यदि माननीय सदस्य बजट भाषण को सुनना नहीं चाहते तो इस औपचारिकता को जारी न रखा जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो मैं उन्हें निर्देश दूंगा कि इसे सभापटल पर रख दिया जाए।

[हिन्दी]

मि. मिनिस्टर आप अपनी बाकी स्पीच ले कर दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से यह अपील करता हूं कि व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। रेल बजट पर चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है? कृपया ऐसा न करें। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आप अपनी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री लाल प्रसाद : उपनगरीय सेवायें हमारे देश की कमर्शियल राजधानी मुंबई की लाइफ लाइन है। एमयूटीपी फेज वन और फेज टू समाप्त होने पर भी उपनगरीय सेवायें बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा नहीं कर पायेगी। मुंबई मे फुली एसी ट्रेन सर्विस चलाने की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः हमने मुंबई उपनगरीय सेवा के पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल से विरार के बीच एलीवेटेड फुली एयरकंडीशंड मेट्रो सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रीफिजिबिलिटी स्टडी कराने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद पाये जाने पर उसका क्रियान्वयन करने के लिए पीपीपी सहित सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

कोलकाता और चेन्नई उपनगरीय सेवायें

कोलकाता और चेन्नई उपनगरीय सेवाओं में भी चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो रेल को टौलीगंज से गरिया तक बढ़ाने का कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। चेन्नई मेट्रो सेवा में तिरूमलाई से वेलाचारी खंड का विस्तार कर नवंबर 2007 में खोल दिया गया है और वेलाचारी से सैंट थामस माउंट खंड का विस्तार कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं 496 करोड़ रुपये की लागत पर यह कार्य दिसंबर 2010 तक पूरा होने की आशा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पार्ट–दो पर आ जाएं और पार्ट–एक को ले कर दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी, पार्टियों के नेता हो। यह व्यवहार का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भाषण सुनना नहीं चाहते वे बाहर जा सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सर्वेक्षण

मांगों के आधार पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों को शुरू करने का प्रस्ताव है:

नई लाइनें

1. वाशिम–बड़नेरा
2. खरगोन–बड़वानी के रास्ते खंडवा–धार
3. शोलापुर–जलगांव
4. महेशकुंट–नारायणपुर वाया अगवानीघाट
5. रोटेगांव–पुणतंबा
6. जूनागढ़–अंबागुडा
7. घोगरडिया–घोघेपुर
8. रेवाडी–पलवल–खुर्जा
9. बही–बरोटीवाला–नांगल
10. थावे–मोतिहारी–छोरादानो
11. देहरादून–कलसी
12. ऊना–होशियारपुर
13. जम्मू–राजौरी–पूंछ वाया अखनूर
14. मेरठ–पानीपत
15. अमरपुरा–चिड़ावा
16. रेवाड़ी–भिवाड़ी
17. डोंगरगढ़–कोटा
18. कराईकुडी–रामनाथपुरम–तूतीकोरन–कन्याकुमारी
19. चिदांबरम–अत्तूर वाया पेराम्बलूर
20. अंगादिपुम–कोजीकोड
21. कंजनगाद–पानाथुर
22. श्रीनिवासपुरा–मदनपल्ली
23. मधुबनी–कमतौल
24. बहेड़ी–मंझौल–रुसेराघाट–बरौनी
25. कांटाबांजी–नवरंगपुर–जयपोर
26. खुर्दा रोड–रजतगढ़
27. पावापुरी–नवादा

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

28. तंजावुर–अरियालूर
29. बल्लारशाह–सूरजगढ़
30. बांका–जमुई
31. अकबरपुर–सुलतानपुर वाया खादीपुर
32. बरवाडीह–चिरीमिरी
33. सलना–कुमटाई
34. एलनाबाद–सिरसा
35. फिरोजपुर–पट्टी
36. भावनाथपुर–चोपन
37. बरबिल–बांसपानी

आमान परिवर्तन

1. मनमाड़ तक विस्तार सहित बिल्लीमोरा–वघई
2. प्रतापनगर–जम्बूसर–कावि
3. नंदुरबार तक विस्तार सहित झगड़िया–नेतरंग
4. मावली–बड़ी सादडी
5. न्यू माल–मैनागुरी रोड

दोहरीकरण

1. औंड़िहार–वाराणसी
2. लोहटा–जंघई
3. बक्सर–आरा–मोकामा तीसरी लाइन
4. दोर्णाकुल–मनुगुरू
5. ओमालुर–मेट्टूरडैम

फ्लाईओवर

1. सेंथिया
2. सरोना
3. भूतेश्वर
4. सीतारामपुर
5. जलगांव
6. विजयानगरम
7. बीना

पार्ट II

2008-09 के लिए बजट अनुमान

महोदय, अब मैं 2008–09 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

वर्ष 2008–09 के दौरान फ्रेट लोडिंग का लक्ष्य 850 मिलियन टन और फ्रेट आउटपुट का 550 बिलियन टन किलोमीटर रखा गया है। माल, यात्री, अन्य फुटकर आमदनी एवं अन्य कोचिंग आमदनी के बजट अनुमान क्रमशः 52 हजार 700, 21 हजार 681, 5 हजार एवं 2 हजार 420 करोड़ रुपये रखे गये हैं। डबल डिजिट प्रगति दर बनाये रखते हुए सकल ट्रैफिक आमदनी 81 हजार 801 करोड़ रुपये रखी गई है जो कि चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों से 9 हजार 146 करोड़ रुपये अधिक है।

अपराह्न 1.54 बजे

तत्पश्चात श्री अनन्त गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

महोदय, 2008–09 के लिए साधारण संचालन व्यय 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो कि वर्ष 2007–08 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है। डीआरएफ में 7 हजार करोड़ रुपये एवं पेंशन फंड में 9 हजार 590 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। छठें वेतन आयोग के संभावित प्रस्तावों के मद्देनजर वेतन एवं पेंशन मद में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का तदर्थ प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल संचालन व्यय 66 हजार 590 करोड़ रुपये होगा जिससे शुद्ध राजस्व 16 हजार 423 करोड़ रुपये होगा। रेलवे का लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 24 हजार 783 करोड़ रुपये और ऑपरेटिंग रेशियो 81.4 प्रतिशत होने की आशा है। आगामी वर्ष के अंत में फंड बैलेंस 19 हजार 707 करोड़ रुपये के स्तर पर रहने का अनुमान है। 2007–08 के लिए अनुशासित लाभांश दर के आधार पर वर्ष 2008–09 में लाभांश देनदारी 4 हजार 636 करोड़ रुपये बनती है। अगले वर्ष के योजना परिव्यय के लिए 20 हजार 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों के माध्यम से की जाएगी।

अपराह्न 1.56 बजे

तत्पश्चात् श्री अनन्त कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

अपराह्न 1.56¼ बजे

तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

श्री लालू प्रसाद यादव : यात्री सेवायें

महोदय, पिछले चार वर्षों में हमने द्वितीय श्रेणी के उपनगरीय सेवाओं के किराये में एक रुपये प्रति यात्री, गैर उपनगरीय सेवाओं के किराये में दो रुपये प्रति यात्री, सुपर–फास्ट मेल एवं एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के टिकट पर लगने वाले सुपर फास्ट चार्ज में 20 प्रतिशत, एसी फर्स्ट क्लास के किराये में 24 प्रतिशत तक, एसी टू टियर के किराये में 14 प्रतिशत तक की कमी की है। यात्री किरायों में की गई कमी के बावजूद हमने 25 हजार करोड़ रुपये का कैश सरप्लस अर्जित करने का करिश्मा कर दिखाया है। करोड़ों लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को सिर आंखों पर रखते हुए मैंने इस वर्ष भी यात्री किरायों एवं मालभाड़े में कमी करने निश्चय किया है:

जादू औ टोना, हमने दिखाया था पिछले साल,
इस बार, पूरा इन्द्रजाल देख लीजिए।

महोदय, मैंने दो बार द्वितीय श्रेणी के किरायों में एक–एक रुपये की कमी की घोषणा की है। इस वर्ष मैं गैर उपनगरीय मेल एवं एक्सप्रेस तथा साधारण पैसेंजर गाड़ियों के प्रति यात्री पचास रुपये तक के किराये में और एक रुपये की कमी करने की घोषणा करता हूं।

महोदय, लंबी दूरी के यात्रियों को और अधिक लाभ देने के लिए मैंने सभी मेल एक्सप्रेस एवं साधारण पैसेंजर गाड़ियों के पचास रुपये से अधिक के द्वितीय श्रेणी के किराये में पांच प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है।

अपराह्न 1.57 बजे

तत्पश्चात् श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

अपराह्न 1.57¼ बजे

इस समय श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन सभा से बाहर चले गए।

अपराह्न 1.57½ बजे

इस समय श्री एम. शिवन्ना सभा से बाहर चले गए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हमने नये डिजाइन के स्लीपर कोच तैयार किये हैं। पुराने कोचों की अपेक्षा इनमें बर्थ की संख्या 72 से बढ़कर 81 हो गई है। अब इन उच्च क्षमता वाले कोचों का ही निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने कोचों का रेट्राफिटमेंट कर उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। गत वर्ष मैंने नये डिजाइन के स्लीपर क्लास कोच के किरायों में चार प्रतिशत की कमी की थी। इस वर्ष हमने नये डिजाइन के स्लीपर कोच के किराये में दो प्रतिशत और कमी करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार दो वर्षों में इनके किरायों में कुल 6 प्रतिशत की कमी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बार द्वितीय श्रेणी के किरायों में एक–एक रुपए की कमी की घोषणा की है। इस वर्ष मैं गैर उपनगरीय मेल एवं एक्सप्रेस तथा साधारण पैसेंजर गाड़ियों के प्रति यात्री पचास रुपए तक के किराए में और एक रुपए की कमी करने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा सभी मेल एक्सप्रेस एवं साधारण पैसेंजर गाड़ियों के पचास रुपए से अधिक के द्वितीय श्रेणी के किराए में पाचं प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। इससे गरीब लोगों को और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में पांच प्रतिशत की, एसी फर्स्ट क्लास के किराए में सात प्रतिशत की और एसी टू टियर के किराए में चार प्रतिशत की कमी का निर्णय लिया है। इसके अलावा फ्लाई ऐश के माल भाड़े में भी 14 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। इस तरह से हमने हर क्षेत्र को, हर सेग्मेंट को छूने का काम किया है।

मैं जानता हूं कि इतने बड़े ऐतिहासिक और लोकप्रिय रेल बजट भाषण सुनने में कई लोगों ने बाधा उत्पन्न करने का काम किया है और देश की जनता को उनकी बात नहीं सुनने दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई बात छूट जाती है, तो वह रिप्लाई के वक्त सामने आती है। हो सकता है और भी महत्वपूर्ण इश्यू हों, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि सबका ख्याल रखा जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, आप अपनी सीट पर जाएं।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं जो पैरा पढ़ नहीं सका उसको भी सभापटल पर रखता हूं।

*इसी प्रकार नये डिजाइन के एसी थ्री टियर कोच एवं एसी चेयर कार की क्षमता क्रमशः 64 से बढ़कर 72 एवं 67 से बढ़कर 102 हो गई है। हमने बढ़ी हुई क्षमता का लाभ यात्रियों के साथ बांटने के उद्देश्य से गत वर्ष इनके किराये में 8 प्रतिशत तक की कमी की थी। इस वर्ष भी मैं इन किरायों में और दो प्रतिशत कमी करने की घोषणा करता हूं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पापुलर ट्रेन एवं पीक पीरियड के दौरान यह कमी आधी रहेगी। इस प्रकार दो वर्षों में इनके किराये में लीन

... भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

सीजन में 10 प्रतिशत और पीक सीजन में 5 प्रतिशत की कमी होगी लेकिन पापुलर ट्रेन के यात्री किरायों में पूरे साल यह कमी 5 प्रतिशत रहेगी।

हमने वर्ष 2006–07 का बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी कि उच्च श्रेणी के किरायों को प्रतियोगी बनाया जाएगा। मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के किराये एवं एसी फर्स्ट क्लास के किराये में एक और दस गुणा तथा एसी टू टियर के किराये में एक और छः गुणा का अधिकतम अंतर रखने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में हमने एसी फर्स्ट के किराये में 7 प्रतिशत और एसी टू टियर के किराये में 4 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पापुलर ट्रेन में पूरे साल एवं अन्य गाड़ियों में पीक पीरियड के दौरान यह कमी आधी रहेगी। एसी किरायों के युक्तिकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो गई हैं

माल व्यवसाय

महोदय, पिछले चार वर्षों में हमने डायनमिक, डिफरेंशियल और बाजार उन्मुख मालभाड़ा नीति बनाकर माल लदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। पुरानी नीति में महंगी वस्तुओं का मालभाड़ा अधिक और सस्ती वस्तुओं का मालभाड़ा कम रखा जाता था। लेकिन अब मालभाड़ा वस्तु का मूल्य देखकर नहीं अपितु उसके परिवहन में रेलवे की प्रतियोगी स्थिति का आकलन कर एवं मांग की लोच के आधार पर तय किया जाता है।

इसी नई सोच के चलते पीक सीजन में सरचार्ज और लीन सीजन में डिस्काउंट देने की नीति बनाई गई। वर्तमान नीति के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए एक समान पीक एवं नॉन पीक सीजन निर्धारित किये गये हैं। लेकिन अलग–अलग वस्तुओं के पीक एवं नॉन पीक सीजन भी अलग–अलग होते हैं जबकि कुछ वस्तुओं का ट्रैफिक पूरे साल एक समान रहता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि 2008–09 में इस नीति में बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप सुधार किये जाएंगे।

महोदय, हमने पिछले चार वर्षों में मालभाड़ा दरों का बड़े पैमाने पर युक्तिकरण कर उसे सरल एवं स्पष्ट बनाया है। पूर्व में हमने यह घोषणा की थी कि कुछ हल्की वस्तुओं को छोड़कर न्यूनतम एवं अधिकतम माल भाड़ों में दो गुने से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। इसी क्रम में हमने पेट्रोल और डीजल के माल भाड़े में पिछले दो सालों में 12 प्रतिशत से ज्यादा की कमी कर उसकी क्लास को 240 से 210 किया है। युक्तिकरण की इस प्रक्रिया को अब पूरा करते हुए हमने अधिकतम क्लास 210 से घटाकर 200 करने का निर्णय लिया है। इससे डीजल–पेट्रोल के मालभाड़े में लगभग 5 प्रतिशत की कमी होगी। पिछले तीन वर्षों में इनके माल भाड़े में लगभग 17 प्रतिशत की कमी हुई है। इस प्रकार अब माल भाड़ा दरों के युक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कुछ हल्की वस्तुओं को छोड़कर न्यूनतम एवं अधिकतम माल भाड़ों में दो गुने से ज्यादा का फर्क नहीं रहा है।

फ्लाई ऐश के ट्रैफिक में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमने फ्लाई ऐश के मालभाड़े में 14 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है।

हमारी सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने गत वर्ष उत्तर पूर्वी राज्यों से दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले कई प्रकार के ट्रैफिक पर 6 प्रतिशत डिस्काउंट देने का निर्णय लिया था। इस वर्ष हमने कुछ वस्तुओं को छोड़कर दूसरे राज्यों से उत्तर पूर्वी राज्यों में जाने वाले ट्रैफिक पर भी 6 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन फ्रेट डिस्काउंट स्कीम

गत वर्ष हमने एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन स्कीम में पीक एवं नॉन पीक दोनों सीजन में 30 प्रतिशत डिस्काउंट देने की घोषणा की थी। इस वर्ष हमने इस स्कीम को और अधिक आकर्षक एवं उदार बनाने का निर्णय लिया है। निजी साइडिंग से एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में लोड होने वाले इन्क्रीमेंटल ट्रैफिक पर डिस्काउंट की दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी जाएगी। सड़क परिवहन में सामान्यतया एम्प्टी फ्लो का भाड़ा लोडेड फ्लो के भाड़े से कम होता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ वस्तुओं को छोड़कर गुड्स शेड से लोड होने वाले इन्क्रीमेंटल ट्रैफिक की बजाय पूरे ट्रैफिक पर 30 प्रतिशत डिस्काउंट देने का निर्णस लिया है। जिसमें यह संभव है कि कुछ पुराने ग्राहक भी गुड्स शेड से लोड हो रहे वर्तमान ट्रैफिक पर इस डिस्काउंट का फायदा उठा रहे हैं।

नई नीति में नया ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए महाप्रबंधकों को व्यापार अधिकार दिये गये हैं। वर्तमान नीति के अनुसार यह डिस्काउंट 700 किलोमीटर से अधिक दूरी एवं एक रेलवे से दूसरी रेलवे में जाने वाले ट्रैफिक पर देय है। अब महाप्रबंधक 700 किलोमीटर से कम दूरी के ट्रैफिक एवं जोनल रेलवे के अंदर के ट्रैफिक पर भी यह डिस्काउंट दे सकेंगे। महाप्रबंधकों को साइडिंग से लोड होने वाले इन्क्रीमेंटल ट्रैफिक पर पचास प्रतिशत एवं गुड्स शेड से लोड होने वाले पूरे ट्रैफिक पर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट देने की शक्तियां दी गई हैं।

वर्तमान में यदि किसी वस्तु का मालभाड़ा गुड्स टैरिफ में निर्धारित नहीं हैं तो अधिकतम क्लास पर मालभाड़ा देय होता है। मल्टीकमोडिटी ट्रैफिक प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि ऐसी वस्तुयें

[श्री लालू प्रसाद]

जिनका मालभाड़ा निर्धारित नहीं है उनको लोड किये जाने पर वैगन के प्रकार के अनुरूप एक समान माल भाड़ा देय होगा। बीसीएन के लिए एक समान क्लास 150, बाक्सन के लिए क्लास 160, बीआरएन के लिए क्लास 180 एवं टैंक वैगन के लिए क्लास 200 होगी। इससे रेलवे के फ्रेट बास्केट के विविधीकरण एवं पीस मील ट्रैफिक को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

मेरी-गो-राउंड सिस्टम

एनटीपीसी सहित कई कंपनियां स्वयं मेरी–गो–राउंड सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं। कुछ नये पावर प्लांट भी कोयले के परिवहन के लिए एमजीआर सिस्टम निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। महोदय, गत वर्ष का बजट पेश करते हुए हमने यह घोषणा की थी कि ऐसे कम दूरी के ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए रेलवे एक सस्ता एवं विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध करायेगी। इसी आलोक में हमने प्रतिदिन दो रेक बाक्सन की लोडिंग करने पर ऐसे ट्रैफिक का 30 किलोमीटर की दूरी के लिए मालभाड़ा लगभग 25 रुपये प्रति टन निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार अलग–अलग दूरी के एमजीआर ट्रैफिक के लिए विशेष लमसम दरें होंगी। ग्राहक को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्वयं ट्रैक, ओएचई तथा दोनों छोर पर टर्मिनल की व्यवस्था करनी होगी।*

उपसंहार

भारतीय रेल आज सफलता और प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाईयां छू रही हैं। हमारे इन प्रयासों में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं पूर्ण समर्थन मिला है। सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। कहना न होगा कि आप सभी के रेल परिवार में अटूट विश्वास, स्नेह और सरपरस्ती के चलते ही हम यह अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर सके हैं।

मैं नतमस्तक हूं सबका, शुक्रिया भी हूं अदा करता,
मेरी कोशिश में शामिल हैं सभी, और कामयाबी में।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2008–09 का रेल बजट सदन में संस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न तीन बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए।*)

नियम 377 के अधीन मामले*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीरामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, किसानों के साथ जुल्म हो रहा है *...(व्यवधान)* सरकार गंभीर नहीं है।*...(व्यवधान)* किसानों को सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा माना जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.03 बजे

इस समय श्री चन्द्रकांत खैरे, कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

(एक) तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में मुर्गीपालन उद्योग के लिए राहत उपाय घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेलस्वम (पलानी) : महोदय, तमिलनाडु के इरोड, कोयम्बतूर और नामाक्कल जिलों में किसान मुख्यतया कुक्कुट–पालन उद्योग पर निर्भर करते हैं और उनमें से अधिकांश किसानों की आजीविका इस उद्योग की कमाई से चलती है।

वर्ष 2006 में नवपुर (महाराष्ट्र) में फैले 'बर्डफ्लू' से कुक्कुट पालन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। 14 जनवरी 2008 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 'बर्ड फ्लू' फैलने की सरकार की ओर से घोषणा की गई। इस घोषणा से एक बार फिर यह उभरता हुआ उद्योग खराब अवस्था में पहुंच गया।

यद्यपि पश्चिम बंगाल इस भयानक 'बर्ड फ्लू' से प्रभावित हुआ परन्तु वास्तव में तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के कुक्कुट उत्पादकों को इसके कारण भारी घाटा उठाना पड़ा क्योंकि देश का 50 प्रतिशत उत्पादन इन दोनों राज्यों में होता है। 14.1.2008 के पश्चात निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया गया और प्रेषित माल हवाई अड्डों पर नष्ट कर दिया गया। 'ब्रायलर' की कीमतें 35–40 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई। यहां तक कि भारत के अप्रभावित भागों में भी उपभोग 40 प्रतिशत गिर

*सभापटल पर रखे गये।

गया था। कुक्कुट खाद्य पदार्थों के कच्चे माल मक्का और सोयाबीन के सतत निर्यात के कारण इनकी अच्छी फसल होने के बावजूद इनके खाद्य पदार्थों की कीमतें 30 प्रतिशत बढ़ गयीं।

कुक्कुट पालन उद्योग की रक्षा के लिए, भारत सरकार को प्रमुख ऋणों की अदायगी पर दो वर्ष की ऋणस्थगन या अवकाश अवधि, की घोषणा करनी पड़ी। कार्यशील पूंजी को कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण में बदलना पड़ा, जिसे एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि में चुकाना होगा और इसकी ब्याज दर को घटाकर 6 प्रतिशत करना पड़ा। सभी कुक्कुट पालन एककों हेतु नई कार्यशील पूंजी स्वीकृत की जाए ताकि सामान्य उत्पादन शुरू हो सकें। 6 रुपए प्रति किलो की दर से मक्का पर राजसहायता दी जाए ताकि कुक्कुट खाद्य की आवश्यकता पूरी हो सके और यह धनराशि सीधे किसानों को दी जाए।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कुक्कुट पालन उद्योग तथा इसमें कार्यरत किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाए जाएं।

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ढांसा से जेतालसर तक मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी. के. ठुम्मर (अमरेली) : मेरे गृह राज्य गुजरात के सौराष्ट्र में रेलवे के विकास कार्य एवं सुविधा की बहुत उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण सौराष्ट्र में अधिकतर मीटर गेज लाइन हैं और मीटर गेज लाईन होने के कारण सौराष्ट्र के लोगों को भारत के अन्य भागों में सीधी रेल सेवा नहीं मिल पा रही है। सौराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा समुद्री तट पर है, जहां पर विदेशों से आयात एवं निर्यात किया जा सकता है, परंतु रेलवे की सौराष्ट्र से अन्य भागों के लिए मालगाड़ियों के अभाव में इन समुद्री तट का प्रयोग सर्वोत्तम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे की सुविधा के अभाव में सौराष्ट्र के बंदरगाहों का विकास नहीं हो पा रहा है और न ही समुद्रीय उत्पादों का विकास हो रहा है, जिसकी सौराष्ट्र में काफी संभावना है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक काम केवल ढांसा से जेतलसर के बीच मीटर गेज लाईन को ब्राड गैज लाईन मंजूर हुआ है, परंतु अभी तक इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। योजना विभाग में इस कार्य को प्राथमिकता वाला नहीं माना गया है। जिसके कारण सौराष्ट्र की जनता को इस कार्य के लिए पांच से दस साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सौराष्ट्र में रहने वाले लोग रेल सुविधा से आजादी के 60 साल बाद भी वंचित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि सौराष्ट्र में मीटर गेज लाईन को ब्राड गैज लाईन में बदलने को प्राथमिकता दी जाए।

(तीन) राजस्थान के अलवर में बहरोड में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र अलवर के अंतर्गत आने वाला उपखंड बहरोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। औद्योगिक दृष्टि से तीव्र गति से बढ़ रहे नीमराणा, शाहजहांपुर इसी उपखंड में आते हैं। क्षेत्र में लगभग 7 हजार लोग सेना में कार्यरत हैं तथा सी.आई.एस.एफ. का बड़ा ट्रेनिंग केन्द्र हैं, जहां लगभग एक हजार सैनिक प्रशिक्षित होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले इस क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की महती आवश्यकता है।

मेरा माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि वे बहरोड़ क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कृपा करें।

(चार) गुजरात में आकाशवाणी के हिम्मतनगर रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सरकार ने गुजरात के साबरकंठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी के लिए भवन बनवाया है। हिम्मतनगर में रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए अवसंरचना तैयार हैं। परंतु इसे अभी शुरू नहीं किया गया। पांच वर्षों से, मैं शीघ्रातिशीघ्र इस रेडियो स्टेशन को शुरू किये जाने की मांग कर रहा हूं। तथापि, किन्हीं कारणों से यह मांग अभी पूरी नहीं हुई है। हिम्मतनगर रेडियो स्टेशन साबरकंठा, बनासकंठा और अन्य जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं मांग करता हूं कि इस रेडियो स्टेशन को शुरू करने के लिए शीघ्र तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

(पांच) भारतीय तंबाकू की खरीद पर रूस द्वारा लगाई गई रोक को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री रायपति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री और सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनवरी, 2008 में रूस ने भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तम्बाकू क्षेत्र, जो कि रूस को तम्बाकू नियति करने वाले प्रमुख राज्य हैं, के लिए यह गंभीर चिन्ता की बात है। रूस के इस निर्णय ने भारत के दो प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को प्रभावित किया है।

आंध्र प्रदेश, जो कि मेरा गृह राज्य है। रूस को तम्बाकू का पारंपरिक निर्यातक है। वर्ष 2006–07 में रूस को 139 करोड़ रुपये का 20,663 टन तम्बाकू निर्यात किया गया है।

भारत के प्रमुख प्रतिद्वंदी जिम्बाब्वे और ब्राजील में तंबाकू का उत्पादन काफी घट गया है, जिससे भारतीय तम्बाकू की विश्व बाजार में धाक जमने की अपेक्षा थी, ऐसे में रूसी प्रतिबन्ध काफी घातक सिद्ध हुआ है।

तम्बाकू कोई खाद्य फसल नहीं है, बल्कि एक वनस्पति उत्पाद है और तम्बाकू के माध्यम से रूस में भारतीय कीट के प्रवेश का कोई खतरा नहीं है। अतः, भारतीय तंबाकू पर यह प्रतिबंध अनुचित और अतार्किक है। इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, रूस में भारतीय तंबाकू की काफी ख्याति है और रूस में धूम्रपान करने वाले इसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं।

इन परिस्थितियों में, आंध्र प्रदेश के तंबाकू निर्यातकों की तरफ से मैं सरकार और माननीय वाणिज्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय तंबाकू पर से रूसी प्रतिबंध हटाये जाने के प्रयास सुनिश्चित किये जाएं।

(छह) यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के जालौन और कानपुर देहात जिलों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से कानपुर देहात एवं कानपुर की ओर जाने वाला रास्ता उरई से चर्खी एवं नियामतपुर पालसरेनी में जमुना नदी पर पीपों का पुल है। यह पुल कानपुर देहात के बहमई गांव से होता हुआ कानपुर–आगरा फोर–सिक्स लाइन को मिलता है। पीपों का पुल होने की वजह से जनपद–जालौन एवं बुन्देलखण्ड के निवासियों के लिए आवागमन का मार्ग असुविधाजनक है एवं कानपुर देहात के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जनपद–जालौन से कानपुर देहात को जाने वाला रास्ता, नियामतपुर पालसरेनी एवं बहमई गांव से होते हुए फोर–सिक्स लाइन से मिलाने हेतु जमुना नदी पर एक पक्का पुल बनाने का कष्ट करें। जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को आवागमन का सीधा रास्ता मुहैया हो सके।

(सात) राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसलें पाला पड़ने और शीतलहर के कारण प्रभावित हुई हैं, को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थान में पिछले दिनों बर्फीली हवाओं और कई दिनों तक चलने वाली शीतलहर के कारण पाला पड़ने से राज्य के लगभग 1,37,287 किसान प्रभावित हुए हैं। इससे 8.96 लाख हेक्टेयर भूमि में बोई गई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस शीतलहर के कारण राज्य के 22 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 39.8 प्रतिशत फसली नुकसान माना गया है। 3.45 लाख हेक्टेयर भूमि में 50 प्रतिशत फसलें प्रभावित हुई हैं। 3.39 लाख हेक्टेयर भूमि में सरसों की फसल तथा 700 हेक्टेयर भूमि में बोई गई मसालों की फसलें बर्बाद हुई हैं। निरंतर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण मौसम की भी अनिश्चितता हो गई है। महंगे भाव के बीज, खाद, पानी, बिजली, मेहनत आदि लगाकर जैसे–तैसे खून पसीना बहाकर फसलें बोई गईं और फसल भी इस बार अच्छी थीं, परंतु शीतलहर के कारण सभी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

अभी तक केन्द्रीय आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में बाढ़ अथवा भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष या सूखे आदि के कारण नष्ट होने वाली फसलों की भरपाई के लिए ही राहत एवं मुआवजा देने का प्रावधान है। परन्तु अब इन निधियों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के प्रावधानों को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। इन निधियों के सहायता के प्रावधानों में शीतलहर, पाला, दाहहिली, लू, गर्मलहर, टारनैडो और हरिकेन आदि से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु भी राहत देने का प्रावधान होना चाहिए।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के लाखों किसानों की शीतलहर और पाले से हुई फसलों की भारी बर्बादी का तुरंत मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों के नुकसानों की भरपाई हो सके और वे आत्महत्या की ओर अग्रसर न हों। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन आर एफ एन सी सी एफ) के प्रावधानों में तुरंत परिवर्तन किया जाए।

(आठ) अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते असम के आरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणायल पश्चिम) : महोदय, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर असम राज्य के अंतर्गत वन भूमि और आरक्षित वन क्षेत्र का लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और लोग यहां बस रहे हैं। वृक्षों की कटाई और अन्य वन्य पौधों को नष्ट करने के साथ–साथ और अन्य वन्य पौधों को नष्ट करने के साथ–साथ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अबाधित रूप से चल रहा है। इनमें से अधिकांश लोग किसी दूर स्थान से यहां आए हैं और अवैध गतिविधियों में भी संलग्न हैं। इनमें से एक क्षेत्र असम के चारदुआर और असम–अरुणाचल सीमा पर भालूकपोंग के बीच स्थित है। कुछ वर्ष पहले तक भालूकपोंग–चारदुआर रोड घने जंगलों से ढका था और उस पर कोई मानवीय अतिक्रमण नहीं

था। परन्तु कुछ समय से अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर वनों का विनाश किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा ताकि राज्य के समृद्ध वन क्षेत्र को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।

(नौ) स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमाधारी इंजीनियरों की संवर्ग समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : महोदय, भारतवर्ष में सार्वजनिक एवं शासकीय उपक्रमों जैसे भारतीय रेलवे, बी.एच.ई.एल., सी.पी.डब्ल्यू. डी., एन.टी.पी.सी., राज्य विद्युत मंडल आदि में डिप्लोमा इंजीनियर हेतु सुपरवाइजरी वर्ग, अलग वेतनमान व पदोन्नति की लगभग समान पालिसी है। किंतु सेल भारत का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम होने के बावजूद इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त कार्मिकों हेतु कई प्रकार के पदनाम जैसे सीनियर टेक्निशियन, सीनियर ऑपरेटिव, ऑपरेटिव आदि पदनाम के साथ गैर कार्यालक वर्ग में कार्यरत हैं तथा इनकी पदोन्नति जूनियर एक्जीक्यूटिव व सुपरवाइजर वर्ग में 20 से 25 वर्षों के बाद की जाती है। सेल की ईकाइयों जैसे (बीएसपी, आरएसपी, डीएसपी) आदि में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर मानसिक वेदना से ग्रसित हैं। इस बाबत डिप्लोमा इंजीनियर फेडेरेशन ऑफ इस्पात व सम्बद्ध एसोसिएशन के माध्यम से अनेक बार निवेदन व चर्चा बैठक की गई, जिसका निराकरण अभी तक लंबित है।

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्वयं उपरोक्त विषयों के निराकरण व समाधान हेतु प्रयास करें।

(दस) नई अफीम नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द सुपलानी (चित्तौड़गढ़) : अफीम किसान का जीवन बसर करने का मुख्य स्रोत अफीम की खेती एवं इसका व्यवसाय है। पिछले तीन वर्षों में अफीम की औसत बढ़ा दी गयी है जबकि इसका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है और न ही काश्तकारों को नये पट्टे जारी किये गये हैं। नई अफीम नीति लागू होने एवं 55 प्रतिशत गाढ़ता की अनिवार्यता से पिछले तीन वर्षों में 20 हजार किसानों के पट्टे काटे गये हैं जिससे उनका जीवन–यापन करना काफी कठिन हो गया है और वे अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। गत वर्ष आयी भयंकर बाढ़ एवं ओलावृष्टि के कारण अफीम की फसल नष्ट हो गयी थी।

अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अफीम किसानों को राहत देने के लिए गाढ़ता सिद्धांत को समाप्त किया जाये, अफीम औसत कम की जाये एवं किसानों को नये पट्टे तुरंत जारी किये जायें, जिससे अफीम किसानों के साथ न्याय हो एवं अफीम किसानों को ओलावृष्टि एवं भयंकर बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा दिया जाए।

(ग्यारह) मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए मछुआरा ऋण राहत आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : भारत में बहुत लंबा सामुद्रिक तट है और चालीस लाख से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्यपालन क्षेत्र पर आश्रित हैं। भारत समुद्र उत्पाद के निर्यात से 9000 करोड़ रुपये अर्जित कर रहा है। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले इन मछुआरों विशेषकर पारंपरिक मछुआरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है कि वे पूरे वर्ष दरिद्रता में गुजर बसर करने के साथ–साथ ऋण की जाल में फंसे हुए हैं। पारंपरिक मात्स्यिकी क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरे, देश का ऐसा कार्यबल हैं जिन्हें दिन की समाप्ति पर उपयुक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता है। उन्हें पारिश्रमिक तभी मिलता है जब वे समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ पाते हैं। फिर भी, मात्स्यिकी एक मौसमी रोजगार है, इसलिए मछुआरों को एक वर्ष में 100 से भी कम दिन का रोजगार मिलता है। इसलिए उनका जीवन ऋण जाल में फंसा रहता है। वे बहुत ही दरिद्रता से गुजर बसर करते हैं। देश में आदिवासियों के बाद मछुआरे सबसे पिछड़े वर्ग में आते हैं। उन्हें ऋण जाल से मुक्ति दिलाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पारंपरिक मछुआरों की समस्याओं की जांच करने तथा उन्हें ऋण जाल और आत्महत्या से बचाने के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मछुआरा ऋण राहत आयोग का गठन किया जाए।

(बारह) तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : केरल राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल द्वारा लंबे समय से राजधानी शहर तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग की जाती रही है।

विधि मंत्री, पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि तिरुवनंतपुरम में एक खंडपीठ की स्थापना के लिए स्वीकृति देने हेतु

भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यह अनुरोध है कि तिरूवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश तथा देश में गन्ना किसानों को उनके गन्ने का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में गन्ना मिल मालिकों की याचिका पर माननीय न्यायालय ने गन्ने का मूल्य निजी मिल मालिकों के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जिसके कारण सार्वजनिक चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यह निर्णीत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम था तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा और न ही इस आदेश के लिए कोई अपील की गयी एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तत्काल लागू भी कर दिया। जब गन्ना उत्पादक किसान अपने हक के लिए आन्दोलन करते हैं, तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और उन्हें जेल भेजा जाता है। पिछले साल का किसानों का गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में गन्ने का मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय दिया है जिसे राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय के तहत जो गन्ना किसानों को मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, उसको तत्काल लागू किया जाये और किसानों का लंबित बकाया भुगतान तत्काल किया जाये।

(चौदह) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार और पूर्वी राज्यों से नेशनल हाईवे की काफी कमी है, इसे पूरा करने के लिए गोरखपुर को जोड़ने वाले राजमार्ग जो बलिया, गाजीपुर, सारनाथ और बोधगया तक जाते हैं, साथ ही कुशीनगर से बरहज, दोहरीघाट, मऊ, गाजीपुर होते हुए सारनाथ तक जाते हैं, वैसे ही गोरखपुर से देवरिया होते हुए सीवान, छपरा होकर पटना होते हुए गया को जाते हैं। इन सड़कों का निर्माण देश निर्माण के लिए आवश्यक है। मैं भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि इन सड़कों का आकलन कराकर नेशनल हाईवे अथोरिटी के जरिए इनका निर्माण कराया जाए।

(पन्द्रह) बिहार को केन्द्रीय पूल से विद्युत का पर्याप्त हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिहार में बिजली की जबर्दस्त किल्लत है। वहां स्थिति दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। पूरे बिहार में अंधेरा छाया रहता है। राज्य की राजधानी पटना में मात्र 8–10 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो रही है। जनता आंदोलन पर उतर आई है। अगर यही स्थिति रही तो वहां कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिहार में बिजली संकट का एक मुख्य कारण केन्द्रीय प्रक्षेत्र से आबंटित कोटे को पूरा नहीं किया जाना है। साथ ही साथ राज्य और केन्द्र सरकार के बीच परस्पर संवादहीनता भी एक कारण है। राज्य में अपने स्तर पर विद्युत उत्पादन नगण्य है। केन्द्रीय पूल से मात्र 20–25 प्रतिशत बिजली ही आपूर्ति हो रही है। लोगों के लिए बिजली एक आम जरूरत की चीज है। इसी पर किसी भी क्षेत्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। वैसे ही बिहार देश का अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है और इस तरह का संकट राज्य को और भी पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार में उत्पन्न भयंकर बिजली संकट के समाधान के प्रति उदार नीति अपनाते हुए राज्य सरकार से बात कर वहां बिजली की आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था करें, जिससे एक पिछड़े राज्य की भी प्रगति हो सके।

(सोलह) कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी करने के मानकों को शिथिल किए जाने और तमिलनाडु के तिरूपपुर में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : बढ़ते औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाकलापों और इनके फलस्वरूप हुए आर्थिक विकास से नागर विमानन प्रचालनों में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में हो रही बढ़ोत्तरी और विदेशों से आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि से नागर विमानन क्षेत्र की घरेलू सेवाओं में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से युक्त अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आधुनिक हवाईअड्डों के निर्माण और उड़ान के लिए अधिक से अधिक अत्याधुनिक विमानों के उपलब्धि होने और कई नए निजी उद्यमियों द्वारा उडान सेवा शुरू करने से सरकारी क्षेत्र के "एयर इंडिया' के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। जिससे कई नए घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रा करने के लिए लोग प्रोत्साहित हुए हैं। इसलिए, विभिन्न प्रकार के विमानों को चलाने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष और प्रौद्योगिकी की अच्छी जानकारी रखने वाले और अधिक प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता है और ऐसे पायलटों की कमी है।

लेकिन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक पायलटों को यह लाइसेंस आसानी से नहीं दिए जाते हैं। यहां तक कि उन पायलटों को भी नहीं दिए जाते हैं। अपेक्षित जांच, परीक्षा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हैं। कतिपय नियमों और शर्तों के कारण सी पी एल प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को भी यह विलम्ब से मिलता है और उन्हें निराशा होती है।। सीपीएल की बढ़ती मांग को देखे हुए नागर विमानन मंत्रालय एक विशिष्ट अवधि के दौरान निर्धारित घंटों की अवधि पर बल देने की बजाय पायलट द्वारा पूरा किए गये समग्र उड़ान घंटों को देखते हुए साथ–साथ उड़ान परीक्षण आयोजित करके लचीला दृष्टिकोण अपनाए। अतः मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिरूपत्तूर में एक पॉयलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए क्योंकि तमिलनाडु के इस क्षेत्र के अधिकांश लोग पारंपरिक रूप से सशस्त्र बोल में सेवारत हैं और आराकोनम का वायुसेना स्टेशन जहां से प्रत्येक मौसम में उड़ाने भरी जा सकती हैं, भी इसी क्षेत्र में हैं।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन सड़कों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : महोदय, मेरे क्षेत्र के जिला लखीमपुर, खीरी के ब्लाकों मोहम्मदी, पसगवां, मितौली तथा गोला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2004–05 में स्वीकृत दो दर्जन से अधिक सड़कें लम्बे समय से बन रही हैं।

मेरे आग्रह पर जिला इकाई बार–बार लिख रही है कि रेट बढ़ जाने के कारण उन्हें रिवाइज एस्टीमेट बनाने की इजाजत दी जाए। ऐसी इजाजत तीन साल से नहीं मिल रही है और न ही काम हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त सड़कें अविलम्ब बनाई जाएं।

(अठारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ई एस आई अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : कोल्हापुर जिले में लगभग 30 हजार औद्योगिक कामगार हैं और वे सभी नियमित ईएस आई कार्डधारक हैं। इन्हें चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यकता है, जैसा कि ई एस आई सी अधिनियम/कानून में परिकल्पित किया गया है।

इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ई एस आई निगम, नई दिल्ली ने कोल्हापुर में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किया है। इसका निर्माण वर्ष 1996 में 8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। तथापि, यह अस्पताल विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हो पाया और इस भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

कोल्हापुर में सभी सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल की आवश्यकता को महसूस करते हुए, ईएसआई निदेशक मंडल ने संकल्प सं. 80/81 दिनांक 16 फरवरी, 2000 द्वारा इस अस्पताल का निजीकरण करने का निर्णय लिया और इस निर्णय के बारे में मुंबई उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई जिसने ई एस आई सी को निजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया। कामगारों संघ ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन पर अपनी सहमति व्यक्त की।

समाचारपत्रों में इस आशय में एक निविदा सूचना विधिवत प्रकाशित की गई और एक प्राइवेट पार्टी को इस अस्पताल को शुरू करने के लिए चुना गया। तथापि, भारत सरकार के श्रम विभाग ने इस चरण में निजीकरण की प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जिसके कारण कोल्हापुर जिले में 30 हजार श्रमिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस अस्पताल को अपने स्वयं के संसाधनों से शुरू करने के लिए कदम उठाए या मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करें और कोल्हापुर जिले में 30 हजार श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों को दूर करें।

(उन्नीस) तमिलनाडु में विरुधुनगर-मनमदुरै रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : अरोप्पुकोट्टई होकर विरुधुनगर और मनमदुरै के बीच आमान परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेनकाशी विरुधुनगर और त्रिचि–मनमदुरै के बीच रेल मार्ग का आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है। अब केवल विरुधुनगर और मनमदुरै के बीच का रेल मार्ग आमान परिवर्तन हेतु बचा हुआ है। आमान परिवर्तन कार्य मंजूर हो गया है और वर्ष 2007–08 के रेल बजट में इस बजट में इस प्रयोजन के लिए निधियां भी आबंटित कर दी गई हैं। परन्तु आमान परिवर्तन का यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

अतः, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह कार्य, तत्काल शुरू करवाएं और इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करवाएं।

अपराह्न 3.04 बजे

नागालैंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में संविधिक संकल्प

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा नागालैण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा नागालैण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति जी, केन्द्र सरकार द्वारा नागालैंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वह गैर–संवैधानिक कदम है। वहां की असेम्बली में 13 दिसम्बर, 2007 को शक्ति – परीक्षण हुआ था और 48 मतों में से 19 मत अगैस्ट थे। .. .(व्यवधान)।

[अनुवाद]

नागा लोगों का इतिहास बड़ा अनूठा है और हमें इस पर गर्व है। नागा लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। भारत सरकार नागालैण्ड की नाजुक राजनीतिक स्थिति से सही ढंग से नहीं निपट रही है।

महोदय, नागालैण्ड राज्य में अनुच्छेद 356 को लागू करना गैर कानूनी और असैवधानिक है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सिर्फ श्री रिजीजू का भाषण रिकार्ड में जाएगा। किसी और माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत एक संघीय देश है और हमारा एक संघीय ढांचा है परन्तु फिर भी कांग्रेस पार्टी गलत राजनीतिक तरीकों से हमारे संविधान में एकात्मकता लाने का बार–बार प्रयास कर रही है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, 13 दिसंबर को जब नागालैंड के लोकतांत्रिक गठबंधन की राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब विधानसभा अध्यक्ष ने सही निर्णय दिया जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव 19 सदस्यों की तुलना में 24 सदस्यों द्वारा विफल हो गया ...*(व्यवधान)* इसके बाद, नागालैंड के राज्यपाल ने नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा की जो अलोकतांत्रिक, अनुचित और असंवैधानिक है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपको आंकड़े दूंगा। ...*(व्यवधान)* नागालैण्ड विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दिन सत्तापक्ष के पास 48 सदस्यों की प्रभावी संख्या में 24 सदस्य थे ...*(व्यवधान)* नागालैंड जन मोर्चा के 19 सदस्य थे और बीजेपी के चार सदस्य थे तथा एक निर्दलीय सदस्य थे जो इस वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के 17 सदस्य थे, जद(यू) के दो सदस्य थे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपका भाषण प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जाएगा।

अब, डा. मैन्या बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू : मुझे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने दीजिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कुल सदस्यों की संख्या अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है, थोड़ी सी बात रह गई है। ...*(व्यवधान)* स्पीकर साहब ने नौ सदस्यों को डिसक्वालिफाई किया है, वह कानून के मुताबिक स्पीकर साहब ने बिल्कुल सही कदम उठाया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि नागालैंड की लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की पुनःस्थापना की जाए और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर विचार न किया जाए।

सभापति महोदय : अब डा. टोकचोम मैन्या अपने विचार रखेंगे।

...(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

मैं नागालैण्ड 2008 राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की 3 जनवरी, को घोषणा का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)* जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा में राजनैतिक संकट उठ खड़ा हुआ था। नागालैंड विधानसभा की प्रभावी संख्या 48 में, बिना किसी बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। संवैधानिक संकट और राजनीतिक उलझन उत्पन्न हो गई थीं *...(व्यवधान)*। राज्यपाल ने सही सिफारिश की और भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अतः यह एक आवश्यकता थी। ...(व्यवधान) अब चुनाव प्रक्रिया चल रही है। चुनाव प्रक्रिया काफी अच्छी तरह से चल रही है। शीघ्र ही हमारी नई विधान सभा का गठन हो जाएगा और राज्य का प्रशासन पुनः बहाल हो जाएगा...(व्यवधान) यह एक सही कदम है। मैं आज माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर चले जाइए और मुझे भी बोलने का मौका दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी भावनाओं से पूरा सदन सहमत है, लेकिन आप सही ढंग से अपनी बात उठाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह बहत महत्वपूर्ण विषय है। इतनी स्ट्रेंथ हमारे पास है कि हम बिना डिस्कशन के इसे पास कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, तो हम बिना डिस्कशन पास कर देंगे।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, माननीय सदस्यों को आवाज उठाने से रोकने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों के बीच यह सहमति हुई थी कि संवैधानिक तौर से नागालैंड में प्रेजीडेंट रूल अप्रूव होना जरूरी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सहमति होने के बावजूद भी इसे क्यों रोक रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति महोदय, मैं अनुशंसा करता हूं कि नागालैण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत 3 जनवरी, 2008 को जारी की गई घोषणा का इस माननीय सभा द्वारा अनुमोदन किया जाये...*(व्यवधान)*

जैसा कि संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, घोषणा की एक प्रति तथा इसके परिणामस्वरूप जारी आदेश को 26 फरवरी, 2008 को सभा पटल पर रखा गया है। परम्परानुसार राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, जिसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी करने की सिफारिश की गई थी की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी गई है। नागालैंड विधानसभा की अवधि 13.3.2008 को पूरी होनी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मतदान 5.3.2008 को होना तय हुआ है; और मतों की गणना 8.3.2008 को होगी। चुनावों के नतीजे 9.3.2008 या 10.3.2008 तक घोषित किए जाने की संभावना है।

चूंकि विधानसभा की अवधि 13.3.2008 को समाप्त हो जाएगी। नागालैंड विधानसभा 13.3.2008 तक निलंबित अवस्था में रहेगी क्योंकि इसकी अवधि 13.3.2008 को स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 जनवरी, 2008 को नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा का अनुमोदन करना है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं लेकिन पहले स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वैल में आकर कोई परपज हल नहीं होगा। आप अपनी बात तरीके से उठाइए, सीट पर जाइए और वहां जाकर उठाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सीट पर जाने पर आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 27 फरवरी, 2008 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार 27 फरवरी, 2008/8 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	प्रो. एम. रामदास प्रो. महादेवराव शिवनकर	1
2.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री रघुराज सिंह शाक्य	2
3.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी	3
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	4
5.	श्री महावीर भगोरा	5
6.	श्री प्रभुनाथ सिंह	6
7.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री धीरेंद्र अग्रवाल	7
8.	श्री निखिल कुमार	8
9.	श्री एस. के. खारवेनथन श्री के. सी. पल्लानी शामी	9
10.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	10
11.	श्री दुष्यंत सिंह	11
12.	श्री रतन सिंह अजनाला श्री असादूददीन ओवेसी	12
13.	डा. एम. जगन्नाथ श्री अनन्त नायक	13
14.	श्री पन्नियन रवीन्द्रन श्री प्रबोध पाण्डा	14
15.	श्री गणेश सिंह	15
16.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	16
17.	श्री एन. एन. कृष्णदास	17
18.	श्री भर्तृहरि महताब	18
19.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	19
20.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	22
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	37,99,33
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	35, 97, 130, 149, 162
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	29, 66
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	67, 118, 146, 160
6.	अजय कुमार, श्री एस.	108, 154
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	20, 74, 142, 158, 167
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	33
9.	आठवले, श्री रामदास	55, 115, 173
10.	'बाबा' श्री के. सी. सिंह	161
11.	'बघदा' श्री बची सिंह रावत	16, 113
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	69, 136, 153
13.	बर्मन, श्री हितेन	4
14.	बर्मन, श्री रनेन	5, 110
15.	भगोरा, श्री महावीर	71
16.	बोस, श्री सुब्रत	6
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	54, 114, 161
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	175
19.	चिन्ता मोहन, डा.	31
20.	चित्तन, श्री एन. एस. वी.	58
21.	चौधरी, श्री पंकज	175
22.	चौधरी, श्री अधीर	44
23.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	90
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	19, 73, 120

1	2	3
25.	धनराजू, डा. के.	31, 47, 85
26.	गमांग, श्री गिरिधर	17, 12
27.	गंगवार, श्री संतोष	41, 103, 175
28.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	165
29.	जगन्नाथ, डा. एम.	86
30.	जैन, श्री पुष्प	21, 117
31.	जटिया, डा. सत्यनारायण	8
32.	जयाप्रदा, श्रीमती	29, 79, 127, 175
33.	झा, श्री रघुनाथ	26, 78, 122
34.	जोगी, श्री अजीत	53, 77, 171
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	50, 109, 160
36.	खारवेनथन, श्री एस. के.	68, 119, 174
37.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	15, 112, 132, 140, 141
38.	कोया, डा. पी. पी.	59, 170
39.	कृष्ण, श्री विजय	44, 116, 141, 157, 166
40.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	89
41.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	29, 31, 93
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	43, 51, 52, 161
43.	महरिया, श्री सुभाष	18
44.	महतो, श्री नरहरि	10, 70
45.	महताब, श्री भर्तृहरि	91
46.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	175
47.	मंडल, श्री सनत कुमार	24, 75, 143, 151, 149
48.	मसूद,, श्री रशीद	43, 106, 139, 156, 160
49.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	161
50.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	29
51.	मिश्रा, डा. राजेश	22, 164

1	2	3
52.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	32
53.	मोहन, श्री पी.	80
54.	मंडल, श्री अबु अयीश	63
55.	मुर्मू, श्री हेमलाल	79
56.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	12
57.	नन्दी, श्री अमिताभ	62
58.	नायक, श्री अनन्त	79
59	निखिल कुमार, श्री	104, 138, 155, 165
60	ओराम, श्री जुएल	3, 29, 65, 126
61	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	94, 128, 147, 161
62	पाल, श्री रूपचंद	87
63	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	25, 76, 103, 172
64	पाण्डा, श्री प्रबोध	79
65	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	49, 161
66	परस्ते, श्री दलपत सिंह	168, 175
67	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	27
68	पटेल, श्री किसनभाई वी.	38, 101, 135, 152, 164
69	पाठक, श्री हरिन	42, 105
70	प्रसाद, श्री हरिकेवल	83, 121
71	राई, श्री नकुल दास	160
72	राजगोपाल, श्री एल.	40, 102, 137, 154
73	रामदास, प्रो. एम.	77, 121, 144
74	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	81, 124, 145,
75	राव, श्री के. एस.	175
76	राव, श्री रायापति सांबासिवा	29, 36, 98, 131, 150
77	राठौड़, श्री हरिभाऊ	57, 161
78	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	87, 127
79	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	13, 95, 129, 148, 176
80	रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी.	160

1	2	3
81	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	30, 92
82	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	90, 127, 175
83	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	28, 83, 169
84	रिजीजू, श्री कीरेन	49, 161
85	साई प्रताप, श्री ए.	164
86	साय, श्री नन्द कुमार	38, 139, 126, 172, 173
87	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2, 64, 94, 132
88	शर्मा, डा. अरुण कुमार	34, 96
89	सत्यनारायण, श्री सर्वे	61, 149
90	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	79
91	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	35, 97, 130, 149, 162
92	शिवन्ना, श्री एम.	43, 51, 111, 161
93	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	77, 121, 144
94	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	9, 100, 134, 151, 163
95	सिद्धू, नवजोत सिंह	175
96	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	11, 53
97	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	131,175
98	सिंह, श्री दुष्यंत	85
99	सिंह, श्री गणेश	88
100	सिंह, श्री मोहन	175
101	सिंह, श्री प्रभुनाथ	82, 125
102	सिंह, श्री रेवती रमन	60
103	सिंह, श्री सुग्रीव	38, 101, 135, 152, 164
104	सिंह, श्री सूरज	93
105	सिंह, श्री उदय	7, 79, 123, 175
106	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	23, 161, 176
107	सुब्बा, श्री मणी कुमार	62, 175
108	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	56
109	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	14
110	थामस, श्री पी. एस.	45
111	तुम्मर, श्री वी. के.	28
112	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	39, 48, 107, 126, 130
113	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	84
114	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	46
115	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	35, 97, 130, 149, 162
116	यादव, श्री गिरिधारी	1, 29
117	येरननायडु, श्री किन्जरपु	161

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1, 4, 11, 14, 17, 19, 20
पृथ्वी विज्ञान	:	
गृह	:	2, 7, 8, 9, 12
मानव संसाधन विकास	:	3, 6, 10, 13, 16
सूचना और प्रसारण	:	18
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
खान	:	5
संसदीय कार्य	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		15

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2, 7 23, 25, 30, 31, 40, 41, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 67, 71, 76, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 98, 100, 109, 113, 121, 126, 128, 129, 133, 135, 136, 138, 139, 152, 160, 163, 165, 167, 170, 171, 174
पृथ्वी विज्ञान		145
गृह	:	3, 13, 14, 18, 19, 26, 29, 38, 42, 43, 45, 52, 62, 73, 78, 79, 82, 89, 96, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 116, 119, 122, 123, 125, 127, 131, 140, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 168, 172, 173, 175
मानव संसाधन विकास	:	1, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 44, 46, 50, 55, 56, 61, 64, 66, 68, 69, 77, 83, 84, 85, 92, 94, 97, 102, 115, 117, 120, 124, 130, 137, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 162, 166, 176

सूचना और प्रसारण : 8, 9, 33, 53, 57, 101, 132, 134, 143

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : 4, 5, 6, 10, 24, 59, 70, 86, 110, 141, 144, 155, 169

खान : 32, 37, 51, 63, 65, 72, 74, 107, 118, 164

संसदीय कार्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : 20, 75, 99

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीं. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।